खण्ड-277, अंक-6
मंगलवार, 7 श्रावण, शक संवत् 1891
(29 जुलाई, 1969 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 277 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४७१–४८३
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी	४८३–४८४
प्रश्नोत्तर	४८५–५१७
श्री उचित नारायण द्वारा डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना	५१८–५१९
सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस, वाराणसी श्री राधेश्याम शर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	५२०–५२८
सतिया हत्याकांड के संबंध में न्यायिक जांच की मांग	५२८–५३०
विशेषाधिकार की अवहेलना की अन्य सूचनायें	५३१
सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव	५३१–५३२
१९६९–७० के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (समाप्त) ..	५३२–५७६
मऊनाथ भंजन के साम्प्रदायिक दंगे पर नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा के लिये समय के सम्बन्ध में सूचना	५७७
गोपाल पुर फार्म, मिर्जापुर में सतिया नामक लड़की की हत्या के संबंध में उप-मुख्य मंत्री का वक्तव्य	५७७–५७९
सीतापुर में लड़कियों की बिक्री के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	५७९–५८२
म्योर मिल कम्पनी लिमिटेड, कानपुर के श्रमिकों द्वारा अनशन के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	५८२–५८७
चीनी मिलों पर सरकारी टैक्स की बकाया धनराशि तथा विष्णु प्रताप शुगर वर्क्स, प्राइवेट लिमिटेड की आर्थिक स्थिति के संबंध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा	५८८–५९२
नस्थियां	५९३–६०६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २९ जुलाई, १९६९

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में १०.३० बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३८६

अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्युप्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेशप्रताप मल्ल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उपेन्द्र नाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० आइस, श्री
ओंम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यान सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (जिला एटा)

गंगाप्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्रप्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तरसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायणसिंह, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैराम, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनारायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री (जिला चमोली)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (जिला पिथौरागढ़)
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन, श्री
नारायणदत्त, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री

प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
फिरंगी, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभो, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनसा राम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ़ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्तसिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफ़ा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (उर्फ़ लल्लन जी)
रघुनाथसिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथसिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजित राम पाण्डय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रतापसिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री

राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल' श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामविलास, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर रफी खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भुनारायण सिंह, श्री
शान्तीचरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिवकुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिवकैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिवप्रसाद पांडिया, श्री
शिव बचन, श्री
शिवमहेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शैरसिंह)
शिवराजसिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवशंकर श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री

शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर , डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री
(उर्फ छन्नू बाबू)
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवनलाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम , श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामीप्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश, श्री
हरिहरबख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट---खाद्य मंत्री श्री मंगला प्रसाद भी उपस्थित थे।

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

अध्यक्ष महोदय, एक हमारा व्यवस्था का प्रश्न है और वह प्रश्न से ही सम्बन्धित है। यहां जो तालिका प्रस्तुत की गई है वह दो प्रकार की है जो हमारे सामने है और शायद आपके सामने होगी। इन दोनों में अन्तर है। पहली दूसरे मंगलवार के लिये है और एक में किया गया है द्वितीय सत्र, १९६९ का पहला मंगलवार। हमने आपका ध्यान....

श्री अध्यक्ष---

एक स्थायी सूची भेजी जाती है वह होगी, और एक दूसरी एडवान्स भेजी जाती है वह होगी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

अध्यक्ष महोदय, इसी से सम्बन्धित ७–७–६९ को हमारा एक प्रश्न स्वीकृत हुआ था। हमारे लिये जो पहले सूची थी ४६ में वह आज की सूची में नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न जो है, इसको होने दीजिये। आपको ऐसा चाहिये जब आपको सूची पहले मिल गई थी मैं भी पहले आ जाता हूं, तो आप मेरे कमरे में आकर कम्पेअर कर लेते। आप सदन का समय न लें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का समय नहीं ले रहा हूं। जब इस प्रकार की कार्यवाही होती है कि स्वीकृत प्रश्न का एक बार तो उल्लेख किया गया लेकिन दूसरी बार उस प्रश्न का उल्लेख नहीं है, वह नहीं आ रहा है। मैं आपको यह बता रहा हूं कि नौकरशाही किस रूप में चल रही है।

श्री अध्यक्ष—

आप तो टीका करने लगते हैं। जानकारी हासिल करने का प्रयत्न नहीं करते। पहले मंगलवार को मीटिंग ही नहीं हुई।

श्री शम्भूनाथ चौधरी —

आज जो स्वीकृत प्रश्न है वह तो सूची में आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष —

पहला मंगलवार तो यह है...

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

यह जो प्रश्न हमारा है...

श्री अध्यक्ष —

मेरे पास कागज नहीं है। आप मेरे कमरे में आकर बात कर लें। पहले आप हमको लिख कर भेज दें।

श्री गंगाप्रसाद—

अध्यक्ष महोदय, हमारा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमने कुछ प्रश्न भेजे थे तारांकित परन्तु आपने उन्हें अतारांकित कर दिया। वे लोक महत्व के प्रश्न थे उनका उत्तर आप कृपया हाउस में दिलाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे कमरे में आकर बात कीजिये। यह अध्यक्ष का अधिकार है कि अगर तारांकित प्रश्न किया हो तो उन्हें भी अतारांकित स्वीकार करें। उसी के अनुसार यह किया होगा।

श्री गंगाप्रसाद—

यह लोक महत्व का प्रश्न है.. ...

श्री अध्यक्ष—

आप नियम के विरुद्ध मत बोलिये।

प्रश्नोत्तर

मगलवार, २९ जुलाई, १९६९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पांडेपुरा बस्ती में हरिजन परिवार की पिटाई

**१—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या मुख्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि गत १५ जून, १९६९ को शाम ८ बजे ग्राम अमिला थाना घोसी, जिला आजमगढ़ के कतिपय भूतपूर्व जमींदारों ने संगठित सामूहिक रूप से घातक हथियारों और बन्दूक से लैस होकर पास की पाण्डेपुरा हरिजन बस्ती पर हमला किया और लगभग ४० स्त्री, बच्चों, बूढ़ों आदि सब को बुरी तरह मार कर घायल कर दिया ?

चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्ण नन्द राय)—

गत १५ जून, १९६९ को संध्या के लगभग ७ बजे ग्राम अमिला के एक परिवार के १० भूमिहारों ने, जिसमें एक के पास बन्दूक और शेष के पास लाठियां थीं, पान्डेपुरा हरिजन के एक परिवार के सदस्यों को पीटा। फलस्वरूप ८ व्यक्तियों को, जिनमें स्त्रियां और पुरुष भी सम्मिलित थे चोटें आईं।

**२—श्री सजीवन लाल—

क्या सरकार बतायेगी कि अब तक प्रशासन की ओर से इस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और उसके क्या परिणाम हुये हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय—

उपर्युक्त मामले में अभियुक्तों के विरुद्ध धारा १४७/३२३ भा० द० वि० के अन्तर्गत मुकदमा दायर किया गया और विवेचना आरम्भ की गई। जिला मैजिस्ट्रेट ने इस घटना की परगना मैजिस्ट्रेट से भी जांच कराई। इस मामले में चालान अदालत भेज दिया गया है। बन्दूक का लाइसेंस भी निलम्बित कर दिया गया है।

श्री सजीवन लाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो घायल अस्पताल में दाखिल हुये हैं उनकी संख्या क्या है और इस पर डाक्टर ने अपनी क्या रिपोर्ट दी है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

८ व्यक्तियों को चोट लगी थी। डाक्टर ने अपनी रिपोर्ट में सब को सिम्पिल इन्जरी लिखा है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

इस हमले का कारण क्या था, यह मारपीट क्यों हुई ?

श्री कृष्णानन्द राय—

बहुत ही साधारण बात पर यह घटना घट गयी। १५ जून की शाम को ५–६ बजे आंधी आयी थी। कुछ आम गिरे थे। दो लड़के, हरिन्दर १४ साल और राम उग्रह राय १० वर्ष, बाग में आम बीन रहे थे। उधर से पूर्णमासी नाम का एक हरिजन लड़का उम्र १८–२० वर्ष कुछ आम लेकर आ रहा था। इन लड़कों से उस हरिजन लड़के की कुछ कहा सुनी हो गयी। इन्होंने कहा कि आम हमारे हैं। उसने कहा कि यह आम तो मैं दूसरी जगह से ले आया हूं।

जब ये लड़के अपने घर गये तो अपने घर जाकर कहा कि पूर्णमासी ने हमारे आम ले लिये हैं और हमारा डंडा छीन लिया है। इन्हीं दो परिवार के ८-१० व्यक्तियों ने पूर्णमासी के परिवार वालों की मारपीट की ।

श्री सजीवनलाल--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इसमें कितने स्त्री और बच्चे चुटहल हुए ?

श्री कृष्णानन्द राय---

५ स्त्रियों को चोटें लगीं और ३ पुरुषों को ।

श्री गोविन्दसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस हमले में बन्दूक से भी फायर किया गया था या नहीं ?

श्री कृष्णानन्द राय---

बन्दूक से फायर नहीं किया गया । किन्तु एफ० आई० आर० में यह लिखा हुआ है कि बन्दूक के कुन्दे से एक आदमी को जरूर मारा गया ।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन १० व्यक्तियों के विरुद्ध यह रिपोर्ट लिखायी गयी है, उनमें से कितने आदमी अब तक गिरफ्तार किये जा चुके हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय--

जो रिपोर्ट मेरे पास है, उससे यही ज्ञात होता है कि अदालत में चार्जशीट लगा दी गयी है । गिरफ्तारी के बारे में अभी सूचना नहीं, माननीय सदस्य चाहेंगे तो मंगा दी जायगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

जो लोग गिरफ्तार किये गये हैं उनके ऊपर ३५४ की दफा भी जोड़ी गयी है या नहीं क्योंकि उसमें महिलाओं की बेइज्जती हुई है ?

श्री कृष्णानन्द राय--

यह मामला १४७/३२७ के अन्तर्गत कोर्ट में गया है ।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या माननीय मंत्रीजी को मालूम है कि इस हरिजन बस्ती में बड़ा आतंक छाया हुआ है, तरह तरह से परेशान किया जा रहा है, क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही करने को तैयार है ?

श्री कृष्णानन्द राय--

इस मामले में चूंकि एफ० आई० आर० में यह भी लिखा था कि हरिजनों को इस बात की धमकी दी गयी कि तुम गांव छोड़ दो इसलिये जिलाधीश ने एहतियात के तौर पर वहां के एस० डी० एम० को स्पाट पर इन्क्वायरी के लिये भेज दिया और उनकी जो रिपोर्ट प्राप्त हुयी, उससे यह पता चला है कि वहां पर वर्ग संघर्ष की भावना नहीं थी और न वहां पर कोई आतंक ही था । यह २ परिवार के लड़कों का झगड़ा था जो अपरिपक्व बुद्धि के थे और आमों के मामले में झगड़ा था । अब सब एक दूसरे के यहां आते जाते हैं । उस दिन भी कुछ लोग छुड़ाने के लिये गये तो उन्हें भी किसी ने नहीं मारा । अब वहां पर काफी शांति है ।

श्री राम विलास (जिला आजमगढ़)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि मैजिस्ट्रेट की जांच में उन लोगों ने खुद कबूल किया कि हम ८ आदमियों को केवल मामूली ढंग से चोटें आयी हैं और क्या माननीय झारखंडे राय जी जो कि संसद सदस्य हैं, उन्हीं के परिवार वालों से हरिजनों का झगड़ा हुआ और क्या वे उस दिन बाजार में थे और उनके....

श्री अध्यक्ष---

कितने सवाल आपने किये हैं ?

श्री गोविन्दसिंह---

श्रीमन्, माननीय झारखंडे राय जी सदन में मौजूद नहीं हैं तो क्या उनके बारे में सदन में बहस की जा सकती है ?

श्री अध्यक्ष---

उनके ऊपर आक्षेप नहीं किया जा सकता है ।

श्री कृष्णानन्द राय---

मैं माननीय सदस्य का प्रश्न समझ गया हूं । इसकी कोई सूचना नहीं है कि जिन लोगों ने मारपीट की वे झारखंडे राय जी के परिवार के लोग थे । वे उस गांव के रहने वाले जरूर हैं । आज भी जितने वहां के हरिजन हैं, वे उनके यहां जाकर काम करते हैं,कोई रुकावट नहीं है कोई अड़चन नहीं । मारपीट भी मामूली हुयी है और चोटें भी लाठी से मामूली आयी हैं ।

श्री सजीवन लाल---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच करायी गयी थी और जो वहां का थानेदार था, वे किस जाति से सम्बन्धित हैं?

श्री कृष्णानन्द राय---

उनकी जाति का तो पता नहीं लगाया गया लेकिन अगर माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं तो यह भी उन्हें बताया जा सकता है ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)---

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने सरकारी पदाधिकारियों को यह आदेश दिए हैं कि वे गरीबों की आपत्तियों को सुनें और उनकी सहायता करें तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी उन आदेशों की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---

माननीय सदस्य ने उन कार्यवाहियों को पढ़ा होगा जो एडमिनिस्ट्रेटिव आफ़िसर्स के बीच में हुई हैं । मेरे उनके बीच में हुए भाषण का उन्होंने अध्ययन किया होगा । मैंने अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि गरीब व्यक्तियों के प्रति किस प्रकार का बर्ताव होना चाहिये और वे सब बातें अखबारों में आ चुकी है और वे माननीय सदस्य की नजरों से भी गुजरी होंगी ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि आम सवाल अथवा पालिसी के सवाल उठाये जायं । प्रश्न जो चल रहा है उस सम्बन्ध में सवाल न होकर जनरल डिस्कशन होने लगेगा तो बड़ा मुश्किल हो जायगा ।

श्री सजीवन लाल—

मंत्री जी ने कहा कि बखुशी काम करने जा रहे हैं लेकिन वाकया यह है कि जबरदस्ती काम लिया जा रहा है डर और भय के कारण ?

श्री कृष्णानन्द राय—

पूर्णमासी जिस लड़के से मारपीट हुई उसका पिता दुखी है वह उन परिवारों में काम करने जा रहा है और कोई अड़चन नहीं है। अगर माननीय सदस्य वहां जा कर देखें कि स्थिति दूसरी है तो वह लिख कर दे दें उसका प्रबन्ध किया जायगा।

प्रासीक्युशन स्टाफ को इन्वेस्टीगेशन स्टाफ से अलग करने का सुझाव

**३—श्री रामधारी (जिला देवरिया)—

प्रदेश में न्याय और प्रशासन के पृथकीकरण के पश्चात् क्या सरकार पब्लिक प्रासीक्यूटर्स और सहायक पब्लिक प्रासिक्यूटर्स को पुलिस विभाग के नियन्त्रण से मुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री कृष्णानन्द राय—

जी नहीं।

श्री रामधारी—

जब न्याय विभाग शासन से अलग हो गया तो क्या कारण है कि ए० पी० पी० और पी० पी० पुलिस के नियंत्रण से अलग नहीं किये गये ?

श्री कृष्णानन्द राय—

प्रासीक्यूशन तथा इंवेस्टिगेशन इन दोनों में बड़ा निकट का सम्बन्ध है और दोनों का पुलिस विभाग में रहना आवश्यक है।

श्री रामधारी—

प्रासीक्यूशन को हाई कोर्ट के मातहत रखने में क्या दिक्कत है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

जिस तरह की शासन की नीति है उसके अनुसार यह ठीक समझा गया कि पुलिस के दोनों विभाग इंवेस्टिगेशन तथा प्रासिक्यूशन को उसी रूप में रखा जाय जिस प्रकार से अब तक रहा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

पब्लिक प्रासीक्यूटर को पुलिस विभाग से पृथक करके हाई कोर्ट के मातहत कर दिया जाय और उनका एप्वाइंटमेंट उसी प्रकार से जैसे गवर्नमेंट कौंसल का होता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

पब्लिक प्रासिक्यूटर का एप्वाइन्टमेंट इंस्पेक्टर जनरल, पुलिस द्वारा होता है उनकी सलाह से व उनकी देख रेख में। हाई कोर्ट से किसी भी कौंसल की नियुक्ति नहीं होती है और सरकार की जो नीति पहले थी वही चलती भी रहेगी। इस प्रश्न पर जिसे माननीय सदस्य ने उठाया है विचार भी किया गया और नतीजा विचारोपरान्त यह निकला कि इंवेस्टिगेशन तथा प्रासीक्यूशन ब्रांन्च में साभंजस्य रखने के लिये जो नियुक्ति प्रासीक्यूटिंग कौंसल की हो वह इंस्पेक्टर जनरल के मातहत हो।

श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी (जिला बदायूं)—

प्रोसीक्यूशन स्टाफ़ की इवेस्टिगेटिंग स्टाफ़ से अलग करने में क्या आपत्ति तथा अड़चन है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अड़चन की बात नहीं है व्यावहारिकता की बात है और व्यावहारिकता इसी में ज्यादा प्रतीत हुई कि इन्वेस्टीगेटिंग शाखा प्रासीक्यूटिंग शाखा से बंधी रहे।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

सरकार की तरफ़ से इस्तगासा के मुकद्दमे में जिस तरह की पैरवी और कोशिश की जरूरत अदालत मातहत में पड़ती है उसी तरह की जरूरत सत्र न्यायालय में भी पड़ती है। वहां सरकारी वकील काम करता है और यहां पी० पी० काम करता है। लेकिन आज जो तफ़तीश-कुनिन्दा और पी० पी० में रिश्ता बन जता है उसकी वजह से जो गड़बड़ियां दारोगा कर देते हैं तफ़तीश के दौरान में उसके कारण वह बच जाते हैं। तो क्या इस चीज को ध्यान में रखते हुये आप इन दोनों को अलग-अलग करने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

यों तो कई मर्तबा इस के ऊपर विचार को हो चुका है। माननीय सदस्य इस सुझाव को फ़िर से दोहरा रहे हैं तो फ़िर से इस पर विचार कर लिया जायगा।

श्री गोविन्दसिंह—

क्या मंत्रीजी को विदित है कि अमरीका में जहां लिखित संविधान है और जहां सेपरेशन आफ़ जुडिशियरी है वहां प्रासीक्युटिंग ब्रांच स्वतंत्र है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

अमरीका में यह सम्भव हो सकता है।

अकबरपुर थाने में श्रीमती गुलशन के साथ बलात्कार

**४—श्री उपेन्द्रनाथ (जिला कानपर)—

क्या गृह मंत्री जी को बात की जानकारी है कि माह फ़रवरी, १९६९ में कानपुर जनपद के थाना अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सराय के कुछ व्यक्तियों ने नट जाति की कुमारी गुलशन को दिन दहाड़े जबरन पकड़ कर ६ घंटे तक निरन्तर उसके साथ बलात्कार करने के पश्चात् मरणासन्न अवस्था में उसे फ़ेंक दिया था। यदि हां, तो पुलिस के द्वारा अब तक क्या कार्य-वाही की गई है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

जिला कानपुर के थाना अकबरपुर पर दिनांक १९-२-६९ को एक श्रीमती गुलशन पत्नी राम औतार महावत ने इस आशय की सूचना दी कि दिनांक १७-२-६९ को दिन में १० बजे से शाम ४ बजे तक कुछ व्यक्तियों ने उसे ग्राम सराय गढ़ेवा में एक कमरे के अन्दर बन्द करके उसके साथ बलात्कार किया।

इस मामले में धारा ३७६/३४२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करके जांच की गई। जांच के पश्चात् सभी अभियुक्तों का च लान कर दिया या। मुकदमा न्यायालय के विचारा-धीन है।

श्री उपेन्द्र नाथ—

इसमें कितने मुल्जिम थे और उनके नाम क्या थे ?

श्री कृष्णानन्द राय—

इनके नाम हैं नन्दकिशोर ब्राह्मण, लल्ला, राजा बाबू और हीरालाल चमार ।

श्री उपेन्द्रनाथ—

ये गिरफ्तार किये गये या नहीं ?

श्री कृष्णानन्द राय—

सभी गिरफ़्तार किये गये और सभी का चालान कर दिया गया ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

डाक्टर की रिपोर्ट उस महिला के बारे में और उन अभियुक्तों के बारे में क्या है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

कोई मारपीट तो हुई नहीं लेकिन महिला के बारे में अवश्य रिपोर्ट है कि उसके साथ इस ढंग से कुछ कार्यवाही हुई ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यदि अभियुक्त तुरन्त गिरफ़्तार हो गये तो उनका डाक्टरी मुआयना कराया गया या नहीं ?

श्री कृष्णानन्द राय—

अभियुक्तों की गिरफ़्तारी उसी दिन नहीं हुई । कुछ की दूसरे दिन हुई और कुछ की तीसरे दिन हुई ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इस लड़की की उम्र क्या थी ?

श्री कृष्णानन्द राय—

मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि 'दि एज आफ़ दि गर्ल इज एबाउट नाइन्टीन इयस' । १९ साल के आसपास थी ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन, जब मंत्री जी ने अभियुक्तों के नाम पढ़े तो उसके साथ जातियां भी पढ़ी तो क्या शासन को आदेश दिये हैं जब कहीं सरकारी रिकार्ड में किसी का नाम और पिता का नाम लिखा जाय तो जाति भी लिखी जाय ?

श्री कृष्णानन्दराय—

श्रीमन्, एफ० आई० आर० में इसी ढंग से लिखा था कि यह ब्राह्मण है और चमार है ।

श्री सजीवनलाल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो लोग गिरफ्तार किये गये हैं वे जमानत पर रिहा हो गये या जेल में हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय—

पुलिस की तरफ से कोई जमानत नहीं हुई थी और जो गिरफ्तार किये गये उनके खिलाफ चार्ज सीट लगाई गई । अब मामला अदालत में चला गया है और वहां से कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बलात्कार के चार्ज में सभी मुलजिम गिरफ्तार कर लिये गये या नहीं ?

श्री कृष्णानन्द राय---

जी हां, सभी गिरफ्तार कर लिये गये और मुकदमा दायर हो गया है ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

श्रीमन्, मंत्री जी ने जो रिपोर्ट पढ़ी है वह अंग्रेजी में थी, जब शासन का आदेश है कि सरकारी अफसर हिन्दी में लिखा करें तो फिर यह रिपोर्ट अंग्रेजी में क्यों दी गई है और क्या उस डाक्टर के खिलाफ मंत्री जी कार्यवाही करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

श्रीमन्, सरकारी कर्मचारियों की पुरानी आदत पड़ गई है इस लिये वह भूल कर जाते हैं हालांकि ताकीद है कि कार्यवाही हिन्दी में हो ।

श्री महीलाल---

मुख्य मंत्री जी को स्मरण होगा कि माननीय पंत जी के जमाने में यह आदेश हो गये थे कि किसी की जाति न पूछी जाय और न लिखी जाय फिर गुप्ता जी के शासनाकाल में यह क्यों लिखी जा रही है ? क्या इस तरह के आदेश उन्होंने दिये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

मुख्य मंत्री ने आदेश नहीं दिये हैं लेकिन ऐसा विदित होता है बातचीत करने से और बहस मुबाहसे से कि यहां जाति की बहुत चर्चा होती है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, इस सत्र के पहले अधिवेशन में माननीय गुप्ता जी ने आश्वासन दिया था सदन में कि सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिये आदेश दे दिये हैं और जो लोग जरा भी चूक करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जब यह मामला उनके नोटिस में आ गया तो क्या उस डाक्टर के खिलाफ कार्यवाही करने पर वे विचार करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

सब कार्यवाही हिन्दी में होनी चाहिये । हमारे आदेश के बावजूद सचिवाय में अंग्रेजी में काम होता था वहां उत्तरोत्तर प्रत्येक अधिकारी चेष्टा करता है कि सब काम हिन्दी में करें और ऐसा ही जिलों में हो रहा है । अब कहीं-कहीं कुछ लोग अंग्रेजी में कर देते हैं और इसलिये भी कर देते हैं कि डाक्टरी वगैरा के ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो हिन्दी में आसानी से नहीं लिखे जासकते हैं । इसलिये डाक्टर और विशेषज्ञ इन शब्दों को जो अंग्रेजी में लिख देते हैं उनके विषय में किसी खास व्यक्ति को सजा दूं मैं ऐसी बात मानता नहीं हूं और न करने के लिये तैयार हूं । हमारी उत्तरोत्तर यह नीति है और हम चाहते हैं कि सब व्यक्ति हमारी नीति के अनुसार कार्य करें ।

श्री मेनेजरसिंह---

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जो विशेषज्ञ हैं उनको कुछ शब्द हिन्दी में लिखने में कठिनाई होती है तो जो रिपोर्ट वे देते हैं, कुछ अंग्रेजी शब्दों को हिन्दी में लिखने में उनको क्या कठिनाई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

कठिनाई नहीं है। कभी-कभी जो कि हिन्दी में लिखा हुआ अंग्रेजी का लफ्ज होता है वह पढ़ने वालों की समझ में नहीं आता है कि यह लफ्ज है क्या है।

श्री चरणसिंह (जिला मेरठ)---

माननीय मुख्य मंत्री के एक प्रश्न के उत्तर से सम्बन्धित। सवाल यह पछा गया था कि शासन में पुराने आदेश इस प्रकार के मौजूद हैं कि किसी की बिरादरी न पूछी जायगी न लिखी जायगी तो उन आदेशों पर अमल हो रहा है या नहीं, आया उसके विपरीत माननीय गुप्ता जी ने आदेश दिये हैं? उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। उसका क्या जवाब है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

मैंने तो कोई दूसरा आदेश दिया नहीं। जो पुराने आदेश थे वही जारी हैं। लेकिन मैं बड़े-बड़े व्यक्तियों को जाति बिरादरी की बातें करते सुन रहा हूं इस लिये मैंने यहां चर्चा कर दी।

श्री चरणसिंह---

सवाल यह है कि पहले से ऐसे आदेश हैं उन पर अमल क्यों नहीं करवाया जा रहा है। बड़े-बड़े आदमी जो शासन के अन्दर हैं उसी आधार पर अमल करते हैं इस लिये असर पड़ता है।

श्री अध्यक्ष---

वह तो आपने कह दिया।

श्री महीलाल---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह आदेश देंगे कि जो पहले से आदेश हैं उनका कठोरता से पालन किया जाय?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

वह आदेश फिर से दोहरा दिये जायेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

अध्यक्ष जी.....

श्री अध्यक्ष---

एक तरफ आप कहते हैं कि पांच छः सवालों के बाद नहीं होना चाहिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

यह तो अहम सवाल है।

श्री अध्यक्ष---

अहम सवाल सब हैं।

हजरतगंज थाने में दो कान्स्टबिलों में मारपीट

**५---श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)---

क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ शहर के अन्तर्गत हजरतगंज थाने में दिनांक १८ फरवरी, १९६९ को उसी थाने के कितने कांस्टेबिलों के ऊपर अपराध धारा ३९४ भारतीय

दण्ड संहिता का कोई मुकदमा कायम कराया गया था। यदि हां, तो मुकदमा किसने एवं क्यों कायम कराया था और आज तक उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कृष्णानन्द राय--

दिनांक १८-२-६९ को थाना हजरतंगज पर पुलिस चौकी बंदरिया बाग थाना हजरतगंज के २ कान्स्टेबिलों व १ हेड कान्स्टेबिल के विरुद्ध धारा ३९४ भा० द० वि० का एक मुकदमा कान्स्टेबिल सूर्य नारायण सिंह, पुलिस लाइन, लखनऊ ने कायम कराया था। वादी ने रिपोर्ट में अभियुक्तों के विरुद्ध उसे मारने-पीटने और सामान छीन लेने का आरोप लगाया था।

मामले में विवेचना की गई और १९-३-६९ को अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई जो १५-४-६९ को न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई ।

श्री रामदेव--

क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस हेड कांस्टेबिल के ऊपर मुकदमा कायम कराया गया उसका नाम क्या है और उसकी सेवा काल की अवधि कितनी बीत चुकी है और कितनी शेष है ?

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, यह कांस्टेबिल राजबहादुर सिंह, चौकी बंदरियाबाग, कांस्टेबिल का नाम है।

श्री रामदेव--

माननीय मंत्री जी क्या बताएंगे कि सूरज नारायण सिंह की किस अस्त्र से पिटाई की गयी, उसकी चोटों का परीक्षण हो गया है? अगर हो गया है तो क्या वह रिपोर्ट माननीय मंत्री जी यहां पढ़ेंगे ?

श्री कृष्णानन्द राय---

यह कुछ इस ढंग की मारपीट नहीं हुई थी कि जिसमें ऐसी चोट लगी हो कि उसका परीक्षण कराया जाए।

श्री हिम्मतसिंह---

क्या मंत्री जी बताएंगे कि फायनल रिपोर्ट लगाने का क्या कारण है?

श्री कृष्णानन्द राय---

यह जान कर कि सिपाहियों में आपस में कुछ कहा सुनी हो गयी थी, एक सिपाही ने हेड कांस्टिबिल से यह पूछा कि मैंने जो दरख्वास्त दिया था, उसे आपने एस० पी० के यहां भेज दिया? इसी मामले को लेकर कुछ हाथापाई हो गयी। यह यों कोई गम्भीर चीज नहीं थी।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मंत्री जी ने बताया कि यह कोई गम्भीर चीज नहीं थी लेकिन फिर यह धारा ३९४ में रिपोर्ट क्यों लिखी गई ? तो क्या आप यह सदन को बताने की कृपा करेंगे कि जो रिपोर्ट उसके खिलाफ लिखाई गई, उस में क्या दर्ज है ? दूसरे इस आदमी का डाक्टरी निरीक्षण हुआ या नहीं ? तीसरे यदि अदालत में फायनल रिपोर्ट लग गई तो मुकदमे में कुछ कार्यवाही हो रही है या नहीं ?

श्री कृष्णानन्द राय---

रिपोर्ट में यह था कि उसकी अंगूठी भी छीना-झपटी में छीन ली गई। यह इसलिये लिखी गई। यह अतिरंजित रिपोर्ट मालूम हुई, इसीलिए फायनल रिपोर्ट लगा दी गई।

तारांकित प्रश्न

हाटा ब्लाक में नारायणी नदी से निकाली गई नहर के सुधार की आवश्यकता

*१---श्री बांके लाल (जिला देवरिया)---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया के अन्तर्गत हाटा ब्लाक में नारायणी नदी से जो नहर सवांगी पट्टी डुमरी के पूरब तरफ जो छोटी गण्डक के किनारे से जा रही है उसे पुनः सर्वेक्षण कर ऊंची जगह पर निर्माण कराने की व्यवस्था करेंगे ?

उप मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

जी नहीं। जो रजबहा ग्राम डुमरी स्वांगी पटटी के पूरब तरफ प्रस्तावित है, वह भली प्रकार सर्वेक्षण करने के पश्चात् जल स्तर तथा नदी के कटाव के दृष्टिकोण से निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है तथा उसमें परिवर्तन करना सम्भव नहीं है।

श्री बांकेलाल---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ के समय छोटी गंडक का जल स्तर क्या रहता है और जिस जगह नहर बनाने जा रहे हैं, उस जगह का जल-स्तर बाढ़ के समय क्या रहता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है। लेकिन यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसका पूरा सर्वे कराया गया है और यदि माननीय सदस्य आवें तो नक्शा भी उन्हें दिखा दूंगा जिसके कारण यह आवश्यक समझा गया कि यह रजबहा इस लाइन पर बनवाया जाए।

श्री बांकेलाल---

क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि नहर सर्वदा ऊंची जमीन पर बनाई जाती है जिससे अधिक से अधिक जमीन उससे सिंचित की जा सके। लेकिन यहां स्थिति यह है कि दोनों का जलस्तर एक-सा है। जब गंडक में बाढ़ आती है तो उसका पानी गांव में भर जाता है, सब घर गिर जाते हैं और वहां पर मेरे बराबर पानी हो जाता है। तो क्या मंत्री जी पुनः उसका सर्वेक्षण कराकर उसको ऊंची जमीन पर डुमरी गांव में नहर बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

यह मामला पहले भी मेरे पास आया था। मैं वहां गया था और स्थान देखा था जहां से रास्ता बदला गया है। अब माननीय सदस्य की राय है तो मैं पुनः सर्वेक्षण करा लूंगा और आपका सुझाव भी रख दूंगा कि यदि नहर ऊंचे से जा सकी तो उसे सुधरवा दूंगा।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया में जब वह गये थे उस समय जो सभा हुई थी चीफ इंजीनियर और इरीगेशन सेक्रेटरी की, जिसमें वहां के प्रतिनिधि मिले थे, तो क्या उसमें यह सुझाव आया था कि एक बार पुनः सारी योजना की जांच करा कर गड़बड़ियों को सुधरवा लिया जाए और मंत्री जी ने इस बारे में चीफ इंजीनियर से पुनः जांच कराने का आश्वासन भी दिया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

किस प्रकार की गड़बड़ी की बात माननीय सदस्य ने कही मैं समझा नहीं। लेकिन गंडक योजना कई साल से चल रही है और करोड़ों रुपया उस पर खर्च हो चुका है और करीब करीब वह पूरी होने जा रही है, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई नई योजना बनाने का उनका सुझाव है तो वह सम्भव नहीं है।

श्री सजीवन लाल---

माइनरें कुछ ऐसी हैं जो गलत ढंग से निकाली गई हैं जिनके अक्सर कट जाने की सम्भावना रहती है, उनको भी क्या मंत्री जी सुधरवाने की कृपा करेंगे यदि दरख्वास्त आएं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, यह माइनरें बनाने का कार्य इंजीनियरों का होता है जिन्होंने बनाया है, फिर भी यदि स्थानीय प्रतिनिधियों के कोई सुझाव हैं तो वह मुझे दे दें, मैं फिर से उसे अवश्य देख लूंगा ।

अधीक्षण अभियन्ता, अल्प सिंचाई, लखनऊ के विरुद्ध कथित जांच

*२---श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, अल्प सिंचाई, लखनऊ के विरुद्ध सतर्कता आयोग व पुलिस थाना भाण्डेर, जिला झांसी के सम्मुख कोई जांच व तफतीश लम्बित है ?

कृषि मंत्री (डाक्टर सीताराम)---

उपलब्ध सूचना के अनुसार सतर्कता आयोग के सम्मुख वर्तमान अधीक्षण अभियन्ता, अल्प सिंचाई के विरुद्ध कोई जांच लम्बित नहीं है । जहां तक थाना भाण्डेर, जिला झांसी में तफतीश का प्रश्न है, थाना भाण्डेर मध्य प्रदेश में लगता है ।

*३---श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री प्यारे लाल---

यदि हां, तो उपर्युक्त इंजीनियर के विरुद्ध आरोप क्या हैं और वे प्रकाश में कब आये ?

डाक्टर सीताराम---

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, इस सरकार के इतने बड़े मुलाजिम के खिलाफ कोई जुर्म दर्ज है या नहीं ? रिपोर्ट दर्ज है या नहीं ? यह मालूम करने की कोशिश की गई और जवाब इस तरह का आया है। आप इन्हें इजाजत दें कि यह जानकारी करके सदन को सूचित तो करें कि यह किस तरह के अफसर हैं ? किस विभाग के इंचार्ज बनाये गये यह उसमें दर्ज नहीं है। यह थाना मध्य प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश में है, पता नहीं है। लेकिन क्या कोई ऐसी रिपोर्ट दर्ज है या नहीं यह तो बता दें, उसको दबाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

डाक्टर सीताराम---

इस प्रकार की रिपोर्ट शासन के पास नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या मंत्री जी उसकी जांच कर के रिपोर्ट मंगाने की कोशिश करेंगे ?

डाक्टर सीताराम---

उसकी रिपोर्ट मंगा ली जाएगी, लेकिन जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं आपकी आज्ञा से कह देना उचित समझता हूं कि डाइरेक्टर, विजीलेंस ने भी इत्तला भेजी है कि किसी भी इस तरह के अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चल रही है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मंत्री जी ने कहा---नहीं चल रही है' तो क्या पहले कभी इस तरह की कोई कार्यवाही विजिलेंस के सामने निलम्बित थी ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मैनेजरसिंह---

मंत्री जी ने कहा भाण्डेर मध्य प्रदेश में है। प्रश्न में एक बहुत बड़े अभियन्ता के ऊपर इस प्रकार का अभियोग लगाया गया है। क्या आप मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह जांच करके बताने की कृपा करेंगे कि क्या वहां पर ऐसे अधिकारी के खिलाफ कोई रिपोर्ट है ?

डाक्टर सीताराम---

जी हां, इसकी जांच करा ली जाएगी।

बी० डी० ओ० पदों पर नियुक्ति

*४---श्री हिम्मतसिंह---

क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बी० डी० ओ० पदों पर नियुक्ति हेतु जो सूची फरवरी, १९६९ में प्रकाशित हुई उसमें ऐसे व्यक्ति कौन-कौन हैं जिनका कि सामुदायिक विकास विभाग से सम्बन्ध समाप्त हो चुका था परन्तु फिर भी पदोन्नति के नाम पर नियुक्त कर लिया है, तथा क्यों ?

डाक्टर सीताराम---

जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की गई वे नियोजन विभाग के ही नहीं वरन् पृथक-पृथक दस विभागों के अभ्यर्थी थे। इनमें समाज कल्याण विभाग (महिला मंगल योजना) और उद्योग विभाग के सहायक विकास अधिकारी भी सम्मिलित थे और लोक-सेवा आयोग द्वारा की गई परीक्षा में बैठे थे। इस ही बीच तत्कालीन सरकार ने इन पदों को समाप्त कर दिया किन्तु उक्त विभागों के कुमारी विमला अग्रवाल, श्रीमती कमला वर्मा, श्रीमती आशा उपाध्याय, वीरभान प्रताप सिंह और राधा मोहन श्रीवास्तव परीक्षा में सफल हुए। सफलता के आधार पर इनको नियमतः क्षेत्र विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया गया।

श्री हिम्मत सिंह---

यह क्या साक्षात्कार का परिणाम है जो लोक सेवा आयोग के सम्मुख हुआ था ?

डाक्टर सीताराम---

जी हां।

श्री दीपनारायण मणि---

यह बी० डी० ओज० सामुदायिक विकास विभाग के अधीन काम कर रहे थे या किसी और विभाग के ?

डाक्टर सीताराम---

१० विभागों के बी० डी० ओज० इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे।

श्री हिम्मतसिंह---

साक्षात्कार और परीक्षा में कितना अन्तर है ?

डाक्टर सीताराम---

वे लोग परीक्षा में बैठे थे और जब वह परीक्षा पास कर चुके तब इंटरव्यू में भी बुलाये गये।

बदायूं जिले में जी० एम० एफ० सब्सीडी के वितरण में गलती

*५—श्री कृष्णस्वरूप—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिले के प्रदत्त १९६७–६८ में १४,००,००० रु० जी० एम० एफ० सब्सिडी में से कितनी धनराशि व्यय हुई एवं कितनी वापस की गई ? यदि सरेन्डर नहीं की गई तो क्यों

डाक्टर सीताराम—

वित्तीय वर्ष १९६७–६८ में बदायूं जिले में १४,००,००० रु० की जी० एम० एफ० सब्सीडी में से केवल ७,५९,६२१ रुपये व्यय हुए तथा शेष ६,४०,३७९ रुपये की धनराशि स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों की गलती से सगर्पित नहीं की जा सकी ।

श्री ओमप्रकाश सिंह (जिला बलिया)—

जिन कर्मचारियों और अधिकारियों की गलती के कारण यह सब्सीडी नहीं बंट सकी उनके विरुद्ध सरकार क्या कोई कार्यवाही करेगी ?

डाक्टर सीताराम—

तीन के खिलाफ कार्यवाही हो चुकी है और एक के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री शिवराजसिंह—

क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है कि ऐक्ट १९ के तहत में जो कर्जे दिये गये थे उसके कारण यह सब्सिडी नहीं बंटी ?

डाक्टर सीताराम—

चूंकि यह प्रश्न १९६७–६८ का है और जैसा कि माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है ऐसी बात नहीं है । एक कठिनाई वह भी है लेकिन यह अधिकारियों की गलती से बात हुई ।

श्री कृष्णस्वरूप—

किसानों की सैकड़ों दरख्वास्तें सब्सीडी के लिये कार्यालय में पड़ी हुई हैं मगर ६ लाख रुपये विभाग ने उपयोग में नहीं लिया, इसका क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—

यही तो उनकी गलती पायी गयी जिसके कारण ३ को सजा दी गयी और १ का प्रश्न शासन के विचाराधीन है । सब्सीडी के लिये शासन की ओर से आदेश दिये गये हैं कि जिन लोगों की एप्लीकेशंस पहले प्राप्त हुई हैं और उन्होंने काम कर लिया है, सब्सीडी उनको पेमेंट नहीं हुई उनके बारे में डिप्टी चीफ डेवलपमेंट कमिशनर पता लगावें कि कितनी एप्लीकेशंस इस प्रकार की हैं ?

श्री शिवराज सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार का आदेश जारी करेंगे कि कानून १९ के तहत जो कर्जे दिये गये और जहां पर वह पूरे नहीं हुए वहां उनको भी फिर सब्सीडी दी जाय ?

डाक्टर सीताराम—

इस तरह का आदेश नहीं दिया जा सकता ।

श्री महीलाल—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन तीन कर्मचारियों को दंड दिया गया वह किस किस पद पर काम करते थे और उनको किस-किस प्रकार का दंड दिया गया ?

डाक्टर सीताराम—

सीनियर मेकेनिकल इन्सपेक्टर आत्मासिंह को चेतावनी दी गई। ज्योतिस्वरूप भूतपूर्व एकाउन्टेन्ट के कैरेक्टर रोल में एन्ट्री की गई। रामनाथ को सीनियर से जूनियर कर दिया। डी० पी० ओ० के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाय इसके बारे में डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर, बरेली से आख्या मांगी गई है और आख्या मिलने पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जायगी।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे, उन्होंने यह आदेश कब दिया कि जिन लोगों के प्रार्थना-पत्र पहले से है उनको देखकर दिया जाय, क्या असेम्बली के प्रश्न आने के बाद यह कार्यवाही हुई

डाक्टर सीताराम—

जी हां, बात सही है।

श्री धर्मसिंह—

इस प्रकार की शिकायत सारे उत्तर प्रदेश के जिलों की है कि पूरी तरह से सब्सिडी खर्च नहीं होती। तो इस प्रकार का सरकार कोई जनरल आदेश देगी जिसके द्वारा इस सम्बन्ध में रुपया सरेन्डर न होने पाये ?

डाक्टर सीताराम—

जहां तक सब्सिडी का प्रश्न है इसको सरकार ने खत्म कर दिया है लेकिन यह चूंकि ६७–६८ का बकाया का प्रश्न है इसलिये अगर उन्होंने आर्डर के मुताबिक काम कर लिया है तो उनके आवेदन पर पुनः विचार किया जायगा कि उसम क्या हो सकता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार उन जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कोई कार्यवाही करने पर विचार करेगी जिन्होंने इन प्रार्थनापत्रों के उपर कार्यवाही करने को रोककर दबाये रखा ?

डाक्टर सीताराम—

किसी ने इसको नहीं दबाया। नियमों के अन्तर्गत जिसने दबाया उनको दंड देने की कार्यवाही की। जब यह प्रश्न मेरे सामने आया तो मैंने डी० पी० ओ० के बारे में भी रिपोर्ट मांगी तब उनके खिलाफ भी कार्यवाही की बात सोची गयी। बाकी क लिए कार्यवाही पहले से होती चली आ रही थी।

उप विकास आयुक्त, बरेली के कार्यालय के पुराने कर्मचारी

*६—श्री कृष्णस्वरूप—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उप विकास आयुक्त, बरेली के कार्यालय में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको तीन वर्ष से अधिक का समय हो गया है ?

डाक्टर सीताराम—

उप विकास आयुक्त बरेली के कार्यालय में कुल १६ ऐसे कर्मचारी हैं, जिनको तीन वर्ष से अधिक का समय हो गया है।

श्री कृष्णस्वरूप—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या कारण है कि उनका स्थानान्तरण वहां से नहीं किया गया ?

डाक्टर सीताराम---

थर्ड केटेगरी और फोर्थ केटेगरी के जो कर्मचारी हैं या निम्न श्रेणी के जो कर्मचारी हैं जो कि किसी हेड क्वार्टर पर रहते हैं उनका स्थानान्तरण नहीं होता । चूंकि उनका वेतन बहुत थोड़ा १००, १२५ रुपया होता है तो ऐसे कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने का कोई नियम नहीं है लेकिन अगर कोई शिकायत है तो शिकायत के आधार पर उन स्थानान्तरण एक रीजन से दूसरे रीजन में हो सकता है। अगर माननीय सदस्य किसी कर्मचारी के बारे में शिकायत का अनुभव करते हों तो लिखकर दें तो उसके बारे में कार्यवाही की जायगी ।

श्री सजीवन लाल---

जो प्रथम श्रेणी के कर्मचारी हैं, बी० डी० ओ० वगैरह, इनकी एक जिले में रहने की अवधि क्या है ?

डाक्टर सीताराम---

एक डिवीजन में एक बी० डी० ओ० १० साल तक रह सकते हैं, एक जिले में ५ साल तक ।

उतरौला परगना में बांध की मरम्मत न होना

*७---श्री सूरज लाल (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार को पता है कि उतरौला परगना जनपद गोंडा के अन्तर्गत ग्राम भटेरिया के बाधाजोत होते हुए बभनी मुस्कंड तक मरम्मत न होने के कारण बंधा कट गया है और आये दिन बरसात में सैलाब का प्रकोप हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र इस बंधे की मरम्मत कराने की कोई योजना बनायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

सिंचाई विभाग के कार्यभार में इन ग्रामों को जोड़ता हुआ कोई तटवर्ती बांध नहीं है। वास्तव में उक्त ग्रामों से होकर एक उच्चस्तरीय मार्ग जाता है जिसे बहुत समय पूर्व तत्कालीन जमींदारों ने यातायात के हेतु निर्मित किया था । इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु में सैलाब का पानी आ जाता है । क्योंकि उक्त उच्चस्तरीय मार्ग बाढ़निरोधक कोटि में नहीं आता । अतः इसके देख रेख का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है ।

फैजाबाद जिले में पुराने बी० डी० ओ०

*८---श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फैजाबाद में कितने ऐसे बी० डी० ओज० हैं जो ३ साल व ५ साल से एक ही जिला व ब्लाक पर रह रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम---

पांच बी डी० ओज० जिला फैजाबाद में अपने-अपने विकास क्षेत्र में ३ साल से हैं ।

श्री धूमप्रसाद---

क्या सरकार बतायेगी कि फैजाबाद जिले में कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो ५ साल से अधिक रह चुके हैं ?

डाक्टर सीताराम---

जो रिपोर्ट है उसके अनुसार सिर्फ ५ ही बी डी० ओज० ऐसे हैं जो ३ साल से ऊपर के हैं ।

श्री धूम प्रसाद---

क्या कोई ऐसे भी विकास अधिकारी हैं जो ५ साल से अधिक समय तक रह चुके हैं ?

डाक्टर सीताराम---

मेरी सूचना के अनुसार ५ साल से अधिक समय तक कोई नहीं रहा है ।

श्री जगन्नाथ अग्रा---

फैजाबाद में कितने ऐसे बी०डी०ओज़० हैं जो ५ साल से अधिक समय से अपने जिले में ही विभिन्न ब्लाकों में पड़े हुए हैं ?

डाक्टर सीताराम---

जिले भर की सूचना के लिये नोटिस चाहिये ।

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, बेल्थरा रोड बाजार

*९---श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि बलिया जिला के बेल्थरा रोड बाजार में कृषि उत्पादन मंडी समिति की स्थापना कब से हुई है ?

डाक्टर सीताराम---

१५ अक्तूबर १९६७ से ।

*१०---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त समिति को अब तक कितना लाभ हुआ और कितना खर्च हुआ है ?

डाक्टर सीताराम---

मई, १९६९ तक समिति की कुल आय २७,५४८.९५ रुपया हुई और कुल व्यय २६,५४५.०३ रुपया हुआ ।

गोंडा जिले में बिजली

*११---श्री श्रीराम सिंह (जिला गोंडा)---

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६९-७० में गोंडा जिले की गोंडा तहसील में किन-किन ग्रामों में बिजली पहुंचा दी जायगी तथा नई लाइन कहां-कहां निकलगी ?

श्री कमला पति त्रिपाठी---

वित्तीय वर्ष १९६९-७० में गोंडा जिले की गोंडा तहसील के ग्रामों के विद्युतीकरण एवं नई लाइनें बनाने की रूपरेखा अभी पूरी तरह तैयार नहीं है ।

लखनऊ क्षेत्र के शारदा कैनाल डिवीजन में पुराने एस० डी० ओ०

*१२---श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री ए० सी० ग्राइस (जिला कानपुर)---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के लखनऊ डिवीजन के शारदा कैनाल सब-डिवीजन में कितने एस० डी० ओज० ऐसे हैं जो तीन साल से अधिक लखनऊ में नियुक्त हैं ?

नोट---सांकेतिक प्रश्न ८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री कमलापति त्रिपाठी–

केवल एक ए० डी० ओ० के तीन साल लखनऊ में हुए हैं और उन्होंने भी जून, १९६९ में ही तीन वर्ष पूरे किये हैं ।

बलरामपुर तहसील में नलकूप

*१३––श्री महेश्वरदत्त सिंह (जिला गोंडा)––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलरामपुर तहसील में कितने नलकूप सरकार द्वारा निर्मित हुए और किन-किन स्थानों पर ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––

इस तहसील में कुल ४६ नलकूप निर्मित हुए हैं जिनका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है :

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५९३ पर)

*१४––श्री महेश्वरदत्त सिंह––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जनपद में बलरामपुर तहसील के तराई क्षेत्र में कितने ट्यूबवेल चौथी योजना में लगाये जायेंगे और किन-किन स्थानों पर ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––

नये नलकूपों का कार्यक्रम अब प्रति वर्ष उपलब्ध संसाधनों के अनुसार बनता है । अतः यह बताना संभव नहीं है कि पूरी चतुर्थ योजना में किन किन जिलों या किसी विशिष्ट क्षेत्र में कितने नलकूप लगाये जायेंगे । साथ ही किसी वर्ष के नलकूपों की जिलेवार संख्या का निर्धारण तो सरकार कर देती है परन्तु जिले में इनके लगाने के स्थान का निर्धारण जिलाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी करती है ।

डेरापुर ब्लाक में तकावी में गबन

*१५––चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)––

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बतायेंगे कि कानपुर जिले के डेरापुर ब्लाक में सन् १९६६–६७ में किसानों को दिये जाने वाली सिंचाई के वास्ते तकावी की रकम में गबन हुआ है ?

यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं तथा उस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

डाक्टर सीताराम––

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार इस गबन में अभी खंड विकास अधिकारी को दोषी पाया गया है । उन्हें निलंबित कर दिया गया है । पुलिस द्वारा इस मामले में जांच की जा रही है । साथ ही साथ दोषी क्षेत्र विकास अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा रही है ।

महादेवा निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई

*१६––श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में १६८ महादेवा निर्वाचन क्षेत्र (ब्लाक नवाबगंज भूतपूर्व ब्लाक वजीरगंज) में कितने एकड़ जमीन पर खेती होती है और कितने एकड़ जमीन सिंचित और कितने एकड़ असिंचित हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

इस क्षेत्र में ७१,५६२ एकड़ जमीन पर खेती होती है, जिसम से १३,५४३ एकड़ जमीन सिंचित और ५८,०१९ एकड़ जमीन असिंचित है ।

*१७---श्री गंगाप्रसाद---

क्या यह सत्य है कि उक्त क्षे । के कुल १४ राजकीय नलकूप में से ७ नलकूप खराब हैं? यदि हां, तो कितने दिनों से खराब हैं और उक्त क्षेत्र में सिंचाई का क्या कोई दूसरा प्रबन्ध किया गया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जी नहीं। इस क्षेत्र के चौदहौ नलकूप ठीक कार्य कर रहे हैं ।

मुरादाबाद क्षेत्र में नलकूपों की क्षमता

*१८---श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद डिवीजन में कौन-कौन से सरकारी नलकूप ऐसे हैं जिनका डिस्चार्ज १५,००० गैलन से कम है और उनमें से किस-किस की १९६९-७० में रि-बोरिंग कराने का प्रयास किया जा रहा है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

नलकूप खंड मुरादाबाद में पांच नलकूप ऐसे हैं जिनका वर्तमान डिस्चार्ज १५,००० गैलन प्रति घंटा से कम है इनमें से नलकूप संख्या ६१ सिरसी ग्रुप और नलकूप संख्या ५३ हसनपुर ग्रुप पर इस वर्ष रि-बोरिंग कार्य कराने का प्रोग्राम है। नलकूप संख्या ५६ सिरसी ग्रुप के डिस्चार्ज को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और नलकूप संख्या ८ सिरसी ग्रुप एवं नलकूप संख्या १ सरकड़ा ग्रुप का पुनर्निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ।

*१९---श्री रियासत हुसैन---

क्या सिंचाई मंत्री को मालूम है कि स्टेट ट्यूबवेल नम्बर १, रामपुर, ग्राम गुलरिया, तहसील मुरादाबाद मुद्दत से खराब पड़ा है और आज तक उसकी मरम्मत नहीं की जा सकी ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र उसे ठीक करायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

यह सूचना सही नहीं है। नलकूप संख्या १ सरकड़ा ग्रुप (ग्राम रामपुर गुलरिया) का डिस्चार्ज इस समय १३,९८८ गैलन प्रति घंटा है परन्तु इसमें अन्य कोई खराबी नहीं है और यह चालू हालत में है।

*२०-२१---श्री शिवसम्पत्ति शर्मा---

[३० जुलाई, १९६९ के तारांकित प्रश्न सं या १४-१५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

बुलन्दशहर जिले में पायरिला कीड़े की रोकथाम

*२२---श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बुलन्दशहर में विशेषकर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र स्याना में गन्ने की नई फसल पर पायरिला कीड़े का भीषण प्रकोप हुआ है जिससे गन्ने की नई फसल को भारी क्षति पहुंच रही है ?

डाक्टर सीताराम---

पायरिला का प्रकोप हुआ था पर समय पर कार्यवाही हो जाने से फसल को बचा लिया गया ।

*२३---श्री मोमताज मोहम्मद खां---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पायरीले की रोक-थाम के लिये सरकार कोई तुरन्त विशेष कदम उठायेगी जिससे कि पायरीला कीड़े को नष्ट किया जा सके ? यदि हां, तो कब तक और क्या ?

डाक्टर सीताराम---

पायरिला कीड़े की रोक थाम हेतु गन्ना आयुक्त द्वारा दिनांक १ मई, १९६९ से पायरिला नियंत्रण अभियान व्यापक रूप से चलाया गया है और स्थिति अब काबू में है।

बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, लक्ष्मीपुर

*२४---श्री रामधारी---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम लक्ष्मीपुर, ब्लाक पडरौना, तहसील पडरौना, जिला देवरिया बकरी फार्म में प्रारम्भ में कितनी बकरियां और बकरे सरकार द्वारा रखे गये थे और अब उनकी संख्या कितनी है ?

डाक्टर सीताराम---

बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, लक्ष्मीपुर ब्लाक, पडरौना, तहसील पडरौना, जिला देवरिया पर प्रारम्भ में ५८ बकरियां और २ बकरे थे । अब उक्त प्रक्षेत्र पर ५९ बकरियां १ बकरा और १३ बच्चे हैं ।

*२५---श्री रामचन्द्र विकल---

[२५ जुलाई, १९६९ को प्र० सं० २२ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

इलाहाबाद जिले में नलकूप

*२६---श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)---

क्या सिचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६९-७० में इलाहाबाद जिले में कहां-कहां राजकीय नलकूप लगवाये जा रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

वित्तीय वर्ष १९६९-७० में इलाहाबाद जिले में ४० नलकूप निर्माण के लिए स्वीकृत किये गये हैं । जिन स्थानों पर ये नलकूप लगने हैं उनका विवरण संलग्न सूची में दिया है। यह स्थान का निर्धारण जिलाधीश की अध्यक्षता में एक स्थानीय कमेटी करती है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५९५ पर)

*२७---श्री नित्यानन्द स्वामी---

[३१ जुलाई, १९६९ के प्र० सं० १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

जिलाधीशों को विद्युत् सम्बन्धी अधिकार

*२८---श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)---

क्या सिचाई एवं विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रत्येक जिले के जिलाधीशों की अध्यक्षता में गठित विद्युत् समिति में संबंधित जिले के समस्त विधायकों को भी उक्त समिति का पदेन सदस्य घोषित करने का विचार रखती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सरकार ने इन सरकारी समितियों को भंग करके जिलाधीशों को इनके सारे अधिकार दे दिये हैं ताकि जिलाधीश संबंधित अधिकारियों से सलाह लेकर बिना विलम्ब के संबंधित प्रार्थनापत्रों पर आदेश दे सकें । अतएव समिति में कोई और सदस्य बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

निजी नलकूपों से सिंचाई के लिये प्रतिबन्ध हटाना

*२९—श्री कल्यान सिंह—

क्या सिंचाई एवं विद्युत् मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या निजी नलकूपों से दूसरे किसानों को पानी बेंचने पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगा रखा है ? यदि हां, तो क्या सरकार अधिक से अधिक भूमि को पानी पहुंचाने के लिए निजी साधनों का भी उपयोग करने की दृष्टि से इस प्रतिबन्ध को तुरन्त समाप्त करके निजी नलकूपों से दूसरे किसानों को पानी बेंचने का अधिकार प्रदान करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

निजी नलकूपों से दूसरे किसानों को पानी बेंचने पर कोई सामान्य प्रतिबन्ध नहीं है। लेकिन बिजली द्वारा चलने वाले निजी नलकूपों से राजकीय सिंचाई साधनों के कमांड क्षेत्र में पानी बेचने पर बिजली देने की शर्तों में शामिल करके अब तक प्रतिबन्ध लगाया जाता रहा है। सरकार ने अब यह प्रतिबन्ध भी हटा लेने का निश्चय किया है।

नरौरा के लिए कथित अणु बिजलीघर योजना

*३०—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित) तथा श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि नरौरा, जिला बुलन्दशहर में अणुशक्ति द्वारा बिजली बनाने की कोई योजना स्वीकार है ? यदि हां, तो वह कब तक बन कर तैयार होगी और उस पर क्या व्यय होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

नरौरा, जिला बुलन्दशहर में अणु बिजलीघर की कोई स्वीकृत योजना नहीं है।

वीरापुर क्षेत्र में नलकूप लगाने की प्रार्थना

*३१—श्री रामदेव—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि सूखा-ग्रस्त प्रतापगढ़ जनपद के बीरापुर, विधान सभा क्षेत्र में नलकूप लगवाने की योजना है? यदि हां, तो कितने नलकूप कहां और कब लग पायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रतापगढ़ जिले के वीरापुर विधान सभा क्षेत्र में इस समय राजकीय नलकूप लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

रानीगंज बाजार में उप विद्युत् गृह बनाने की योजना

*३२—श्री रामदेव—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि जौनपुर जनपद के बादशाहपुर कस्बे से प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज बाजार तक बिजली लगाने की योजना है ? यदि हां, तो विद्युतीकरण की कार्यवाही कब से शुरू होगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जी हां, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में रानीगंज पर एक ३३ के० वी० का उप-विद्युत् गृह बनाने का प्रस्ताव है। बिजली के लिये मांग देखते हुए कार्य यथाशीघ्र आरम्भ करने का विचार है।

टेहरी-गढ़वाल जिले में पय जल योजनायें

*३३---श्री इन्द्रमणि (जिला टेहरी गढ़वाल)---

क्या विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी गढ़वाल में १९६६-६७ में २६ पेयजल योजनाओं को एल० डी० डब्लू० अनुदान के अन्दर स्वीकृति दी गई तथा उनको अग्रिम भुगतान भी दिया गया परन्तु योजनाओं के पूर्ण होने पर भी अभी तक उनका अंतिम भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम---

टिहरी गढ़वाल जिले में वर्ष १९६६-६७ में केवल तीन योजनायें स्वीकृत की गई थीं। इनमें से एक योजना के संबंध में अंतिम भुगतान किया जा चुका है।

शेष दो योजनाओं के संबंध में स्थिति यह है कि राज्य सरकार स्थानीय आवश्यकता और उपलब्ध धनराशि के अनुसार जिला परिषदों को एकमुश्त धन वितरित करती थी। जिला परिषदें अपनी योजनायें स्वयं बनाती थीं; जिला परिषद् टिहरी गढ़वाल द्वारा अन्य कार्यों पर धन खर्च कर देने से शेष दो योजनाओं के पूर्ण होने पर भी अंतिम भुगतान नहीं किया जा सका। अब उनके अनुरोध पर वांछित धन की व्यवस्था कर दी गई है।

सिंचाई समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव तथा नानक सागर जांच समिति की रिपोर्ट

*३४---श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)---

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ५ जनवरी, १९६८ को उत्तर प्रदेश स्थायी सिंचाई समिति की जो बैठक झांसी में सम्पन्न हुयी थी, उस बैठक में पारित प्रस्तावों के अनुसार अब तक सिंचाई विभाग ने क्या-क्या कार्यवाहियां की हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

की गई कार्यवाही का †विवरण सदन की मेज पर रखा है।

*३५---श्री इन्द्रलाल---

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा सिंचाई विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५७६, दिनांक ४ अक्तूबर, १९६७ के अन्तर्गत जिला नैनीताल में स्थित नानक सागर बांध के ७-८ सितम्बर, १९६७ की रात्रि में बह जाने के कारणों की जांच के लिये जिस समिति का गठन किया गया था, उसका प्रतिवेदन सरकार को कब प्राप्त हुआ और इस पर शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

नानक सागर बांध जांच समिति की रिपोर्ट शासन को २० जनवरी, १९६९ को प्राप्त हुई थी। उस पर विचार करने के पश्चात् अब उसे मंत्रि परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मंत्रि परिषद् के विचार के बाद यह रिपोर्ट सदन की मेज पर भी रख दी जायेगी। नानक सागर बांध टूटने के संबंध में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही भी की जायेगी।

---

†विवरण छापा नहीं गया।

देवबन्द तथा अन्य गन्ना विकास समितियों का चुनाव न होना

*३६—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किन-किन गन्ना विकास समितियों ने पिछले दो वर्षों या उससे अधिक से चुनाव नहीं कराया है और क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

प्रदेश में ४० गन्ना विकास समितियां ऐसी हैं जहां पिछले दो वर्षों या उससे अधिक से चुनाव नहीं हो सका है। इनकी सूची कारण सहित सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५९७ पर)

*३७—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि देवबन्द केन कोआपरेटिव यूनियन (जिला सहारनपुर) ने पिछले तीन वर्षों से चुनाव नहीं कराया है ? यदि हां, तो समिति के खिलाफ शासन की ओर से कोई कार्यवाही की गई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

हां, देवबन्द सहकारी गन्ना विकास समिति का चुनाव नहीं हो पाया है और संचालक मंडल चुनाव क्षेत्र न बनने के कारण इस चुनाव को स्थगित करते रहे और इसी बीच नये सहकारी अधिनियम के लागू होने के कारण समिति की उपविधियों में भी संशोधन आवश्यक हो गया। अतः कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई।

बाराबंकी जिले में नहर से पानी न मिलने की शिकायत

*३८—श्री धर्मवीर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि वर्तमान रबी १९६८-६९ में बाराबंकी डिवीजन शारदा नहर के द्वितीय सब-डिवीजन की लगभग आधी नहरों की टेलों पर पानी नहीं पहुंचा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नही, ऐसी कोई शिकायत नहीं रही है। रबी १९६८-६९ में इस डिवीजन को १०२ नहरों में से केवल ६ नहरों की टेल पर पानी नहीं पहुंचा है।

*३९—श्री धर्मवीर सिंह—

क्या यह सच है कि पानी के न पहुंचने से रबी की फसल को हानि हुई ? यदि हां, तो क्या सरकार पानी न पहुंचने के कारणों को बताने का कष्ट करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

पानी न पहुंचने से कोई असाधारण हानि नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

कालीघाट पर गंगा से पम्प नहर निकालने की योजना

*४०—श्री नगीनासिंह (जिला बलिया)—

क्या सिंचाई एवं विद्युत् मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जिला बलिया के ग्राम नारायणपुर कोटवा सार्वजनिक निर्माण भवन के कुछ दूरी पर कालीघाट नामक स्थान पर गंगा नदी से पंप विद्युत् चालित नहर बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जी हां ।

रायबरली जिले में ग्राम सेवकों की पद मुक्ति

*४१---श्री रामप्रसाद (जिला रायबरेली)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली में जनवरी, १९६९ से लेकर दिनांक १५ मई, १९६९ तक कितने ग्राम सेवकों को सेवा से पद मुक्ति की नोटिस दी गयी तथा कितनों को पदोन्नति कर पंचायत मंत्री बनाया गया ?

डाक्टर सीताराम---

(१) दस ।

(२) दो ।

*४२---श्री रामप्रसाद---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगें कि रायबरेली जिले के खीरो ब्लाक के किस ग्राम सेवक ने पदमुक्ति की नोटिस पाने के बाद मिट्टी का तेल अपने शरीर में छिड़क कर आग लगाकर आत्महत्या कर ली ?

डाक्टर सीताराम---

पद मुक्ति नोटिस पाने के बाद किसी ग्राम सेवक ने आत्म हत्या नहीं किया ।

चारा बीज की खरीद तथा पोल्ट्री फीड सेंटर लखनऊ में मुर्गियों का चारा

*४३---श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पशुपालन विभाग में पोल्ट्री फीड सेंटर, लखनऊ ने १९६७-६८ में मुर्गियों को खिलाने के लिये राइस पालिश की जगह राइस ब्रान खरीदा था ? यदि हां, तो कितनी खरीद हुई थी और किस मूल्य पर तथा संबंधित माल जो खरीदा गया उसके बारे में अनालिस्ट की रिपोर्ट भी सरकार ने प्राप्त कर ली थी ? यदि हां, तो वह क्या है ?

डाक्टर सीताराम---

सन् १९६७-६८ में पोल्ट्री फीड सेंटर लखनऊ में राइस पालिश अथवा राइस ब्रान नहीं खरीदा गया ।

*४४---श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किसानों को बांटने के लिये चारा-बीज पशुपालन विभाग खरीदता है ? अगर हां, तो १९६८-६९ में कितना खरीदा और किस मूल्य पर ?

डाक्टर सीताराम---

जी हां ।

वर्ष १९६८-६९ में ७,३३७.३९ क्विंटल चारा-बीज खरीदा गया तथा उसका अनुमानित मूल्य रु० १२,०४,४७४.२२ था ।

बुलन्दशहर जिल की गल्ला मंडियों को गल्ले की कीमत का भुगतान

*४५—श्री रामचन्द्र विकल (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि बुलन्दशहर जिले की किस-किस मंडी के गल्ले की खरीद का रुपया साल १९६७-६८ व १९६८-६९ का सरकार की तरफ बकाया है और क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री मंगला प्रसाद)—

बुलन्दशहर जिले की किसी भी मंडी का गल्ले की खरीद का रुपया वर्ष १९६७-६८ के संबंध में सरकार की तरफ बकाया नहीं है। वर्ष १९६८-६९ के संबंध में गल्ले की खरीद की कुल २३ बिलें खरीदारी केंद्र, शिकारपुर, खपरा, गुलावठी, जहांगीराबाद, सियाना बुलन्दशहर, खुर्जा तथा डिबाई की बाकी हैं । ये सभी बिले रबी अनाज की खरीदारी, १९६८ के फाइनल बिलों के रूप में रुके हुए हैं । इन बिलों का भुगतान इसलिये नहीं हो पाया है कि भारतीय खाद्य निगम ने, जिनको गेहूं एजेंटों से लेकर के दिया गया था, बिलों में कुछ कटौतियां कर ली हैं। इसके बारे में उनसे पत्र-व्यवहार हो रहा है। इसके अतिरिक्त मेरठ क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों को भेजे गये अनाज के मूल्य में की गयी कटौती का ब्योरा भी अभी कुछ आना बाकी है । कुछ बिलों का ब्योरा आ गया है और उनकी जांच-पड़ताल की जा रही है। मामलों को यथाशीघ्र तय करके भुगतान करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

जौनपुर जिले के शंकरगंज मत्स्य प्रक्षेत्र पर निर्माण-कार्य धन का दुरुपयोग

*४६—श्री उमानाथ (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर के धर्मापुर ब्लाक में शंकरगंज मत्स्य प्रक्षेत्र पर गोदाम तथा चौकीदार क्वार्टर्स का निर्माण हुआ या नहीं ? यदि निर्माण नहीं हुआ है तो उस पर व्यय की धनराशि कहां खर्च की गई और संबंधित अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम—

जौनपुर के धर्मापुर ब्लाक में शंकरगंज मत्स्य प्रक्षेत्र पर गोदाम तथा चौकीदार क्वार्टर्स का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ ।

केवल रुपये ३,९८०.०० की धनराशि का भुगतान जिला पशुधन अधिकारी द्वारा संबंधित ठेकेदार को कर दिया गया था । इस अनियमितता के संबंध में संबंधित अधिकारियों को चार्ज शीट देने के लिये पशु पालन निदेशक तथा मत्स्य निदेशक को आदेश दिया गया है ।

अणु बिजली घर योजना तथा निजी बिजली कम्पनियां

*४७—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में अणुशक्ति बिजलीघर बनाने की योजना है ? यदि हां, तो उसकी क्या लागत होगी, कितना उत्पादन होगा और वह बिजली घर कब तक बन जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रदेश में अणु-बिजलीघर की कोई स्वीकृत योजना नहीं है ।

*४८— श्री देवकीनन्दन विभव—

प्रदेश में कौन-कौन बिजली घर हैं जो अभी भी प्राइवेट कम्पनियों के हाथ में हैं और उन्हें लेने के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

निजी बिजली कम्पनियां तथा म्युनिसिपल बोर्ड्स द्वारा संचालित बिजली कम्पनियों की सूची संलग्न तालिका में दी हुई है। जहां तक निजी बिजली कम्पनियों के लेने का प्रश्न है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० की धारा ६ के प्राविधान के अनुसार उक्त अन्डरटेकिंग्स के लाइसेंसों की अवधि समाप्त होने पर राज्य विद्युत् परिषद् को उनको लेने का प्रथम विकल्प है। साधारणतः लाइसेंस की अवधि के समाप्त होने पर ही उन कम्पनियों को लिया जाता है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६०० पर)

*४९-५०—श्री रामरतन—

[२८ जुलाई, १९६० को प्रश्न संख्या २४-२५ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

बिजली की दर

*५१—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या विद्युत् मंत्री बतायेंगे कि किसान को १८ पैसा प्रति यूनिट और उद्योगपतियों को ४ पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाती है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

किसानों को निजी नलकूप तथा पंपिंग सेट्स के लिये १५ पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाती है जबकि औद्योगिक धंधों के लिये उपभोक्ताओं को बिजली १८ पैसे प्रति यूनिट की दर से दी जाती है।

पशुओं की जन्म मृत्यु तालिका

*५२—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि पशुओं की मृत्यु तथा जन्म की सूचना जिलेवार अथवा किसी अन्य आधार पर तैयार होती है? यदि हां, तो क्या उसकी एक तालिका सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं।

भोगनीपुर नहरी क्षेत्र में जरौलिया माइनर के विस्तार की योजना

*५३—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि भोगनीपुर डिवीजन के सिकन्दरा, रसधान और अलीपुर रजबहों से उस तहसील में यमुना और सुनाव नालों के बीच का व अन्य क्षेत्र जो असिंचित रह जाता है उसे सिंचित करने के लिये कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो वह कितने समय में पूरी हो सकेगी तथा उसमें कितनी लागत आयेगी तथा कितने एकड़ भूमि उससे सींची जा सकेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

भोगनीपुर डिवीजन के सिकन्द्रा, रसधान और अलीपुर रजबहों से यमुना और सुनाव नालों के बीच के व अन्य असिंचित क्षेत्र की सिंचाई के लिये जरौलिया माइनर (भोगनीपुर शाखा से निकलने वाली) का विस्तार टेहरी बांध परियोजना के अन्तर्गत विचाराधीन है। चूंकि आगणन अभी तैयार नहीं हुआ है, इसलिये जरौलिया माइनर के विस्तार के पूर्ण होने का समय, उसकी लागत और उसका सिंचित क्षेत्र अभी बतलाना संभव नहीं है।

*५४—श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

[प्रश्नकर्त्ता द्वारा वापस ले लिया गया।]

ग्राम सेवकों के पद का स्थायीकरण

*५५—श्री सियाराम (जिला एटा)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सेवकों का पद कब तक स्थायी कर दिया जायगा ?

डाक्टर सीताराम—

इस वित्तीय वर्ष १९६९-७० में २,००० ग्राम सेवकों के अस्थाई पदों के स्थाई करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

विवाह पर शक्कर का परमिट

*५६—श्री अनीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़)—

क्या खाद्य एवं पूर्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में शादी विवाह के लिये दी जाने वाली चीनी के वितरण की क्या व्यवस्था है ?

श्री मंगलाप्रसाद—

नगर क्षेत्रों में जिला पूर्ति कार्यालय में प्रार्थना-पत्र देने पर जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा परमिट दिया जाता है । ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः खंड विकास अधिकारी द्वारा परमिट दिया जाता है किन्तु जहां ब्लाक तथा तहसील हेड क्वार्टर्स एक ही जगह हैं वहा जिलाधीश तहसीलदार को परमिट देने हेतु अधिकृत कर सकते हैं ।

विवाह पर परमिट देने के संबंध में शासनादेश है कि प्रार्थना-पत्र पाते ही अधिकारी तुरन्त जांच की कार्यवाही करें और ४० किलो या मांगी गई मात्रा में, जो भी कम हो, का परमिट प्रार्थी को दें ।

अलीगढ़ तथा बुलन्दशहर जिले में गंगा का कटाव

*५७—श्री कल्यान सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अलीगढ़ के अन्तर्गत तहसील अतरौली के हारनपुर कलां, लिया नगला, किरतौली तथा आसपास के अन्य संकटग्रस्त ग्रामों का गंगा की प्रबल धार के कटाव से बचाने के लिये बन्धों के निर्माणार्थ प्रश्नकर्त्ता का दिनांक १६ अप्रैल, १९६९ का ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुआ है और अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*५८—श्री कल्यानसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर के ग्राम कर्णवास, परगना डिबाई की गंगा नदी काट रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार कटाव को रोकने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

गंगा नदी ग्राम कर्णवास को पखारती हुई बहती है । अल्प कटाव भी दृष्टिगोचर हुआ है । आबादी की सुरक्षा हेतु प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं ।

कृषि विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन भुगतान

*५९—श्री हर नरायन (जिला पीलीभीत)—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कृषि विभाग के समस्त कर्मचारियों को राजाज्ञा नवीन वेतनक्रम नं० १-२६२/दस—१४३-१९६५, दिनांक २८ फ़रवरी, १९६६ के अनुसार वेतन का अवशेष देय धन का भुगतान हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

फल उद्योग विभाग के अस्थायी कर्मचारी

*६०---श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी (जिला वाराणसी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फ़ल उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश में कार्य करने वाले तृतीय क्षेणी के उन कमचारियों की संख्या कितनी है जो लगातार ५ वर्ष से कार्य करते हुए भी अभी तक अस्थायी हैं ?

डाक्टर सीताराम---

इनकी संख्या १९५ है ।

*६१---श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगे कि फल उद्योग विभाग में कार्य वाले तृतीय श्रेणी के वे कर्मचारी जो तीन वर्ष से अधिक से सेवा कार्य कर रहे हैं उन्हें स्थायी करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सीताराम---

कछ पदों पर स्थायीकरण का मामला फ़ल उपयोग निदेशक के विचाराधीन है । आवश्यक औपचारिकिता के पूर्ण हो जाने पर स्थायीकरण किया जाएगा । अन्य पद अभी स्थायी नहीं है । अतएव उस पर स्थायीकरण के बारे में समय बताना कठिन है ।

सिकन्दराराऊ तहसील में नलकूपों को बिजली

*६२---श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)---

क्या सिंचाई एवं विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ में वित्तीय वष १९६७-६८ और १९६८-६९ में कितने राजकीय नलकूप लगाये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

अलीगढ़ जिले की तहसील सिकन्दराराऊ में वर्ष १९६७-६८ में कोई नया राजकीय नलकूप नहीं लगाया गया । वर्ष १९६८-६९ में उक्त तहसील में पांच नये नलकूपों का निर्माण किया गया ।

*६३---श्री जगदीश गांधी---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६७-६८ व १९६८-६९ में तहसील सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) में कितने व्यक्तियों को निजी नलकप हेतु विद्युत् कनेक्शन दिये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

१९६७-६८	..	..	३०
१९६८-६९	..	..	१७
		योग ..	४७

प्रतापगढ़ जिले के लिये सिंचाई योजनायें

*६४---श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)---

क्या सिंचाई एवं विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमती पम्पिग एवं गंगा पम्पिग केनाल का कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा ? उपरोक्त योजनाओं का अनुमानित व्यय क्या है और उनसे कितने-कितने क्षेत्रफ़ल की सिंचाई होगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह स्पष्ट नहीं है कि प्रश्न-कर्त्ता का अभिप्राय गोमती पम्पिग कैनाल तथा गंगा पम्पिग कैनाल से वस्तुतः किन परियोजनाओं से है । गंगा नदी से पानी पम्प करने की कुछ योजनायें बन चुकी हैं, कुछ पर कार्य चालू है और कुछ का सर्वेक्षण हो रहा है । उनमें से जो उपयुक्त पाई जाएंगी उनके लिए धन उपलब्ध होने पर उन्हें हाथ में लिया जाएगा । गोमती नदी से भी पानी पम्प करने की कुछ लघु सिंचाई योजनाएं कार्यान्वित की जा चुकी हैं, कुछ पर कार्य हो रहा है और कुछ का अभी सर्वेक्षण हो रहा है । गोमती नदी पर लिफ्ट सिंचाई की मध्यम योजनाओं के लिए भी अभी सर्वेक्षण का कार्य हो रहा है । बिना निश्चित योजना का नाम जाने उस पर कार्य आरम्भ होने, उसकी अनुमानित लागत तथा उससे होने वाली सिंचाई के सम्बन्ध में सूचना नहीं दी जा सकती ।

*६५—श्री रामकिंकर—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २ मई, १९६९ ई० को प्रतापगढ़ में जब डाक्टर के० एल० राव, केन्द्रीय सिंचाई एवं विद्युत् मंत्री पधारे थे और उन्होंने प्रतापगढ़ के लिये इस बीच में नहर, बिजली एवं राजकीय नलकूप के सम्बन्ध में कोई योजना बनाकर प्रदेशीय सरकार के पास भेजी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना संलग्न सूची में दी गई है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६०२ पर)

देवरिया जिले में आर० एम० पी० स्कीम के अन्तर्गत दिया गया धन

*६६—श्री हरिवंश (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बतायेगी कि देवरिया जिलान्तर्गत जिला परिषद् द्वारा आर० एम० पी० स्कीम में सड़क, पुल, गांव पटाई आदि कार्य करने हेतु राज्य सरकार ने १ जनवरी, १९६८ से १ मई, १९६९ तक कितना रुपया अनुदान में दिया था ?

डाक्टर सीताराम—

१ जनवरी, १९६८ से १ मई, १९६९ तक जिला परिषद् देवरिया को आर० एम० पी० स्कीम में सड़क, पुल एवं तालाब निर्माण हेतु कुल १३.९८ लाख रुपया आवंटित किया गया था ।

गांव पटाई के लिये कोई धन नहीं दिया गया ।

*६७—श्री हरिवंश, श्री जगन्नाथ राव तथा श्री सजीवनलाल—

[२८ जुलाई, १९६९ को प्र० सं० २२ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

गोंडा जिले में भगवानपुर बांध का सिंचाई क्षेत्र

*६८—श्री विजयपाल सिंह (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में स्थित भगवानपुर बांध के कमान्ड एरिया के अन्तर्गत स्थित सोनाहटी, चमर बोझिया, धन्धरा, प्रेमनगर, नथईडीह इत्यादि गांवों के सींचने हेतु कोई व्यवस्था नहीं है । यदि हां, तो भविष्य में कब तक उन्हें सींचने की सुविधा दी जाएगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

गोण्डा जिले के अन्तर्गत स्थित सोनहटी, चमर बोझिवा, धन्धरा, प्रेमनगर, नथईडीह इत्यादि ग्रामों की २,०८३ एकड़ खेती योग्य भूमि में से केवल ७८९ एकड़ भूमि भगवानपुर बांध

की नहरों के क्षेत्र में आती है और उसमें २७५ एकड़ भूमि में सालाना सिंचाई प्रास्तावित है। शेष भूमि उप ोक्त नहरों के क्षेत्र में शामिल करना संभव नहीं है क्योंकि उक्त ग्रामों की अधिकतम भूमि नहरों से दूर पड़ती है, तथा वहां की भूमि बहुत ऊंची-नीची तथा नालों से कटी-पिटी है। इस कारण नहरों द्वारा सिंचाई की योजना संभव नहीं है। इस क्षेत्र की सिंचाई किन दूसरे साधनों से करना सम्भव होगा, इस विषय में शीध्र सर्वेक्षण किया जायगा।

गोंडा जिले में राप्ती नदी से लिफ्ट कैनाल बनाने की योजना

*६९—श्री विजयपाल सिंह—

क्या सरकार ने ग्राम सभा मिसरौलिया, विकास खन्ड गैसडी, जिला गोंडा के राप्ती नदी से लिफ्ट कैनाल बनाने की कोई योजना बनाई? यदि हां, तो अभी तक उसके बारे में क्या कार्यवाही की गयी और कब तक तैयार होने की सम्भावना है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। इस योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष में धन उपलब्ध नहीं है। इसके लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जा रही है और इस पर इसी वष कार्य आरम्भ करने का प्रयास किया जाएगा। यह योजना अगले वर्ष के अन्दर तैयार हो जाने की पूरी सम्भावना है।

मेरठ जिले में नलकूप

*७०—श्री आशाराम इन्दु (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मेंरठ में भटीपुरा ग्रुप के अन्तर्गत वर्ष १९६८-६९ में कितने (स्टेट ट्यूबबैल्स) राजकीय नलकूप ३१ मार्च, १९६९ तक (कम्पलीट) पूरे हो गये थे और इनमें से कितने और कब चालू हुए?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

भटीपुरा ग्रुप में वर्ष १९६८-६९ में १२ राजकीय नलकूपों का निर्माण किया गया। इनमें से ३ नलकूप नवम्बर, १९६८ तथा ४ नलकूप मई, १९६९ में तथा ५ नलकूप जुलाई, १९६९ में चालू हो गये हैं।

*७१—श्री आशाराम इन्दु—

क्या सरकार बतायेगी कि जो ट्यूबवेल अब तक भी चालू नहीं हो पाये हैं उनका क्या कारण है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नहर को पानी न मिलने की शिकायत

*७२—श्री हुक्म सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि ओखला बांध से पंजाब में निकलने वाली नई नहरों को पानी दिये जाने के कारण आगरा नहर को पानी नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार आगरा नहर के कृषकों के लिये कोई अन्य व्यवस्था करने जा रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ओखला बांध से पंजाब की किसी भी नहर को पानी दिये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। प्रश्न का तात्पर्य सम्भवतः हरयाणा में जाने वाली कतिपय नहरों से है। इसके विषय में परिस्थिति यह है कि ओखला बान्ध के आगे हमारी आगरा नहर से गुडगांव, रामपुर

एवं चैंसा नाम की तीन नहरें निकलती हैं और इस लिये इन नहरों का पानी ओखला बांध से जाता है। परन्तु इसके कारण आगरा नहर में जाने वाले पानी में किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिये। अपनी नहरों के लिये हरयाणा का सिंचाई विभाग अपने हिस्से का पानी भाखरा के सिस्टम से लेकर यमुना में डालते हैं और वही पानी ओखला बान्ध के आगे से निकाल लिया जाता है। ओखला बान्ध तथा इन नहरों के निकलने के स्थान पर रेग्यूलेटर हमारे ही अधिकारी चलाते हैं और वे इसका ध्यान रखते हैं कि इन नहरों को उतना ही पानी दिया जाय जितना कि हरयाणा अपने हिस्से का यमुना से बहाकर ले आता है। अतएव हरयाणा की इन नहरों के कारण आगरा नहर को पानी न मिलने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ जिले में नलकूपों को बिजली

*७३—श्री श्यामलाल (जिला आजमगढ़)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आजमगढ़ जिले में अप्रैल, १९६८ से दिनांक १५ जून, १९६९ तक निजी नलकूपों के बिजली कनेक्शन के लिये कितने प्रार्थना-पत्र दिये गये है और उनमें से कितने लोगों को कनेक्शन प्राप्त हो सके हैं?

श्री कमलपति त्रिपाठी—

जिला आजमगढ़ में अप्रैल, १९६८ से १५ जून, १९६९ तक निजी नलकूपों के कनेक्शन के लिये ३ ४२८ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से १,७९५ उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

मथुरा जिले में आझई ड्रेन योजना

*७४—श्री हुक्म सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में आभाई खुर्द की आबादी का आधा हिस्सा पानी अधिक भर जाने से डूब जाता है? यदि हां, तो क्या उक्त नाले को बनाने का सरकार ने आदेश दिया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मथुरा जिले में गांव का नाम आझई खुर्द है आभाई खुर्द नहीं। यह सही है कि इसका लगभग १/६ भाग बरसात के दिनों में कभी-कभी अधिक वर्षा होने पर पानी से डूब जाता है। गांव के उत्तरी पूर्वी हिस्से के कुछ मकान भी प्रभावित होते हैं। इस दिक्कत को बचाने के लिये लगभग ३३७०० रु० की आझई ड्रेन की योजना प्रस्तावित है जिससे लगभग ३०० एकड़ भूमि लाभान्वित होगी। चतुर्थ योजना में धन के अभाव के कारण इस प्रकार की बहुत सी योजनाओं को शामिल करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। धन की उपलब्धि होते ही इस योजना पर कार्य किया जायेगा।

ओबरा ताप विद्युत् गृह की मशीनों में खराबी

*७५—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ओबरा बिजली घर (जिला मिर्जापुर) की दो यूनिटें एक का बायलर फट जाने से तथा दूसरी की बुशिंग फटने से जून, १९६९ से बन्द पड़ी हैं? यदि हां, तो उक्त मशीनों के बन्द होने से कितने धन की हानि हुई और इस सम्बन्ध में किस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ओबरा ताप विद्युत् गृह यूनिट नं० २ दिनांक २६-५-६९ से मुख्य ट्रान्सफारमर में खराबी आ जाने के कारण बंद है। ट्रान्सफारमर की मरम्मत लगभग हो चुकी है। इस

मरम्मत में कितना धन लगेगा इसकी स्थिति मरम्मत पूरी होने के बाद ही निश्चित की जा सकेगी। यह ट्रांन्सफारमर सोवियत संघ द्वारा प्राप्त हुआ है और मरम्मत की धनराशि उन्हें देनी चाहिये, इस विषय में उनसे बात-चीत की जायेगी।

यूनिट नं० १ दिनांक १०-६-६९ से १४-६-६९ तक तथा १७-६-६९ से १९-६-६९ तक वायलर का ट्युब रिसने के कारण बन्द रही। वायलर ट्यूब की मरम्मत के बाद यह यूनिट चालू करदी गई। मरम्मत मामूली थी और इसमें व्यय भी नगणय रहा।

इन खराबियों में अधिकारियों का दोष नहीं पाया गया अतएव कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

उन्नाव जिले में शारदा कैनाल से झलोतर स्केप

*७६—श्री सजीवन लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि उन्नाव जिले में शारदा कैनाल आसीवन ब्रांच से झलोतर स्केप जो निकली है उसकी लम्बाई कितनी होगी और उसके पानी से कितने गांव प्रभावित होते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उन्नाव जिले में शारदा कैनाल आसीवन ब्रांच से निकलने वाली झलोतर स्केप की लम्बाई १ मील है और उसके पानी से कोई गांव प्रभावित नहीं होता।

अतारांकित प्रश्न

गोंडा तहसील में बिजली

१—श्री श्रीरामसिंह—

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले की तहसील गोंडा में किन किन स्थानों पर बिजली की नई लाइन फैलाने की योजना वित्तीय वर्ष १९६५-६६, १९६६-६७, १९६७-६८ तथा १९६८-६९ में शासन ने तैयार किया तथा उसकी प्रगति क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६०३ पर)

२—श्री गंगाप्रसाद—

[दूसरे मंगलवार के लिये प्रश्न ६ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया।]

गोंडा तथा बहराइच जिलों में नलकूप चालकों को दण्ड

३—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अधिशासी अभियन्ता नलकूप खंड, बहराइच द्वारा माह जनवरी सन् १९६९ से लेकर १५ मई, १९६९ तक गोन्डा एवं बहराइच जनपद में कितने कर्मचारियों को मुअत्तल तथा सेवा से मुक्ति आदेश जारी किये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

गोंडा जनपद के अन्तर्गत ५ नलकूप चालकों को सेवा से मुक्त तथा ४ नलकूप चालकों व १ सेक्शन मिस्त्री को निलिम्बित किया गया और बहराइच जनपद के अन्तर्गत ५ नलकूप चालकों को सेवा से मुक्त तथा १ नलकूप चालक व २ मिस्त्रियों को निलम्बित किया गया।

महादेवा क्षेत्र में सिंचाई

४—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निर्वाचन क्षेत्र १६८ महादेवा, तहसील तरबगंज, जनपद गोण्डा में कोड़ेर झील, अरंगा पर्वती झील में पम्पिग सेट लगाने जा रही है ? यदि हां, तो उक्त झीलों से कितने एकड़ भूमि की सिचाई होगी और कौन-कौन ग्राम उक्त दोनों झीलों से सिंचाई से प्रभावित होंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं, सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

५—श्री गंगाप्र ाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि निर्वाचन क्षेत्र १६८ महादेवा तहसील तरबगंज, जनपद गोंण्डा में चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने राजकीय नलकूप लगाने जा रही है और कितने ग्रामों में तथा कितने एकड़ की सिंचाई होगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

नये नलकूपों का कार्यक्रम अब प्रतिवर्ष उपलब्ध संसाधनों के अनुसार बनता है । अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि पूरी चतुर्थ योजना में यह किन-किन जिलों या किसी विशिष्ट क्षेत्र में कितने नलकूप लगाये जायेंगे । साथ ही किसी भी वर्ष के नलकूपों की जिलेवार संख्या का निर्धारण तो सरकार कर देती है परन्तु जिले में उनके लगने के स्थान का निर्धारण जिलाधीश की अध्यक्ष ा में एक कमेटी करती है ।

बलिया जिले में सिंचाई योजना

६—श्री रामरतन—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्माल बैंक, स्माल फारमर स्कीम आया कट और पम्प नहर सिंचाई योजना बलिया में लागू करने का विचार रखते हैं ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सिंचाई विभाग केवल पम्प नहर योजना से सम्बन्धित है । बलि ा जिले में लिफ्ट सिंचाई योजना गत दो वर्षों से लागू है तथा सोहान पम्प नहर, रामपुर चिट प नहर, सूरापाली पम्प नहर व सागरपाली पम्प नहर बनाई जा चुकी है । इन चार नहरों से २९५० एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा प्र.प्त हो रही है । इनके अतिरिक्त पलिया खास (१० क्यूसेक), बुंवा ेहरा (१० क्यूसेक), और रामपुर हल्दी, (२० क्यूसेक) पम्प नहरों पर कार्य हो रहा है । इनकी कुल सिंचाई क्षमता ५००० एकड़ होगी ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में गांवों तथा नलकूपों को बिजली

७—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रदेश में कुल कितने गांवों में बिजली पहुंचा दी जायगी तथा कितने ट्यूबवेलों को बिजली दी जा सकेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में २१०० ग्रामों के विद्युतीकरण तथा १,००,००० निजी नलकूपों एवं पम्पिग सेटो के विद्युतीकरण का लक्ष्य सामान्य कार्यक्रम में रखा गया था, परन्तु गांधी शताब्दी के उपलब्ध में इस सम्बन्ध में विशेष प्रयास करने का निर्णय किया गया है ।

नलकूप योजना

८--श्री हरिवंश--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में कितने-कितने नलकूप लगाये जा रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

नये नलकूपों का कार्यक्रम अब प्रतिवर्ष उपलब्ध संसाधनों के अनुसार बनता है। इसलिये यह बताना सम्भव नहीं है कि चतुथ योजना में किन-किन जिलों में कितने नलकूप लगाये जायेंगे ।

९--श्री हरिवंश--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बेवरिया, बस्ती, गोरखपुर, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, बनारस, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, जिलों में चालू कैलेंडर वर्ष १९६९ के अन्त तक जिलेवार कुल कितने राजकीय नलकूप लग कर तैयार हो जायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

राजकीय नलकूपों के निर्माण का कार्यक्रम कलेन्डर वर्षवार नहीं बिल्क वित्तीय वर्षवार-बनाया जाता है। वर्ष १९६९-७० में प्रश्नगत जिलों में निर्माण के लिये स्वीकृत नलकूपों का विवरण संलग्न सूची में दिया है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६०४ पर)

जौनपुर जिले में नहरों से सिंचाई

१०--श्री जगन्नाथ राव--

क्या सरकार बतायेगी कि जौनपुर जनपद में मड़ियाहूं नहर शाखा, अलीपुर माइनर शाखा रामनगर माइनर में १९६७-६८ व १९६८-६९ में क्रमशः कितने एकड़ की सिंचाई हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जौनपुर जनपद में मडियाहू नहर शाखा, अलीपुर माइनर तथा रामनगर माइनर, में वर्ष १९६७-६८ व १९६८-६९ में हुई सींच निम्न प्रकार है :--

नहर	१९६७-६८	१९६८-६९
	(एकड़ों में)	
१--मड़ियाहू	१८४८३	२६२९७
२--अलीपुर माइनर	२९९	४२१
३--रामनगर माइनर	२९४	१९३

११--श्री जगन्नाथ राव--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जनपद में मड़ियाहूं नहर में सन् १९६७-६८ व १९६९ में (५ जून तक) कब-कब नहर चली ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ६०५ पर)

श्री उदितनारायण द्वारा डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (क्रमागत)*

†डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, (जिला इलाहाबाद)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहती हूं। कल जब मैं सदन में उपस्थित नहीं थी उस समय मेरे खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना का सवाल उठाया गया और जब मैं आयी ३ बजे के लगभग तो मुझे यह सदस्यों ने बतलाया और बाद में आपके कार्यालय द्वारा भी उसकी एक प्रति जो कि माननीय उदित नारायण शर्मा और माननीय शिवराज सिंह ने मेरे खिलाफ उठायी थी, भेजी है, उसे मैंने पढ़ा और उससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इस सिलसिले में मैं चाहती हूं कि आप मुझे दो मिनट का समय दें ताकि सही बात आपके सामने रखा सकूं और सदन को भी बतला सकूं। मुझे केवल इतना ही कहना है।

श्री अध्यक्ष---

एक चीज मैं पहले आपको बतला दूं कि माननीय उदित नारायण शर्मा ने यह कहा था कि इस पर फैसला आज नहीं करना चाहिये क्योंकि वे एक दो रोज क लिय बाहर गये हुए हैं। मैंने यह स्वीकार कर लिया है। ऐसे आप अपना वक्तव्य द दें उसके ऊपर, लेकिन आज मैं उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं दूगा।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---

बहुत ठीक है। मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि उस दिन जो कुछ बात मैंनें कहीं, वह पूरे सदन के सामने कही थीं और माननीय सदस्य उस समय यहां उपस्थित थे। वैसे जो सवाल यहां उठाया गया है वह अखबार की कटिंग के आधार पर है, इसके लिय मैं जिम्मेदार नहीं हो सकती कि अखबार उस पर क्या कमेंन्ट करते हैं या क्या अपनी राय रखत हैं। मैंने जो कुछ कहा--मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि आप मेरे उस दिन क भाषण को जो कि इस सदन की कार्यवाही का एक अंश बन चुका है, पढ़ कर इस सदन को सुना दें और उससे स्पष्ट हो जायेगा कि मैंने बार-बार यह कहा कि माननीय चौधरी चरण सिंह--चौधरी चरण सिंह, ने यह लिखा, कहीं भी मैंने यह नहीं कहा कि मुख्य मंत्री चरण सिंह, 'मुख्य मंत्री" शब्द का तो मैंने कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया। मैंने यह कहा कि अगर हमारे ऐसे नता जो कि वैसे पदों पर हों, चाहे इधर के हों, चाहे उधर के हों, अगर ऐसी कोई चीज करें तो उसका डाइरेक्टली और इनडाइरेक्टली शासन पर असर पड़ता है। मैंने यह भी कहा था कि अगर इस तरह से जुडिशियरी पर प्रभाव डाला जायेगा तो वह कोई ठीक बात नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि माननीय उदित नारायण शर्मा ने जान बूझ कर मेरे भाषण को तोड़ मरोड़ कर इस प्रकार से सदन के सामने रखा है जिससे यह जान पड़ कि मैंने कोई गलत बयानी की है। लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि मेरा राजनीतिक जीवन जो है वह कोई झूठ और फ़रेब का नहीं है। हमने जेल जाकर, त्याग व बलिदान करके अपने जीवन को बनाया है। मेरे राजनीतिक जीवन की कुछ मान्यतायें हैं जिनको मैं कभी भी किसी भी हालत में छोड़ने के लिये तैयार नहीं हूं। न मैंने कभी झूठ बोला और न मैं आग बोलने वाली हूं। मुझे अफ़सोस तो यह है कि आज भी अखबार में यह निकला है, चौधरी साहब ने यह कहा है---

"Mrs. Bajpai thereupon expressed her regret to him for this mistake."

---

*२८ जुलाई, १९६९ की कार्यवाही से।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि इस सिलसिले में उस पत्र को देखने के लिये बुलाया तो मैं उनके कमरे में गयी तो पत्र दिखलाने पर बार-बार उन्होंने यही कहा कि यह तारीख ७ अप्रैल, १९६९ है। मैंने उनसे बार-बार जोरदार शब्दों में कहा कि इस प्रकार के पत्र लिखने का असर शासन पर अच्छा नहीं पड़ता। अपने भाषण में मैंने जो कुछ कहा वह अपनी जानकारी में सही ही कहा—कुछ गलत नहीं कहा। जो सवाल यहां पर उठाया गया है उसके लिये यह जरूरी नहीं है कि मैं कोई अफ़सोस जाहिर करूं। जितनी बातें मैंने कही हैं उनके लिये आज भी खड़ी हुई हूं और उनको स्वीकार करती हूं। मैंने इस सदन में जो कुछ कहा है पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा है, उसके लिये मुझे कोई अफ़सोस नहीं है। मैंने 'मुख्य मंत्री' शब्द नहीं कहा था। जो कुछ मैंने पहले कहा था, आज भी इस बात को कहती हूं कि इस तरह की बातों का शासन के ऊपर डाइरेक्टली और इनडाइरेक्ली असर पड़ता है, यही मेरे कहने का आशय था और है। इसलिये मैं समझती हूं कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न जो मेरे खिलाफ़ उठाया गया है, वह न उठा कर मैं एक दूसरे विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दे रही हूं जिसे आप स्वीकार करें और उसे एक विशेषाधिकार समिति के सामने भेजें लेकिन अच्छा तो यही होगा कि सदन के सामने ही सारी बात हुई थीं इसलिये सदन ही इस पर विचार करे कि मैं गलत हूं या माननीय उदित नारायण शर्मा और माननीय शिवराज सिंह जो.....

श्री अध्यक्ष—

आज इस वक्त बहस नहीं होगी। श्री उदित नारायण जो जिस रोज आ जायेंगे उसी दिन मैं इसको लूंगा। आप कार्यवाही सब सुन चुके हैं। मैं भी आप को पढ़ कर सुना दूंगा। लेकिन सवाल सिर्फ़ इस बात का है कि उदिनारायण जी की प्रार्थना थी।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मेरा निवेदन यह है कि वह पत्र सदन के पटल पर आ जाय। जब दो पक्षों में बात चल रही है तो उसकी जानकारी हम को भी होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

वह पत्र भी पढ़कर सुना दिया जायेगा।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, माननीय नेता विरोधीदल ने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित किया और आज श्रीमती बाजपेयी जी ने भी किया। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप उन दोनों प्रश्नों को विशेषाधिकार समिति को सौंप देते। इसकी मैं व्यवस्था चाहता हूं। ये दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनकी जांच करने के लिये विशेषाधिकार समिति को सौंप दें।

श्री अध्यक्ष—

आप को यह याद रखना चाहिये कि विशेषाधिकार समिति अभी नहीं बनी है। आपने बनवाई नहीं महाराज। सदन के सामने का प्रश्न है, सदस्य ही इसको तय करेंगे। मैंने व्यवस्था दे दी कि उदित नारायण जी दो रोज बाद आयेंगे।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

मेरा आपसे निवेदन है कि चरण सिंह जी ने क्या कहा तथा दूसरे सदस्य ने क्या कहा, इसमें सदन का ज्यादा समय बर्बाद होता है। इस लिये मैं आप से निवेदन करूंगा कि इन लोगों के छिद्रान्वेषण के पीछे सदन का समय बर्बाद न किया जाय।

सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस वाराणसी, श्री राधेश्याम शर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास पांच विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न आये हैं। उनमें से चार हैं सतिया कांड के बारे में और एक है श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के सिलसिले में। तो ये सतियाकांड के बारे में चारों एक से ही हैं। सिटी एस० एस० पी० ने कोई बयान दिया जिसमें कहा जाता है धमकी है। हर एक में करीब-करीब एक सा ही विवरण है लेकिन अलग-अलग हैं। सदन में दिनांक २६-७-१९६९ को मिर्जापुर जिले के गोपालपुर फ़ार्म में सतिया की हत्या के सम्बन्धमें माननीय सदस्यों ने बहसमें वाराणसी के पुलिस अधीक्षक, श्री राधेश्याम शर्मा, पर आक्षेप किया जिसके लिये श्री शर्मा ने सार्वजनिक रूप से डराने और धमकाने का प्रयास किया है यह उन पर चार्ज इन प्रश्नों से लगाया गया है। यह प्रश्न उठाया गया है हर एक में कि श्री शर्मा ने कहा कि, "सदस्यों को इस आरोप का यदि यह असत्य हुआ तो अन्जाम भुगतने के लिये तैयार रहना चाहिये, यह धमकी है। इस धमकी से सदन की मर्यादा की अवमानना हुई। अतः मैं श्री राधेश्याम शर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार का नोटिस देता हूं।" इसी तरह के चार हैं। जो सदस्य ऐसा प्रश्न उठाना चाहें वे सदन को लिखित सूचना देंगे। यदि सुनने का आधार कोई लेख्य हो तो मूल लेख्य या उसकी प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न की जायेगी। अब उन्होंने वक्तव्य दिया। इसका कोई लेख्य होना चाहिये। कहीं न कहीं सुनने का ही हो। उसकी कापी हो और ओरिजिनल कापी हो वह दी नहीं गई है। जब तक मेरे वह पास नहीं आती प्रश्न को मैं विचारार्थ नहीं ले सकता। [माननीय सदस्य श्री नित्यानन्द स्वामी के दूर से ही (अपनी सीट से) पत्रादि दिखाने पर। यह देखने का सवाल है। आप दूर से दिखा रहे हैं।

(हंसी)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मैंने जो यह प्रश्न उठाया है वह किसी लिखित आधार पर नहीं उठाया। मेरे नोटिस में तो यह बात है कि हमारे सदस्य वहां स्वयं गये और उन्होंने बताया कि बनारस के अन्दर खुलेआम एस० एस० पी० महोदय ने यह बात कही है कि उन लोगों को देख लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

जो वक्तव्य दिया गया है, वह कहीं छपा होगा, उसकी कापी इसमें दी हुई नहीं है, कृपा करके आप उसको भेज दें तो मैं उस पर विचार कर लूंगा।

श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)—

मैंने जो विशेषाधिकार का प्रश्न दिया है वह इस प्रकार है:—"मैंने २४ और २५ जुलाई को गोपालपुर फ़ार्म, जिला मिर्जापुर में सतिया के शीलभंग और हत्या का प्रश्न कई सदस्यों के साथ उठाया था।

उसमें यह भी शिकायत की थी कि एस० एस० पी०, वाराणसी श्री राधेश्याम शर्मा ने इस हत्याकांड के दबाने में हिस्सा लिया।

मैं रविवार २७ जुलाई को वाराणसी गया था वहां कई प्रतिष्ठित नागरिकों ने मुझे सूचना दी कि श्री राधेश्याम शर्मा ने खुले आम घोषणा की है कि सतिया कांड की जांच समाप्त होने पर वे उन सदस्यों की खबर लेंगे और उनको ठीक कर देंगे जिन्होंने असेम्बली में मेरे ऊपर यह आरोप लगाया है।

उनकी इस धमकी भरी घोषणा से असेम्बली में स्वतंत्रता के साथ अपनी बात कहने के अधिकार का हनन होता है। मेरे बिधान सभा के सदस्य की हैसियत से कर्त्तव्य पालन में बाधा पहुंचती है।

श्री राधेश्याम शर्मा की घोषणा का समाचार कई समाचार-पत्रों में भी छपा है।

अतएव मैं श्री राधेश्याम शर्मा, एस० एस० पी०, वाराणसी के खिलाफ़ विशेषाधिकार का प्रश्न उठाता हूं।"

इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान की धारा १०५ के अनुसार हर सदस्य को यह पूरा अधिकार है कि असेम्बली के अन्दर वह अपनी बातों को रखे। उसको रोकने का अधिकार केवल मात्र आप को है, दूसरे किसी को नहीं है। एस० एस० पी, वाराणसी ने इस तरीके से हमको कर अखबारों को देकर हमको कर्तव्य पालन करने से रोकने का प्रयत्न किया है। क्या यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

पहले इसके कि आप कुछ निर्णय दें, मैं यह कह देना चाहता हूं कि किसी विशेषाधिकार के लिये यह आवश्यक नहीं है कि कोई लिखित सूचना हो, उसी के आधार पर वह लाया जाय। यह दूसरी बात है कि वह समाचार-पत्रों में निकला है। उन्होंने बहुत से लोगों के बीच में कहा है कि वे लोग उसका अंजाम भुगतने को तैयार रहें। श्रीमन्, हम लोगों को प्रतिदिन यहां बोलने का जो अधिकार है उसके आप संरक्षक हैं या नहीं हैं? यह संरक्षण आप हमें देगें या नहीं देंगे?

श्री अध्यक्ष—

मैंने अभी कोई निर्णव इस विषय में नहीं दिया है। अभी तो मैंने सिर्फ़ यही कहा है कि यह वक्तव्य कहीं छपा होगा। उसको आप मेरे पास भज दें। यहां किसी माननीय सदस्य ने यह बात नहीं कही कि मैं बनारस गया और मैंने उसको सुना। उन्होंने कहा कि दूसरे किसी आदमी ने सुना, उससे मैंने सुना। अगर आप में से कोई सदस्य यह लिखता कि मैंने स्वयं ही इस बात को सुना है, मेरे सामने एस० एस० पी० ने धमकी दी थी तो मुझे किसी लिखित वक्तव्य की आवश्यकता नहीं थी। मैं केवल उनसे पूछ लेता। लेकिन क्योंकि जिससे सुना गया है वह यहां के सदस्य नहीं हैं, इसलिये बाहर के व्यक्ति से पूछना मेरे लिये आवश्यक हो जायगा। इसलिये इस समय यहां जो सवाल उठाया गया है वह डायरेक्ट सुनी हुई बात नहीं है, "हीअर से" पर वह आधारित है। किसी ने उनसे ऐसा कहा है। एक चीज और है। आपने किसी पत्र का हवाला दिया। यों तो किसी पत्र को यहां के लिये जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, यह फ़ैसला भी मैं दे सकता हूं लेकिन जांच शुरू करने के लिये उस पत्र की कटिंग मेरे पास जरूर आनी चाहिये। खाली सुना-सनी बात पर कोई जांच शुरू नहीं की जा सकती। मैं अभी इसको समाप्त नहीं कर रहा हूं। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि आप कृपया किसी इम्पार्टेन्ट पेपर की कटिंग मेरे पास भेज दें। इस सूचना के साथ आपने नहीं भेजी है। यदि आप कहीं पर सुनी हुयी बात के आधार पर कहते हैं कि अमुक आदमी कहता था तो 'हियर से' के आधार पर किसी पर तो मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और हियरसे एवीडेन्स स्वीकार नहीं की जाती है। इसलिए अगर आपके पास कोई इम्पार्टेन्ट पेपर की कटिंग हो तो उसे मेरे पास भेज दें। कल मैं इस प्रश्न को देखकर अपना निर्णय दे दूंगा।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, ऐसे विशेषाधिकार के प्रश्न कई अधिकारियों के खिलाफ़, जैसे जिलाधीश, देवरिया, श्री हरवंश सहाय ने पेश किया तो मैं यह कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कि अगर माननीय सदस्यों का इस तरह से अधिकारीगण अपमान करेंगे तो हमारी और इस सदन की क्या मर्यादा रहेगी?

श्री अध्यक्ष—

अगर इस तरह से अपमान करेंगे तो मैं सख्त से सख्त कार्यवाही कराने का प्रयास करूंगा। कोई भी अधिकारी सदन में हुए वादविवाद के आधार पर सदस्यों को धमकी नहीं दे सकता है,

[श्री अध्यक्ष]
उसके ऊपर वह टीका टिप्पणी भी नहीं कर सकता है और अगर वह ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है।

श्री बांकेलाल—

श्रीमन्, मैंने आपके और माननीय मुख्य मंत्री जी के पास अभियन्ता, देवरिया के विरुद्ध एक तार भेजा था, लेकिन उस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—

आप बिना बुलाये ही बोलने लगते हैं। यह ठीक नहीं है।

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

श्रीमन्, आप के द्वारा मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर किसी अधिकारी के विषय में यहां पर इस सदन में हममें से कोई साथी ऐसी बातें कहें जो वास्तविकता से बहुत परे हैं और वे बातें उस अधिकारी को ठेस पहुंचायें और वह अधिकारी यह कहे कि ये बातें बेबुनियाद हैं। वह सदस्य जो कि सदन का प्रिविलेज लेकर सदन में बे बुनियाद बातें कहते हैं, यदि सदन के बाहर बेबुन्यिाद बातें करें या कहें तो ऐसा व्यक्ति बाहर कानूनी कार्यवाही कर सकता है या करेगा तो उसका ऐसा कहना या करना क्या यह विशेषाधिकार का प्रश्न बन सकता है ? मैं समझता हूं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी इस देश का सिटीजन है और उसे भी उतने ही अधिकार प्राप्त हैं जितने इस सदन के सदस्य को है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, मुख्य मन्त्री ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। निर्णय देने के पूर्व जरा हमें भी सुन लीजिए ?

श्री अध्यक्ष—

आपको सुनने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनसे स्वयं सहमत नहीं हूं। इस सदन में जो भाषण दिये जाते हैं, वे प्रिविलेज्ड हैं। इसलिये कोई भी उसके ऊपर टीका-टिप्पणी नहीं कर सकता । उसका कारण यह है कि माननीय सदस्य जनता के चुने हुये हैं और उन्हें इस बात का प्रिविलेज दिया गया है कि वह यहां आजादी के साथ भाषण कर सकें। अगर आप उनके भाषण पर मजाक करते हैं तो विशेषाधिकार का प्रश्न हो सकता है वरना वह आजादी से बोल नहीं सकेंगे। इस तरह से भाषण स्वातंत्र्य में यह शामिल है और उन्हें ज त करना चाहिये। अगर किसी सदस्य ने यह बात सदन में कही है। जब मुकदमा चल जाय और मुकदमें में साबित हो जाय कि आपने गलत बात कही है तब उनके खिलाफ कुछ किया जा सकता है। इसीलिये मैं आपसे भी कह रहा हूं कि आप लिखकर दें तो ज्यादा अच्छा हो ा ताकि पीछे यह न कहें कि मैंने यह कहा था और यह नहीं कहा था। अगर साबित होता है कि आपने गलत कहा था तो सदन आपके ऊपर विशेषाधिकार का प्रश्न लायेगा और तब आपको दण्ड दिया जा सकता है, लेकिन किसी बाहर के आदमी को यह अधिकार नहीं होगा कि वह इस सदन के सदस्य पर टीका-टिप्पणी करना शुरू कर दे। हां, अगर कोई माननीय सदस्य बाहर किसी के खिलाफ कोई बात कहता है तो फिर उसको भी धमकी देने का अधिकार और मुकदमा दायर करने का अधिकार होगा। उस समय आपकी सुरक्षा नहीं है। आपकी सुरक्षा इस सदन में ही है लेकिन यह प्रश्न आज इस समय नहीं है, मैंने उसे स्वीकार भी नहीं किया है। जिस रोज वह आयेगा उस रोज उस पर चर्चा होगी और तब आपको बोलने की इजाजत दी जायेगी।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के अनुसार और हाउस आफ कामन्स की परम्पराओं के अनुसार यह माना जाता है कि कोई माननीय सदस्य सदन में जो बात कहता है वह

सही है और वह गलत बयानी नहीं करता है, ऐसा मानकर हम चलते हैं और जब वह किसी अधिकारी के बारे में शिकायत करता है तो यह विश्वास करना चाहिए कि माननीय सदस्य को आघात पहुंचा है और उनका कहना सही है.....

श्री अध्यक्ष---

आप क्यों बहस कर रहें हैं ? मैंने स्वयं ही उनको इजाजत नहीं दी है और न मैं उनसे सहमत हूं ।

*वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---

आपने निर्णय दिया एक विशेष प्रश्न पर, अध्यक्ष महोदय, उस पर श्रद्धा प्रकट करते हुये मैं सदन के सामने एक प्रश्न उठाना चाहता हूं । यहां पर भाषण स्वातंत्रय के संबंध में मुझे कोई ऐतराज नहीं है लेकिन यहां पर क्या कोई भी माननीय सदस्य किसी विषय पर अनर्गल बात कर सकता है और क्या वह इस सदन के लिये प्रिविलेज का प्रश्न बनेगा ? उदाहरण के लिये मिर्जापुर की घटना है और इस घटना के संबंध में एक वक्तव्य माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दिया गया। उसके बाद एक माननीय सदस्य ने एक दूसरा वक्तव्य दिया । मैं यदि यह कहूं कि यह वक्तव्य अनर्गल नहीं बल्कि शुरू से आखीर तक झूठा ह और जानबूझ कर झूठा वक्तव्य दिया जा रहा है तो क्या वह प्रिविलेज का प्रश्न नहीं बनेगा ? दूसरे यह भी कि यदि हम अनर्गल वक्तव्य यहां पर देंगे, अनर्गल इस माने में मै कहूंगा कि कोई आधार हो (व्यवधान).....।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---

मैं आचार्य जी से विनती करना चाहता हूं कि ऐसे शब्द प्रयोग न किये जांय जिससे सदन में बेकार का टेन्शन बढ़े। जैसे उन्होंने 'अनर्गल' शब्द का प्रयोग किया। उन जैसा पालिश्ड पालियामेंटेरियन दूसरे शब्द का इस्तेमाल कर सकता था ।

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

मंत्री जी ने माननीय सदस्य के भाषण का उदाहरण दे कर उसे अनर्गल और झूठा बताया। वह गुप्ता जी के भाषण का उदाहरण दे कर भी तो इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मेरे मित्र राजा साहब को 'अनर्गल' शब्द पर एतराज हुआ। मेरी दृष्टि में 'अनर्गल' शब्द 'झूठा' से ज्यादा पार्लियामेंटरी है ।

श्री अध्यक्ष---

जनसंघ के जितने पेपर्स हैं उनमें 'अनर्गल' शब्द बहुत इस्तेमाल होता है । वे कहते हैं कि इसका मतलब है "इर्रेलेवेंट" । तो इर्रेलेवेंट कहना बिल्कुल पार्लियामेंटरी है । 'झूठ' के बारे में यह तय हो चुका है कि किसी को 'झूठा' नहीं कहना चाहिये। आप यह कह सकते हैं कि 'यह सत्य नहीं है' ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मैंने उसको वापस ले लिया और मैं यह कहूंगा कि वह सत्य नहीं है। तो क्या हमारा कोई उत्तरदायित्व इस सदन में है या नहीं। यदि नहीं है तो फिर जो जिस माननीय सदस्य का जी चाहे वह कहे। फिर कल को यह चीज आगे बढ़ सकती है और किसी भी घटनाके संबंधमें कोई भी सदस्य कुछ भी कह सकता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे—

मैं एक निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं, केवल दो मिनट का समय दें।

श्री अध्यक्ष—

आप उनको (मंत्री जी को) समय नहीं दे रहे हैं तो मैं आपको क्यों समय दूं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि जैसे कोई घटना है और यदि किसी माननीय सदस्य के पास तथ्य है, जिस किसी व्यक्ति का आवेदन-पत्र है, उसको सदन के सामने रखा जाय और उसके स्थान पर कोई बात कही जा सके तो विचारणीय यह होगा कि वह हमारे ब्रीच आफ प्रिवलेज के बाहर जायेगा या नहीं ? दूसरा प्रश्न मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुये कहना चाहता है कि बाहर के संबंध में कोई भी चर्चा हो गई तो क्या वह सदन में ही ब्रीच आफ प्रिविलेज हो सकेगा या नहीं ? बाहर के व्यक्ति के लिये आप इजाजत नहीं देंगे इसको मैं स्वीकार करता हूं लेकिन यदि किसी बाहर के व्यक्ति के संबंध में चर्चा की गई है और वह गलत है तो वह ब्रीच आफ प्रिविलेज होगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

बाहर के किसी व्यक्ति के बारे में कोई गलत बात कहता है तो जैसा कि मैंने कहा उसको कंट्राडिक्ट कर सकते है। अगर सरकारी अफसर के खिलाफ कहा है तो आपको पूरा अधिकार है कि कंट्राडिक्ट करें। आप उनकी तरफ से कह सकते हैं लेकिन यह मेरा अधिकार है कि मैं रोक दूं कि आप सदन के बाहर के लोगों के खिलाफ न कहें। लेकिन अगर किसी वाकये के बारे में कहना चाहते हैं और समझते है कि यह सही वाकया हुआ है किसी अफसर के बारे में तो वह कह सकते हैं। लेकिन जो परिणाम होने वाला है वह यह हो सकता है कि अगर कोई बात किसी की असत्य पाई गई और जान बूझ कर कहा गया है, यह भी सिद्ध हो गया तो नतीजा यह होगा कि सदन को यह अधिकार होगा कि कोई माननीय सदस्य खड़े होकर यह कह सकते है कि "मुझे विशेषाधिकार का प्रश्न इन माननीय सदस्य के खिलाफ उठाना है"। जहां असत्य बात कह कर दूसरे व्यक्ति को जो बाहर का है बदनाम करने की कोशिश की जाय यह नहीं हो सकता है। लेकिन यह नहीं हो सकता कि आप सबका मुंह दबा लें वह बाहर का व्यक्ति प्रतिवाद कर सकता है और अगर आप समझते है कि घटना सत्य है तो आप लिख कर दे दें और मुख्य मंत्री जी उसकी तहकीकात करा लेंगे।

उप मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

पहले उनको सुन लीजिये। इसके बाद कह लीजिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्रीमन्, सदन में बोलने के लिये माननीय सदस्यों को पूरी सुरक्षा और स्वतंत्रता है और उनको पूरा अधिकार है कि सदन के सम्मुख जो कुछ कहना चाहें बिना किसी भय और हस्तक्षेप के वह अपनी बात कहें। यह मानी बात है कि जो सदन में उपस्थित नहीं है, बार-बार यह प्रश्न आपके सामने भी उठा है कि जो उपस्थित न हो, चाहे सदस्य हो या कोई भी हो, उसके बारे में कोई बात न कही जाय। यदि तथ्यों से कोई संबंध रखती हो तो सप्रमाण कहें। यदि कोई सदन में उपस्थित नहीं है और उसके बारे में कहा जाय तो उसके भी मौलिक अधिकार हैं

और हमें सदन में कहने का अधिकार है। भाषण की स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी हो सकता और सदुपयोग भी हो सकता है। यदि किसी के विरुद्ध ऐसी बात कही गई है जिससे उसके चरित्र का हनन होता है, उसका व्यक्तित्व गिरता है, वह बदनाम होता है और उसका जीवन मटियामेट हो जाता है और वह व्यक्ति यहां नहीं है चाहे वह जनता का आदमी हो या अधिकारी हो और इस सदन की प्रोसीडिंग्स जो अखबारों में छपती हैं वह छाप देते है तो मानहानि की मुकदमा नहीं चल सकता है। उसके मौलिक अधिकार के संबंध में मैं कहता हूं कि उसकी सुरक्षा हो। भीतर वह आ नहीं सकता। बाहर भी प्रिविलेज लागू हो जायगा कि तुमने क्यों कहा? यहां प्रिविलेज बोलने वालों को है ही। अगर वह बाहर कहता है कि जो बातें कही हैं बिल्कुल झूठ हैं—झूठ और असत्य में क्या फर्क है, सदन में आप इसको बतायेंगे कि एक पार्लियामेंटरी और एक अनपार्लियामेंटरी है, अगर वह बाहर कहता है कि यह बात झूठ है, अगर यह बात साबित हो जायगी तो पद त्याग कर दूंगा, और अगर नहीं साबित होगी तो जिन्होंने झूठे अभियोग लगाये हैं वह तैयार रहें, तो यह अधिकार उसको नहीं है। यदि नहीं है यह अधिकार.... (शोर)

श्री बांकेलाल—

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मुझ को सुन लिया जाय।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं व्यवस्था के प्रश्न पर ही खड़ा हूं। मैं कह लूं तब आप उठियेगा। मैं, मान्यवर, यह कह रहा था कि अभी तक जिस अधिकारी के सम्बन्ध में चर्चा चल रही है उसका वक्तव्य सामने आया नहीं, पढ़ कर सुनाया भी नहीं गया, आपने मंगा लिया है, आप देखेंगे। यह कहा जाता है कि लोगों ने सुना है। इस पर प्रिविलेज का सवाल उठा दिया। अब सवाल यह है कि एक व्यक्ति पर लांछन लगता है, उसके चरित्र और व्यक्तित्व पर, और वह अपने अधिकार का प्रयोग कर नहीं सकता। हमें पूरा अधिकार है कि ऐसी बात यहां कहें। वह आदमी भीतर आ नहीं सकता, कही हुई बात का प्रतिवाद नहीं कर सकता और वह लांछित हो गया दुनिया के सामने, स्वयं उसके आत्मसम्मान को चोट लगी, वह यह नहीं कह सकता कि यह बातें झूठी हैं, तथ्य के विपरीत हैं।

श्री अध्यक्ष—

इस सदन के कुछ विशेषाधिकार हैं। सदस्य के विशेषाधिकार हैं। वह निश्चित हैं। अगर उस चीज की सफाई करना चाहता है तो एक चीज हो सकती है कि प्रान्त हाई कोर्ट बैठा हुआ है, हाई कोर्ट चला जाय। बाहर प्रचार करना गलत है कि यह हुआ और अगर ऐसा हुआ है तो फिर उसको भुगतना पड़ेगा। उसका सीधा तरीका हो सकता है कि हाई कोर्ट में चला जाय और यह कहे कि मेरे खिलाफ लांछन लगाया गया है, वह झूठ है। लिहाजा मानहानि का दावा करता हूं। उसका क्या नतीजा होगा? यदि यह सवाल वह उठा नहीं सकता वहां भी, तो मैं समझता हूं कि कहीं भी नहीं उठा सकता। सवाल यह है कि उससे स्पष्ट नियम क्या है यह मालूम हो जायगा और उसकी सीमा हो जायगी यदि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है। अगर इस तरह से सदन में कोई भाषण होता है और उसका उससे कैरेक्टर असेसिनेशन होता है तो उसको पूर्ण अधिकार है, जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके अन्दर यह बात आ सकती है, तो हमको मानना पड़ेगा। लेकिन उसका यह रास्ता नहीं है कि वह सदन के विशेषाधिकारों को भंग करें। अभी तक जो निर्णय होते रहे हैं उनके आधार पर कोई बाहर विपरीत ऐसी टीका टिप्पणी नहीं करेगा, जिसमें सदस्य की सार्वजनिक रूप से खिल्ली उड़ाई गई हो, उस सदस्य को धमकी नहीं देगा और अगर दी गई हो तो उसे भुगतना पड़ेगा। पुलिस अफसर के द्वारा अगर यह कहा जाता है कि जिसमें धमकी हो तो यह कहना जरा खतरनाक हो जायगा, क्योंकि लोग उससे डर सकते हैं। उसके लिये सीधा तरीका यह है कि हाई कोर्ट चला जाय। जिन्होंने कहा है उनके बारे में मुकदमा चल सकता है, लेकिन फैसला क्या होगा, मैं यह समझता हूं

[श्री अध्यक्ष]

कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अगर यहां पर उठाया जा सकता है तो वह कायदे से होगा, लेकिन जो प्रिविलेज सदन का है उसके बारे में शायद कोई भी हाई कोर्ट प्रश्न उठाने नहीं देगा, ऐसा मेरा खयाल है, अब आप जैसा समझें करें।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सारा कांड चल रहा है उसके बारे में एक न एक प्रश्न रोज इस सदन में हो रहे हैं, घटनायें हो रही हैं। बाहर के प्रदेशों में भी यहां की घटनाओं का विवरण जाता है और उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ने वाला ह। इसलिये मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं वे कोई तिथि या समय निर्धारित हो जाय और उसमें जुडीशियल या कोई भी इन्क्वायरी करा के तथ्य के साथ और अपने निर्णय के साथ फाइल सदन में रख दें जिससे इस प्रान्त का मस्तिष्क दूसरी जगह नीचा न हो।

श्री अध्यक्ष—

बात तो आपकी ठीक ही है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। यहां पर हम भाषण करते हैं, शिकायतें करते हैं, सूचनायें प्रस्तुत करते हैं वह केवल इसलिये कि उस पर सरकार कार्यवाही करेगी। उस पर सरकार कार्यवाही न करे और हर बार हर बात पर यह कहा जाय कि लिख कर दो, लिख कर दो....

श्री अध्यक्ष—

यह बात आप गलत कह रहे है। आप नई-नई बातें उठायेंगे तो फिर उसके लिये क्या तरीका हो सकता है ?

श्री अनन्त राम जायसवाल—

मैं कहता हूं कि सरकार उन सूचनाओं पर कार्यवाही करे जो यहां प्रस्तुत की जाती हैं। सतिया हत्याकांड के सिलसिले में जितने भी दृष्टिकोण हैं प्रस्तुत हो चुके, सूचनायें दी जा चुकी, विचार दिये जा चुके। अब जो भी है क्या सरकार उस पर जुडीशियल जांच करावगी ?

श्री अध्यक्ष—

अब आप कोई नई बात नहीं निकालेंगे क्या मैं यह समझूं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जैसा राजा साहब ने कहा कि यह बात हमेशा-हमेशा के लिये खत्म हो जाय मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले में हाई कोर्ट के जज की जांच बैठा दें।

श्री जगनप्रसाद रावत (जिला आगरा)—

श्रीमन्, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैंने ३०–३२ वर्षों से इस सदन की परम्परायें देखी हैं। यह सदन केवल ४२५ माननीय सदस्यों के हितों का संरक्षण करने के लिये नहीं है किन्तु ६ करोड़ जनता के सम्मान की रक्षा हमें करनी है। यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है कि कोई माननीय सदस्य केवल अखबारों में पढ़ कर किसी पर आरोप लगाना आरम्भ कर दें। अगर आपके हाथ में प्रिविलेज की तलवार है तो उसके उठाने के पहले आपके हाथ भी कांपने लगना चाहिये। तलवार चलाने से पहले आपके हाथ कांप उठने चाहिये न कि जब चाहे जो बात किसके लिये कह दी जाय। जो आदमी बाहर है और सदन में जवाब नहीं दे सकता उसके लिये बहुत सोच-समझ कर आक्षेप होना चाहिये और अगर कोई इस तरह के आक्षेप सदन में होते

हैं तो उनका उत्तर भी सुनने के लिये तैयार रहना चाहिये। जिस पर जब चाहे आक्षेप लगा दें और आपके खिलाफ कोई बात कह नहीं सकता क्योंकि हम तो प्रिविलेज्ड हैं यह बात उचित नहीं है। जो बाहर बैठे हुये हैं उन सभी की हम रक्षा करेंगे।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

श्रीमन्, मैं इस विषय में आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जब किसी प्रश्न के ऊपर आपकी रूलिंग हो जाय जैसा कि अभी विशेषाधिकार के संबंध में आपने रूलिंग दे दी कि प्राइमाफेसी है, लेकिन कोई प्रमाण नहीं है और माननीय सदस्य से कहा कि वह प्रमाण पेश कर दें तो बात यहां पर खतम हो गई। तो फिर आपकी रूलिंग होने के बाद क्या कोई माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उस पर उठा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने रूलिंग दे दी, लेकिन इसको कोई मानने के लिये तैयार नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, मैंने यह विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था और आपने इसके ऊपर महत्वपूर्ण रूलिंग दी लेकिन उस पर आपकी रूलिंग के बाद भी उधर अपनी बात सदस्य कहते हैं। एक के बाद दूसरा मन्त्री खड़ा होकर आपकी रूलिंग के विरुद्ध अपनी बात कहने लगता है, यह कहां तक उचित है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह किसी ने नहीं कहा। यह धृष्टता कोई नहीं कर सकता है कि आपने जो रूलिंग दी है वह गलत है। इससे सम्बद्ध जो दूसरे प्रश्न हैं केवल उनका जिक्र किया।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उसकी व्यवस्था दे दी। उनके दिल में यह शंका पैदा हुई कि अगर किसी के कैरेक्टर को गलत रूप से चार्ज कर दिया गया तो वह क्या करे। तो उसका रास्ता मैंने उनको बता दिया।

श्री बांकेलाल—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अगर उपमुख्य मंत्री जी यह समझते हैं कि उनके ऊपर जो लान्छन लगाया जा रहा है वह गलत है तो वह जुडिशयल इन्क्वायरी के लिये किसी जज को बिठा दें तो उसकी सफाई हो जाय और सारा सदन अवगत हो जायगा कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। इसी चीज को छिपाने के लिये उधर से तरह-तरह की बात कही जाती है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

जहां तक मैंने इस विशेषाधिकार के प्रश्न को सुना उसमें आपने यह कहा कि इसमें तथ्य है। अगर कोई माननीय सदस्य यह कहे कि मुझे धमकी दी गई तो यह बहुत बड़ा जुर्म है। मैं समझता हूं कि किसी अखबार में छपी हुई बात को लेकर विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाना चाहिये.....

श्री बांकेलाल—

श्रीमन्, आप किस तरह से विशेषाधिकारों की रक्षा करेंगे ?

(व्यवधान)

एक सदस्य---

मैं कहता हूं कि अगर हिम्मत हो तो माननीय मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री चलकर उसकी इनक्वायरी करा लें। आज उस हत्याकांड को छिपाने की कोशिश हो रही है।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथसिंह---

जरा एक मिनट मेरी बात भी आप सुन लें। मैं कह रहा था कि अखबारों की कटिंग के आधार पर क्या यहां कोई सवाल उठाया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष---

मेरे कमरे में आकर आप कहें।

(व्यवधान)

एक सदस्य---

एक बात मैं आपसे निवेदन कर दूं कि यहां जब कभी सोशलिस्ट पार्टी के नेता जायसवाल जी का भाषण होता है तब तो उनके भाषण में इस सदन की गरिमा और गौरव परिलक्षित होता है, लेकिन अक्सर मैं देख रहा हूं कि जो भी माइक्रोफोन को एक बार पकड़ लेता है वह तो बोलता चला जाता है और आपके खड़े होने पर भी वह रुकता नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इसके लिये कोई ऐसा कदम आपको उठाना होगा जिससे इस सदन का गौरव और गरिमा रह सके।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपा करके बैठें। इसके ऊपर मेरा फैसला यही है कि मुझसे बगैर पूछे किसी को नहीं बोलना चाहिये। बगैर पूछे यदि कोई सदस्य बोलेगा तो उनका भाषण लिखा नहीं जायगा।

सतिया हत्याकांड के सम्बन्ध में न्यायिक जांच की मांग

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री एक तारीख नियत करें और हम लोग चाहते हैं कि उस तारीख पर वे इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दें ताकि यह सारा वातावरण ठीक हो सके। आखिर कब तक इस तरह से चलेगा ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---

अध्यक्ष जी, उस दिन भी जब इस विषय पर प्रश्न हो रहा था, और कुछ और नयी बातें इस सदन में कही गयी थीं, मैंने यह निवेदन किया था और उस निवेदन के सिलसिले में मैंने भी अपनी बात दोहरायी थी कि यह बात अच्छी होगी कि जहां तक जो भी जानकारी लोगों को हो वे आप को लिखित दे दें और उसी की बुनियाद पर मैं फिर उस विषय के संबंध में सी० आई० डी० को इनक्वायरी करने के लिये आदेश दे दूंगा, लेकिन अभी तो आपने वह भेजवायी तो है नहीं। अगर वह आ जायेगी तो कार्यवाही शीघ्र ही शुरू हो जायेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि वे चाहते हैं कि जल्दी से इसका फैसला हो जाय। मेरे पास कुछ चार्जेज लिख कर आये हैं, एक दो आदमी ने कुछ लिख कर भेजा है, लेकिन पूछने से मालूम हुआ कि वह शायद गोरखपुर के बारे में है। अभी तक इस संबंध में कुछ नहीं आया है। मैं उनसे पूछूंगा कि जो भाषण यहां पर हुए हैं उनमें कुछ नये चार्जेज आये हैं या नहीं। अगर आये होंगे तो मैं कल बतला दूंगा। वरना उन्हीं भाषणों में से छांट कर उन बातों की इनक्वायरी करा ली जायेगी। इन पर जितनी जल्दी फैसला हो जाय अच्छा है।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा.....

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये और बोलने लगे तथा शोर मचा)

*श्री चरणसिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, सतिया कांड के सिलसिले में यहां काफी तकरीरें हो चुकी हैं। कुछ वाकयात ऐसे हैं जो निर्विवाद हैं। एक तो यह कि जो गोपालपुर फार्म है जिसमें माननीय उप-मुख्यमंत्री के लड़के की दिलचस्पी है, मुझे यह ठीक नहीं मालूम किस तरह से, लेकिन उनके लड़के का शायद उसमें कुछ हिस्सा है, वे वहां खेती करते हैं। दूसरी बात यह भी ठीक है कि एक जवान लड़की की हत्या हुई है दोपहर के दो बजे। और तीसरी बात यह भी सत्य है कि जो इनफारमेशन देने वाला था, लड़की का बाप तथा उसने पहले जो गवाह बतलाये थे, वे एफीडेविट देते हैं कि जो रिपोर्ट उन्होंने पहले लिखायी थी, वह गलत है, यह बात असाधारण है। एक्यूज्ड के हक में अक्सर ऐसा होता है। लेकिन यहां जिन्होंने शिकायत की है वही जाकर कहते हैं कि वह बात ठीक नहीं है और ऐफीडेविट देते हैं और अपनी बात की ही तरदीद करते हैं। यह भी साबित है कि वह मुल्जिम, जिसके लिये कहा जाता है कि उसने लड़की को गोली मार दी, वह गायब है और उसके पीछे ही ये ऐफीडेविट दिये गये हैं। तो जैसा कि जायसवाल साहब ने कहा इसके पीछे कोई आदमी है जो पीछे से पैरवी कर रहा है। कहा यह जाता है कि इसमें माननीय उपमुख्यमंत्री जी के किसी रिश्तेदार या बच्चे का उसमें कुछ हाथ है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। यह मैं कहने के लियें तैयार नहीं हूं कि इसके पीछे कुछ तथ्य है, जब कि माननीय मुख्य मंत्री जी इन्कार कर चुके हैं।

अब सवाल यह है जब कि यह बात रिकार्ड पर आ चुकी है, अखबारों में आ चुकी है और बहस भी उस पर हो चुकी है और माननीय उपमुख्य मंत्री जी स्वयं इस बात को कह चुके हैं कि वह जुडीशियल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं, अब मेरी गुजारिश है कि माननीय उपमुख्य मंत्रीजी की प्रतिष्ठा और गवर्नमेंट की प्रतिष्ठा का सवाल है, उसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी को जुडीशियल इंक्वायरी के लिए तैयार हो जाना चाहिये। आखिर मेरी समझ में नहीं आता कि जबकि पूरा अपोजीशन इस बात की मांग कर रहा है, त्रिपाठी जी को भी इसमें कोई ऐतराज नहीं है और वाकया ऐसा है जिसमें लोगों की दो रायें हैं, फिर माननीय मुख्य मंत्री जी को क्या ऐतराज है किसी हाईकोर्ट के जज को जांच के लिये मुकर्रर करने में? इससे सारी बातें भी शांत हो जायंगीं और माननीय उपमुख्य मंत्री जी तथा गवर्नमेंट की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। यह माननीय उपमुख्य मंत्री जी के प्रति अन्याय होगा अगर जुडीशियल इंक्वायरी जिसकी उन्होंने स्वयं मांग की, वह मुकर्रिर नहीं की जाती है। जब एस० एस० पी० और डी० आई० जी० का कंडक्ट भी संदेहास्पद है, तो सी० आई० डी० भी कैसे जांच करेगी और अगर कर भी लेगी तो हाउस को, जिसके सामने इस तरह के वाकयात हैं, किस प्रकार से उन पर यकीन होगा। तो क्यों हम इस झगड़े में पड़ते हैं? क्यों इस तरह का शुबहा रहने देते हैं, जब कमलापति जी खुद चाहते हैं तो गुप्ता जी को क्या आपत्ति है? मेरी दरखवास्त है और सारे अपोजीशन की भी दरखवास्त है कि इसको स्वीकार करलें और हाई कोर्ट के जज को मुकर्रर कर लें।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन भी कहा था कि मुझे जुडिशयल इन्क्वायरी से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जुडिश्यल इन्क्वायरी के पहले मैं यह भी सैटिस्फाई कर लूं कि जो आपत्तियां और आरोप लगाये जा रहे हैं उनमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसके विषय में जुडिश्यल इन्क्वायरी कराने की व्यवस्था के सिलसिले में मैं विचार करूं। आखिर को कोई ऐसी चीज किसी व्यक्ति के सिलसिले में शुरू कर दी गई और कल दूसरे व्यक्ति के सिलसिले में कर दी जाय तो फिर जुडिश्यल इन्क्वायरी इस तरह से कर ने के कार्य को मैं ठीक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

भी नहीं मानता और सही भी नहीं मानता। अगर मैं देखता हूं कि ऐसे व्यक्ति के नाते जिनका थोड़ा बहुत सार्वजनिक जीवन से सम्बन्ध है, और इनका सम्बन्ध हो, सन्देह हो जायेगा कि अवश्य त्रिपाठी जी की रैप्यूटेशन केसिलसिले में और उन अधिकारियों की रैप्यूटेशन को सिद्ध करने के सिलसिले में जरूरी है कि यह सवाल जुडिशयल इन्क्वायरी में जाय तो अवश्य जायेगा।

श्री अनन्तराय जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, चूंकि गुप्ता जी, आवरणीय चौधरी जी के निवेदन के बाद भी इस वक्त जुडिश्यल इन्क्वायरी कराने को तैयार नहीं है, इसलिये मैं अपना और अपने दल का इस पर एतराज प्रकट करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जुडिश्यल इन्क्वायरी होनी चाहिये क्योंकि वह नहीं हो रही है इसलिये मैं आध घंटे के लिये मैं और मेरा दल सदन का त्याग करते हैं।

(व्यवधान)

(श्री अनन्तराम जायसवाल अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

(तत्पश्चात् श्री चरणसिंह अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी भी जनसंघ दल के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री गोविन्दसिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्योंकि विरोधी पक्ष की ओर से मांग रक्खी गई है, मुझे अफसोस है कि मुख्य मंत्री जी ने उसकी अवहेलना की है इसलिये इसके विरोध में मैं भी सदन का त्याग करता हूं।

(श्री गोविन्द सिंह भी अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री जगदीश गान्धी (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोपय, जब सभी आपोजीशन के सदस्य जुडिश्यल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं तो क्या यह काफी नहीं है? क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को इससे भी अधिक प्रमाण की आवश्यकता है? जो माननीय सदस्य जनता ने प्रतिनिधि हैं और जिनकी संख्या दो सौ से ऊपर है वे जुडिश्यल इन्क्वायरी की बात कहें तो क्या उसके लिये भी प्रमाण की अब आवश्यकता है? मेरी मांग है कि सदन की प्रतिष्ठा और सरकार की प्रतिष्ठा के लिये यह जरूरी है कि वह जुडिश्यल इन्क्वायरी की घोषणा करें। क्योंकि वह नहीं मान रहे हैं, इसलिये मैं भी सदन से वाक आउट करता हूं।

(श्री जगदीश गांधी भी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

एक और प्रश्न विशेषाधिकार का है.....

श्री रामविलास (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह है कि सदन किसी नियम के माताहत चलता है। प्रश्न यह था कि श्री राधेश्याम शर्मा के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है या नहीं। उस पर चर्चा न होकर चर्चा इस पर होती रही कि सतियाकांड पर मुख्य मंत्री जुडिश्यिल इन्क्वायरी नहीं करा रहे हैं जज की इन्क्वायरी नहीं करा रहे हैं। उसी को मौका दिया जाता रहा है। आपकी रूलिंग के बाद, चाहे वह इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, वह चलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपको बुलाया नहीं था। उसी तरह से विरोधी पक्ष से भी बोल लेते हैं। इसमें तो बहुत शोर करने वाले हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो मैं क्या कहूं।

विशेषाधिकार की अवहेलना की अन्य सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार के सम्बन्ध में दूसरा प्रश्न यह है जिसको मैं अस्वीकार करता हूं। क्योंकि उन्होंने यह कहा कि राज्यपाल के भाषण में यह कहा गया था जिसका पालन करना सरकार को आवश्यक था, लेकिन सरकार ने पालन नहीं किया। पूर्वी जिलों के सम्बन्ध में पटेल आयोग की सिफारिश पर इस पिछड़े हुए इलाके के विकास के सम्बन्ध में मा० राज्यपाल ने सदन को आश्वासन दिए थे।

तो यह तो एक ऐसी चीज है जिसमें मतभेद हो सकता है। जब आश्वासन दिया तो इस बात पर सरकार विचार करेगी बजट में। इस पर जब अलग-अलग डिमान्ड आयें, या आम बहस में भी आप सवाल उठा सकते हैं। तो यह एक ऐसा प्रश्न है कि इस पर विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बन सकता है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में अगर कोई प्रत्यक्ष वायदा भी किया है और सरकार उस पर अमल न करे तो भी यह आपको अधिकार नहीं है कि आप विशेषाधिकार का प्रश्न उठायें। यह अभिभाषण सरकार द्वारा ही तैयार होता है अतः अपने वक्तव्य में वह परिवर्तन भी कर सकती है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

मैंने भी एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है।

श्री अध्यक्ष—

इसे मैंने अभी नहीं पढ़ा है। आपने अभी तो इसको भेजा है। मैं इसे माननीय शर्मा जी के पास भेज दूंगा।

सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

अब प्रश्न यह है कि मैंने नियम ५१ के बारे में एक प्रस्ताव स्वीकार किया है। नियम ४९ के बारे में भी एक आधे घंटे की चर्चा करने का प्रश्न स्वीकार किया है। तो मैं समझता हूं कि वह आधे घंटे का प्रश्न ४ १/२ बजे ले लिया जाय। साढ़े ४ बजे बजट पर बहस समाप्त हो जायगी।

कुछ सदस्यों—कुछ समय और बढ़ा दिया जाय।

उद्योग मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

श्रीमन्, बढ़ाने से क्या फायदा? अभी तो हमने कुछ नहीं कहा है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

मैं चाहता हूं कि सदन का समय एक घंटे बढ़ा दिया जाय। साढ़े पांच बजे तक बजट पर सामान्य चर्चा हो और उसके बाद नियम ५१ के प्रश्न लिये जांय?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, अगर लोग बोलने वाले हों तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। चूंकि कोई सदस्य नहीं है और कुछ कहने को नहीं है, तो सदन का समय बढ़ाने से क्या फायदा अगर लोग आकर कहेंगे तो हम विचार कर लेंगे, लेकिन जब बोलने वाले ही नहीं हैं तो क्या फायदा उधर कोई बैठा ही नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह—

माननीय सदस्यों ने सदन का केवल आधे घंटे के लिये बहिष्कार किया है। इसके बाद वे आ जायेंगे। अगर उस समय कोई बोलना न चाहे तो आप न बढ़ायें।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

श्रीमन्, मेरा भी समय तय हो जाय क्योंकि मुझे भी माननीय नेता विरोधी दल की पांच घंटे की बहस का जवाब देना है। उन्होंने ५ घंटे कोसा है, हालांकि मैं नहीं कोसूंगा, लेकिन मुझे काफी समय चाहिये। उसके बाद आप नियम ५१ ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

पहले आप बोल लें। उसके बाद माननीय वित्त मंत्री जी भी बोलेंगे। तो वे बतायें कि कब आरम्भ करेंगे ?

१९६९–७० के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यहां बजट के विषय में जो चर्चा दोनों तरफ से हुई है उसे दृष्टि में रखते हुए यह मैं समझता हूं कि सुदृढ़ आर्थिक नीति के संबंध में कोई भी इस प्रकार की नीति का दर्शन नहीं हो पाया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि हमारा प्रदेश किस स्थिति में तथा किस दिशा में आगे बढ़ेगा ?

(इस समय १२ बजकर ४२ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री बासुदेव पीठासीन हुए।)

इस विषय में मैं कुछ ऐसे प्रश्नों पर माननीय मुख्य मंत्री तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिनको कि विशेष कर चौधरी चरणसिंह, नेता विरोधी दल ने, उठाया था और जिसके कारण पर्वतीय प्रदेश में अशांति का वातावरण उत्पन्न हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष —

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे इस समय बजट पर भाषण दें। लोकतंत्र में दो या अधिक दल होते हैं और एक दल सदन त्याग कर चला गया है। वह लोग जब आ जायेंगे तब उनके सदस्यों द्वारा कही हुई बातों का जवाब आपके दल की तरफ से मुख्य मंत्री अथवा अन्य लोग दे सकेंगे। इस समय आप बजट के आम चर्चा पर ही बोलें।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर ही चर्चा कर रहा था। मैं यह निवेदन कर रहा था कि कुछ उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय पर चर्चा हुई थी जिस पर माननीय चरण सिंह जी ने कहा था कि यह अनावश्यक है और खर्चीला है। मेरी समझ में यह नहीं आया कि मेरठ और कानपुर विश्वविद्यालय जब बने उनके संबंध में यह बात क्यों नहीं लागू की गई कि इन दोनों विश्वविद्यालयों में जो खर्चा है वह अनावश्यक है। यह बात ठीक है कि यह योजना ८ जिलों की योजना है और इस विश्वविद्यालय के स्थान चयन का प्रश्न हमारे सामने है। पर्वतीय विकास परिषद् के सामने यह प्रश्न आना चाहिये था और स्थान चयन का निर्णय वहीं होना चाहिये। यह निश्चित है कि आठ जिलों में कोई केंद्रीय स्थान ही उपयुक्त हो सकता है। नैनीताल के विषय में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वहां पहले ही एक विश्वविद्यालय है और अन्य संस्थायें भी हैं और यदि उसी स्थान को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो फिर पर्वतीय क्षेत्र के अन्य जिले पिछड़ जायेंगे। इस चीज को ध्यान में रखकर इसके स्थान का चयन होना चाहिये।

---

†२८ जुलाई, १९६९ की कार्यवाही से।

मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उनका ध्यान अब पर्वतीय क्षेत्रों की ओर गया है। टेहरी और उत्तरकाशी में उन्होंने दो डिग्री कालेज खोलने की अनुमति प्रदान की है जिसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। मेरा निवेदन है कि पौड़ी, लैंसडौन और अल्मोड़ा जिले के पिछड़े इलाकों में भी डिग्री कालेज खोलने की योजना होनी चाहिये। और अगले सत्र से अगर यह कर दिया जाय तो मैं उनका आभारी होऊंगा।

दूसरा प्रश्न गढ़वाल कमिश्नरी का है। उसका निर्माण प्रशासनिक दृष्टि से हुआ है और यह वास्तविक हल था। स्वयं चौधरी साहब ने अपने भाषण में कहा था कि गढ़वालियों को नैनीताल आने में बिजनौर, बरेली, मुरादाबाद जिलों को पार करके आना पड़ता है। मैं समझता हूं राज्यपाल शासन काल में इन्हीं बातों को दृष्टि में रख कर निर्णय हुआ है जो सही है और अगर जिलों की दृष्टि से यह कम समझा जा रहा है तो पर्वतीय विकास परिषद् में देहरादून को भी सम्मिलित कर दिया जाय ताकि सारे पर्वतीय क्षेत्र में समानता और भावात्मक एकता बनी रहे।

एक प्रश्न यहां यह उपस्थित किया गया कि पर्वतीय इलाके में अलगाव की भावना है। इसके मूल कारण की ओर अगर देखा जाय तो यह उस समय से बढ़ी जब सरकार ने उत्तराखण्ड डिवीजन बनाया। क्योंकि यह सारे का सारा सीमान्त क्षेत्र है और लोगों को अधिक सुविधायें दी जाने लगीं तो नीचे के लोगों में असंतोष का बढ़ना स्वाभाविक था और उन्होंने सोचा कि हम जितना अलग रहेंगे उतना ही हमारी सुविधाओं का ध्यान रखा जायगा। आज भी कुछ राजनीतिक विचार धाराएं हमारे प्रदेश को छिन्न-भिन्न करने की कोशिश कर रही हैं जैसे कि अभी उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय और गढ़वाल कमिश्नरी का प्रश्न उठाया गया। इस प्रश्न को लेकर कुछ राजनीतिक लोग इस प्रकार की बातें फैलाना चाहते हैं जिससे कुमायूं और गढ़वाल के लोगों में वैमनस्य बढ़े। अगर यही स्थिति रही तो हमारे भीतर भी असंतोष बढ़ेगा और यह भावना दृढ़ होगी। आज वहां सुरक्षा की दृष्टि से, भावात्मक एकता की दृष्टि से, असन्तुलन की दृष्टि से और संगठन की दृष्टि से मैं चाहूंगा कि सारा पर्वतीय क्षेत्र सीमान्त घोषित कर दिया जाय। मैं यहां पर आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा लेकिन एक माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न आया था कि पहाड़ों पर बहुत विकास हो रहा है, लेकिन वहां से हमको क्या मिलता है? पहाड़ों में जो कुछ है वह सब इस देश के लिये है। वहां की प्राकृतिक संपदा वन है जिससे लगभग दस करोड़ रुपये की वार्षिक आय हम प्रदेश को देते हैं। वहां बदरी और केदार दो धार्मिक स्थान हैं। वहां की आय प्रदेश को मिलती है। उद्योग-धन्धे तो आपने वहां बढ़ाये नहीं। इसलिये उससे हम क्या दे सकते हैं। लेकिन हम सबसे ज्यादा अपना खून देते हैं। ८० प्रतिशत जनता गढ़वाल की आज भी सीमाओं पर तैनात है। तमाम अल्मोड़ा, गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में २२.७१ जनसंख्या देश की सुरक्षा में लगी हुई है। अकेले गढ़वाल का १७.८३ है। वे सेनाओं में तथा पी० ए० सी० में हैं। यह हमारी संपदा है। हमारे सिपाही चाहते हैं कि हमारे बच्चे तड़प-तड़प कर न मरें और हमारे परिवार के लोगों को दवाओं, आदि की सुविधायें मिलें। यह समस्या है। आज हमें ८ रुपये मन वाला नमक २६ रुपये में पड़ता है। पहले रेल से, फिर मोटर से, फिर खच्चर से और अगर खच्चर न मिलते तो खुद पहाड़ की चोटी पर ढोकर ले जाना पड़ता है। गढ़वाल तथा कुमायूं के व्यक्ति कभी भी देशद्रोही नहीं रहे हैं, इतिहास इसका साक्षी है। लेकिन समय की गति को देखकर हम देखना चाहते हैं कि हम भी दुनियां की दौड़ में आगे बढ़ें, हमारा भी विकास हो। इसलिए सारे पर्वतीय प्रदेश को सीमान्त प्रदेश घोषित कर दिया जाय।

पर्वतीय विकास बोर्ड के बारे में मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि पहाड़ी लोगों के असंतोष को रोकने में यह अशक्त है। यदि शक्तिशाली होता तो वित्त मंत्री जी इसका अलग से बजट बनाते। यह तो हम लोगों को बहलाने के लिये बच्चों की तरह से एक झंझना पकड़ा दिया गया है।

वित्त मंत्री जी ने गांधी शताब्दी का नाम लेकर गांधी जी की स्मृति को सब लोगों के दिल में भर दिया। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिये यही होगी कि हम सारे प्रदेश में मद्य निषेध

[श्री शिवानन्द नौटियाल]

लागू करें। केदारनाथ और बद्रीनाथ की धार्मिक भावना को ध्यान में रखकर इसको करें। जैसे कोटद्वार, सतपुरी और लैंसडाउन में आदेश जारी किये गये हैं उसी तरह से पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, आदि सारे प्रदेश में इसको जारी करें। बजट एक साल के लिये ही नहीं होता है बल्कि इससे आने वाले वर्षों के लिये एक नई दिशा मिलती है और गांधी जी के चेले ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाली संतति हम को चारवाक का चेला कहेगी।

पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति को सुधारने के लिये ४, ५ चीजें मुख्य हैं। एक यह कि लैंड यूटिलाइजेशन सर्वे होनी चाहिये। दूसरे यह कि जहां डिग्गियां हैं वहां पानी नहीं मिलता है। २०० से भी अधिक अच्छी हालत में नहीं हैं। उसका कारण यह है कि गलत ढंग से वहां का कार्य हुआ है। इसलिये मैं चाहता हूं कि वहां पर भूमि के सर्वेक्षण के आधार पर वहां का विकास किया जाय और वहां पर यातायात की सुविधाओं को अधिक महत्व दिया जाय। वहां पर पर्यटन उद्योग को बढ़ाया जाय और इसके साथ-साथ छोटे-छोटे अन्य उद्योगों को बढ़ाया जाय। यदि इस तरह की भावना रही तो वास्तव में और प्रदेश के साथ पर्वतीय इलाका भी आगे बढ़ सकता है।

*श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने १९६९–७० के बजट को पेश किया है उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बजट बड़ा विस्तार पूर्वक रखा है। फिर भी हमारे साथी कहते हैं कि इसमें समाजवादी लक्ष्य नहीं हैं। तो अब इससे ज्यादा समाजवादी लक्ष्य क्या हो सकता है ऐसी परिस्थिति में ? बजट जो डिटेल रूप में पेश किया गया है उसके संबंध में २–१ मोटी-मोटी बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। पूरा उत्तर प्रदेश सारे सूबों से पिछड़ा हुआ है, इसे भारतवर्ष और केन्द्रीय सरकार ने माना है। हर दृष्टि से यह पिछड़ा है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जिसे मैंने पिछली मार्च में कहा था, पूर्वी उत्तर प्रदेश जिक्र किया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश एक बड़ा पिछड़ा हिस्सा है। मैं उन जिलों का नाम नहीं ले रहा हूं, जो भी पिछड़े हों, गोंडा, बहराइच भी उसमें शामिल हैं। इसके लिये पटेल कमीशन की नियुक्ति हुई थी। जब इस कमीशन ने कार्य शुरू किया उस समय दूसरे मुल्कों का भारत पर हमला हुआ और उससे यह कमीशन समाप्त हो गया और कोई कार्य नहीं हुआ। मैं चाहता हूं जो भी पिछड़ा इलाका हो उस पर बजट में ध्यान दिया जाय। यह पटेल कमीशन अब से लागू हो सके तो लागू किया जाय अच्छा है, नहीं तो जैसे अन्य जगह विकास बोर्ड बना है, वैसे यहां के लिये भी संगठित होना चाहिये। बहुत से ऐसे जिले हैं, जिनका विकास तीन-तीन पंचवर्षीय योजनायें चलने और चतुर्थ योजना प्रारंभ होने पर २० वर्षों से बिलकुल नहीं हुआ है, वहां का विशेष ध्यान रखा जाय।

हमारे विरोध पक्ष के साथी यह कहते हैं कि बजट बिलकुल प्रतिक्रियावादी बजट है, बिलकुल रिएक्शनरी बजट है। मैं समझता हूं जो ऐसा कहते हैं उनसे बड़ा प्रतिक्रियावादी कोई नहीं हो सकता। या तो ये लोग बजट पढ़ते नहीं हैं या पढ़ने पर समझ नहीं पाते हैं। बजट एक ऐसी चीज है, जिसको पढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है। यह इतना विस्तार पूर्वक बजट है कि जिसकी हर एक चीज को हम अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। प्रदेश का जो पिछड़ापन है मैं यह कहूंगा कि सबसे बड़ा आंकड़ा आपके सामने यह है कि पूरे हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश, पिछड़ा है और पूरे प्रदेश में कुछ ऐसे जिले पिछड़े हैं जिनकी आमदनी, उद्योग की आमदनी हो या किसी प्रकार की आमदनी हो, आज हिन्दुस्तान में सबसे कम कही जाती है। अगर उन जिलों का ध्यान नहीं रखा गया और वह क्षेत्र विकसित नहीं हुए चाहे वह निर्माण का मामला हो, चाहे शिक्षा या कृषि का मामला हो, चाहे उद्योगों का मामला हो, हर तरह से वहां पिछड़ापन है। उसको दूर करना चाहिये। अगर वह दूर नहीं होता है तो वह जिले हमेशा के लिये पिछड़े

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ही रह जायेंगे । वहां का नागरिक जो आशा रखता है उसकी आशाओं पर पानी फिर जायेगा। हमारे विरोधी भाई तो हल्ला करते हैं अगर कोई बोलने उठता है जो हुल्लड़ से बैठा देते हैं। तरह-तरह से गन्दा कीचड़ उछालते हैं, जो सदन की मर्यादा के विपरीत है ।

हम माननीय चौधरी साहब की बड़ी इज्जत करते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, देश के मामले में उनकी कुर्बानियां हैं, लेकिन उनके मुंह से शोभा नहीं देता जब वे व्यक्तिगत हमला, छींटाकसी यह जानते हुए करते हैं कि यह चीजें गलत हैं या भ्रामक हैं, वह सदन में मौजूद नहीं हैं और जो सदस्य मौजूद नहीं होता उनके बारे में जिक्र करने का अधिकार नहीं है इसलिये उनके संबंध में विशेष रूप से इतना ही कहता हूं, लेकिन हमारे माननीय जायसवाल जी हैं....

श्री उपाध्यक्ष—

जो सदस्य यहां नहीं हैं उनका नाम न लें, बजट पर चर्चा करें ।

श्री त्रिवेणी—

मैंने उसको खुद ही कह दिया । बजट के सिलसिले में मैं संविद सरकार के कारनामे को बता रहा हूं। जब संविद सरकार थी तो उन्होंने एक बड़ा सूत्रीय कार्य-क्रम रखा था। उसको छपवा कर प्रदेश भर में ढिंढोरा पिटवाया कि हम प्रदेश के किसानों की उन्नति करेंगे । हम उद्योगों को बढ़ायेंगे और शिक्षा संस्थाओं को मजबूत करेंगे । बड़ा भारी फार्मूला इस सदन में १९६७ में पेश हुआ था और जो लोग आज अपोजीशन में बैठे हैं वह २० वर्ष का नारा लगा करके कहते थे, २० वर्षों में कुछ नहीं हुआ, एक वर्ष में जितना भी प्लान था, जितना प्रथम, द्वितीय, तथा त्रितीय पंचवर्षीय योजना में कांग्रेस सरकार ने किया था उस सब पर पानी फेर दिया, जब किसानों में जोश आया कि हम अपने खेती के लिये तरह तरह के साधन जुटायें तो उस समय संविद सरकार ने किसानों पर कुठाराघात किया जिसके फलस्वरूप ३ वर्ष के लिये कृषि के मामले में हमारा प्रदेश पिछड़ गया । किसानों को पटेल कमीशन के अन्तर्गत जो थोड़ी सी सुविधायें मिली थीं, जो ६ महीने या साल भर में किसानों ने तेजी से काम किया था पटेल कमीशन केंद्रीय सरकार की योजना से समाप्त हुआ, लेकिन प्रदेशीय सरकार से जो लोन, फर्टिलाइजर, सब्सीडी, बिजली में छूट, कुओं में छूट थी, संविद सरकार ने सारी सब्सीडी समाप्त कर दी ।

दूसरी बात यह कि बड़े-बड़े लोग आवाज उठाते हैं कि हम इस प्रदेश की भलाई और विकास करेंगे। पता नहीं उनका क्या नारा है, समाजवादी या प्रतिक्रियावादी, समझ में नहीं आता ? समाजवाद का नारा लगाने वाली संविद् सरकार ने साल भर के अन्दर चौथी योजना को इतना बड़ा धक्का दिया जिसकी मुश्किलात का सामना करना इस सरकार को पड़ रहा है। बजट के सिलसिले में अपोजीशन के साथियों ने बहुत सी बातें कहीं हैं। वे यह भी कहते हैं कि २० साल में कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। हमारे माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि २० सालों में कांग्रेस सरकार ने देश का उत्थान बगैर खूनी क्रान्ति किये हुए किया जो सारे संसार के इतिहास में अद्वितीय है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां शान्ति अहिंसा और गांधी जी के तरीके से इतनी तरक्की हुई हो। कुछ भाई हैं जो इस सदन में हैं वे रूस और चीन का गुण गाते हैं। पले हैं हिन्दुस्तान की मिट्टी में, अन्नखाते हैं हिन्दुस्तान का। कल्चर हिन्दुस्तानी है, मां बाप हिन्दुस्तानी, लेकिन स्वप्न देखेंगे रूस और चीन का। आज नक्सलाइट्स जो कुछ बंगाल, बिहार और हमारे प्रदेश के कुछ इलाकों में कर रहे हैं, वह देख लिया जाय। वे चाहते हैं मुल्क में शान्ति और अमन कायम न हो, शान्ति और अहिंसा न चल सके, विकास न हो सके। वह हिन्दुस्तान को चीन और रूस बनाना चाहते हैं और जब सत्य बात कही जाय तो बुरा लगता है । वे मुल्क के वफ़ादार नहीं हैं। बजट में दुहाई देते हैं समाजवाद की, लेकिन नारा चीन और रूस का है।

[श्री त्रिवेणी]

हमारे जो प्रजा समाजवादी भाई हैं, उनका समाजवाद कैसा है। शरीर इन्सान का और मुख बन्दर का, यही उनका समाजवाद है। मार्क्स का, लेनिन का, किसका समाजवाद चाहते हैं? सब का समाजवाद घुसेड़ दिया है। वे इस बजट को रिऐक्शनरी कहते हैं। बजट की प्रतियां बट चुकी हैं। इससे अधिक अच्छा बजट हो ही नहीं सकता। जो आमदनी हमारी है, जो साधन हमारे हैं और जो साधन सरकार जुटा सकती है उनके अनुरूप यह बजट है और उसी से हमारा कल्याण भी होगा। जिनके काले कारनामों को हम देख चुके, प्रदेश ऊब चुका, जनता कराह उठी ८ या ९ करोड़ जनता जिनके कारण परेशान हो चुकी आज वे दुहाई दें, कैसी विचित्र बात है। बजट में जो कमी है उस पर अगर वे हमारा सहयोग करते तो हम समझते। चाहे कम्युनिस्ट, जनसंघी, समाजवादी, कोई हों, सभी इस प्रदेश के पिछड़े जिलों में रहते हैं, वे हमसे सहयोग कर के प्रदेश का विकास करायें। अन्त में, मैं उस बजट का जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं क्योंकि इससे बेहतर बजट कोई हो नहीं सकता।

(श्री मंजूर अहमद को पुकारने पर)

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज सदन में बजट पर आखिरी दिन है और बोलने वाले सदस्यों की संख्या अधिक है। इसलिये बोलने का समय १० मिनट से ७ मिनट कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

१० मिनट का समय पहले निश्चित हो चुका है।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

मैं, हजूरवाला, बोलने के पहले आपसे यह दरख्वास्त करूंगा कि मुझे बोलने के लिये कम से कम आध घंटे का समय दिया जाय। तभी मैं अपने खयालात को सदन के सामने रख सकूंगा। कई दिन उठक बैठक करने के बाद जो आप ने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिये मैं बहुत मशकूर हूं।

इस बजट के बारे में मैं एक ही बात कह सकता हूं कि जो इस बजट को देखने से खुशबू आती है वह यह है कि यह गरीबों का भला करने वाला नहीं है। उधर के सदस्य अगर गरीबों से हमदर्दी रखते होंगे तो वह भी इस बात को महसूस करेंगे कि यह बजट अंग्रेजों के बजट की अंधी तकलीद करता है। यह हमारे प्रदेश की गरीबों को मिटाने वाला बजट नहीं है। इस बजट के अन्दर किसी भी गांव के विकास के लिये कदम नहीं उठाये गये हैं जिससे गांवों का विकास हो सके। इस बजट को हम किसी तरह से हिन्दुस्तान का बजट नहीं कह सकते हैं यह बजट १ अक्टूबर से ३० सितम्बर तक बनना चाहिये। चूंकि बरसात के दिनों में सियासी सरगर्मी कम हो जाती है, एम० एल० ए० को लखनऊ में रहने के लिए सहूलियत रहती है तो उस जमाने में यह बजट बनना चाहिये। आखिर के जमाने में बजट का बड़ा हिस्सा तामीरी काम में खर्च होता है आज कल यह होता है कि जब खर्च होने का एक महीना रह जाता है तो हमारे प्रदेश के अधिकारी बजट का ५० फ़ीसदी हिस्सा खींचतान कर एक महीने के अन्दर ही खर्च करते हैं जो सही तरीके से नहीं हो पाता और सही निर्माण का काम भी नहीं हो पाता। इसलिये अगर उधर के कांग्रेसी सदस्य या सोशलिस्ट या बी० के० डी० के सदस्य इस प्रदेश की गरीबी मिटाना चाहते हैं तो इस बजट को १ अक्तूबर से ३० सितम्बर तक बनाना चाहिये। इस बजट में पूंजीपतियों को ज्यादा रियायतें दी गयी हैं। इस बजट को देखने से मालूम होता है कि यह उत्तर प्रदेश की ८।। करोड़ जनता की हिफ़ाजत करने वाला नहीं है। इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं और सदन से अपील करता हूं कि यह सदन इसको पास न करे।

एक महापुरुष का नाम लेकर २० साल से गुप्ता जी और दूसरे नेता पूरे प्रदेश और देश में इस कुर्सी पर बैठे हुये है। मैं यह निवेदन करता हूं कि

कि किसी भी आपके बड़े पैगम्बर या अपने अवतार को किसी भी सन्तान ने इतनी जल्दी नहीं भुलाया, दो चार सदी तक याद रखा, लेकिन इन कांग्रेस वालों से मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने इस महापुरुष की आत्मा को दुःख पहुंचाया और एक साल भी उनकी बतलाई हुई बातों पर अमल नहीं किया। आज इस देश में महात्मा गांधी का नाम लिया जाता है, उनके आदर्शों की चर्चा की जाती है, क्या महात्मा गांधी ने यही कहा था कि देश में २२ साल की आजादी के बाद भी इसी तरह से गरीबी बनी रहे? आज भी इस उत्तर प्रदेश में और इस देश में जितनी गरीबी है, वैसी शायद दुनियां में किसी भी देश में न होगी। आज जो जितना कमाता है वह उतना ही दुखी है। गुप्ता जी जो समाजवाद की बात कहते हैं उनका समाजवाद देश को कहां ले जायेगा? आप चाहे जितना भी समाजवाद की बात करें, लेकिन आम जनता में इस तरह से समाजवाद नहीं आ सकता।

आप का समाजवाद क्या है, मैं आप के एक ही मुहकमे के सरकारी कर्मचारियों का उदाहरण देना चाहता हूं। एक तरफ़ तो हमारे गांव की झोपड़ी में पैदा होने वाला चौकीदार है जिसको अब तक ५ रुपया महीना मिलता है और गुप्ता जी के उसी खजाने से पैसा पाने वाला उसी महकमे का एक सिपाही होता है जो गरीब के घर में पैदा हुआ है, किसी अमीर के घर में नहीं पैदा हुआ है, गुप्ता जी या कमला पति जी के घर में नहीं पैदा हुआ है, उसको ८५ रुपये महीना मिलता है और ४ साढ़े ४ रुपये महीना मकान का किराया मिलता है जिसमे एक कदमचा भी आजकल को मंहगाई के जमाने में नहीं मिल सकता। उसी महकमें का एक दारोगा है जिसके घोड़े को करीब ५५ रुपये महीना मिलता है और उसी खजाने से उसी महकमे के कुत्ते को जिस पर और कोई खर्च नहीं होता, लगभग ९५ रुपये महीना मिलता है। उसी महकमे का एक बड़ा आफ़िसर आई० जी० होता है जिसको गुप्ता जी के उसी खजाने से तकरीबन ४ साढ़े ४ हजार रुपये महीना पड़ जाता है और इसके अलावा दायें बांये से, इधर उधर से जो इकट्ठा होता है, मेरा अनुमान है कि वह भी लगभग ४–५ हजार रुपये महीना हो जाता है। तो यह है गुप्ता जी आप के २२ साल के बाद का समाजवाद। मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह से यह कहा जाता है कि देश से गरीबी खतम हो रही है। मान्यवर, आप भी इस बात को भली भांति जानते हैं और कुछ कांग्रेस वाले भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मजबूर हैं, अपनी बात को कह नहीं पाते, अपने ख़यालात को अपने मन में ही रखे रहते हैं। इस गुप्ता राज्य में इन कांग्रेस वालों के मन में भी दुःख है, वे सुखी नहीं हैं, लेकिन वे मन के दुख को किसी से कह नहीं पाते। इसलिये जब तक इस कांग्रेस के रावण राज्य को समाप्त नहीं किया जाता तब तक देश की गरीबी दूर नहीं हो सकती और न ही देश मजबूत हो सकता है। परन्तु अभी तक जनता को इसका मौका ही नहीं मिल पाया। मैं सिर्फ़ इतनी बात कहना चाहता हूं कि सन् १९४२ में हिन्दुस्तान की जंगे आजादी में हमारी बहनों और पुरखाओं नें सन् १९४७ तक इसलिए हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी कि वे आजादी के बाद भी चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, हिन्दू-मुसलमान के नाम से दंगे कराये जायेंगे, शिया-सुन्नी के नाम से दंगे कराये जायेंगे और इस तरह से सरकारें अपनी कुर्सी को मजबूत बनायेंगी? इस सम्बन्ध में मैं प्रदेश की जनता, गैलरी में बैठने वालों और इधर उधर बैठने वालों तक यह बात पहुंचा देना चाहता हूं कि इस तरह से कहां तक देश मजबूत होगा। देश बराबर टुटता जा रहा है, ऐसी हालत दुनियां के किसी भी देश की नहीं है। मेरे अपने घर हिन्दुस्तान में जो हालत है वैसी हालत किसी और देश में नहीं है।

आज चर्चा हो रही है कि नक्सलबारी आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस देश के ९० फ़ीसदी लोग दुखी हों, क्या उस देश में तिकड़म, चालाकी, ताकत और रुपया से प्रदेश की जनता को सदा के लिए बेवकूफ़ बनाया जाता रहेगा, २४ तारीखको माननीय गुप्ता जी इस हाउस में कह रहे थे कि मैं इस राज्य का मालिक हूं, मानों कि वे यहां के एक मात्र राजा हों, मैं जो आदेश दूंगा वह होगा। जो चाहूंगा वह होगा। माननीय गुप्ता जी के कानों तक मैं यह पहुंचाना चाहता हूं कि जोर जबरदस्ती और रुपया पैसा के बावजूद भी ३५ फ़ीसदी जनता से ही तो वे चुने गये हैं। ६५ फ़ीसदी ने उनको नहीं चना है। फ़िर भी वे कहते हैं कि वे मालिक हैं।

[श्री मन्जूर अहमद]

कै दिन के लिये वे मालिक हैं। आप कहते हैं ९ महीने की सरकार ने क्या किया। उस ९-१० महीने की सरकार में भी वही लोग थे जो आपके साथ रह चुके थे। आपके साथी ही प्रदेश के मुख्य मन्त्री बने हुए थे। कोई समाजवादी या साम्यवादी नहीं था। अगर वह होता तो प्रदेश को नया चमत्कार अवश्य दिखाया होता। अगर आप वाकई देश भक्त हैं और देश को मजबूत बनाना चाहते हैं तो गरीबों के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है उसको बन्द कर दीजिये। यह डकैती और कत्ल जो बढ़ते जा रहे हैं, उनको रोकिये। माननीय शांति प्रपन्न शर्मा जी कह रहे थे कि संविद के जमाने में भी तो डकैती पड़ती थी। पूरे देश व प्रदेश में जो शासन है वह भी तो आपका ही है। डकैती और कत्ल और राहजनी और बलबे बढ़ रहे हैं, इसकी सारी जिम्मेदारी आप तथा आप की कांग्रेस की ही है। २२ बरसों से कांग्रेस शासन था। और गवर्नर शासन भी आपका ही था। सारे देश की मिलिटरी पुलिस आप के हाथ में ही तो है। आप आज ५० फीसदी देश में लोग ऐसे हैं जिनको राय डालने का हक आजादी के साथ नही मिलता है। जाब तक आर्थिक और सामाजिक आजादी न मिलेगी, तब तक मुकम्मिल आजादी नहीं कही जा सकती। आप के यहां तो दामों की लूट मची हुई है। आज तक ऐसी नीति नहीं बन पायी जिससे दामों की लूट रोकी जा सके। संविद के जमाने में खेती से पैदा होने वाली चीजों की कीमतें बढ़ी थीं, कारखाने से पैदा होने वाली चीजों की कीमतें कम हुई थीं। आपने अपने २२ बरस के साशन में पूरे प्रदेश की आबरू को लूटा है। आपने चीनियों के हवाले लाखों बर्ग अपनी जमीन को छोड़ दिया। पाकिस्तान को अपने देश की जमीन को दे दिया। (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, मुझे १० मिनट तो बोलने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप विषय के बाहर जा रहे हैं, आपको समय देने में कठिनाई मालूम होती है।

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, मैं विषय से हटा नहीं हूं, समय दीजिये। अब मैं बजट पर बोलना चाहता हूं। गुप्ता जी के राज में आजमगढ़ जिले में कितनी ही माओं की गोदी खालीहो गयीं, कितने ही बहनों के सुहाग लुट गये, सारे देश में उसका शोर हो रहा है,। यहां लखनऊ में ही शिया और सुन्नियों के नाम पर झगड़ा हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जानबूझ कर कांग्रेस वालों ने यह झगड़ा चलवाया। मैं चाहता हूं कि इसलिये इस बजट को पास नहीं होना चाहिये, इसकी धज्जियां उड़नी चाहिये। इस बजट में गरीब के लिये कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिस से गरीबी मिटेगी। इसमें कहीं समान वेतन, समान भत्ते के लिये कहीं जिक्र नहीं है। यह समाजवाद नहीं है। यह तो आप पूंजीवाद की बात कर रहे हैं। पूंजीवाद इन्होंने २२ वर्ष में इतना पनपाया है कि आने वाली तवारीख, आने वाली जनता और आने वाली नस्लें आप तथा आंग्रेस को माफ़ नहीं करेंगी।

(लाल बत्ती होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आज आखिरी दिन की बहस है। कई सदस्य अपना नाम दे चुके हैं।

श्री मन्जूर अहमद—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र मेरठ की कुछ घटनायें आपके जरिये कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने अभी तक मेरठ के विषय में तो कुछ नहीं कहा।

श्री मंजूर अहमद---

माननीय, मैं कहना चाहता हूं कि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, महात्मा गांधी और हमारे पुरखाओं ने कहा था कि जब अंग्रेज चले जायेंगे तो हमारे गांव दुलहिन बन जायेंगे। तो मैं आपके जरिये गुप्ता जी तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां हस्तिनापुर भी पड़ता है। मेरे क्षेत्र के पास तमाम जगह हैं जो कौरव पांडव की जगह है। वह सड़क कौरव पांडवों के जमाने की रामकृष्ण के चलने की सड़क आज तक नहीं बन पाई है। श्री कैलाश जी इस क्षेत्र के रहने वाले हैं वे इस सदन के सदस्य तो नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि लगभग १० साल से पहले मवाना में सिर्फ आठ मील का टुकड़ा किला परीक्षितगढ़ तक बना है परन्तु बिठौर तक नहीं बन पाया है। इस तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। आज गांवों के लोगों की जिन्दगी इतनी दूभर हो गई है कि हमारी बहनें बीमार हो जाती हैं तो बच्चा जनने वाली डाक्टरनियों का भी इन्तजाम नहीं हो पाता। उनको सही इलाज नहीं मिलता है। सही इलाज न मिलने के कारण वे तड़प तड़प कर मर जाती हैं। आज हमारे पूरे क्षेत्र में दवाई का साधन नहीं है। ग्राम के रहने वालों की ऐसी जिन्दगी बन गई है कि उनको कोई न्याय मिलने की आशा नहीं है। उनको हर मामले में कठिनाई होती है। इलेक्शन के समय की बात मैं आप से कहना चाहता हूं कि किसी भी पार्टी का हो उसके साथ न्याय हो आज हमारा पूरा फर्ज है कि भूमिहीन चाहे किसी भी जाति का हो, कमजोर हो आदमी जो बेसहारा हो उसके साथ न्याय किया जाय। हमने अपने क्षेत्र की कई अर्जियां दी हैं गुप्ता जी को और अधिकारियों को कि वहां अन्याय हो रहा है न्याय किया जाय। माननीय, मैं आप के द्वारा मा० गुप्ता जी के कानों तक ये शेर पहुंचाना चाहता हूं :

"लेता हो जहां सिसकी, मुफलिस का तने-लागिर,
मैं ऐसी हुकूमत का पिनदार बदल दूंगा।
फलने न कभी दूंगा मैं जुल्म की टहनी को,
जालिम, तेरी किश्ती का पतवार बदल दूंगा।"

श्री उपाध्यक्ष---

आप का समय समाप्त हो गया।

*श्री रामप्यारे---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। आज इस बजट पर सामान्य विवाद का अंतिम दिन है। मैं इस विषय पर ४–५ दिन से अपने मित्र सदस्यों की बातें सुन रहा हूं। मुझे ऐसा लगा कि जो बजट स्पीच माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत की है उसको ७५ प्रतिशत लोगों ने देखा ही नहीं और शायद ध्यान से सुना भी नहीं जब कि माननीय वित्त मंत्री जी बोल रहे थे।

यह बजट चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष का है और इसमें कोई शंका और संदेह नहीं है कि इस १७ वर्ष के समय में अर्थात् ३ पंच वर्षीय योजना और एक एक साल की और योजनाओं के उपरान्त भी प्रदेश के प्रति व्यक्ति की जो आय है वह कम ही हुयी है। जबकि १९५०–५१ में राष्ट्रीय आय से १५.१६ अधिक थी वह अब कम हो कर २४४ रुपया हो गयी है। जब इतनी कम हो गयी है तो ऐसी कौन सी परिस्थिति है, इसमें हमें समझने की आवश्यकता है। अगर हम प्रदेश के पिछड़ेपन को देखें (१५ पूर्व के जिले, बुन्देलखण्ड के ४ जिले और पहाड़ी जिलों) तो विदित होगा कि उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी। आप देखें कि जहां एक ओर आबादी का घनत्व है वहां बुन्देलखंड में केवल १७ लाख की आबादी है। आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान के ५८ जिलों में २२ जिले हमारे यहां ऐसे हैं जहां की औसत आमदनी केवल १४५ रुपये है। तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामप्यारे]

इन बातों को देखकर हमें यह भी देखना होगा कि हमने जो प्रति व्यक्ति इन योजनाओं में खर्च किया है वह क्या है। यह भी देखना होगा कि हिन्दुस्तान की प्रत्येक स्टेट में क्या इन्वैस्टमेंट है। जहां तक मैं समझता हूं वह हमारे यहां सब से कम है।

दूसरी ओर जो हमें केन्द्रीय सरकार की ओर से औद्योगिक परियोजनाओं में सहायता मिली है वह बहुत कम है। सारे भारत में उद्योग के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में १८३८ करोड़ व्यय हुआ है लेकिन दुर्भाग्य से हमको केवल ३.८ प्रतिशत ही मिला है जबकि आबादी के हिसाब से हमें १७ प्रतिशत मिलना चाहिए था। अगर आप पिछले १५ या २० वर्षों की हालत देखें तो आप पायेंगे कि कभी यहां पर सूखा पड़ा है और कभी अतिवृष्टि हुयी है। दूसरे हमारे प्रदेश के बार्डर्स के पास लड़ाई भी हुयी है। उसका भी हमारे प्रदेश की आय पर असर पड़ा है। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसकी जितनी भी तारीफ की जाय उतनी ही कम है। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो हमने अपने उद्देश्य रखें हैं उनसे हम चाहते हैं कि इन ४–५ वर्षों में हम प्रदेश की प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ा सकें और खाद्यान्न में आत्म निर्भरता प्राप्त कर सकें। अगर आप बजट को गौर से देखें तो आप पायेंगे कि इन सब बातों का समावेश इस बजट में है।

प्रदेश में जो बजट रखा गया है उसमें आप देखें कि कृषि की उन्नति के लिये इस सरकार ने पानी की व्यवस्था की है। १९ प्रतिशत बजट केवल कृषि के लिए है। सिंचाई और बिजली के लिये काफी पैसा रखा गया जिससे कृषि की ही उन्नति होगी। एक सदस्य कहते हैं कि वित्त मंत्री जी ने जो बजट रखा है वह किसानों के लिये नहीं है। आप देखें कि हमारी सरकार ने एक पुस्तिका छापी है कि पिछले चार पांच महीनों में उसने क्या किया। संविद की सरकार ने किस नों, गरीबों के लिये जो सुविधायें मिला करती थीं उनको समाप्त कर दिया। ट्यूबवेल लगाने, पंपिंग सेट लगाने और बिजली लेने की जो सुविधा थी उसे संविद की सरकार ने समाप्त कर दिया था। अब इस सरकार ने वे सुविधायें रिवाइज कर दी हैं और जहां तक बिजली का सम्बन्ध है दस हार्स पावर के लिये ४ फर्लांग और साढ़े सात व ५ हार्स पावर के लिये तीन फर्लांग और ढाई हार्स पावर के लिये एक फर्लांग की छूट दी जा रही है। लघु सिंचाई में १० एकड़ तक के किसानों के लिये कर्जा देने की बैंक में व्यवस्था की गई है। और इस प्रकार हमारी योजनायें इस प्रदेश को समाजवादी व्यवस्था की ओर ले जाने वाली हैं। संविद वाले ये कहते थे कि समान काम के लिये समान पैसा मिलना चाहिए। उन्होंने ऐसी कोई भी योजना नहीं रखी और वह केवल बात करते थे। हमारी सरकार ने एक चौकीदार की तनख्वाह दुगनी कर दी। हालांकि वह अब भी कम है। लेकिन हम उसे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा रहे हैं।

मैं माननीय चरण सिंह जी से बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि वे हमारे नेता रहे हैं लेकिन उन्होंने गुप्ता जी पर जिस प्रकार के आरोप लगाये हैं वे ऐसे हैं जो कि एक नेता के लिये उचित नहीं थे। मैं उनके समय के उदाहरण देना चाहता हूं क्योंकि वे बड़े स्वच्छ प्रशासन की बात करते हैं। रेनूकोट में संविद की सरकार ने राजनारायण जी जो यहां से गये थे, उनके दामाद को दो एकड़ जमीन ऐसी जगह एलाट कर दी गई जो लाखों की संपत्ति थी और जिसके लिए वह सेक्रेटेरियट विरोध करता रहा।

श्री उपाध्यक्ष—

आप उनकी गैरहाजरी में आरोप नहीं लगा सकते। जो आरोप लगे हुये हैं उन्हीं तक सी मित रहें।

श्री रामप्यारे—

मैं तो अपनी बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

जब आप आरोप की बात करते हैं तब मामला दूसरा हो जाता है।

श्री रामप्यारे—

आप देखें कि कुछ लोगों को रिट्रेंच किया गया संविद की सरकार में। कितने लोग पुनः सर्विस में लिये गये। कौन सा रास्ता उन्होंने अख्तियार किया ट्रान्सफर के बारे में भी बहुत सी बातें की गईं। मैं उस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जो बजट हमारे सामने रखा गया है वह प्रदेश की परिस्थिति के अनुसार है। चरणसिंह जी बैकवर्ड के नाम से चिढ़ते हैं लेकिन यह सत्य है कि एक तबका पिछड़ा हुआ है, उसकी चर्चा क्या हम नहीं करेंगे? माननीय वित्त मंत्री ने इसीलिये देश के आदिवासियों के लिये पहली बार बजट में व्यवस्था की है। हमारी सरकार ने जनहित के बहुत से काम मेरी जनपद मिर्जापुर में किये हैं। ८–१० फैक्टरीज कुछ पब्लिक सेक्टर में और कुछ प्राइवेट सेक्टर में वहां लगाई गई हैं। वह जिला बैकवर्ड है और यह खुशी की बात है कि वहां विकास का काम हो रहा है लेकिन वहां किसानों के लिये भी कोई योजना बने। मैं यह तो नहीं कहता कि पहाड़ों की तरह वहां छोटे छोटे जिले कर दिये जांय लेकिन मैं चाहूंगा कि वहां चोपन नामक स्थान में एक ऐसा डिवीजन हो जहां गरीबों की भलाई का काम हो। आपने पांच जातियों को आदिवासी घोषित किया है और केन्द्रीय सरकार को लिखा भी है लेकिन अभी उसने मान्यता नहीं दी है। मेरा निवेदन है कि आप पुनः केन्द्र पर दबाव डाल कर मान्यता प्राप्त करें और इस प्रदेश की पिछड़ी हुई जनता के कल्याण का काम करें। इसके अलावा यह खुशी की बात है कि अभी तक जिनको नदी और नाले का पानी पीना पड़ता था, उनके लिये पीने के पानी की व्वयस्था हो रही है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं क्योंकि जो ५–६ महीने का मौका मिला उसमें यह बजट बिल्कुल इस प्रदेश की जनता के लिये है और प्रदेश को उत्तरोत्तर विकास की दिशा में ले जाने वाला है।

*श्री इम्तियाज हुसैन (जिला लखनऊ)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया। लेकिन इसके साथ-साथ मुझे इस बात का बड़ा अफ़सोस है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस वक्त तशरीफ़ नहीं रखते हैं। मैं आपके जरिये मुख्य मंत्रीजी की तवज्जह लखनऊ के शिया सुन्नी फ़साद की तरफ़ ले जाना चाहता हूं। यह फ़साद २६ मई, १९६९ को लखनऊ में हुआ। इसमें जले हुये मकानों की तादाद लगभग २०० हैं, जख्मियों की तादाद लगभग ५०० है, मरने वालों की तादाद ५ है और गिरफ़्तार होने वालों की तादाद ६–७ सौ है। यह फ़साद, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूं कि यह कोई मामूली फ़साद नहीं है। लेकिन साथ ही साथ इसका एक पहलू बहुत अफ़सोसनाक है और वह यह कि इस फ़साद के होने के कम से कम २ महीने पहले इस बात की इत्तला हमारे दल के एक मेम्बर, मिस्टर डी० पी० बोरा ने मुख्य मंत्रीजी को कर दी थी और उनके अलावा इस फ़साद की इत्तला कि ऐसी फ़िजां लखनऊ में हमवार की जा रही है कि जिससे इस बात का इमकान है कि कोई बहुत बड़ा फ़साद शिया और सुन्नी के दरमियान हो जाय, डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज को भी कर दी थी। अगर मुख्य मंत्रीजी को इस बात की इत्तला दो महीने पहले हो गयी थी तो क्या उन्होंने कोई ऐसी सूरत अख्तियार की जिससे यह फ़साद न हो पाता और इतने आदमी जख्मी न होते, इतने मकान न जलते, इतनी औरतें बेवा न होतीं, इतने

**वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री इम्तियाज हुसन]

बच्चे यतीम न होते। मगर मुझे बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि बावजूद इत्तला के उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि जिससे यह फ़साद न होने पाता। मैं इसी लखनऊ की सेंट्रल कांस्टीटुऐन्सी से चुनकर इस ऐवान का मेम्बर हूं और मेरे यहां भी इसकी लपटें बहुत ज्यादा आई हैं। मैं इस ऐवान के सामने अर्ज करना चाहता हूं कि यह फ़साद अभी तक खत्म नहीं हुआ है और करीब करीब हर रोज एक न एक वारदात होती रहती है। लेकिन जो इसके इंतजाम करने के लिये अथारिटीज के लोग हैं उनके कान पर जूं नहीं रेंगती है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जिस वक्त लखनऊ में शिया सुन्नियों में कशीदगी हो रही थी तो यह बात दो महीने पहले की है। मुहर्रम २ महीने ८ दिन का होता है और मुहर्रम के आखिरी दिन फ़साद हुआ था और सारी इत्तलायें मुख्य मंत्री जी और अथारिटीज को कर दी गई थीं। लेकिन बड़े अफ़सोस की बात है और इसका एक पहलू बड़ा खतरनाक है जिसकों मैं इस ऐवान में रखना चाहता हूं।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बजट से बाहर जा रहे हैं। चुनाव के संबंध में ये सारी बातें कहना चाहते हैं। इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि माननीय सदस्य बजट से बाहर न बोलें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री इम्तियाज हुसैन—

यह इस ऐवान के सामनें मसला नहीं आया है और यह बड़ा अहम मसला है। जहां फ़साद हुआ है। मै उस जगह का नुमाइंदा हूं इसलिये मेरा यह फ़र्ज है कि ऐवान तक और आप तक इसकी असलियत पहुंचाऊं। कब्ल इसके कि मैं बजट पर तकरीर करूं, मुझे इस पर बोलने की इजाजत दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जारी रखिये।

श्री इम्तियाज हुसैन—

मैं गुजारिश कर रहा था इस ऐवान के रूबरू कि यह बड़ा अफ़सोसनाक पहलू है कि एक ऐसी जगह जिसको इखलाक और तहजीब का मरकज कहा जाता था वहां आज तक कोई ऐसा फ़साद नहीं हुआ जिसमें इतने मकान जले हों, इतने आदमी मरे हों, इतने पकड़े गये हों और इतने जख्मी हुये हों। यह पहली बार फ़साद हुआ है। हम इस बात का फ़ख्र करते थे कि हम ऐसी जगह आबाद हैं जहां शिया, सुन्नी हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई मेल मिलाप से रहते हैं लेकिन उनकी जिन्दगी दरहम वरहम कर दी गई। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं इस शहर का रहने वाला हूं, मैं इस सिन तक पहुंचा हूं, मै तमाम लोगों को पहचानता हूं, उनका इरादा जानता हूं, उनका मिजाज पहचानता हूं उनकी हरकतों को जानता हूं, जिन लोगों ने इस फ़साद को कराया है और आज तक उसे चलाया है। शिया सुन्नियों के बीच जो लोग फ़साद कराने वाले हैं वे कांग्रेसी हैं मैं उन लोगों के नाम इस बुनियाद पर नहीं लेना चाहता क्योंकि यह जगह नाम लेने की नहीं है। लेकिन मैं पूरी जानकारी के साथ कहता हूं कि यह कांग्रेसी हैं, जिनको लखनऊ में गुप्ता ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इन लोगों ने लखनऊ की इखलाख और तहजीब को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लखनऊ, जो आपके सूबे की राजधानी है, वहां पर पुलिस ज्यादा से ज्यादा मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट अथारिटी सब मौजूद हैं और झगड़े के दो महीने पहले २३ मार्च को मिस्टर बोरा जी ने इस बात की इत्तिला सी०बी० गुप्ता को दी थी, लेकिन दो महीने तक उसका कोई इंतजाम न होना और उसके बावजूद इतना बड़ा फ़साद होना कोई माने नहीं रखता। (व्यवधान) जहां तक फ़साद कराने वालों का तालुक है, जब यह बात तय हो जाती है और मैं इस बात का पूरा यकीन करता हूं कि वे गुप्ता ग्रुप के लोग हैं और अब भी इस पर तवज्जेह नहीं दे

रहे हैं। सिर्फ़ ४ फ़र्लांग की लम्बी सड़क है जिसके वास्ते मुख्य मंत्री के पास पुलिस नहीं थी, यह उसका इंतजाम नहीं कर सकते थे। यदि इस सड़क पर पुलिस का इंतजाम होता और वह चौकन्नी होती तो यह फ़साद नहीं हो सकता था और लखनऊ के दामन पर यह धब्बा नहीं लग सकता था। मैं समझता हूं कि वह इस फ़साद को कराना चाहते थे और उसके बाद इसे कायम रखना चाहते थे और उनकी कोशिश से वह कायम हैं। लखनऊ के वाशिन्दों के इखलाख और तहजीब पर जो बदनुमा धब्बा इससे लगा है, उससे उनकी गर्दन शर्म से झुक जाती है।

मैंने तो अभी तक आपके सामने मरे कटे आदमियों और जले हुये मकानों की दास्तान सुनाई। लेकिन इसके आगे भी इस मामले में इमाम बाड़े और कुरानशरीफ़ भी जलाने की नौबत आई। मैं वही बातें कह रहा हूं जिनको मैंने खुद देखा है। इस तरह से जजबात को उभाड़ कर अपना काम कराना एक माने रखता है। इसलिये कि आप लखनऊ की चारों सीटें बी० के० डी० से हार गये, इसके पहले कांग्रेस चारों सीटें जनसंघ से हारी थी। क्या आप इस बात की वोटरों को सजा देना चाहते थे कि उन्होंने आपको वोट नहीं दिया। आपने तहजीब के मुकाम को दागदार बना दिया। क्या आपको जलते हुये मकान की रोशनी अच्छी लगती है? क्या आपको बेवाओं की कराहें अच्छी लगती हैं, क्या आपको जखमी की दर्दभरी पुकार अच्छी लगती है? जिस प्वायन्ट पर यह झगड़ा हुआ, जिस वक्त हुआ, उस समय सिर्फ़ २–३ कांस्टेबिल और एक हवलदार मौजूद था। यह कितने शर्म की बात है। अध्यक्ष महोदय, लखनऊ में शिया सुन्नी, हिन्दु मुस्लिम, ईसाई सिख सभी की आबादी है और यह लम्बे अर्से से मेलजोल से रहते चले आ रहे हैं। अखबारात ने इस फ़साद के सिलसिले में जो रोल अदा किया हैं और कर रहें हैं वह आज भी जारी है, वे ऐसी खबरें निकाल रहें हैं, उनमें जो जहर उगला जा रहा है, उससे पता चलता है कि फ़िर कोई दुबारा फ़साद कराने की स्कीम बनाई जा रही है। बहुत मुमिकन है कि यह फ़सादात सुन्नी शिया से बदल कर हिन्दू मुसलमान के फ़सादात पर आ जांय। अखबार एक ऐसी चीज है जो निकलता है, पब्लिक में बिकता है, गवर्नमेंट के दफतरों में जाता है। जिम्मेदरान अफ़सरान उनको देखते हैं, उसके बावजूद अखबार न बन्द किये जाते हैं, न उनके खिलाफ़ कोई कार्यवाही होती है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे यह गुजारिश करूंगा कि अगर फ़िरकेवाराना फ़सादात कराये गये तो उसके कराने वाले अपने कंधों पर जमहूरियत की लाश को लिये फ़िर रहें हैं। फ़िरकेवाराना फ़सादात को कराना क्या डिमोक्रेसी की बात है या डिक्टेटर-शिप की बात है? यह जमहूरियत और फ़िरकेवारियत।

आखिर में चूंकि और ज्यादा वक्त नहीं मिल रहा है, एक बात पेश करना चाहता हूं। मऊ-नाथभंजन के फ़सादात के फ़ौरन बाद लखनऊ का फ़साद हुआ। ३ महीने के अन्दर इतने फ़सादात हो सकते हैं। बजट के सिलसिले में सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूं कि यह जो बजट आपने पेश किया है, इसमें मैंने पूरी तरह से देखा, इसमें कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसमें फ़सादात का कोई प्रोग्राम दिया गया हो। इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि १९६९–७० के बजट में जितने फ़सादात कराने हों, वह इसका एक बजट पेश कर दें ताकि हम समझ लें कि वह कितने फ़सादात करायेंगे अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो मतलब यह है कि जमहूरियत का खून करके मुल्क की पब्लिक को लड़ाकर कटवा देना चाहते हैं, सिर्फ़ वोट हासिल करने के लिये। लिहाजा मैं आपके जरिये यह गुजारिश करूंगा कि १९६९–७० के साल में ऐसा बजट पेश कर दें जिससे हम लोगों को यह मालूम हो जाय कि साल में कितने फ़सादात होने वाले हैं।

*नियोजन मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, कुछ ऐसा संयोग हुआ कि जिस दिन माननीय वित्त मंत्री जी ने यह बजट प्रस्तुत किया उस दिन इतिहास की एक महानतम घटना घटित हुई। हम ने और आपने इस घटना का स्वागत किया और इन्सानियत को बधाई दी। प्रथम मानव उसी दिन चांद पर पहुंचा। इस ऐतिहासिक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

घटना की पृष्ठ-भूमि में अगर हम उस बजट का मूल्यांकन करें तो राष्ट्रीय और प्रदेशीय दृष्टिकोण से हमें बहुत कुछ समान तत्वों के आधार पर कार्य करना है। हम देखते हैं कि मानव को चांद तक पहुंचाने की प्रक्रिया में सारा अमेरिकन राष्ट्र एक होकर इस कार्यक्रम के पीछे उपलब्ध हुआ। हम देखते हैं कि अमेरिका की जनता ने चाहे डिमोक्रेटिक पार्टी का हो, चाहे रिपब्लिकन पार्टी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो उसने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने राष्ट्र के महान प्रयास का साथ दिया जिसमें चौबीस हजार करोड़ रुपये का व्यय हुआ। केवल इसलिए कि मानव चांद तक पहुंच जाय। अगर हम अपनी पृष्ठ भूमि में विचार करें तो हम देखते हैं कि राष्ट्र और प्रदेश के सामने कितने महान कार्यों को सम्पन्न करना है। क्या इनके सम्पन्न करने के लिये हम पार्टी के दृष्टिकोण से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा आज की पृष्ठ भूमि में सम्भव नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करुंगा कि वे चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के प्रथम बजट को पार्टी दृष्टिकोण से देखने की कृपा न करें। चौथी योजना यह है जिसके बनाने में सभी दलों का, चाहे वह कांग्रेस, बी० के० डी०, जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी या कोई हों, योगदान रहा है। श्रीमन्, अगर आप सन् १९६७ में बजट के अवसर पर जो विवाद हुये उनको देखें तो पता चलेगा कि ९२४ करोड़ की योजना संविद सरकार के समय में तत्कालीन सम्मानित सदस्यों के सम्मुख विचाराधीन थी। उस बजट का प्रारूप भी मुख्यतः वैसा ही था जैसा कि इस चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के बजट में परिलक्षित होता है। यह हो सकता है कि कुछ विभागों की प्राथमिकता बढ़ायी गयी हो लेकिन जिस तरीके की स्थिति में आज हम प्रजातांत्रिक तरीके से प्रदेश का निर्माण करना चाहते हैं तो हमको इस बात पर विचार करना ही होगा कि वहां से पैसे जुटाये जा सकते हैं।

सरकारें बदल सकती हैं लेकिन शासन का ढांचा नहीं बदल सकता, बजट के गठन की प्रणाली नहीं बदल सकती, विभागों को समाप्त नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि किन्हीं टैक्सों का किसी विशेष वर्गों पर भारी प्रभाव पड़ता हो लेकिन कोई दल नहीं कह सकता कि हम टैक्स नहीं लगायेंगे, किसी प्रकार का कर्जा नहीं लेंगे, केन्द्रीय सरकार से ग्रान्ट या लोन नहीं मांगेंगे, बाहर से कर्जा नहीं लेंगे। सभी दल आज कहीं न कहीं शासन में हैं। क्या बंगाल की सरकार केन्द्रीय सरकार से कर्जा नहीं ले रही है? क्या मद्रास की डी० एम० के० सरकार कर्जा नहीं ले रही है दिल्ली की जनसंघ की सरकार को क्या कर्जा नहीं लेना पड़ रहा है? तो इस बजट को इस दृष्टिकोण से देखना है कि कौन से ऐसे तत्व हैं जिन पर चलकर ही हम काम कर सकते हैं। इस बजट में जो कार्यक्रम निश्चित किये गये हैं वह उत्पादक कार्यक्रमों पर अधिक जोर देता है और उन्हीं के लिये अधिक परिव्यय निश्चित किये गये हैं। चौथी योजना का प्रारूप कल इस सदन में प्रस्तुत होने वाला है, आज सायंकाल तक बन जायगा। पहली योजना में सिंचाई और बिजली पर जहां बजट का ४० प्रतिशत, दूसरी योजना में इन मदों पर ४२ प्रतिशत, तीसरी में ४९ प्रतिशत था वहां माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि चौथी योजना में बजट का ६० प्रतिशत केवल सिंचाई और बिजली की योजनाओं के लिये है। यह इसलिये है ताकि ऐसे तत्वों का निर्माण हो जाय, ऐसे तत्वों को शक्ति प्रदान हो जिससे जनता स्वयं पूंजी का निर्माण कर सकें, कृषि और उद्योग के क्षेत्रों में स्वयं पूंजी का निर्माण कर सकें। आज हमारा प्रदेश आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं पिछड़ा है। आज पूंजी का निर्माण कम हो रहा है इसलिये हमारी गरीबी दूर नहीं हो सकती है। माननीय नेता विरोधी दल ने ठीक कहा है पंजाब आज सबसे आगे है और बिहार सबसे ज्यादा पीछे है। इसका कारण यह है कि प्रति व्यक्ति जो पूंजी निर्माण है, वह पंजाब में सबसे ज्यादा हो रहा है। पंजाब में सबसे ज्यादा पैसा जुटाने की प्रति व्यक्ति प्रयास हो रहा है। हमारे पास आंकड़े हैं कि पंजाब में ६९९ रुपया प्रति व्यक्ति आमदनी है उसमें से २९ रुपया प्रति व्यक्ति टैक्स अदा करता है। गुरुनाम सिंह की सरकार और जनसंघ की सरकार में पंजाब में जनता प्रति व्यक्ति ज्यादा टैक्स दे रही है। महाराष्ट्र में नायक साहब की सरकार है। वहां ५२९ रुपया प्रति व्यक्ति आमदनी है और वहां प्रति व्यक्ति २६ रुपया टैक्स अदा करता है। उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। ३३६ रुपया प्रति व्यक्ति आय है जिसमें से केवल १० रुपया प्रति व्यक्ति इस बजट में लेते

हैं। उसका नतीजा क्या है ? चूंकि साधन कम है, पूंजी कम है, बजट में आमदनी कम है इसलिये खर्चा कम है। पूंजी लगाने की शक्ति कम है इसलिये हमारी योजनायें कम हैं। यह एक विषम चक्र है जिसके घेरे में हम पड़े हुये हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ इस सदन के सम्मानित सदस्यों की बुद्धि को जाग्रत करना चाहता हूं। हमें इस विषम चक्र को तोड़ना है। इस विशेस सर्किल को अगर तोड़ना है तो आज किसी एक पार्टी में इतनी क्षमता नहीं है कि वह इसको तोड़ सके। इस विषम चक्र को तोड़ने के लिये सारे सदन के माननीय सदस्यों की बुद्धि को सशक्त करना होगा और उनको जागरूक होना पड़ेगा।

अगर इस बजट को ध्यान से देखा जाय तो हम इस दिशा में कुछ आगे बढ़ते हुये अपने को पाते हैं। मैं दावा नहीं करता कि हमारे क्षेत्रों की जितनी भी समस्यायें हैं उनका समाधान इस बजट से हो सकता है। यह तो आखिर एक सालाना बजट है। एक वार्षिक बजट में कोई भी सरकार किस प्रकार से सारी समस्याओं का समाधान कर सकती है। अगर यह मानकर चलेंगे तो एक असम्भव स्थिति हो जायगी। यह एक वार्षिक बजट है। इसमें हमको यह देखना है कि इसमें कौन से ऐसे कदम उठाये गये हैं जिनसे हम उस विषम चक्र को तोड़ने के लिये आगे गये हैं। कुछ बातें इसमें हैं जिनको हमें देखना है। बड़ा दुख मुझे हुआ जब विरोधी दल के नेता ने कुछ शिकायत की कि युवक कल्याण के लिये ३॥ करोड़ रुपया रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह बेकार का खर्चा है। उसका उन्होंने विरोध किया। मैं तो यह आशा करता था कि इस बात की प्रशंसा की जायगी। मैं बहुत नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि इसको इस दृष्टि से देखना चाहिये कि पहली बार यह प्रयास हुआ है कि इस प्रदेश में विद्यार्थियों के लिये, युवकों के लिये कुछ किया गया है। आज शिक्षित बेकार बहुत बढ़ रहें हैं। लाखों शिक्षित बेकार युवक घूमते हैं। यह बहुत बड़ी समस्या है। पढ़े-लिखे युवकों की संख्या बहुत बड़ी है। पहली बार यह प्रयास किया जा रहा है कि शहरों में जो युवक बेकार हैं और बेकारी से परेशान हैं उनके लिये कोई कार्यक्रम बनाया जाय। चौथी योजना में युवकों के लिये सेन्टर ने कुछ योजनायें बनाई हैं। इसी प्रकार से यहां पर पढ़े-लिखे युवकों की बुद्धि का कैसे प्रयोग किया जा, इसके लिये ३॥ करोड़ रुपया रखा गया है। यूथ प्रोग्राम का विरोध नहीं होना चाहिये था। सुझाव दिये जा सकते थे लेकिन उसका विरोध हुआ है।

दूसरी योजना भूमिहिनों को जमीन बांटने की है। जो खेतिहर मजदूर हैं उनके लिये ५ करोड़ रुपया रखा गया है। उनको भूमि बांटने की इस चौथी योजना के अन्तर्गत शुरुआत की गई है। यदि भूमिहीनों को भूमि नही देते हैं तो किस प्रकार से कृषि का विकास हो सकता है। उनके लिये उपनिवेश बनाकर, उनके लिये उद्योग बढ़ाने का इसमें प्रयास किया गया है। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम के लिये, जो भूमिहीनों के लिये रखा है, अपने सुझाव देने की कृपा करें। जब इसमें सभी का सहयोग प्राप्त होगा तभी हम उसको पूरा करने की दिशा में आगे कदम बढ़ा सकते हैं।

तीसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे माननीय सदन की यह परिकल्पना रही है कि इस प्रदेश का कोई भी गांव ऐसा न रह जाय जहां पर पीने का पानी उपलब्ध न हो। आज भी हमारे प्रदेश में हजारों ऐसे गांव हैं जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुये हैं। चाहे वे पूर्वी जिले के हों, बुन्देलखंड के हों, मिर्जापुर के हों, पहाड़ी क्षेत्रों के हों, चाहे प्रदेश के अन्य दूसरे जिले के हों, जहां पेयजल योजना नहीं उपलब्ध हो पायी है वहां पेयजल योजना की पूर्ति के लिये हम अधिक से अधिक रुपया गांवों में दे सकेंगे ताकि हम प्रत्येक गांव में जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है वहां इस सदन के लक्ष्य की पूर्ति के लिये प्रयास किया जा रहा है।

इसी प्रकार से आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिये भी कुछ प्रयास इस बजट के अन्दर परिलक्षित होता है। राष्ट्रीयकरण की बात माननीय नेता विरोधी दल ने कुछ कही है मैंने देखा कि बी० क० डी० ने अपने प्रोग्राम मे राष्ट्रीयकरण की बात कहीं नहीं रखी है, उसका कोई उल्लेख नहीं है लेकिन उन्होंने तथा अन्य लोगों ने अपने भाषण में कहा कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। आप देखेंगे कि राष्ट्रीयकरण तो नहीं लेकिन राष्ट्रीयकरण की

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

पृष्ठभूमि इसी बजट के अन्दर लायी गयी है कि टेक्सटाइल और चीनी मिलों के लिये एक कारपोरेशन का निर्माण किया जायेगा और ८० लाख रुपये का इसी बजट में जो बीमार चीनी मिलें हैं और बीमार कपड़ा मिलें हैं उनको चलाने के लिये कारपोरेशन के शेयर्स खरीदने का प्राविधान किया गया है और इसी बजट में लिखा हुआ है कि इस कारपोरेशन को बनाया जाय तो अन्ततोगत्वा यह ३ करोड़ का होगा। इस तरह से अगर कोई बीमार चीनी मिल या बीमार कपड़ा मिल होगी तो उसको हस्तगत करके उसको चलाने की शक्ति इस कारपोरेशन के अन्दर होगी। और भविष्य के लिये यह एक प्रकार से चेतावनी भी है कि अगर चीनी मिलों का प्रबन्ध ठीक नहीं होता, ठीक प्रकार से उनका संचालन नहीं होता इस प्रदेश के गन्ना उत्पादक किस नों के हित में या सामान्य जनता के हित में, तो जो कारपोरेशन बनेगा वह उन मिलों को चला सकता है। तो यह एक कदम है जो इस बजट के अन्दर ही मौजूद है।

लखनऊ के एक माननीय सदस्य ने चूंकि उनका यह पहला भाषण था, अपने भाषण में कुछ साम्प्रदायिक दंगों का जिक्र किया, फिर भी उनको मैंने टोका नहीं। मैं बड़े विनम्रता के साथ अपने साथी से अदब के साथ कहना चाहता हूं कि किसी की और खासकर कांग्रेस की तो कभी भी यह इच्छा नहीं रही कि कहीं पर किसी तरह से साम्प्रदायिक दंगा फसाद हो। अगर उनको इसमें किसी तरह की गलतफहमी है तो मुझे आशा है कि वे उसको स्वयं दूर कर लेंगे। इसी के बारे में एक ओर जहां उनका यह आरोप है कि दूसरी तरफ से फसाद कराया गया, वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि इसी बजट में अल्पसंख्यक कमीशन का प्राविधान किया गया है और वह कमीशन माइनारिटीज की समस्याओं तथा शिकायतों को सुलझाने का प्रयास करेगा। मैं बड़े अदब के साथ लखनऊ के माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है जो आपने कहा और इसी दृष्टिकोण से उस कमीशन का प्राविधान किया गया है।

दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इस बजट के जरिये हमारी पूंजी के निर्माण का काम हो रहा है। हमारा लक्ष्य है कि बिजली का उत्पादन ज्यादा हो, जितनी बिजली प्रदेश में पहली योजना, दूसरी योजना और तीसरी योजना में बनी, उतनी ही बिजली चौथी योजना में बननी चाहिये और उसके उत्पादन में मैं इस सदन का सहयोग चाहता हूं ताकि कृषि की दिशा में, कृषि के मैदान में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर हो सके और लाखों ट्यूबवेल्स व्यक्तिगत आधार पर निर्मित हो सकें। सारे प्रदेश का विद्युतीकरण हो सके, ताकि पानी लेने के लिये लाखों ट्यूबवेल व पम्पिंग सेट्स लग सकें, यही लक्ष्य इस बजट में प्रस्तावित है।

यह भी कहा गया है कि सरकार बहुत ज्यादा कर्जा ले रही है। उसके लिये हमारे माननीय मित्रों ने आंकड़े भी दिये। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। यह प्रदेश दिवालिया नहीं हो रहा है और न यह सदन इसको दिवालिया बन जाने की इजाजत ही दे सकता है। लेकिन उसके विपरीत बात यह है कि हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। जो ऋण केंद्रीय सरकार के द्वारा लिया गया है, बाजार से लिया गया, उन ऋणों का प्राविधान किया गया है। उसके लिये सिंकिंग फण्ड क्रियेट किया गया है। उसमें से हम किसी भी कर्जे को अदा कर सकेंगे। हमने केंद्रीय सरकार से ६३५ करोड़ रुपया लिया है कर्जे के रूप में लेकिन दूसरी तरफ प्रादेशिक सरकार ने ५५९ करोड़ रुपया कर्जे के रूप में दिया भी है। चाहे यह कर्जा म्युनिसिपल बोर्डों को दिया हो अथवा जिला परिषदों को या उद्योग धन्धों को दिया हो अथवा कोआपरेटिव संस्थाओं को दिया हो। प्रदेशीय सरकार ने भी कर्जा दिया है। इसके अलावा जो हमने पूंजी लगायी है, बिजली के कारखाने लगाये हैं, रोडवेज के कारखाने लगाये हैं, अगर उन सब का मूल्यांकन करें तो उसका मूल्य ५०० करोड़ रुपया से अधिक हो जाता है। कुल मिलाकर २५९ करोड़ रुपये की पूंजी हमारी अधिक बैठती है। श्रीमन्, मैं इस आदरणीय सदन को यह विश्वास दिला देना चाहता हूं कि यह सरकार इस सदन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, इस सदन की मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए, आपके आशीर्वाद और सद्भावना से, एक क्षण को भी यह नहीं देख सकती कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति किसी प्रकार से भी कमजोर हो।

अब प्रश्न यह आ जाता है कि पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में साधन कैसे जुटाये जायं। इसके संबंध में माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि डेफीसिट फाइनेंसिंग की गयी है। रिजर्व में से पैसा लिया जा रहा है। श्रीमन्, मैं नहीं जानता कि किस दृष्टिकोण से यह बात माननीय नेता विरोधीदल ने कह दी कि यह डेफीसिट फाइनेंसिंग है जब कि प्लानिंग कमीशन का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश के पास बहुत स्योरिटीज है। उनको वह इस्तेमाल कर सकता है। फिर यह कैसे कहा जाता है कि यह डेफीसिट फाइनेंसिंग है। अगर थोड़ी देर के लिये यह मान भी लिया जाय कि यह डेफीसिट फाइनेंसिंग है तो कौन सा ऐसा, प्रदेश और देश है जो डेफीसिट फाइनेंसिंग नहीं करता। मिस्टर वालफाक के जमाने से लेकर आज तक प्रत्येक देश और प्रत्येक युग में डेफीसिट फाइनेंसिंग होता रहा है। चाहे वह देश पूंजीवादी हो अथवा साम्यवादी। लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिये। अगर हम अपनी स्योरिटीज का इस्तेमाल करते हैं तो किसी नियम का उल्लंघन नहीं करते। अभी पांचवे वित्त आयोग की रिपोर्ट आने वाली है। उसके द्वारा नान-प्लान्ड एक्सपेंडीचर में हमें कितना रुपया मिलेगा, हमें अभी नहीं मालूम। हमें आशा थी बजट प्रस्तुत करते समय तक रिपोर्ट आ जायेगी, लेकिन नहीं आयी। अगर उसकी रिपोर्ट के आये बिना हम कोई टैक्स लगा देते या घाटे की पूर्ति के लिये कोई और बात सोच लेते तो ऐतराज की बात हो जाती। लेकिन पंचम वित्त आयोग, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आनी बाकी है। हमें आशा है जैसा कि इस बजट में लिखा हुआ है, इस प्रदेश की जो आवश्यकतायें हैं, इस प्रदेश की जो वित्तीय आवश्यकतायें हैं उसको ध्यान में रखते हुए पंचम आयोग ध्यान रखेगा और न्याय करेगा। यहां के साधनों को और खर्चों को देखते हुए वह हमें अनुदान देगा। यह हमें आशा है और तब पंचम आयोग की रिपोर्ट आ जाने के बाद जो प्लानिंग कमीशन और केंद्रीय सरकार है फिर उस पर विचार करेगा। उसके विचार के बाद जो हमें और पैसा देगा उसके बाद यह स्पष्ट रूप से मालूम हो सकेगा कि हमें चौथी योजना के लिये कितने और संसाधन जुटाने हैं, कितना रुपया एकत्र करना है।

इसी पृष्ठभूमि में मैं यह भी अर्ज करूंगा कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जो शायद सभी दलों की सिफारिश के आधार पर बनी है, राष्ट्रपति शासन में, श्रीमन् एक प्लान एडवाईजरी कमेटी राज्यपाल महोदय ने बनाई थी, उसमें सभी दलों के नेता उपस्थित थे, उसमें सभी दलों के नेताओं की सिफारिश है। जहां तक हमें मालूम है एक टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी बैठाई गई थी। उस टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी में किसी पार्टी का कोई मेम्बर पार्टी के नाते नहीं था। वह एक्सपर्टस की कमेटी थी। श्री जे० डी० शुक्ला जो बोर्ड आफ रेवेन्यू के मेंबर थे, वह उसके मेंबर थे। और उस समय यह भी पता नहीं था कि चुनाव में कौन सी सरकार आयेगी। उसकी रिपोर्ट जिस समय तैयार हुई, तैयार होत समय ही यह पता नहीं था कि कांग्रेस बहुमत में आयेगी या और कोई पार्टी आयेगी। अगर इस पार्टी की भी सरकार बनती वह भी इस टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्य करती। तो हम विचार करें कि कौन सा टैक्स सही है और कौन सा सही नहीं है। केरल सरकार, जो लैफ्ट कम्युनिस्ट की सरकार है, बड़ी प्रगतिशील सरकार मानी जाती है उसमें भी केरल टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है। बंगाल में जहां हम कहते हैं कि मिली जुली सरकार है, वहां कृषि पर एक टैक्स लगा है। वह ऐसा लगता है कि उनको टैक्स लगाना अच्छा लगता है बल्कि इसलिए कि साधन जुटाना आवश्यक है। मैं बड़े अदब के साथ, विनम्रता के साथ सदन के माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि टैक्सेशन इन्क्वायरी रिपोर्ट जो सभी दलों की राय से बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट का अध्ययन करें और फिर यह सुझाव दें कि उनमें कौन सी सिफारिश कहां तक लागू की जाय, क्या किया जाय, क्योंकि चौथी योजना, यह तो हो सकता है कि कोई सरकार हो, कोई वित्त मंत्री हो, कोई कौन भी हो, तो चलेगी ही। सरकारें बदल सकती हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं लेकिन योजनायें नहीं बदल सकतीं। योजना अगर बनानी है तो साधनों की आवश्यकता होती है। इसलिये मैं फिर आग्रह करूंगा कि इस दृष्टिकोण से इस बजट को स्वीकार किया जाय। और इसकी मान्यताओं को स्वीकार किया जाय।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

मैं अन्त में जरूर अपने हृदय की पीड़ा व्यक्त करना चाहूंगा एक सदन के सेवक होने के नाते से। कुछ माननीय सहयोगियों ने, कुछ सदन के आदरणीय सदस्यों ने यह उल्लेख किया कि अगर यह न हुआ तो नक्सलवाड़ी हो जायेगा। नक्सलवाड़ियों की बात का उल्लेख अनेक माननीय सदस्यों द्वारा किया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सदन में हम चाहे किसी और विषय में एकमत हों या न हों कम से कम एक विषय में सारे सदन को एकमत होना चाहिये कि जब तक यह सदन रहेगा तब तक नक्सलवाड़ी इस प्रदेश में नहीं रह सकेंगे। सदन में (अपथपाहट) क्या है वह नक्सलवाड़ी, ज्योति वसु को लेकर, नम्बूदरीपाद को लेकर नक्सलवाड़ी का मतलब है अराजकता। नक्सलवाड़ी का मतलब सब कुछ है। वहां चीन में जो लालदल है वह कर रहा है। क्या हम अराजकता चाहते हैं। क्या चीन में जो अराजकता हो रही है वह हम चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि यह सदन चाहे, हम विवाद करेंगे, वाक आउट करेंगे, एक दूसरे का विरोध करेंगे लेकिन यह प्रजातंत्र का सदन है। प्रजातंत्र के आदमी नहीं होते हैं नक्सलवाड़ी, उसका स्वतंत्र रूप से कोई संबंध नहीं, है जम्हूरियत से। मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि हम इस नक्सलवाड़ी विचारधारा और नक्सलवाड़ी के आन्तरिक प्रचार को अप्रत्यक्ष प्रचार के द्वारा इस सदन की मर्यादा और मान्यताओं का किसी प्रकार से अवमूल्यन न होने दें।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे—

श्रीमन्, अभी माननीय तिवारी जी ने कहा कि कुछ सदस्यों ने नक्सलवाड़ी के बारे में कहा है तो मैं चाहूंगा कि वे इस बात पर प्रकाश डालने की कृपा करें कि नक्सलवाड़ी की स्थिति क्यों होती है। जब प्रजातंत्र और प्लानिंग का फेल्योर हो जाता है तभी ये बातें होती हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप इस प्रकार से प्रकाश लेने लगेंगे तो आप का समय यों ही चला जायेगा। आप लेख के द्वारा उनके विचार जान सकते हैं।

*श्री जंगबहादुर (जिला जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने २४ मार्च को सदन के सामने एक अनुपूरक बजट रखा था और उसे रखते समय हमारे वित्त मंत्री जी ने सदन में यह कहा था कि चूंकि अपने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर विचार करना है, उस पर मनन करना है, और अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना के संसाधनों पर विचार करके प्रस्तुत बजट को प्रस्तुत करने के लिये ५ महीने का समय रखा था। हमने भी सोचा था कि जो नया बजट आयेगा, उस पर काफी विचार विमर्श होगा, कुछ नयी चीजें, कुछ अपने प्रदेश की उन्नति के लिये क्रांतिकारी चीजें रखी जायेंगी जिससे अपने प्रदेश को लाभ मिलेगा लेकिन जो बजट इस समय सदन के सामने, प्रस्तुत किया गया है, मैंने भी उसको पढ़ने का प्रयास किया है लेकिन उस बजट में वे सारी चीजें, जैसे कि और बजटों में देखा गया, विद्यमान हैं। बजट के अन्त में आपने देखा होगा कि वित्त विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को जितनी प्रशंसा की गयी उतनी कोई नहीं कर सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस बजट को बनाया और हमारे वित्त मंत्रीजी ने उस पर मोहर लगा दी।

जनसंख्या के आधार पर हमारा प्रदेश देश के सभी प्रदेशों में सबसे बड़ा है परन्तु अनेक योजनाओं के बावजूद भी हमारे प्रदेश की स्थिति सुधरी नहीं है। यह भूमि वह है जहां पर भगवान राम और कृष्ण पैदा हुए, जहां पर दूध और घी की नदियां बहती थीं लेकिन आज क्या हो रहा है। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है जहां पर ९० प्रतिशत लोग खेती करते हैं लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

आज आप किसान की दशा देखिए, न उनके पास रहने का मकान है, न खाने को अन्न है, न पहनने को कपड़ा है और न पीने को पानी है। न उनके पास खेती के लिये उत्तम प्रकार के यंत्र हैं, न अच्छे किस्म के बीज हैं और न उनके पास अच्छी नस्ल के बैल हैं। आज किसान की दशा दिन प्रदि दिन गिरती जा रही है। वे गरीब होते जा रहे हैं और इस प्रदेश में जो बड़े लोग हैं वे दिन प्रति दिन और अमीर होते जा रहे हैं। किसानों और बड़े आदमियों के बीच की खाई और चौड़ी होती जा रही है। आज हालत यह है कि हमारी सरकार कोई योजना बनाये लेकिन उनकी समस्या हल नहीं हो पाती है। सूखे के दौरान कुछ हैंड पाइप लगाने की बात थी और कुछ ट्यूबवैल लगाने की व्यवस्था की गयी। हमारे जिले जौनपुर में जो व्यवस्था की गयी थी उसमें रुपये का बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ है। पैसे का बड़ा दुरुपयोग हुआ है। मेरे ही क्षेत्र के अन्दर जहां के हमारे स्वर्गीय गृह मंत्री रहने वाले थे, वहां पर राम दास नाम का एक व्यक्ति है जिसके गांव में केवल २ कुंए थे। सूखे के समय विभागीय इंजीनियर ने उन कुओं में बोरिंग की व्यवस्था की और २ पाइप धंसा दिये। इस बीच में हमारे मंत्री महोदय जी जो इस समय सदन में नहीं है, सूखे के सम्बन्ध में वहां पहुंचे। उनके साथ हमारे कांग्रेस के नेता भी थे। उन्होंने उनसे कहा कि वे सज्जन हमेशा कांग्रेस का विरोध करते थे। तो मंत्री जी ने आदेश दिया कि इनके कुंओं में पाइप न धंसाए जाएं और तुरन्त ही वहां से पाइप उठवा लिये गये। इस प्रकार का व्यवहार किया गया। मैंने जिलाधीश से पूछा तो उसने कहा कि मंत्री जी के आदेश थे। आरोप राम दास पर यह लगाया गया कि वह हिस्ट्रीशीटर है जो वह कभी नहीं रहा। १०, १५ मुकदमे उस पर चलाये गये जिनमें वह निर्दोष साबित हुआ। क्षेत्रीय जनता ने उसकी मदद की। इस प्रकार पीने के पानी की व्यवस्था उचित रूप से नहीं हो पा रही है जब कि सरकार ने काफी पैसा उस पर खर्च किया है।

जहां तक मेरे जिले में सड़क बनाने का सवाल है केवल दो मील सड़क बनाने की व्यवस्था की गयी है जब कि नैनीताल, अल्मोड़ा तथा गढ़वाल में साढ़े ७ लाख रुपये का प्राविधान अन्तरिम जिला परिषद को देने के लिये बजट में किया गया है। मेरे जिले में सड़कों की हालत इतनी खराब है कि वहां की अंतरिम जिला परिषद को भी रुपये देने की व्यवस्था की जानी चाहिये और वहां की सड़कों की हालत सुधारी जानी चाहिये।

मेरे जिले जौनपुर में अस्पताल की हालत भी खराब है। डाक्टर नहीं है और जो हैं भी उनमें भ्रष्टाचार बहुत है। टी० बी० अस्पताल है, दो डाक्टर उसमें हैं। वे दलाल रखे हुए हैं अलग से। फीस लेकर इलाज करते हैं। सूखी मुसम्मी दी जाती है और दवा अथवा खाने की कोई व्यवस्था वहां नहीं है। जो आदमी शिकायत करता है उससे बदला लिया जाता है, कांग्रेस के सेक्रेटरी ने शिकायत कर दी। उनको लड़की बीमार थी, भर्ती हुई तो उस अस्पताल के एक कर्मचारी ने एक कमरे में बन्द करके उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। जब वह सज्जन सिविल सर्जन, डायरेक्टर तथा मंत्री महोदय से मिले तो उस व्यक्ति को सिविल सर्जन ने सस्पेंड कर दिया और एक महीने बाद बहाल करके दूसरी जगह भेज दिया।

सिंचाई का हाल यह है कि टयूबवैल की कमी है। नहर में काफी दूर तक पानी नहीं पहुंचता। एक ट्यूबवैल बना भी तो शहर के अन्दर क्लब के सामने जब कि सिटी के अन्दर टयूबवैल लगाने की जरूरत नहीं थी। उस ट्यूबवैल से वहां के किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है और न पीने के पानी की समस्या का ही हल हो रहा है। सिटी के बाहर अगर वह लगाया गया होता तो ज्यादा लाभ होता।

जहां तक सिंचाई के लिये बिजली का संबंध है लोगों को कनेक्शन्स नहीं दिये जा रहे हैं। काफी प्रार्थना-पत्र पड़े हुए हैं और कहा यह जाता है कि सरकार अभी व्यवस्था नहीं कर पा रही है। मैं सतिया काण्ड के सिलसिले में जांच के लिये वहां गया था और दो दिन के बाद वहां से लौटा हूं। मैंने सिंचाई मंत्री जी के फार्म का देखा जो कि मुख्य सड़क से कई मील की दूरी पर है। लेकिन इस समय वहां बिजली के खंभे गाड़े जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बजट पर बोलें ।

श्री जंगबहादुर—

बहुत अच्छा । यह नहीं कहा जा सकता कि जो योजनायें बनी हैं उनसे कुछ लाभ नहीं हुआ । लेकिन जितना पैसा उन पर खर्च हुआ उतना लाभ नहीं हुआ । इसलिये इस बजट के अन्दर संशोधन किये जायं और गड़बड़ियों को दूर किया जाय ।

श्री धर्मदत्त (जिला बरेली)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं १९६९-७० के अनुमानित बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । पिछले कई दिनों से इस पर काफी चर्चा हुई । हमारे सदन की एक परंपरा हो गयी है कि बजट के बाद विवाद में हम बजट के मूल सिद्धांतों, उसकी नीतियों, उसके अनुदानों से हट कर अन्य आम चर्चा इस सदन में किया करते हैं । इसमें भी कोई हानि नहीं है यदि हम योजनाओं की जिन नीतियों के संबंध में आलोचना करें उसके दूसरे सुझाव भी इसी सदन के सम्मुख रखें । आमतौर से वह बातें जिनका इससे कोई संबंध नहीं है, जिनके यहां कहने का कोई अभिप्राय नहीं है उनको हम कहा करते हैं । हमारे विरोधी दल के नेता ने अपने लंबे भाषण के बाद जो अन्त में उसका उपसंहार किया उसकी ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हम इस बजट के किंचित मात्र धन को भी अपव्यय न होने दें, उसका पूरा पूरा प्रयोग इस प्रदेश के लिये करें । हमारी तीन योजनायें बन चुकीं । हमने हमेशा जब जब कोई बजट रखा योजनाओं की आलोचना की गयीं । लेकिन यदि उन योजनाओं में हमें सफलता नहीं मिली तो इसका दोष भी हम लोगों पर ही है । हम यहां बैठ कर आलोचना करते हैं लेकिन इस पंचायती राज में यह कदापि संभव नहीं है कि कोई सरकार अकेले अपने बल पर योजनाओं को सफल बना सके । योजनाओं को सफल बनाना जन जन का कार्य है । जब हम तीखी और गलत आलोचना द्वारा जनता का विश्वास उन योजनाओं के प्रति डिगा देंगे तो हमें जन जन का सहयोग नहीं मिल सकता । हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि अमुक जगह पर ट्यूबवेल गलत बनाये गये । मैं जानना चाहता हूं कि जितने समय हम यहां बैठते हैं इससे बाहर जा कर क्या हम जो बातें यहां शासन की आलोचना में कहते हैं उस पर कोई ध्यान देते हैं ? हम अपने क्षेत्र में इस बात का प्रयास करते हैं कि हमारी क्षेत्र समितियों में जो योजनायें हैं वह कहां तक कार्यान्वित हो रही है, कहां तक उन पर अमल किया जा रहा है । लेकिन हम दलबन्दी में पड़ जाते हैं और हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है और जो योजनायें, हमारी मशीनरी द्वारा कार्यान्वित की जाती है वे पीछे हट जाती हैं । प्रजातंत्र के लिये, पंचायत राज के लिये यह खतरा है, ग्राम सभा से ले कर विधान सभा तक एक कड़ी है । हमें ग्राम सभाओं, पंचायतों, क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों को बल देना है । पंचायत राज का अभिप्राय है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो और प्रायः यह होता है तो हमें उन लोगों को शक्ति देनी है जिनसे हमें काम लेना है । यदि हम खाली आलोचना करें उनकी जिनसे काम लेना है और अपने कर्त्तव्य को भूल जायं तो काम चलने वाला नहीं है । प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता है यदि स्वस्थ आलोचना न हो । यदि झूठी आलोचना होती है तो प्रजातंत्र निरर्थक हो जायेगा ।

आज भ्रष्टाचार की बात कही जाती है । झूठी, तीखी और गलत आलोचना राजनीतिक भ्रष्टाचार है । इससे दूर रहना होगा । और प्लेटफार्म पर दुहाई देते हैं कि छोटे कर्मचारियों की तनख्वाहें कम हैं और उधर अगर सुधार लाने के लिये सरकार टैक्स लगाने की बात लाती तो सत्याग्रह की बात कहते हैं । इस तरह से काम चलने वाला नहीं है ।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन, मेरा वैधानिक प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य ने झूठी आलोचना कहा है तो क्या यह शब्द पार्लियामेंटरी है ?

श्री उपाध्यक्ष—

झूठ शब्द आलोचना के लिये इस्तेमाल कर सकते हैं किसी व्यक्ति के लिये नहीं ।

श्री धर्मदत्त—

यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे साथी कहते हैं कि झूठी आलोचना, मैं इसे फिर दुहराता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं निवेदन करूंगा कि क्या आलोचना झूठी है क्या सही है, क्या गलत है, इस बात में आप लोग न पड़ें । इसमें सैद्धांतिक वितंडावाद का वातावरण पैदा हो जायेगा और उसके मूल में जाना आवश्यक हो जायेगा । इसलिये बजट के संबंध में ही कहें । लेकिन क्या सही भाषण है, क्या गलत है, इससे तो गहरा विवाद छिड़ जायेगा ।

श्री धर्मदत्त—

श्रीमन, प्रजातंत्र की रक्षा के लिये स्वस्थ आलोचना की आवश्यकता है यदि नहीं होती है तो न तो सदन की गरिमा और मर्यादा की रक्षा होती है और न हमारे उद्देश्य की रक्षा होती है । इसलिए राष्ट्रहित, जनहित में स्वस्थ आलोचना होनी चाहिये । आज हमारी जनता निरक्षर है और उसे बहुत सी बातों का ज्ञान नहीं होता है जो हम उसके सामने रखते हैं । जनता में राजनैतिक चेतना को उत्पन्न करना चाहिये। यदि हम ऐसा नहीं करते तो यह देश के हित के लिये नहीं होगा। मैं अपने उधर के बैठने वाले साथियों से बहुत नम्र शब्दों में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि पार्टी बाद को है, देश और प्रदेश पहले है । जनहित के लिये हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिये । यदि हम अनुचित आलोचनायें पार्टी को संगठित करने के लिये, पार्टी को बल देने के लिये, पार्टी की शक्ति बढ़ाने के लिये उसका उपयोग करते हैं, तो वह सही नहीं है ।

इस बजट में श्रीमन, सिंचाई के लिये, कृषि के लिये और पेय जल के लिये कितने प्राविधान किये गये हैं । इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के कृषि उपकरणों को तैयार करने की व्यवस्था की गई है । मैं नहीं जानता कि किस दृष्टिकोण से लोगों ने इस बजट के विषय में विचार प्रकट किये कि बजट निरर्थक है । जिन योजनाओं के प्राविधान उसके अन्दर रखे गये थे, यदि उसके संबंध में कोई बात आती कि किसी स्थान पर इससे अधिक रखने की आवश्यकता है, उसको सामने रखते तो ज्यादा श्रेयस्कर होता किन्तु ऐसा नहीं किया गया । योजनाओं के अधीन अनुमानित व्यय का ब्योरा रखा जाता है । हम आगे चलकर उसको खर्च करते हैं । अगर ऐसा सुझाव आता है कि किसी कार्य के लिये दिये गये अनुदान में घटाने बढ़ाने की आवश्यकता है इस तरीके के सुझाव सदन के सामने आते तो सदन के समय का पूरा उपयोग होता । हम जहां बहुत सी आलोचनायें करते हैं थोड़ा इस बात को भी न भूलें कि जो इस सदन में खर्च होता है उस पर भी बड़ा व्यय जनता के टैक्स का होता है । साथ ही साथ जो बात हम यहां कहते हैं उसका भी मूल्य होता है । चूंकि आपने लाल बत्ती दिखा दी है, अन्त में मैं वही बात सदन के सामने रखना चाहता हूं, जो नेता विरोधी दल ने आखिर में कहा है कि हम अमल करें । हम उसे कार्यान्वित करने का प्रयास करें और इस बजट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें । एक बात दुबे जी ने कही थी, नक्सलवाड़ी की । नक्सलवाड़ी आन्दोलन कोई चीज नहीं है, अगर दुबे जी याद करेंगे तो उनको स्मरण हो जायेगी । १९४८ में जब कुछ पार्टियों के नेताओं ने इस देश को साम्प्रदायिक एकता से विषाक्त किया, तो महात्मा गांधी जैसे आदमी को गोली मार दी गई । उससे पहले एक दल ने यहां पाकिस्तान का नारा लगाकर पाकिस्तान बनाने का प्रयास किया। जब कोई नारा नक्सलवाड़ी का लगाकर धमकी दी जाती है, तो उससे देश, प्रदेश का हित नहीं होता । आशा है कि हमारे साथी इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और इस बजट को पास करेंगे ।

*श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय का जो बजट भाषण है, उसके विरोध में मुझे यह निवेदन करना है कि इस बजट में छोटे काश्तकार, छोटे कर्मचारी और छोटे उद्योग धन्धा वालों के लिये किसी प्रकार का बल मिलने या आर्थिक व्यवस्था का सुधार होने की कोई बात नहीं है। इस बजट में जितनी बातें मुझे समझने में आई, बड़े काश्तकार, बड़े आफीसर और बड़े मिल मालिक और उद्योग धंधों वालों को काफी बल मिला है। यह बात हर व्यक्ति और हर विधायक को स्पष्ट है। हमारे मुल्क में ८० प्रतिशत जनता इतनी गरीब है कि जिनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है, पहनने का कपड़ा, इलाज को दवाई और बच्चों को पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है। इन गरीबों के बारे में यदि कोई बात नहीं सोची गई तो बड़े दुख की बात होगी। मैं तो उस गरीब जिले आजमगढ़ का रहने वाला हूं और मुबारकपुर से चुनकर आता हूं जहां पर ज्यादातर छोटे किसान और मजदूर तथा बुनकर रहते हैं। हम लोग रातदिन सोचा करते हैं कि इन लोगों की दशा इस बजट से कैसे सुधरेगी। मुझे निवेदन करना है कि जो १० गुना से २० गुना लगान किया गया है उसे यह बेचारे गरीब कैसे दे पायेंगे। पहले ही जो सीरदार से १० गुना ही देने में असमर्थ होने के कारण भूमिधर नहीं बन पाये वह अब २० गुना कैसे दे पायेंगे।

(इस समय २ बज कर ५२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

आप कहते हैं कि हम गरीबों पर टैक्स नहीं लगाते हैं, जो कि असत्य है। गरीब आदमी हर चीज पर टैक्स देता है, कपड़े पर, कृषि की मशीन पर, खाने के सामान पर। जो राज्य की सीढ़ियां हैं—गांव सभा, जिला परिषद्, असेम्बली और पार्लियामेंट, उन सब में गरीब सब जगह सताया जाता है, ये सब उसी से टैक्स वसूलती है। गरीब तरह-तरह से परेशान किया जाता है। जिस आदमी के पास कोई सम्पत्ति नहीं है, जमीन नहीं है, नौकरी नहीं है, उद्योग धंधा नहीं है उस आदमी की माली हालत कैसे सुधर सकती है। पूरे प्रदेश में गरीबों में सब से ज्यादा संख्या हरिजनों की है और उसके बाद पिछड़े वर्ग का नम्बर आता है। आप को इनकी दशा सुधारने के बारे में गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। इस बजट में जो ४ सीढ़ियों की पहली इकाई गांव सभा है उसको क्या मिलने वाला है। गांवों में सड़क बनाना है, पुलिया बनाना है, पीने के पानी की व्यवस्था करना है। हरिजन बस्ती में एक बार मेरे यहां सब कुओं का पानी सूख गया, मैं जिलाधीश से मिला। हर किसी को यह सोच कर चलना चाहिये कि जिन गरीबों से हम वोट लेकर आए हैं, उनकी हालत आज जानवरों से भी बदतर है। यह कह देना कि हम बहुत आगे हैं, ठीक नहीं, मुल्क में इस प्रदेश का धनी आदमी स्वराज्य होने के बाद धनी होता जा रहा है और गरीब अधिक गरीब होता जा रहा है। लोग कहते हैं कि साफ कपड़ा लोग पहनने लगे हैं, कुर्सी पर बैठने लगे हैं लेकिन एक आदमी आसमान पर चढ़ता जाय और दूसरा आदमी अपना पेट काट कर, घर पर एक अन्डर वियर पहन कर दूसरा कपड़ा बाहर पहनने के लिये रखे तो हम कैसे आगे बढ़े हैं।

गांव सभाओं के लिये बजट में क्या है? पैसा तो नीचे से ही ऊपर को आता है और ऊपर से फिर उसका बटवारा होता है। वह पैसा नीचे से आकर दिल्ली और लखनऊ की सरकारों पर खर्च होता है और गांव सभाओं के लिये कह दिया जाता है कि श्रमदान करो उससे सब काम हो जायगा। गांव सभा के स्तर पर सिंचाई के लिये, शिक्षा की उन्नति के लिये और दूसरे कामों के लिये पैसा नहीं मिलता है। न कहीं स्कूल हैं, न अस्पताल हैं। सारा पैसा बड़े-बड़े शहरी लोगों पर व्यय हो रहा है लेकिन गरीबों के बारे में कोई बात नहीं सोची जा रही है। मुल्क की ८० प्रतिशत जनता भूखों मर रही है, जो पिछड़े हैं, भूमिहीन हैं उनके लिये कुछ न कर के सिर्फ दूसरे मुल्कों से मुकाबला करके प्रदेश के पिछड़े लोगों को और पीछे डाला जा रहा है। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का एक इतिहास बने और वह ऐसा इतिहास हो जिसकी तुलना सारी दुनिया में न हो। आखिर में मैं कहूंगा कि यह बजट कतई पास होने वाला नहीं है क्योंकि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसमें गरीब भूमिहीनों, किसान मजदूरों, छोटे उद्योग धंधे करने वालों, छोटे कर्मचारियों के लिये कोई भी बात नहीं आई है जिससे उनकी समस्यायें हल हो सकें। बस, इतना ही कह कर मैं खत्म करता हूं। जयहिन्द।

*श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, मैं नेता विरोधी दल तथा अन्य सदन के सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अपने-अपने विचार इस बजट के विषय में प्रकट किये। बहुतों ने सुझाव दिये, बहुतों ने आलोचना की और बहुतों ने कई नई बातों पर प्रकाश डाला। यह ढंग है जिससे गणतंत्र चलता है और उस की परम्परायें तरक्की करती हैं और विचार विनिमय तथा उनके आदान-प्रदान से हम ऐसा मार्ग पेश करते हैं जिससे गणतंत्र की जड़ें मजबूत हों। अबकी पहली बार इस सदन में पिछले २० वर्ष में ऐसी बात हुई है जबकि नेताविरोधी दल ने ४, ५ घंटे का समय अपने भाषण में लिया। उसमें बजट के विषय में तो उन्होंने अपने विचार व्यक्त नहीं किये और सदन के समक्ष बहुत सी व्यौरे की बातों को प्रस्तुत करके यह नतीजा निकाल लिया कि इन तमाम बातों के कारण, इस सदन को इस बजट को स्वीकार नहीं करना चाहिए और इस सरकार को यह बजट पास न करके इसको हटा देना चाहिये। मेरा काम तो बहुत हल्का हो जाता अगर पहले ही कुछ हो जाता और जो हमने पिछले ४, ५ महीनों में कुछ भूलें की हैं उनका भी निराकरण हो जाता। मैं ऐसा समझने लगा हूं कि चौधरी साहब भी ६८ वर्ष के हो गये और मैं भी ६८ वर्ष का हो गया और जैसाकि मैं अक्सर अपने मित्रों से कहा करता हूं कि हम लोग तो वारंट ऐज के हैं। कभी भी वारंट आ सकता है। अब तो समय नौजवानों का है जिनको सारा बोझ यहां का उठाना है। उस बोझ को बहुत कम समय तक चौधरी साहब भी उठाते रहे हैं और थोड़े बहुत समय तक मैंने भी उठाया है और मेरी उमर के साथियों ने उठाया है। इसलिये जहां तक हमारे ऐसे साथियों का संबंध है उनका तो एक ही काम रह जाता है और वह यह कि वह इस सदन को चलाने के लिये कुछ ऐसी चीजों को छोड़कर जायं जिनसे हमारे नये साथी जो इस सदन में हैं या बाद को आयेंगे और गणतंत्र को मजबूत करेंगे वह कुछ सीखें भी और उन अनुभवों से लाभ उठायें जिन अनुभवों को हमने २५, ३० साल के, सार्वजनिक जीवन में सीखा। यही चेष्टा चौधरी साहब की इस दिशा में होनी चाहिये परन्तु यह हमारा दुर्भाग्य है कि चौधरी साहब कदाचित ज्यादा दूध और घी खाए हैं जो यह समझते हैं कि ज्यादा दिन तक इस प्रदेश का नेतृत्व करेंगे. . . .

श्री चरणसिंह (जिला मेरठ)—

ज्यादा दूध घी खाने वाले ज्यादा दिन नहीं जीते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

और वह नये तौर तरीके नये सदन को चलाने के सदन के समक्ष प्रस्तुत करते जायेंगे। तो मैं आज यह कहना चाहता हूं कि मुझे बड़ा भारी दुख हुआ उनके भाषण से। इस शासन में त्रुटियां नहीं हैं, हममें कमियां और कमजोरियां नहीं हैं, इसको तो मैं छिपाता नहीं हूं लेकिन कमियां और कमजोरियां जो हमारे बीच में हैं उनको यदि इस बात की संज्ञा दी जाय और इस प्रकार से हमारे लिये कहा जाय कि हम सब कमियों और कमजोरियों के पुतले हैं और कोई भी कार्य जो हम इस प्रदेश में कर रहे हैं वे जनता की बहबूदी के लिये नहीं कर रहे हैं, जो पददलित और गिरे हुए हैं उनको उठा नहीं पा रहे हैं और उनको उठाने की दिशा में कुछ कर नहीं रहे हैं, तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि ऐसे नतीजे निकालने के पूर्व वे इस बजट का अध्ययन कर लेते और अपने साथियों व दूसरों को उसका अध्ययन कराने की चेष्टा करते। बजट के विषय में तो कुछ कहा नहीं गया। आखिर यह तो कोई पहला बजट नहीं है, न तो पहली बार बजट पर मैं बोल रहा हूं और न आप ही पहली बार बोले हैं। इस सदन में २०–२५–३० वर्ष के अन्दर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बरफाती गुप्त]

सिवा दो ढाई वर्ष को छोड़कर जब कि मैं इस सदन का सदस्य नहीं था, लेकिन चौधरी साहब तो बराबर ही सदस्य रहे हैं, वे तो बजट को देख चुके हैं और बजट को दिशा भी दे चुके हैं, तो यह जो बजट है, क्या यह सोशलिस्टिक इकोनामी की दिशा में खींचने वाला नहीं है? उनके इस कथन में कितनी सत्यता है, और कहां तक सत्यता है, इसके बारे में तभी टीका-टिप्पणी की जा सकती है जब कि बजट का अध्ययन करें, उसके पन्ने को उलटें। मैं समझता हूं कि उन्होंने इस बजट के पन्ने को उलटा नहीं है। पहले जो बजट बना था, तब वह नेता थे एक दल के, जब कि वह पेश हुआ था एक प्रमुख व्यक्ति थे उस दल के जिसके वे २० वर्ष तक सदस्य रहे, तब उनके जमाने में बजट पेश किया गया। क्या यह बात नहीं है कि इन २० वर्षों में उत्तरोत्तर हमने इस बजट के जरिये प्रदेश में, प्रदेश की जनता के बीच में जो खाई रह गई थी, नीचे के आदमी और ऊपर के आदमी के बीच में, उनको पाटने की चेष्टा की है? क्या यह सही नहीं है कि सबसे कम तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति और सबसे ऊंची तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति में जो एक और चालीस, पचास का अन्दर था, क्या वह अन्तर इस बीच में काफ़ी मात्रा में घटा है या नहीं घटा है। यदि घटा है तो क्या हम उस दिशा में एक कदम आगे बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं? क्या यह सत्य नहीं है कि जो पिछड़े हुए हैं, जो कमजोर हैं, और जिनको वे अधिकार मिलने चाहिये, उनके ऊपर हमने कुछ धन व्यय किया है या नहीं किया है, उनकी हालत सुधारने के लिये हमने कुछ कार्य किया है या नहीं किया है? यदि किया है और उस कार्य को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाया है तो क्या कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो वास्तविकता को सामने रखकर इस तरह की बात कहे? यदि कहता है कि वह भूल करता है और मालूम होता है कि उसने उस दिशा में अध्ययन करने की चेष्टा नहीं की है। चाहे शिड्यूल्ड ट्राइब्स रहे हों, चाहे ट्राइब्स रहे हों, चाहे बैकवर्ड जाति के रहे हों, क्या इन सबके स्तर को ऊंचा करने की दिशा में हमने पिछले वर्षों में जबकि चौधरी साहब थे, आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं की है?

इसी साल का बजट में अगर आपके सामने रक्खूंगा वह स्वतः प्रदर्शित कर देगा कि वह उत्तरोत्तर उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। भले ही हम अभी उतनी मात्रा में राशि उपलब्ध नहीं कर पाये कि जितनी एक साथ उस समस्या के हल करने की आवश्यकता है। मैं यहां यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा ढंग समस्याओं के हल करने का भिन्न है। उन साथियों से जो कि क्रांतिकारी ढंग हैं उसका परिवर्तन क्रांतिकारी ढंग से चाहता है। क्रांतिकारी ढंग तो हमारा भी है। परन्तु हमारा क्रांतिकारी ढंग और कम्युनिस्ट भाइयों का क्रांतिकारी ढंग, उसमें बड़ा अन्तर है। जहां हम शान्तिमय ढंग से चीजों में परिवर्तन लाना चाहते हैं जहां हम वाद विवाद करके चीजों में परिवर्तन लाना चाहते हैं, वहां यह बात किसी से छिपी नहीं है। इस तरह हमेशा चीजों को तय करने में, पास कराने में, कार्यान्वित करने में देर में लगती है। वे चीजें कोई एकदम पास करने से तो पूरी नहीं हो जाती हैं। यह एक बड़ा भारी अन्तर है हमारे कार्य करने के ढंग में और कम्युनिस्टों के कार्य करने के ढंग में। कम्युनिस्टों ने परिवर्तन अपने देशों में किये हैं और वे इस देश में भी अपने देश की तरह अन्ततोगत्वा कार्य करना चाहते हैं। परन्तु हम उसका विरोध करते हैं। पर हम समझते हैं कि यदि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्रांति लानी है तो वह विचार विनिमय द्वारा होनी चाहिये, वह व्यवस्था आदान-प्रदान के द्वारा होनी चाहिये वह डिक्टेटोरियल ढंग से नहीं लानी चाहिये और इसी कारण से हमने ये विधान सभा और पार्लियामेंट बना रखी है और उनकी सलाह से हम कार्य करना चाहते हैं और कार्य करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें कार्य करने में भी देरी होती है। बहुत से कार्य जो फूंक मारकर भी हो सकते हैं वह हमारे कार्य करने के ढंग में फूंक मारकर नहीं हो सकते। उनमें समय लगेगा। उनमें साधन भी उस ढंग से करने पड़ेंगे जो ढंग गणतंत्रीय होगा। जो हमारी लेजिस्लेचर, हमारी पार्लियामेंट हमें प्रयोग की इजाजत देगी और चौधरी साहब और मेरे बहुत से साथी क्या बधाई के पात्र नहीं हैं कि उन्होंने इस प्रदेश में तथा और प्रदेशों में जहां जमींदारी प्रथा है, का उन्मूलन हुआ, एक शांतिमय ढंग से, एक ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर उपस्थित कर दिया। आज उन देशों में जहां कि कम्युनिस्ट ढंग इस्तेमाल किया गया है और

जहां लाखों आदमी बेघरबार नहीं किये गये, साईबेरिया के जंगल में नहीं फ़ेंके गये वहां उन्होंने थोड़े समय में सामन्तशाही को खत्म कर दिया ? परन्तु हमने कायदे कानून के अन्तर्गत, विधान के अन्तर्गत, शान्तिमय ढंग से एक क्रांतिकारी परिवर्तन अपने देश में किया, अपने समाज में किया और उत्तरोत्तर जब-जब हमने लाइफ़ इन्श्योरेंस का नेशनेलाइजेशन किया, राष्ट्रीयकरण किया या बैंक्स का राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं तो वह एक ढंग से, जिस ढंग से हम काम करना चाहते हैं और जिस ढंग से उत्तरोत्तर हम बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ही हमने ट्रांसपोर्ट का नैशनेलाईजेशन किया, क्या किसी को मारा या पीटा। बहुत से लोग जब मोटरें चलाते थे, बसें चल रहे हैं, बहुत से ऐसे रूट्स हैं जिनको हमने नहीं लिया है। तो हम अपने ढंग से उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। अगर हम शांतिमय ढंगों में यकीन करते हैं तो कल जब वे आलोचना कर रहे थे तो उन्होंने कई ऐसी बातें कहीं जो कि शांतिमय ढंगों के अन्तर्गत तो बहुत नहीं आ ती और विधान के अन्तर्गत यहां बहुत नहीं आती। यह विधान सभा पूरा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि हमें शुगर इन्डस्ट्री का नेशनेलाईजेशन करना चाहिये। यदि उसकी आवश्यकता है तो जरूर होना चाहिये। परन्तु क्या यह अधिकार इस सदन को है या अधिकार तो केन्द्रीय सरकार के पास है। यह यूनिट न का सबजक्ट है। उनके बारे में भला हम क्या व्याख्या कर सकते हैं।

श्री चरणसिंह—

अगर हम शुगर इन्डस्ट्री के नेशनेलाइजेशन का प्रस्ताव रखें तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी उसका समर्थन करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैं बिलकुल खामोशी से माननीय नेता विरोधी दल का भाषण सुनता रहा। अब कृपा करके वे मुझे अपनी बातें कह लेने दें। उनको तो फ़िर बाद में भी बोलने का अधिकार है। मुझे मुझे अपने केस को सदन के सामने रख लेने दें। उसके विपरीत अगर उनके कोई विचार है तो वे बाद में भी कह सकते हैं।

एक बात तो ऐसी होती है कि सदन के बाहर अपने लिये तालियां बज जायं और एक बात होती है विधान के अन्तर्गत किसी कार्य को करने की। मैं समझता हूं कि अगर हम नेशनेलाइजेशन करना चाहते हैं तो करें। जब हमें नेशनेलाइजेशन का अधिकार ही नहीं है तो फिर उस पर विचार ही क्या करेंगे। उसका अधिकार तो पार्लियामेंट को है। अभी केंद्रीय सरकार ने यह तय कर रखा है कि प्राइवेट सेक्टर में काम होता रहेगा और शुगर इन्डस्ट्री उनमें से एक है, काटन इन्डस्ट्री भी उनमें है। अगर केंद्रीय सरकार किसी रोजगार का राष्ट्री करण करना चाहती है तो उसके लिये नीति निर्धारित कर सकती है कि उसको ले लिया जाय। लेकिन हमें उसके बारे में यहां विचार करने का अधिकार नहीं है। वह चीज हमारे विधान के अन्तर्गत नहीं आती।

यह भी कहा गया कि जो गिरे हुए लोग हैं उनके लिये इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। आखिर इस बजट में किस वर्ग के लिये तैयारी की गयी है, किस चीज के लिये अधिक मात्रा में रुपया रखा गया है। क्या यह सत्य नहीं है कि इस बजट में किसानों के लिये अधिक रुपया रखा गया है, क्या यह सत्य नहीं है कि इस बजट में सिंचाई और बिजली के लिये अधिक रुपया रखा गया है। क्या यह सही नहीं है कि शिड्यूल्ड कास्ट के लिये, उनकी शिक्षा के लिये, उनके सोशियो-एकोनामिक प्रोग्राम को बढ़ाने के लिये, उनके मकानों के लिये, इसमें बहुत सा खर्चा करने जा रहे हैं। क्या यह ऐसी दिशा नहीं है जो हमें उस दिशा की ओर ले जाती है जिसके द्वारा हम अपने देश में समाजवाद की व्यवस्था ला सकते हैं ? मेरे सामने जो आंकड़े हैं वे इस बात को बताते हैं कि प्लानिंग करते समय भी इस बात का ध्यान रखा गया था कि इस देश की अधिकतर संख्या किसानों की है इसलिये देश की हालत तभी सुधर सकती है जब कि किसानों की हालत सुधारी जायेगी। क्या यह सत्य नहीं है कि उनके लिये रुपया रखा गया है, उनकी

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

पैदावार को बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। उनके लिये अच्छे बीज, पानी और बिजली की व्यवस्था की जा रही है। उनके खेतों में जो कीड़े-मकौड़े लग जाते हैं उनको हम नष्ट करना चाहते हैं। क्या इन चीजों से किसानों की पैदावार न बढ़ेगी। क्या उनकी पैदावार इनसे दुगनी, तिगुनी और चौगुनी नहीं हो जायगी। इस प्रकार से हम अपने किसानों की पैदावार को उसी प्रकार से बढ़ा रहे हैं जिस प्रकार से दूसरे देशों और प्रदेशों में बढ़ाई गयी है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की सूचनार्थ निवेदन करना चाहता हूं कि आज संसदीय दल के श्री मिश्रा जी का जो बयान निकला है, कृपया उसको भी देख लें उन्होंने कहा कि द्वितीय योजना में जो नलकूप लगाये गये हैं इस बजट में उनसे भी कम नलकूप हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष---

यह अनुचित है। जब एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो इस प्रकार से आपको बीच में नहीं बोलना चाहिये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

जिस प्रकार से मैंने अपने साथियों और माननीय विरोधी दल के नेताओं को सुना, अगर आप लोगों की तरफ़ से वह बरताव मुझे भी मिले तो कदाचित संसदीय परंपरा के प्रतिकूल होगा।

मैं बता रहा था कि इस बजट के अन्दर किसानों और निचले वर्ग की उन्नति के लिये धनराशि रखी गयी है। इस संबंध में प्लानिंग कमीशन ने जो निर्णय लिये हैं उनमें से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जिसमें होर्टीकल्चर भी शामिल है, उद्योग धन्धे, और सहकारिता भी शामिल है, उसमें १६५.५० लाख रुपया रखा गया है। जिसमें से इस वर्ष १२.४० लाख रुपया खर्च किया जायेगा। एकोनामी अपलिफ्ट का जहां तक सवाल है स्टेट प्लान में सेंट्रली स्पानसर्ड स्कीम में ६८.७५ लाख रुपया है और इस वर्ष यह १३.७४ लाख रुपया है। तो इस तरह से टोटल २३४.२५ लाख रुपये का है और इस साल के खर्चे में २६.१४ लाख रुपया है। इसी तरह से हेल्थ हाउसिंग और दूसरी स्कीम्स में स्टेट प्लान में १४९ लाख रुपया है और इस वर्ष ८.२६ लाख रुपया है। और सेंट्रली स्पानसर्ड स्कीम्स में ४६.५० लाख रुपया और इस साल में १०.६० लाख रुपया है। इस तरह से हमने स्टेट प्लान और सेंट्रली स्पानसर्ड स्कीम्स में कुल १,७६५.५५ लाख रुपया लिया है और २४८.९३ इस वर्ष में। इस क्षेत्र में जो शेड्यूल ट्राइब्स को स्कालरशिप का सवाल है वह हमने चौथी प्लान में २५४.८० लाख रुपया रखा है स्टेट प्लान में और इस वर्ष में स्टेट प्लान के लिये ३०.५८ लाख रुपया रखा है। इसमें सेंट्रली स्पानसर्ड जो स्कीम है उसमें टोटल ८४३.४० लाख रुपया रखा गया है और इस वर्ष के लिये १४७.६८ लाख रुपया है। इस तरह से टोटल हुआ १,०९८.२० लाख रुपया और १७८.२६ लाख रुपया। इसी तरह से फ्री शिप्स में स्टेट प्लान में टोटल आउटले ९५.७६ लाख रुपया रखा गया है और इस वर्ष केवल ९ लाख रुपया रखा है। जहां तक स्कालरशिप फ़ार प्रोफ़ेशनल एजूकेशन मेडिसिन, इंजीनियरिंग आदि में स्टेट प्लान में और सेंट्रली स्पानसर्ड स्कीम्स में ३२.०० लाख रुपया, टोटल आउटले में और १.६२ लाख रुपया है। इस्टेब्लिशमेंट आफ़ आश्रम टाइप स्कूल्स में स्टेट प्लान में टोटल आउटले में ४३.८४ लाख रुपया है और इस वर्ष में २.८४ लाख रुपया रखा है। सेंट्रली स्पानसर्ड स्कीम में ५०.०० लाख रुपया और इस वर्ष हमारे यहां पर ८.७१ लाख रुपया रखा गया है। कंस्ट्रक्शन आफ़ होस्टल्स में स्टेट प्लान में १० लाख रुपया रखा गया है और इस वर्ष २ लाख रुपया है। इस्टेब्लिशमेंट आफ़ प्रि एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर में ६ लाख रुपया आउट ले में रखा गया है और इस वर्ष १.५० लाख रुपया रखा गया है। इस तरह से टोटल प्लान में ४२५.४० लाख रुपया आउटले में रखा गया है और इस वर्ष ४३.८४ लाख रुपया है। और सेंट्रली स्पानसर्ड स्कीम्स में यह ९१०.४० लाख है और इस वर्ष हम १६०.०९ लाख रुपया

इसमें खर्च के लिये रखा गया है। इसी तरह से एकोनामिक डिस्ट्रीव्यूशन आफ़ भूदान लैंड का जहां तक संबंध है उसमें टोटल लैंड १.७६ लाख हेक्टेयर्स दान में मिली है। और एक्चुअली जो बांटी गई है वह ०.३५ लाख हेक्टर है। जहां तक डिस्ट्रीव्युशन आफ़ लैंड अन्डर सीलिंग्स आन होल्डिंग्स ऐक्ट जमींदारी एबालिशन एन्ड लैंड रिफ़ोर्म्स ऐक्ट का संबंध है उसमें २.०२ लाख हेक्टेयर्स हैं। लैंडलेस वर्कर्स की लौट को एमिलियोरेट करने के लिये ५ करोड़ रुपये का प्राविधान है और रूरल मैनपावर स्कीम्स में जो केंद्रीय सरकार ने छोड़ दी है केवल ३ करोड़ रुपये का प्राविधान है। इस वर्ष में करीब-करीब ९० लाख रुपया रखा गया है।

अब चौथे प्लान में इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स के लिये २.८४ करोड़ रुपया रखा गया है। हैंडलूम डेवलपमेंट के लिये ४.८५ करोड़ है जिसमें १,६३,००० उत्तराखण्ड के लिये है। डेवलपमेंट आफ ऊल, टसर और अन्य विलेज तथा काटेज इन्डस्ट्रीज के लिये २३.१६ करोड़ रुपया रखा गया है जिसमें से २,१४,००० रुपये एक तथा ५,९६,००० रुपये दूसरे उत्तराखण्ड के लिये रखे गये हैं। बैकवर्ड एरियाज में इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिब्स के लिये १५.२९ करोड़ रुपया रखा गया है और उसमें इस साल के लिये ४३.३ लाख रुपये हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग तथा हैंडीक्राफ्ट्स के लिये ७५ करोड़ रुपये रखे गये है और इस साल के लिये ४.४८ लाख तथा २.२८ लाख रखे गये हैं। क्राफ्ट ट्रेनिंग के लिए १४ लाख रुपये, लोन्स टु इन्डस्ट्रियल तथा हैंडीक्राफ्ट्स कोआपरेटिव सोसाइटीज के लिये ३.७९ लाख, बंकर ट्रेनिंग के लिये १.०९ लाख, काटेज इन्डस्ट्रीज के लिये ६४ लाख, हैंडलूम, पावरलूम, फिशिंग सोसाइटीज के लिये १.१७ लाख रुपये रखे गये हैं।

अब आप सोशयो-एजूकेशनल को लीजिए। फोर्थ प्लान में स्कालरशिप्स टु शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये ३.३२ करोड़ रुपये तथा इस साल में २.८० लाख रुपये रखे गये हैं। ट्राइब्स के लिये फ़ीशिप्स में ९० लाख रुपये जो कि स्कूलों को नम्बर के हिसाब से रिएम्बर्स किया जायगा टेक्निकल एजूकेशन में पूरे प्लान पीरिएड में १२८.६५ लाख रुपये रखे गये हैं जिसमें इस साल के लिये उत्तराखण्ड के लिये १.५७ लाख और दूसरे एरियाज के लिये २.४७ लाख रुपये रखे गये हैं। किसान लिट्रेसी प्रोग्राम में ४ लाख, हरिजनों के लिये एजूकेशनल स्कीम्स में ३.१० करोड़, दो टी० बी० क्लीनिक्स, १६ ई० एस० आई० अस्पताल, ३ ई० एस० आई० डिस्पेंसरीज तथा ५०० अतिरिक्त बेड्स के लिये ६.४८ लाख रुपये रखे गये हैं। १५ लेबर वेलफेयर सेन्टर्स तथा १५ चाइल्ड वेलफेयर एन्टरटेनमेंट सेन्टर्स के लिये १.५६ करोड़ रुपये रखे गये हैं। इसमें ५ कम्युनिटी हाल्स भी शामिल हैं, लेबर हाउसिंग तथा स्लम क्लीयरेंस के लिये ८.६० करोड़ तथा १ करोड़ रुपये क्रमशः रखे गये हैं। दूसरी वेलफेयर स्कीम्स के मातहत फोर्थ प्लान में लेबर हाउसिंग में ८.६० करोड़, लो इंकम हाउसिंग में ८.६० करोड़ तथा माडल रूरल हाउसिंग में ५० लाख रुपये रखे गये हैं।

यदि माननीय सदस्यों ने इस बजट का अध्ययन किया होता तो जिन आंकड़ों का मैंने जिक्र किया है वह उनको इस बजट के अन्तर्गत उपलब्ध होते जिनसे वे जानकारी प्राप्त कर सकते थे कि उत्तरोत्तर हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। अब समाजवाद तो कुछ ऐसी चीज है नहीं जो फूंक मारते ही हमारे बीच में आ जाय। आखिर समाजवाद लाने के लिये हमारा प्रयास है और जीवन-स्तर गिरा हुआ है उसको ऊंचा उठान के लिये आज अधिक से अधिक साधनों की आवश्यकता है। क्या हमारा प्रदेश इतने साधन उपलब्ध कर रहा है जितने साधन कि जिन अन्य प्रदेशों ने तरक्की कर ली है अपने जरायों से और केंद्र की मदद से इन दस-पन्द्रह वर्षों में, प्राप्त करते रहे हैं। यह एक प्रमुख प्रश्न हमारे सामने है। आज हमारा, प्रदेश सब से कम टैक्स देने वाले प्रदेशों में से है। हमारे पास जो आंकड़ें हैं वह इस बात को सिद्ध करते हैं। जो पर-कैपिटा टैक्स देते हैं वह आन्ध्र प्रदेश में १७.४० है, बिहार में ९.९४, गुजरात में २१.२३, हरियाणा में १७.१२, केरल में १९.९, मध्य प्रदेश में १३.३०, मद्रास में २०.७३, महाराष्ट्र में २६.००, मैसूर में १६.६२, उड़ीसा में १०.००, पंजाब में २८.९२, राजस्थान में १४.५६, उत्तर प्रदेश में १०.६, और पश्चिम बंगाल में २१.५३ है। जो प्रति व्यक्ति करों से प्राप्त

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

आमदनी है उसका जो स्तंभ निकला है वह इस तरीके से है---आन्ध्र प्रदेश के लोगों को ३.२ देना पड़ता है, बिहार में ३.४१, गुजरात में ४.०६, हरियाणा में ३.३५, केरल में ४.६०, मध्य प्रदेश में ३.५२, मद्रास में ४.७५, महाराष्ट्र में ४.६२, मैसूर में ३.७६, उड़ीसा में ३.७२, पंजाब में ४.६६, राजस्थान में ३.६८, उत्तर प्रदेश में २.६६ और पश्चिम बंगाल में ४.३५। तो ये आंकड़े यह सिद्ध करते हैं कि हम उतना टैक्स तो अदा नहीं करते इसलिये उतने साधन भी हम अपने जरिये से इकट्ठा नहीं कर सकते। हमारे विरोधी दल के नेता ने कहा था कि जितना केंद्र से मिले और जितना हमारे पास हो उसके हिसाब से बजट बनाओ, कर्ज बढ़ाने की नीति ठीक नहीं है। परन्तु दुनिया में जिन देशों ने तरक्की की है क्या उन्होंने दूसरे देशों से जो तरक्की कर चुके हैं उनसे रुपया उधार ले कर अपने यहां कारखाने वगैरह नहीं लगाये है? हां, यह सही है कि उन्होंने मेहनत अधिक की और अपनी माली हालत को सुधारा। चौधरी साहब अक्सर जर्मनी और जापान की मिसाल प्रस्तुत किया करते हैं। केवल ये दो ही ऐसे देश हैं जिन्होंने लड़ाई के बाद इतनी तरक्की कर ली कि वह जो बिल्कुल गिर गये थे वह फिर इतना उठ गये और फिर दुनियां की बड़ी ताकतों में गिने जाने लगे। जापान ऐसा देश है जहां फी आदमी जमीन बहुत कम है, कहीं २ एकड़, कहीं ३ एकड़ और कहीं ४ एकड़। हमारे यहां तो ५, ६ और ७ एकड़ भी है और ३ एकड़ से कम वाले लोग भी हैं। लेकिन वहां ३ एकड़ वालों ने भी अपनी खेती से बहुत तरक्की कर ली है। यह सब तभी हुआ जब लोगों ने बहुत मेहनत की, तकलीफें झेली और आने वाली औलाद को तकलीफों से बचाने के लिये अपने ऊपर बोझा ओढ़ा। यदि हम भी उसी तरह से साधनों को बढ़ाते चलेंगे और मेहनत से काम करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि १०-१५ वर्ष के अन्दर हमारी हालत में भी परिवर्तन हो और जो हम बार-बार यहां यह आंकड़े पेश करते हैं कि दूसरे प्रदेशों के मुकाबले हम बहुत पिछड़े हुए हैं वह हमें करने की जरूरत नहीं होगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम गांव वालों का नक्शा पेश करते हैं तो एक ही तरह का पेश करते हैं, जैसे गांवों में कोई परिवर्तन ही न हुआ हो, कोई तब्दीली ही न हुई हो। आज बिजली बहुत सी जगह पहुंच गई है, बहुत सी जानकारियां किसानों के पास तक शिक्षा संस्थाओं द्वारा पहुंच गई हैं और किसानों के रहन-सहन में परिवर्तन हुआ है और उनकी आमदनी के बढ़ाने में एक कदम बढ़ाया है। जिनके पास जमीन नहीं है वे आमदनी नहीं बढ़ा पाये हैं। जो नहीं बढ़ा पाये हैं उनकी व्यवस्था करनी है। हमने जो बजट बनाया है वह प्लांड इकोनामी की तरफ क्या नहीं है? जो हमारे साधन हैं उनके अन्तर्गत ही तो हम प्लान बना सकते हैं उनके अन्तर्गत ही तो हमें बहुत सी आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाना है।

इस वर्ष हमने पहली प्राथमिकता खेती को दी है क्योंकि इसकी तरक्की के द्वारा ही किसान की आमदनी बढ़ सकती है और जब किसान की आमदनी बढ़ेगी तो प्रदेश की आमदनी बढ़ेगी और साधन बढ़ेंगे और उनके जरिये जो हमारी कमियां और कमजोरी है वह कम होगी। क्या यह वास्तविकता नहीं है कि आज बच्चे बड़ी-बड़ी संस्थाओं में शिक्षा पाते हैं। बहुत से लोग गांव से बाहर जाना नहीं चाहते हैं। इस दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। जिन किसान के लड़कों ने आधुनिक विज्ञान पढ़ा है और जिनके पास जमीन है वह खेती को संभालें। लेकिन बहुत कम लोग इधर ध्यान दे रहे हैं। बैंकों को भी आदेश दिया है कि जो पढ़े-लिखे टेक्निकल इंजीनियर वगैरा हैं जिनके पास साधन नहीं है उनको रुपया दिया जाय जिससे वे छोट उद्योग-धन्धे कायम कर सकें। चौधरी साहब ने आपत्ति की कि जहां गुप्ता जी जाते हैं वहां पूंजीपतियों के मजे हो जाते हैं और वे सारे सुभीते पाते हैं और गरीब लोगों की तरफ यानी छोटे-छोटे उद्योग धन्धे करने वालों की तरफ सरकार ध्यान नहीं देती है। जो बजट में आंकड़े दिये गये हैं क्या वे इस बात को नहीं बताते हैं कि उत्तरोत्तर सरकार का ध्यान छोटे उद्योग धन्धों की ओर बढ़ रहा है। कितनी ही शिक्षा संस्थाएं स्थापित की हैं जिन्होंने हजारों व्यक्ति शिक्षित किये हैं और जिनके द्वारा छोटे-छोटे उद्योग धन्धे लग रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम अपने यहां छोटे उद्योग धन्धे नहीं लगाना चाहते हैं। चौधरी साहब का यह कथन कि बड़े उद्योग धन्धे

नहीं लगाने चाहिये, आखिर हम भारतवर्ष में रह रहे हैं और भारतीय सरकार की नीति के अनुसार कार्य कर रहे हैं। अगर दूसरे प्रदेशों में बड़े उद्योग धन्धे लग रहे हैं तो क्या हम ऐसा कह दें कि हमें यह नहीं चाहिये और कह दें बड़े-बड़े उद्योग धन्धे महाराष्ट्र में लगा दो, मैसूर में लगा दो, मद्रास में लगा दो तो क्या यह दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता की बात होगी ? पहली और दूसरी योजना में हमारी भूलों से, हमारे चिल्लाहट न मचाने से हमें कोई उद्योग-धन्धा न मिला जबकि केंद्रीय सरकार द्वारा जगह-जगह उद्योग धन्धे लगाये गये, २,४०० करोड़ रुपया केंद्रीय उद्योग धन्धों में सारे देश में लगाया। केवल ७१ और ७२ करोड़ रुपया, तृतीय पंचवर्षीय योजना से ७१ करोड़ रुपया खर्च हुआ और ७२ करोड़ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में इतना इस प्रदेश में लगा है, जबकि हमारी आबादी के हिसाब से कहीं अधिक मिलना चाहिये। आखिर आबादी को हमें रोजगार भी देना है, उसके हिसाब से, उस मात्रा में अधिक रुपया मिलना चाहिये। यदि हम उसके लिये आवाज उठाते हैं, तो सदन का कोई साथी ऐसा न होगा जो यह कहे कि यह आवाज न उठाओ, बड़े उद्योग धन्धे न लगाओ। हम जानते हैं कि बड़े उद्योग धन्धे तमाम लोगों को रोजगार नहीं देते हैं। लेकिन यह भी जानते हैं कि बड़े उद्योग धन्धे छोटे उद्योग धन्धे को जन्म देते हैं। बड़े उद्योग धन्धे के चारों तरफ छोटी-छोटी ऐन्सीलरी इन्डस्ट्रीज लग जाती हैं। जो कि बड़े उद्योग धन्धे की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। और इंजीनियर्स इत्यादि को कार्य में लगाती है। तो हम क्यों नहीं आवाज उठायें कि हमारे साथ वह व्यवहार होना चाहिये जो हमारी जनसंख्या के अनुसार मिलना चाहिये।

हम जो, समाजवादी व्यवस्था देश में लाना चाहते हैं। देश के निवासियों का स्तर ऊंचा करना चाहते हैं, यदि उत्तर प्रदेश के निवासियों का स्तर गिर गया तो क्या देश के अन्य क्षेत्रों में समाजवाद कायम हो जायेगा ? क्या इससे वह व्यवस्था नहीं पैदा होगी, जो वह लोग लाना चाहते हैं, जो संविधान में यकीन नहीं करते। जो देश को गड़बड़ी में डालना चाहते हैं। अशांति के वातावरण में डालना चाहते हैं और अपने ढंग का शासन देश में स्थापित करना चाहते हैं। मैं चौधरी साहब से पूछता हूं कि वे देश में किस व्यवस्था को लाना चाहते हैं ? क्या वह चाहते हैं कि इस देश में क्रांति आये तो उनके जरिये से आये जो लोगों को खत्म करना चाहते हैं, जो लोगों को मारकाट कर चन्द व्यक्तियों के विचारों को थोपना चाहते हैं। अगर वह चाहते हैं कि गणतंत्रीय ढंग से हमारे बीच में शासन रहे और क्रांति भी हमारे बीच में आये, और मैं समझता हूं कि यह उसके पोषक हैं तो भले ही हमारी कमियां हों, और कमियां जब वह थे, तब भी रहीं, उनको उस दृष्टि से देखना चाहिये, न कि यह लीपापोती कर दी जाय कि यह बजट पूंजीपतियों के लिये बनाया गया है। कौन बहुत सा रुपया बड़े उद्योग धन्धों के लिये रख दिया है। एक डल्ला फैक्टरी का विस्तार हो रहा है उसमें रुपया लगाना है। उसके लिये खर्च करना है। यह प्रिसिजन फैक्टरी का विस्तार करना चाहिये तो क्या न करें लेकिन जो अधिक धन निकाला है, वह छोटे-छोटे उद्योग धन्धों को करने के लिये निकाला है। यदि मैं उन आंकड़ों की तरफ आपका ध्यान खींचूं तो पता लगेगा कि हम कितना उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

गुप्ता जी जब तक ढूंढ लें तब तक एक चीज निवेदन कर दूं, उसका भी यह जवाब दे दें।

मान्यवर, गुप्ता जी ने यह बताया कि गांवों में जो हम तरक्की कर रहे हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, तो मैं और यह सदन जानना चाहेगा कि अंग्रेजों ने भी एक दिन में एक मील रेलवे लाइन बिछाई, हर चौथे महीने कपड़े का एक कारखाना कायम किया, हर छठें महीने शक्कर का एक कारखाना कायम किया। उसके अलावा बिजली, डाक, तार दिये, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ प्रगति होती है जमाने के साथ-साथ चाहे उसमें सरकार कुछ करे या न करे, वह तो होगी ही। तो मुख्य मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखकर बोलें कि दूसरे जो देश हैं, उसके मुकाबले में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

मैं उद्योग धंधों के सिलसिले में जिक्र कर रहा था। "प्रदेश की चौथी योजना में बड़े उद्योगों के विकास के लिये २,३७२·५० लाख रु० का खनिज विकास के लिये ९५ लाख रुपया का व ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के लिये २,०१० लाख रुपया का प्राविधान किया गया है बड़े उद्योगों में डल्ला सीमेन्ट फ़ैक्टरी का पूरा किया जाना व उसका विस्तार, डेड बर्न्ट मैगनेसाइट, राजकीय आप्टिकल इंस्ट्रुमेन्ट फ़ैक्टरी, राजकीय सूक्ष्म उपयंत्र कारखाने का आधुनिकीकरण व पावर टिलर प्रायोजनांएं राजकीय क्षेत्र में शामिल हैं। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिये उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक निगम (अंडर राईटिंग आफ़ शेयर्स) औद्योगिक क्षेत्र योजना ,सूती मिलों व गन्ने की मिलों के आधुनिकीकरण इत्यादि के लिये प्राविधान किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र योजना व सरकारी निगम लघु उद्योगों को भी लाभ पहुचाते हैं। उद्योगों के लिये जो ४ ४७७.५० लाख रु० का परिव्यय रक्खा गया है उसमें बड़े उद्योगों के लिये, जिनका खुलासा ऊपर दिया गया है, अधिक नहीं कहा जा सकता। जो प्राविधान किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य मौजूदा राजकीय कारखानों का विस्तार, डेड बर्न्ट मैगनेसाइट व पावर टिलर की नई प्रायोजनाओं का लिया जाना तथा वर्तमान व सम्भावित निजी क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहित करना है।

ग्रामीण व लघु उद्योगों के अन्तर्गत हैन्डलूम के लिये ४०० लाख रु०, पावर लूम के लिये १०.१५ लाख रु०, लघु उद्योगों के लिये १ २०४.७५ लाख रु० औद्योगिक बस्तियों के लिये ५० लाख रु०, हस्तकला उद्योगों के लिये ७० लाख रु०, सेरीकल्चर के लिये ५० लाख रु० व खादी एवं ग्राम्य उद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के अंशदान के लिये २५ लाख रु० का प्राविधान किया गया है।" मेरे कहन का मतलब यह है---चौधरी साहब ने जो कहा कि हम बड़े बड़े उद्योग धंधों पर ही ध्यान दे रहे हैं, वह बात वास्तविकता से परे है। बड़े छोटे और घरेलू उद्योग सभी हमारी निगाह के सामने हैं। सभी को तरक्की देने की दिशा में हम आगे बढ रहे है। जो पिछड़े इलाके है, उनके भी कुछ जिले यह सिद्ध करते हैं कि उनकी परकैपिटा आमदनी पड़ोस के जिलों से अधिक है। उत्तराखंड के जिले अवश्य ऐसे हैं जिनके बारे में हमें नई दृष्टि से विचार करना है, जिसके बारे में हमने योजना बनाई है। जो एरिया पिछड़ा हुआ है उसमें हमने लोगों को सुभीता दिया जिससे वहां के लोगों को सन्तोष प्राप्त हो। चौधरी साहब ने वहां के विश्वविद्यालय और कमिश्नर के पोस्ट के बारे में चर्चा की। यह मेरे जमाने में नहीं हुआ है, यह तो राज्यपाल के जमाने में हुआ है। विश्वविद्यालय की मांग बहुत पुरानी मांग है, यदि किसी पुरानी मांग को आप ठुकरायें तो वहां के निवासियों के बीच में असन्तोष पैदा होता है। वह असन्तोष जिस समय देश में फ़िसीवेरस टेन्डेंसी जगह-जगह उभड़ रही हो उनको बढ़ने का मौका नहीं देना चाहिये। इसलिये दूरदर्शिता का तकाजा है कि उन मांगों पर हम गम्भीरता से विचार करें और उन को पूरा करने की कोशिश करें इस बजट में हमने उन चीजों को पूरा करने की दिशा में कदम उठाये है। यह तो मोटी-मोटी बातें बजट की हुई जिनके बारे में मैंने कहा। अब चौधरी साहब ने कई बातें ऐसी कह दीं जिनसे मुझे बड़ा दुःख हुआ। उन पर तो ब्योरे में नहीं जाऊंगा लेकिन तीन चार बातों पर अवश्य प्रकाश डालूंगा। जिससे चौधरी साहब और अन्य माननीय सदस्य स्वतः नतीजा निकालेंगे। उन्होंने कहा कि बी० के० डी० के आदमियों को हम सता रहे हैं उनको पकड़वा रहे हैं और उस दल से जरा सा भी सम्बन्ध रखने वाले अधिकारियों का तबादला कर रहे हैं और किसी जाति विशेष आदमी को तंग कर रहे हैं। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं वह सारी बातें तथ्य से परे हैं। उन्होंने एटा जिले के किसी एम० एल० ए० भाई के बारे में कहा बांदा और कानपुर के बारे में कहा। मैं चाहूंगा कि वह तथ्य उनके सामने रख दूं। कानपुर में बी० के० डी० के एक आदमी पर ३१ मुकदमे चलाये गये। एलेक्शन के पहले इस व्यक्ति के खिलाफ़ कोई रिकर्ड नहीं है। सन् ६८ के अन्त में प्रदेश में कानपुर के समीपवर्ती क्षेत्रों में बहुत-सी डकैतियां पड़ी। इन डकैतियों के सिलसिले में एक सुन्दर चमार को गिरफ्तार किया गया। जिसने पूछताछ के दौरान यह बताया कि यह डकैती देवीदीन उर्फ़ पाटन के द्वारा डाली गयी है।

सुन्दरलाल निवासी कर्मापुर थाना कल्याणपुर जिला कानपुर उसमें शामिल थे। ७ जून, १९६९ को उनको गिरफ्तार किया गया और कार्यवाही शिनाख्त में उनकी शिनाख्त हुई। श्री सुन्दरलाल पहले कांग्रेस कार्यकर्त्ता थे और बाद में वह भारतीय क्रान्ति दल में शामिल हो गये। उच्चस्थ पुलिस अधीक्षक कानपुर इस बात की जांच कर रहे हैं कि श्री यादव का इस डकैती से कहां तक सम्बन्ध है क्योंकि पिछले रिकर्ड को देखने से पता चलता है कि पहले उन्होंने किसी अपराध में भाग नहीं लिया और यदि पुलिस अधीक्षक की जांच के बाद यदि श्री यादव को निर्दोष पाया गया तो उनके खिलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं की जायगी और जिन कर्मचारियों की ढिलाई पायी जायगी उनके खिलाफ़ कार्यवाही की जायगी।

राज्य कर्मचारियों का जातिभेद के आधार दूर के स्थानों पर तबादिला किये जाने के बारे में यह कहता हूं कि मेरठ तथा आगरा डिवीजन के छोटे श्रेणी के कर्मचारियों को बाराबंकी तथा बहराइच जैसे दूर स्थानों पर तबादला किया गया क्योंकि वह जाट अहीर थे। इस सम्बन्ध में यह कहूंगा कि मेरठ तथा आगरा परिक्षेत्र में केवल १४६३९ अराजपत्रित कर्मचारियों में से केवल २६ अराजपत्रित कर्मचारियों को वर्ष ६९ में प्रदेश के सब जिलों में तबादला किया गया है। इस विषय में सरकार को यह भी देखना जरूरी होता है कि एक ही जाति के कर्मचारियों को किसी विशेष क्षेत्र में ज्यादा दिनों तक न रखा जाय क्योंकि इससे प्रदेश की जनता में असंतोष पैदा हो जाता है सरकार क पास अनुसूचित जाति के लोगों की तरफ़ से कुछ ऐसी शिकायतें आयी थीं कि कुछ क्षेत्रों में एक ही जाति के लोग तैनात कर दिये गये हैं। जो उनके मामले की ठीक से जांच पड़ताल नहीं करते हैं जहां सरकार जांच कराना चाहती है तो यह तय किया था कि जिन क्षेत्रों में उसी जाति के कुछ ज्यादा लोग थे उनको वहां से हटाकर दूसरे उनको वहां से हटाकर दूसरे हिस्सों में भेज दिया जाय। एक बात यह कही गई कि बदायूं के बी०के०डी० के एम० एल० ए० को पुलिस डकैती के मामले में फंसाना चाहती है तो इस संबंध में सूचना यह प्राप्त हुई है कि बदायूं के किसी भी सदस्य के विरुद्ध कोई डकैती का मामला नहीं चल रहा है किन्तु बदायूं के एम० एल० ए० जुगल किशोर के विरुद्ध धारा १४७, ३२३, ३४२, ३६४ भारतीय दंड विधान के अधीन मई, १९६९ से मामला चल रहा है जो न्यायालय के विचाराधीन है। इस मामले में ज्यादा कहना उपयुक्त नहीं होगा।

अब इस सिलसिले में यह निवेदन करना चाहता कि चुनाव के बाद सोशलिस्ट पार्टी जनसंघ, कांग्रेस ने, जो भी गड़बड़ी चुनाव में हुई या इंटिमिडेशन हुआ, प्रस्ताव पास किये हे। मेरठ और मुजफ्फरनगर के संबंध में सोशलिस्ट पार्टी ने यहां तक अपना प्रस्ताव पास किया है कि जिलाधीश, एस०पी०, डी०आई० जी० इन्होंने तमाम स्थानों में बी०के०डी० की मदद की। इस तरह के आरोप लिखित सरकार के पास आये। सरकार के पास ८१ इंटिमिडेशन की रिपोर्ट सारे प्रदेश से आई। ९० रिपोर्ट केवल मेरठ और मुजफ्फरनगर से आई। इसमें भी अधिक उस क्षेत्र से मेरठ से आई जहां से चौधरी साहब ने चुनाव लड़ा था। अब हालत इस प्रकार की थी और इस तरह की मांग थी कि कमीशन बिठाया जाय। उस वक्त केंद्रीय सरकार का भी विचार हुआ था कि कमीशन से इंक्वायरी हो। इस पर विचार हुआ कि क्या इन मामलों को वर्षों तक कमीशन के जरिये से ही चलाते रहना चाहिये। सोचा गया कि जो गलती या झगड़े आवेश में आकर लोगों ने किये हैं क्या उनको महीनों तक चलाते रहना कोई समझदारी की बात होगी? अन्त में यह तय हुआ कि जिन अधिकारियों के बारे में शिकायत आवे चाहे वह सही हों या गलत, जनता को संतोष देने के लिए उन अधिकारियों को बदल देना चाहिये। हमने किसी को सजा नहीं दी। सब को अच्छी जगह भेज दिया क्योंकि उनके बारे मे हमारे पास कोई मैटीरियल नहीं था। मेरठ और मुजफ्फरनगर में इस प्रकार की बात फैली हुई थी कि वहां पर हरिजनों को मत नहीं डालने दिया गया। जिलाधीश के पास ऐसी शिकायत आई कि उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। उनको टट्टी के लिये बाहर नहीं जाने दिया जाता है। इस तरह की रिपोर्ट वहां जिलों में हुई। उसके अनुसार इंक्वायरी हुई तो उनको वहां से बदल दिया गया। केवल २६ आदमियों को १५०० में से बदला गया है। तो में नहीं जानता कि किस प्रकार से यह बात निकलती है कि जाति बिरादरी को सामने रखकर बदला गया है। अगर किसी ने गलत बात की है

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

और सरकार के पास न्याय मांगने के लिये बात आती है तो सरकार स्वयं लोगों को संतोष देने के लिए वहां से अधिकारी का बदलाव कर देती है यह बताने के लिए यह सरकार हर एक के साथ न्याय और इंसाफ करना चाहती है। तो क्या यह बेइंसाफ की बात है? क्या यह जाति बिरादरी के आधार पर बात की जाती है।

इस प्रकार से कहना गलत वृत्ति का प्रतीक है। यहां पर एक नौकर के बारे में शिकायत की गई। लेजिस्लेचर के सेक्रेटरी के बारे में शिकायत की गई। तो जो लेजिस्लेचर सेक्रेटरी की नियुक्ति हुई है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। १९५४ में कुछ फैसला लिया गया कि लेजिस्लेचर के सेक्रेटरी अलग से हुआ करें। ६--७ तक इसके अलग सेक्रेटरी रहे और जब वे रिटायर हुए तो विधान सभा के अध्यक्ष और विधान परिषद् के सभापति में कोई फैसला नहीं हो पाया और किसी नये व्यक्ति को नहीं रखा गया। आग्रह अध्यक्ष का यह रहा कि वह सरकार का आदमी नहीं होना चाहिये। खर्चा कम करने के ख्याल से मैं यह अवश्य चाहता था कि सरकार का एल० आर० ही उस कार्य को करता रहे लेकिन हमारे अध्यक्ष और सभापति जी ने यह लिखित राय दी कि हमारा अलग सेक्रेटरिएट होना चाहिये। और यह निर्णय था किसी कमेटी का कि लेजिस्लेचर का एक सेक्रेटरी अलग से रहे। तब उन्होंने उस व्यक्ति को चुना। हाई कोर्ट से नाम मांगे गये, और उन्होंने उन नामों में से एक उस व्यक्ति को चुना। हां, यह जरूर है कि उस नाम के पीछे शब्द "अग्रवाल" लिखा हुआ। यह मेरा और सरकार का कसूर है तो मैं नहीं कह सकता कि यह कहां तक जा बात है....।

श्री चरणसिंह—

मैं जरा एक बात कहना चाहता हूं। आपने गलत कहा है, मैंने अग्रवाल या गुप्ता की बात नहीं कही थी, मैंने तो सिर्फ यह कहा था....

(व्यवधान)

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अगर आपने नहीं कहा था तो मैं अपने शब्द को वापस लेता हूं।

(व्यवधान)

श्री चरण सिंह—

मैंने तो केवल इकोनामिक मेजर के आधार पर इस बात को कहा था।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, यहां मौजूद हैं, मैंने भी इकोनामिक मेजर के आधार पर ही एक आदेश दिया था लेकिन ये दोनों राजी नहीं हुए। चौधरी साहब के एक बड़े लेफ्टिनेन्ट वर्मा जी हैं, उन्होंने कहा कि चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति में पक्षपात किया गया। अभी तक १५--१६ साल से यह पद्धति रही है कि जो मेम्बर पब्लिक सर्विस कमीशन का सीनियर मोस्ट होता है वही चेयरमैन बनता है। पहले श्री नफीसुल हसन साहब सीनियर मोस्ट मेम्बर थे, वे चेयरमैन बने। इसके बाद श्री राधा कृष्ण अग्रवाल सीनियर मोस्ट मेम्बर, वे वे उसके चेयरमैन बने, फिर रामधर जी सीनियर मोस्ट मेम्बर थे, वे उसके चेयरमैन बने, फिर उसके बाद चक साहब सीनियर मोस्ट मेम्बर थे, वे उसके चेयरमैन बने और अब जो यहां पहले इंजीनियर थे, उनका नाम श्री मित्तल है, वे सीनियर मोस्ट मेम्बर थे इसलिये उनको चेयरमैन के पद पर नियुक्त कर दिया गया। तो अगर आप फिर जाति बिरादरी वालों को लाने की बात कहते हैं तो अब मैं क्या कहूं।

अब हमारे ऊपर एक यह आरोप लगाया गया कि मैंने हरदोई जिला परिषद् के अध्यक्ष पर जो मुकदमा था उसको वापस ले लिया । हां, मैंने उस मुकदमे को वापस ले लिया और कसूरवार हूं अगर कसूर है। मैंने मुकदमे संबंधी तमाम कागजात देखे, उन कागजातों को देखने से पता लगा कि ला डिपार्टमेंट ने मुकदमा चलाने का पहले ही विरोध किया था । दो दो लीगल रिमेम्बरेंसरों ने, जिनमें से एक जज हो गये, इसके खिलाफ लिखा, दोनों ने मुकदमा चलाने के खिलाफ राय दी लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर फैसला कर दिया गया कि जिला परिषद् अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा चलाया जाय । यह तो हुआ कांग्रस के उस व्यक्ति के संबंध में जो कि जिला परिषद् का अध्यक्ष था । दूसरी बात जो उसी जिले में और उसी महीने में चौधरी साहब के नीचे बात हुई वह यह कि एक साहब थे श्री गंगा भक्त सिंह जो सहकारिता मंत्री भी थे, उनके एक भाई श्री शारदा भक्त सिंह हैं जो कभी विरोधी पक्ष के नेता भी इस सदन में रहे, उनके लड़के पर दफा ३५४ का मुकदमा कायम हुआ और चला मोलेस्टेशन का और वह मुकदमा उनकी सरकार ने ८–१० रोज के अन्दर ही वापस ले लिया दफा ३५४ का मुकदमा जो मोलेस्टेशन का था उसे टेलीफोन पर वापस ले लिया गया । तो मैं चाहता हूं कि आखिर यह क्या है? मैं नहीं कहता कि मुकदमा क्यों वापस लिया गया, हो सकता है कि उसके कुछ कारण रहे हों लेकिन मैं आथारिटेटिवली कहता हूं कि दो लीगल रिमेम्बरेंसरों की राय, लीगल डिपार्टमेंट की राय जिला परिषद् अध्यक्ष पर मुकदमा चलाने के विरुद्ध थी लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर उस पर मुकदमा चलाया गया और वह व्यक्ति एम० एल० ए० चुन कर भी यहां आ गया, अगर सरकार ने जनहित में उस पर से मुकदमें को वापस ले लिया तो इसमें क्या हमने कसूर कर दिया क्योंकि हम तो गलत तरीके से इस सरकार को चलाते हैं, और गलत रवैया अख्तियार करते हैं....?

यही नहीं, आपनें यह भी फरमाया कि साहब यहां पर एक कमेटी कांग्रेस सरकार के जमाने से बनी हुई थी जो कि हाई पावर कमेटी बनी हुई थी । जो कि वकीलों का चुनाव करती थी। वह कांग्रेस सरकार के जमाने से बनी हुई थी। अब उस कमेटी के सिलसिले में जो बेचारे वकील अर्जियां लाते थे, हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि वकीलों का अर्जी लगाना गवर्नमेंट काउन्सिल ने बना दिया । यह अन-प्राफेशनल कांडक्ट है। वह अर्जियां नहीं लगा सकते हैं और उस कमेटी के सामने साक्षात्कार के समय रख दिया । अभी कोई नियम भी नहीं बना था। पुराना कायदा यह था कि जिलाधीश और डिस्ट्रिक्ट जज अगर एक राय बनाकर किसी व्यक्ति को प्राथमिकता देते थे तो वह व्यक्ति आंख मूंदकर नियुक्त कर दिया जाता था और चला जाता था । अभी जिस कमेटी की चर्चा चौधरी साहब ने की कि कमेटी थी इनके जमाने में काम कर रही थी । अब इनके जमाने में हुआ क्या कि एक जगह मैनपुरी में खत्म हुई वकील की । एक व्यक्ति जो कि एनरोल्ड भी नहीं था वीरेंद्रपति यादव । वह तो बुलाया नहीं गया उस कमेटी के सामने पहले तो उसकी अर्जी कमेटी के सामने रक्खी गई । उसके रखने के बाद भी छांटा नहीं । परन्तु सरकार ने इसके बावजूद, इनकी सिफारिश के बावजूद भी नियुक्त कर दिया । उस कमेटी की जिसकी सेंक्टटी बताते हैं उस कमेटी की रिकमेंडेशन के बावजूद मैनपुरी के जिले में ऐसे एक वकील को जो कि लिस्ट में नहीं था, एक एडवोकेट लिस्ट होती है उसको नियुक्त कर दिया । हमने तो बड़ा पाप यह किया कि उसी जिले में कांग्रेस का आदमी जिसके सिलसिले में दो एल० आर० के ओपीनियन खिलाफ थे यह नहीं होना चाहिये और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ढंग से उस पर मुकदमा चला दिया गया और उसी जिले में जहां मुकदमा चल रहा था और जो सरकार में मुकदमा था वह उठा लिया गया । तो यह जो पैमाना है तौलने का यह मैं समझता हूं यह बदलना चाहिये और चौधरी साहब को जैसा कि मैं प्रारम्भ से कह चुका हूं, जब ६८ वर्ष के हैं तो जरा न्यायसंगत दृष्टि से इन सारी चीजों को देखना चाहिये और दूसरे को यह नहीं समझना चाहिये कि दूसरे जो बैठे हैं वह इवनिंग आफ पब्लिक लाइफ में बैठे हैं। वे यहां गलत बात करने के लिये आये हैं । क्या उसके उद्देश्य होंगे, क्या उसकी आकांक्षायें होंगी। तो हमारी पचास साल में राजनैतिक आकांक्षायें पूरी हो चुकी हैं और एक ही आकांक्षा पूरी होने को बाकी है और वह चौधरी साहब की

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

भी बाकी है और हमारी भी बाकी है। अब तो वही बाकी रह गई है हम गलत ढंग की बात करें यह बात बहुत तर्क संगत और न्यायसंगत नहीं है। मैं बहुत अदब से इसलिये कहना चाहता हूं कि ये जो ढंग है चीजों के तौलने का वह पैमाना भी बदलना चाहिये। चाहे चौधरी साहब जितने भी नाराज रहें.... ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

आपके साथी रहे हैं...

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

ये जिनके साथी रहते हैं उन्हीं से नाराज रहते हैं। बड़े से बड़े से नाराज रहते हैं और छोटे से छोटे से नाराज रहते हैं। इस बात में तो आप लोगों ने भी तजुर्बा हासिल कर लिया है। आपसे भी नाराज हो गये थे। वह भी आपके सामने की बात है कोई नई बात नहीं है। वे दोस्ती और से भी कर सकते हैं इनकी फिलासोफी दूसरी रही है। यह कहते हैं कि हम किसी भी बिस्तर पर सो सकते हैं। यह फिलासोफी हमारे सिद्धांत की नहीं है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

आप किसी योग्य साथी को साथ लेकर चल ही नहीं सकते।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

लेकिन यह कहना कि इतना लम्बा तांता बंधा है हमारी कमियों का यह चीज क्या न्यायसंगत है। मैं यह नहीं कहता कि मैं कमियों से बुल गया हूं। गलतियां मैं भी करता हूं। पर गलतियां जानबूझ कर नहीं करता हूं। गलतियां यह समझ कर नहीं करता हूं कि ये गलतियां जनहित के विरुद्ध होंगी। अक्सर आप लोग कहते हैं ट्रांन्सफर्स की बात। मैं बताना चाहता हूं और मैं उधर के साथियों और इधर के साथियों को भी दोषी ठहराना चाहता हूं। वह यह थी कि यह बात पहले इतनी नहीं थी। पहले थी लेकिन बहुत थोड़ी थी। अब मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यह बात इतनी बढ़ गयी है कि ट्रांसफर्स के विषय में हर एम०एल० ए० यह समझता है कि उसका यह अधिकार है कि वह किसी भी डाक्टर का, क्लर्क का, चपरासी का, कानिस्टिबिल का ट्रांसफर कराये और अगर कोई ट्रांसफर हो गया है तो उसको मंसूख कराये। आज यह बात बहुत बढ़ गयी है। यह बात सब दलों के सदस्यों और सब दलों के नेताओं के लिए लागू होती हैं। मैं तो ऐसे कागजात जमा करके रखता हूं। सबकी पोथी मेरे पास है लेकिन मेरा यह धर्म नहीं है कि सदन के समक्ष उसको रखूं या उसको कहूं। लेकिन यह जरूर है कि यह कभी हमारे सार्वजनिक जीवन में पैदा हो गयी है। कर्मचारी वही हैं। पहले भी वे अपने ढंग से काम करते थे अंग्रेजों के जमाने में और आज भी हमारे जमाने में भी वे अपने ढंग से काम करते हैं। अगर हम अपनी जगह पर मजबूत हैं फिर हमें सरकारी कर्मचारी की क्या चिन्ता है। यदि कोई कर्मचारी आज की बदली हुई परिस्थिति में कोई बदमाशी करता है, वह दोषी है, तो उसको सजा मिलनी चाहिये। गणतंत्र में अगर कोई नौकरशाही के तरीके इस्तेमाल करेगा तो उसकी चल नहीं सकती। हमारे बराबर यह आदेश रहे हैं, बार-बार उनको हम यह समझाते रहे हैं और बहुतों ने अपने उन तौर तरीकों को बदला भी है, वे अच्छा काम कर रहे हैं, लगन के साथ काम कर रहे हैं। उनमें भी काम करने का उतना ही उत्साह है जितना कि हम में है। लेकिन एक साथ हम सबको कन्डेम कर देना उनके साथ न्याय करना नहीं है। आखिर वही तो शासन के अस्त्र शस्त्र हैं। इसलिये एक साथ सभी को कंडेम कर देना भी बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। जब हम कोई लंबी चौड़ी बात करते हैं तो उससे जो शुद्ध वातावरण बनना चाहिये वह नहीं बन पाता।

आज ही की बात को ले लीजिये । अध्यक्ष महोदय ने उस बात को आज क्लोज कर दिया लेकिन उस अधिकारी के बारे में यहां कुछ कहना जो बेचारा यहां उपस्थित नहीं है । यदि वह कहीं बाहर कोई बात ऐसी सुनता है तो उसको धक्का लगता है और उस धक्के के कारण वह कोई विचार प्रकट कर देता है । ऐसा तो मैं मानता नहीं हूं कि वह ऐसा अधिकारी है जो इस प्रकार की धमकी की बात करेगा और राधेश्याम शर्मा के खिलाफ तो मैं इस बात को मान ही नहीं सकता । चाहे और कोई कमी उसमें भले ही हो लेकिन उसको दूसरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिये, उसका उसको पूरा ज्ञान है।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

उसकी आप वकालत कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

यह मेरे अपने विचार हैं। हम तो आज वकील हैं लेकिन मेरे नौजवान साथियों को आगे वकील बनना है । मैं तो अब यहां थोड़े दिनों के लिये हूं। बाद को तो आप ही लोग आयेंगे ।

(शोर)

श्री रामधारी (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने आपके सामने यह फरमाया कि मैं राधेश्याम के विरुद्ध कुछ नहीं सुनना चाहता। जब कि राधेश्याम के विरुद्ध प्रश्न सदन में पेश है और उसकी इंक्वायरी चल रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी को कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिये क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यहीं कत्ल या डकैती डलवाना चाहते हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

घर से बाहर तक की खबर रखने वाले की तारीफ ही तो की जाती है ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मेरा नम्र निवेदन यह है कि आपने बहुत से सुझाव भी दिये हैं कि कहां–कहां, क्या–क्या परिवर्तन होना चाहिये । वे सुझाव हमारी नजरों के सामने रहेंगे, उनके ऊपर हम विचार करेंगे और सदा उस दिशा की ओर बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे जिससे प्रदेश की गरीब जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकें तथा प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को उभरने और उठने का समान अवसर प्राप्त हो सके । आज प्रदेश में ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे इलाके हैं और ऐसे स्थान हैं जहां हरिजन, जो गरीब पद-दलित हैं और जहां दूसरे जाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं वे उनको कष्ट देते हैं, जो उनके अधिकार हैं वे उनको नहीं दे रहे हैं चाहे पश्चिम में हों चाहे पूर्व में हों उनको पूरे अधिकार दिलाने का हमें प्रयास करना है जो उनके संविधान में प्रदत्त अधिकार हैं। अगर आंप इस दिशा में नहीं चलेंगे तो मैं आपसे कहता हूं कि वह दिन आने वाले ह जब आप देश में खूनी क्रांति के लिए तैयारी करना चाहते हैं । इसलिये उससे बचने के लिए अपने समाज में वह परिस्थितियां पैदा हों जिससे समाज की प्रगति हो और समाजवाद लाने में सहायता मिल सके । इसके लिये आपको इन योजनाओं में जो हमने प्रस्तुत की हैं, योगदान देना चाहिये । यह बजट उन्हीं उद्देश्यों को सामने रखकर बनाया गया है जिससे प्रदेश का भला हो और समाजवादी व्यवस्था जल्द से जल्द हमारे बीच में स्थापित हो । इसी मे हमारा कल्याण है, इसी में देश का भविष्य उज्जवलमय और गौरवमय होगा । अन्त में मैं चाहता हूं कि बजट जो प्रस्तुत किया गया उसको स्वीकार किया जाय जिससे योजनाओं को सम्पादन करने का हमें और हमारे कर्मचारियों को मौका मिले ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, अभी हम लोगों ने माननीय मुख्य मंत्री का भाषण सुना। उन्होंने जो प्रदेश की प्रगति के आंकड़े प्रस्तुत किये हैं अगर उनको ध्यानपूर्वक देखा जाय तो प्रतीत होगा कि वह बिल्कुल निराधार है। उसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। इसलिये मैं कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं। आपने प्रति व्यक्ति वार्षिक आय को बताते हुए कहा है कि इस साल प्रति व्यक्ति आय २५४ रुपये हो जायगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान १९६४–६५ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें वह २५८ रुपये थी। कहां गयी आपकी प्रगति? मैं कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस की कोई भी ऐसी नीति नहीं है जो इस देश और प्रदेश को राहत दे पाये। आज जिस प्रकार देश की सीमा का क्षेत्रफल घटता जा रहा है उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की सीमा का भी क्षेत्रफल घटता जा रहा है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल १९६२ में ७४४ लाख एकड़ था। माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी कृषि की रिपोर्ट १९६६ देख लें, जिसमें ७२९ लाख एकड़ लिखा गया है। कहां गया यह १५ लाख एकड़? जिस प्रकार से देश का १ लाख १२ हजार मील का एरिया चीन ने दबा लिया है उसी प्रकार से यहां भी हो रहा है। इस चौथी पंचवर्षीय योजना के २ वर्ष खटाई में पड़ गये। उसमें उन्नति हो ही नहीं सकती। तृतीय पंचवर्षीय योजना में १९६०–६१ में उत्तर प्रदेश में कुल अन्न का उत्पादन कितना हुआ १०,६६३ मीट्रिक टन।

१९६५–६६ में १०,०१३ मीटर टन यानी ६५० मीटर टन का ह्रास हुआ। इसी प्रकार प्रति एकड़ उपज का औसत भी कम रहा। १९६१–६२ में चावल ८.६१ मन फी एकड़ था और गेहूं ११.०८ मन फी एकड़ था। वहां १९६६–६७ में चावल और गेहूं ४.७१ तथा १०.६४ मन फी एकड़ क्रमशः हो गया। अब मोटे अनाज में ज्वार और बाजरा जहां ५१–५२ में ७.६३ तथा ७.६६ मन फी एकड़ पैदावार थी वहां ६७–६८ में घट कर वह ४.२१ तथा ५.५६ मन फी एकड़ हो गई। सूती कपड़े में सूती कपड़ा १९६० में ३,३९७ लाख मीटर था वहां १९६५ में ३२८१ लाख मीटर हो गया और इसका प्रतिशत पूरे भारत में जहां ७.४ प्रतिशत था वहां घटकर ४.२ प्रतिशत हो गया।

इसी प्रकार चीनी १९६० में १४२६.६ हजार मीट्रिक टन थी और पूरे भारत का प्रतिशत ४७.१ था १९६५ में घटकर १३७२.१ मीट्रिक टन हो गया और पूरे भारत का प्रतिशत ३८.५ रह गया। जहां तक बढ़ोत्तरी का ताल्लुक है वह शराब में हुई। शराब से आमदनी बढ़ी है १९६० में शराब राज्य में १९५४ हजार लीटर और १९६५ में ९५,७१७ हजार लीटर तक हुई जिसके बारे में महात्मा गांधी के विचार मैं एक छोटी–सी पुस्तक से पढ़े देता हूं।

"यह हमारे लिये क्या शर्म की बात नहीं है कि हमारे बच्चे उस आमदनी के द्वारा शिक्षा ग्रहण करें जो शराब की बिक्री से होती [illegible]।' इस चीज को यह जो चित्र इस सदन में टंगा हुआ है कभी हमें माफ़ नहीं करेगा। यह बातें इसलिये हो रही हैं कि आपका कोई आर्थिक नियोजन नहीं है और नियोजन है तो लूप और नसबन्दी पर। जब आप इस पाली में बैठते थे तो कहते थे कि अलाभकर जोत पर लगान माफ हो और हर खेत में सिंचाई की व्यवस्था हो। अब गुप्ता जी सरकारी बेन्चेज पर हैं वे कृपया इधर से कही हुई अपनी बातों की व्यवस्था कर दें। अगर यह भी नहीं हो पाया तो १९६७ के चुनाव में जो जनता को आश्वासन दिया था कि हम १० बीघा तक का लगान माफ करेंगे और १९६९ के चुनाव में जो जनता को आश्वासन दिया था कि हर खेत को पानी और हर गांव को बिजली देंगे उसकी तो पूर्ति करते। लेकिन आज हम इतने बिगड़ गये हैं कि इस पाली में एक बात करते हैं और उस पाली में दूसरी बात करते हैं। इसलिये हमें यह आदर्श रखना चाहिये कि जो इस पाली में बैठ कर बात करेंगे वही उस पाली में बैठेंगे तो भी करेंगे तब प्रदेश का विकास हो पायेगा। जब हम दस बीघा की बात करते हैं तो इसी के साथ बेरोजगारी की बात जुड़ी हुई है। आप चतुर्थ पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं लेकिन बेरोजगार १२ लाख २६ हजार से बढ़ कर २३ लाख हो जायेंगे। ऐसी योजना किस काम की? यह तो बेरोजगारी की योजना है। लक्ष्य आपने क्या रखा?

खेती में ५ सैकड़ा और उद्योग–धंधों में १० सैकड़ा। जिस प्रदेश में ८२ प्रतिशत किसान रहते हैं उसका लक्ष्य ५ सैकड़ा और उद्योग–धंधों में जिसमें केवल ८ प्रतिशत लोग लगे हैं उसका लक्ष्य है १० सैकड़ा। यह बात समझ में नहीं आयी। कृषि की उत्पादिता विनियोग पूंजी में है .८६ और उद्योग की है .१८। जब उद्योग की उत्पादिता कम है तो क्या कारण है कि इतनी बड़ी पूंजी आप उसमें लगा रहे हैं। बात करते हैं आप किसान के राहत की और सुविधा देते हैं उद्योगपतियों को। बात करते हैं समाजवाद की और कर्म करते हैं पूंजीवाद के। आप यह बात छोड़ें और हम और आप मिल कर देश की प्रगति करें। प्रदेश के विकास में हमारी केन्द्रीय सरकार भी रोड़ा अटका रही है क्योंकि वह राष्ट्रीय आमदनी का बहुत कम रुपया हमको देती है। इन १८ वर्षों में जहां नागालैंड में ५७३, जम्मू–कश्मीर में ३६१, उड़ीसा–आसाम में २०१, पंजाब में २२१ रुपये खर्च किये वहां उत्तर प्रदेश को केवल १०२ ही रुपये दिये हैं। हम चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार से आप लड़ाई लड़ें तो सा.ा प्रदेश आपके साथ रहेगा। लेकिन आप तो इन्दिरा जी को देख कर भाग पड़ते हैं। हम तो आ दोलन करने के लिये तैयार हैं कि उत्तर प्रदेश को क्यों इतना कम पैसा दिया जाता है। मैंने यह बताया है कि किस तरह से केन्द्रीय सरकार ने हमारी उपेक्षा की है। अंग्रेजों के जमाने से यह सिलसिला चला आ रहा है। जो जन-संख्या बढ़ रही है वह यहां भी बढ़ रही है। इस लिये पूर्वी जिले अछूते ही रह जाते हैं और वहां पर विकास की कोई बात नहीं आती है। माननीय गुप्ता जी ने पटेल आयोग की बात तो कही है लेकिन उसकी एक भी सिफ़ारिश को बजट में समावेश नहीं किया गया है। पूर्वी जिलों की क्या हालत है? पश्चिमी जिलों में नहरों से जहां १,९४९ हजार हैक्टर सिंचाई हुई वहां पूर्वी जिलों में केवल ३०४ हजार हैक्टर हुई। पश्चिमी जिलों में जहां नलकूपों से ३२९ हजार हैक्टर क्षेत्रफल सींचा गया वहां पूर्वी जिलों में २११ हजार हैक्टर की ही सिंचाई हुई। पश्चिमी जिलों में मासिक उपभोग का मूल्य ६४–६५ में १८४.४ था वहां पूर्वी जिलों में १६४.३ था और ६५–६६ में जहां पश्चिमी जिलों का १९५.७१ था वहां पूर्वी जिलों का १६४.६२ ही रह गया। इस का विकास नहीं हुआ। इसलिये कृपा करके पूर्वी जिलों के रहने वालों के ऊपर रहम कीजिये। आप पिछड़ेपन की बात करते हैं लेकिन मदद नहीं करते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। आपने आते ही नौकरों का तबादला किया। यह तो अमरीका में होता ही है कि जो सरकार आती है वह नौकरों को बदल देती है। हमारी शिकायत तो यह है कि आपने तबादले के पश्चात् ६० प्रतिशत तबादला रोका नहीं। इस रोक को व्यवस्था से भ्रष्टाचार फैलता है और प्रशासन आप अच्छा नहीं दे पायेंगे।

*श्री महीलाल—

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना था कि माननीय शान्ति प्रपन्न जी और कृष्णानन्दराय तथा हम लोगों में आपस में यह तय हुआ था कि विरोधी दलों को ज्यादा समय दिया जायेगा। लेकिन संयोग की बात है कि जितना समय मिलना चाहिये था उतना नहीं मिला और उस पर दुर्भाग्य यह रहा कि बी० के० डी० के माननीय सदस्यों को संख्या के अनुपात से समय नहीं मिला। (व्यवधान) हमारे साथियों को बड़ी शिकायत है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे दो साथियों को बोलने का मौका दे दें क्योंकि उनकी नीति पर मुख्य मंत्री जी ने काफ़ी प्रकाश डाल दिया है और औपचारिक रूप से उन्हें बोलना है। मुझे आशा है कि वे आपके द्वारा मेरी बात स्वीकार कर लेंगे।

एक सदस्य—

मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि हमें भी मौका नहीं मिला है। विरोधी दलों को बहुत मौका दिया गया है। १० मिनट के बजाय १५ मिनट दे दिये गये हैं। हमें भी समय मिलना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक आपने यह कहा, मैं कह देता हूं क्योंकि मेरे पास आंकड़े लिखे हुए हैं, बजट के आंकड़े आपके पास है, समय के आंकड़े मेरे पास हैं। तो यह बात सही है कि जहांतक संख्या का सम्बन्ध है, संख्या के अनुपात से और पार्टियों के, छोटी पार्टियों के जितने लोग बोले हैं, उसके हिसाब से बी० के० डी० के कम बोले। लेकिन समय के हिसाब से अगर देखें, तो थोड़ा ज्यादा समय ही बोले होंगे। समय सब का लगाना पड़ता है नेता का भी और दूसरे लोगों का भी।

श्री मुंशीलाल चमार—

अध्यक्ष महोदय, नेता स्वतन्त्र पार्टी ने लिख कर दे दिया, मुझे समय नहीं दिया है, मुंशीलाल नेता स्वतन्त्र पार्टी।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए।

एक सदस्य—

एक बात मेरी सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

मैं बोल रहा हूं। सवाल यह है कि आप और माननीय शान्ति प्रपन्न में तय हुआ कि कुछ हमको ज्यादा समय दिया जाय, मैं आप से कहना चाहता हूं कि अगर टोटल समय कांग्रेस पार्टी का लिया जाय, जितना समय बोले हैं, सदस्यों की संख्या उनकी ज्यादा है, क्योंकि आपकी कई पार्टियों को मिलाकर एक दफ़ा बांई ओर के सदस्यों को और एक दफा दांई ओर के सदस्यों को बोलने के लिये हम कहते हैं, तो समय के हिसाब से आपने सवाया समय लिया क्योंकि अगर मैंने किसी को विरोधी दल के सदस्य को दस मिनट दिये तो उसने १५ मिनट मांग लिये। मैंने कांग्रेस सदस्यों को इतना समय ज्यादा अलाऊ नहीं किया। उनको एक मिनट अलाऊ किया तो आपको ३ या ५ मिनट अलाऊ किया। इस हिसाब से, चाहे संख्या के हिसाब से न हो, आपको ज्यादा समय मिल गया है। उनका कहना है कि संख्या के हिसाब से भी ज्यादा समय मिला है। मैंने गिना नहीं है, फिर भी शायद आपकी संख्या ज्यादा हो। बात यह है कि सरकार की पार्टी को मौका मिल जाता है बजट बनाते बक्त अपनी पार्टी में बैठकर कुछ सोचने और बात करने का। आप लोगों को नहीं मिलता। तो आप लोगों को समय ज्यादा मिल गया तो आपत्ति नहीं। मैं अच्छा समझता हूं। लेकिन इस वक्त जो कुछ हो गया है, कोई शोरगुल के बीच में खड़ा हो जाता है, तो किसी का नाम लेना पड़ता है, किसी का नाम मालूम नहीं, इस लिये जो कुछ हो गया, हो गया। अब वित्त मंत्री को बोलने दें। ग्रांट के विवाद के वक्त में आपको यानी बी० के० डी० के सदस्यों के लिये कम्पेन्सेशन हो जायगा।

श्रीमती हमीदा हबीबउल्ला (जिला बाराबंकी)—

हम महिलाओं को भी शिकायत है। हमको बहुत कम मौका मिला है।

श्री अध्यक्ष—

महिलाओं से मैं माफ़ी चाहता हूं। आपको बहुत कम समय मिला है इसमें शक नहीं, इसके लिये उचित मआवजा भी अधिक स्त्रियों को मौका देकर होगा।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

किसी भी निर्दलीय को एक मिनट बोलने का समय नहीं मिला। मैं निरन्तर पांच बार से समय मांग रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप को नहीं मिला। लेकिन निर्दलीय बोल चुके हैं, नौटियाल साहब ।

श्री हरनरायन (जिला पीलीभीत)—

आदरणीय अध्यक्ष, महोदय, मैं पहली बार इस सदन में आया हूं । मुझे गवर्नर ऐड्रेस पर भी बोलने का मौका नहीं मिला । मैं बोलना चाहता हूं कि इसलिये बराबर आता रहूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं ।

श्री महीलाल—

मैंने आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री से निवेदन किया था कि हमारे दो साथियों को और अवसर दे दें । चूंकि मुख्य मंत्री ने प्रकाश डाल दिया है अब उनको कुछ ज्यादा कहना बाकी नहीं रह गया है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि बड़ा दल है, इसलिये और अपनी उदारता दिखाएं । शान्तिप्रपन्न जी ने कहा था कि हम को कुछ ज्यादा समय दे देंगे ।

*वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

मान्यवर, मेरा खयाल है कि प्रारम्भ में यह सोचा गया था कि मुझे एक घंटा देंगे । लेकिन अब तक पौने पांच हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

५० मिनट हैं ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, मैं नहीं जानता कि मेरे माननीय मित्र मेरी बात का विश्वास करेंगे या नहीं कि जितनी कुछ बहस इस सम्बन्ध में हुई उससे मुझे काफी सीखने को मिला है और यदि मेरे माननीय मित्र मेरी बात को स्वीकार कर लें तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि वाद-विवाद से जनतन्त्र प्रतिष्ठित और पल्लवित हुआ करता है और इसी प्रकार के वाद-विवाद के द्वारा हम लोग कुछ निष्कर्षों पर पहुंचा करते हैं और उससे जनमानस की सेवा करने का गर्व अपने अन्दर किया करता हूं । श्रीमन्, जिस समय मैंने बजट प्रस्तुत किया था मैंने 'समाजवाद' शब्द का प्रयोग कर दिया। हमारे बुजुर्ग साथी माननीय नेता विरोधी दल को शायद इस शब्द पर कुछ एतराज हुआ । मेरा ख्याल है कि उस एतराज में भावना यह थी कि उनका खयाल यह था कि इस बजट में समाजवादी बात कुछ नहीं है, समाजवाद का ढोंग अवश्य है । हमने उनकी भावना को उसी प्रकार से अपने मन में स्वीकार किया था । मैं चाहूंगा कि यह सदन यदि यह स्वीकार कर सके कि यह जो नया आपका आय–व्ययक यानी बजट प्रस्तुत किया, उसको मैंने उसी भावना से प्रेरित होकर सदन के सामने रखा है ।

उत्तर प्रदेश एक विचित्र परिस्थिति में से गुजर रहा है । मुझे तो यह स्वीकार है और इसकी चर्चा भी बहुत बार की कि जितनी प्रगति इस प्रदेश में होनी चाहिये कई कारणों से वह नहीं हुई । मुझे स्मरण है कि जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस महासमिति का अधिवेशन हुआ तो मैंने वहां इस चीज की लम्बी चर्चा की थी और दृढ़ता के साथ पुनः यह कहना चाहता हूं कि प्रगति जो हमारे प्रदेश की चाहिये थी वह नहीं हुई है । लेकिन हमें उनकी जड़ में जाना पड़ेगा यह विचारने के लिये कि इस प्रगति के लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर पायेंगे । ऐसा शायद यह सदन नहीं मानेगा कि हमारी कुछ प्रगति हुई ही नहीं और ऐसा भी नहीं मानेगा कि यह जितने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

आंकड़े सदन के सामने हैं यह आंकड़े सब आंकड़े ही हैं और उनमें दिखावा ज्यादा है। जिन आंकड़ों को सदन में मैं बार बार प्रस्तुत करता रहा हूं उनके द्वारा कदाचित यह तो स्वीकार कर लिया जाय कि प्रगति हमारी बहुत हुई है। मोटे तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में १९६७-६८ में दो हजार १०७ करोड़ रुपये की राजकीय आय हुई। यह राष्ट्रीय आय का अर्थ है कि हमारी प्रगति १७ प्रतिशत हुई ६०-६१ के मुकाबले में। मान्यवर, १९६७-६८ में हमारी प्रति व्यक्ति आय २४७ रुपया हुई और वर्ष ६०-६१ से यह प्रगति .०५ प्रतिशत ज्यादा थी। इस में जहां तक अलग-अलग वस्तुओं का प्रश्न है खाद्यान्नों में ४२ प्रतिशत की वृद्धि हुई, कैश क्राप्स की प्रगति ६३ प्रतिशत की हुई। सीमेंट, वेजीटेबुल, बिजली व पावर में भी यह प्रगति हुई। प्रश्न उठता है कि आखिर हमारी प्रगति पर कैपिटा इन्कम पर आकर रुक क्यों गई? इसमें मैं इस सदन का सहयोग चाहता हूं, हम कहां रुक गये, उसका क्या कारण है? उसके दो मोटे कारण हैं। एक तो यह कि ७ करोड़ २६ लाख की जनसंख्या आज बढ़कर ८ करोड़ ८५ लाख हो गयी। एक ओर जहां पर हमारी राष्ट्रीय आय में प्रगति २.२८ हुई वहां हमारी जनसंख्या में प्रगति २.२२ रही। इस तरह से हमारी राष्ट्रीय आय और जनसंख्या लगभग एक-सी जगह पर फिर पहुंच गयी चाहे हमारे खाद्यान्न में और कैश क्राप में कुछ भी वृद्धि हुई हो वह जाकर जनसंख्या की वृद्धि में उलझ गयी।

माननीय नेता विरोधीदल ने पंजाब का और दूसरे राज्यों की प्रगति का जिक्र किया। अभी मैं मैसूर गया था। उन लोगों ने बताया कि वहां पर-कैपिटा इन्कम लगभग ४२१ रुपया है। महाराष्ट्र, गुजरात इससे अधिक है। पश्चिमी बंगाल में ३३१ रुपये के लगभग है। आज हम बहुत-सी बातें कह सकते हैं, एक दूसरे पर बौछार भी बहुत कर सकते हैं लेकिन कृपा करके सोचिये कि आखिर इसका क्या कारण है। श्रीमन्, मैं वह आंकड़े रखूंगा जिससे इसका कारण स्पष्ट हो जाता है। केन्द्रीय सरकार से जो सहायता हम चाहते थे वह हमें किसी एक वर्ष भी नहीं मिली। हमने अपनी इस प्रगति को पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा आगे बढ़ाने की चेष्टा की। पहली पंचवर्षीय योजना में १५३ करोड़ रुपया, दूसरी में २३३ करोड़ रुपया और तीसरी में ५३७ करोड़ रुपया हमने खर्च किया। इसमें प्रति व्यक्ति अपने प्रदेश में पहली योजना में २४, दूसरी में ३४ और तीसरी में ७५ रुपये प्रति व्यक्ति खर्च किया। केन्द्रीय सरकार से जो हमें सहायता मिली वह पहली योजना में १४ रुपये प्रति व्यक्ति, दूसरी में १८ रुपये प्रति व्यक्ति और तीसरी में ४६ रुपया प्रति व्यक्ति मिली। लेकिन इसका मुकाबला दूसरे राज्यों को जो दिया गया तो पता चलता है कि औसतन पहली योजना में ४० रुपया प्रति व्यक्ति, दूसरी में ५२ रुपया और तीसरी में ९२ रुपया प्रति व्यक्ति उनको सहायता मिली। यह बहुत बड़ा कारण है और मोटे तौर पर यही दो कारण हैं जिन पर हमको विचार करना चाहिये। इस राज्य में इस दल की ओर से हमने महान् प्रयास की लम्बी छलांग ले ली है। आज हमारी चौथी योजना ९५० करोड़ रुपये की है। यह भी इतने बड़े राज्य के लिये अपर्याप्त है, इससे काम नहीं चलेगा और जिन समस्याओं में हम उलझे हुये हैं उन्हें हम जीत नहीं पायेंगे। यदि ९५० करोड़ रुपये की योजनायें हमारी रहीं तो जिस दौड़ में हम आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं उसमें हम निश्चित रूप से पीछे रह जायेंगे। लेकिन श्रीमन्, मैं बहुत गम्भीरता से यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आज यह दल इस सम्बन्ध में दृढ़ निश्चय कर चुका है कि ९५० करोड़ रुपये की यह जो योजना हमको मिली है इस ९५० से हम कभी भी आश्वस्त नहीं होंगे।

मैं केवल एक चीज का जिक्र करना चाहता हूं। हमारे यहां भूमिहीन व्यक्तियों का एक वर्ग है जो कि गांव-गांव में फैला हुआ है। सारे देश और सारे संसार में शहरीकरण हो रहा है। यू० के० में शहरों में जाने की व्यवस्था ९२ प्रतिशत है और यू० एस० ए० में ७५ प्रतिशत है। हमारे यहां हमारे देश में वह २०, २२ प्रतिशत है और उत्तर प्रदेश में वह

केवल १४ प्रतिशत है। लेकिन हमारे यहां ८६ प्रतिशत आदमी गांवों में बैठा है। माननीय नेता विरोधीदल ने जिक्र किया कि यदि यह बोझ भूमि पर बढ़ता चला गया तो हमारा ८६ प्रतिशत व्यक्ति जो आज गांवों में बैठा हुआ है उसकी गरीबी की समस्या हल होने वाली नहीं है। ८६ प्रतिशत व्यक्ति जो आज गांवों में बैठा है उनमें बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनके पास भूमि नहीं है। वह पिछड़ा वर्ग है जिससे बड़े वर्ग के लोगों ने आमतौर पर कभी बेगार का काम लिया है। मैं आज यह घोषणा करता हूं कि हम इस वर्ग से परिचित हैं और उनकी शिकायतों को जानते हैं। मैंने अपने बजट भाषण में उनका जिक्र किया है। इन लोगों के लिये बजट में ५ करोड़ रुपया रखा गया है। इसके अलावा भी यदि और धन की आवश्यकता पड़ेगी तो और भी धन हम इनके लिये लायेंगे। हम यह सोचते हैं कि यह जो भूमिहीन वर्ग है इनको भूमि मिलनी चाहिये। गांव समाज की भूमि, गंगा खादर, जमुना का खादर और जो भी भूमि उपलब्ध होगी वह इनको दी जायगी। और भी भूमि यदि हम इनको दे सके तो हमको प्रसन्नता होगी कि दी जाय। भूमि कोई रबर नहीं है कि खींचकर बढ़ा सकें, तो दूसरा काम भी इनको देना पड़ेगा। मैं नतमस्तक होकर इस बात को स्वीकार करता हूं कि छोटे उद्योग-धंधों की तरफ जाना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि हम छोटे उद्योग-धंधों के विषय में सोचते नहीं हैं। हम जानते हैं कि बड़े उद्योग-धंधों पर रेशियो ८ रुपया खर्च और १ रुपया मुनाफा होता है और छोटे उद्योग धंधों पर २ रुपया खर्च और १ रुपया मुनाफा होता है। जितने भी भूमिहीन लोग हैं इनको किसी न किसी छोटे उद्योग धंधों में लाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस सत्य को स्वीकार किया है और उस सत्य को पालन करने में हम आगे बढ़ चुके हैं। मैंने पहले कहा कि दो कठिनाइयां रहीं जिनसे हम प्रगति की दौड़ में पीछे रह गये। जनसंख्या को रोक नहीं पाये। माननीय सदस्य इस परिवार नियोजन की बातों की किन-किन शब्दों में चर्चा करते हैं यह देखकर मुझे दुख होता है और कभी-कभी लज्जा भी आती है क्या यह सदन यह नहीं चाहता कि हमारे इस प्रदेश की प्रगति हो इस प्रदेश की ७ सवा ७ करोड़ व्यक्तियों की जनसंख्या जो लगभग ९ करोड़ के होने जा रही है उसकी चिन्ता क्या इस सदन को नहीं होगी ? मैं समझता हूं कि सदन को इसकी चिन्ता करनी पड़ेगी। कितनी चिन्ता करनी पड़ेगी यह हमारे और आपके विचारने की बात है।

जहां तक केन्द्रीय साधनों का प्रश्न है, केन्द्रीय साधन कुछ हद तक ही सीमित होते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, नियोजन मंत्री जी के साथ हम फाइनेंस कमीशन के सामने जा चुके हैं उनके सामने प्रतिवेदन दे रखे हैं, उनसे अपनी दुःखद गाथा कह चुके हैं। उनसे हमने कहा कि यदि इस गरीब और पिछड़े राज्य को आपकी सहायता नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से हमारा राज्य और भी गरीब होगा। कुछ लोगों का कहना है कि केन्द्र से क्या सहायता मिल सकेगी, लेकिन मेरा विश्वास है केन्द्र से सहायता हमें अवश्य मिलेगी। मान्यवर, इन मूलभूत प्रेरणा से प्रेरित होकर ही मैंने इस बजट को इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया।

इस बजट की बहुत ही एक छोटी बात का मैं जिक्र कर दूं पांच शब्दों में। मोटे तौर पर हमने यह पाया कि हमारे राजस्व में घाटा है। यदि उस घाटे का जिक्र करूं तो राजस्व में लगभग ४८ करोड़ रुपये का घाटा है और हमारे पूंजी लेखे में २५ करोड़ रुपये का घाटा है है, सब मिला कर ७३ करोड़ रुपये के लगभग घाटा होता है लेकिन उस ७३ करोड़ रुपये को हमारे पास जो लोक लेखा है, उसमें से हमें इतना धन मिल जायेगा कि हमारे पास केवल ३४ करोड़ रुपये का घाटा रहेगा। मैं अत्यन्त विश्वास के साथ कहता हूं कि केन्द्र को इस घाटे को पूरा करना पड़ेगा और केन्द्र जरूर उसे पूरा करेगा।

मान्यवर, कुछ बातों की चर्चा हमारे मित्रों ने की और कुछ उन बातों की चर्चा की जिन बातों की चर्चा मैं स्वयं करना चाहता था। उन्होंने बड़ी चिन्ता प्रकट की रेवेन्यु के सम्बन्ध में उन्होंने यह चिन्ता प्रकट की कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि खेतिहरों के पक्ष में यह बजट न होकर पूंजीपतियों और उद्योगपत्तियों के पक्ष में चला गया हो ?

श्री महीलाल—

शंका नहीं है, बल्कि है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

जहां तक कर्ज का प्रश्न है, मैं तो एक नयी बात इस सदन में कहना चाहता हूं । सब मिला कर हमारे प्रदेश के ऊपर ८८० करोड़ रुपये का कर्जा है और हमारे पास असेट है १,१३९ करोड़ रुपये का । पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर हमने जो कार्य किये हैं, उनमें अपना असेट बनाया है । उनमें हमारी २५९ करोड़ रुपये की असेट हमारे कर्जे में आ गयी । यही नहीं बल्कि मैं तो यह कहना चाहता हूं कि कई राज्य ऐसे हैं, जिनका मुझे ज्ञान है कि उन्होंने कर्जे के लिये मोरेटोरियम की मांग की, कर्जे के किस्त की अदायगी व सूद की अदायगी की मुआफी की मांग की है । लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश को ही इस बात का फख्र है कि किसी कर्जे की किस्त अदायगी में एक दिन का भी अन्तर नहीं आने दिया । यही नहीं बल्कि जब भी कर्जे की अदायगी की बात आयी तो हमने मय सूद के जो हो सकता था सभी अदा किया । इस तरह से हमने लगभग ६–७ सौ करोड़ रुपये का कर्जा अदा किया है । हमने यह कभी नहीं किया कि इसमें हमारे साथ किसी तरह की रियायत की जाय । बल्कि हमने यह कहा कि हमने बढ़ती हुई, एक्स्पैंडिंग एकानौमी की हमारी बढ़ती हुई अर्थ व्यवस्था की, इस अर्थ व्यवस्था के लिये अगर हमें धन लेना पड़ेगा तो हम जरूर लेंगे। श्रीमन्, मैं समझता था कि और कोई नहीं सही तो माननीय नेता विरोधी दल का कुछ शाबाशी का हाथ इन छोटे कन्धों पर उठेगा और मेरा ऐसा खयाल था कि चाहे इन्होंने अखबारों में यह कह दिया हो कि बैंड फ़ाईनान्सिग की बात रही । तो मैं सोचता था कि मुझे कुछ बतायेंगे । कुछ गाईड-लाइन्स देंगे । बुजुर्ग हैं और ऐसे बुजुर्ग हैं जो वर्षों साथ रहे हैं । इनका शाबाशी का हाथ तो दूर लेकिन वह बैंड फाइनैन्सिग की बात तो मैं नहीं समझ पाया कि वह कौन सी बैंड फाईनैन्सिग हैं ।

हां, एक बात मैंने की है श्रीमन्, और इस दल के लोगों ने की है जो कि मैं इस सदन को बता देना चाहता हूं कि आज तक हम बड़ी कठिनाइयों में रहे हैं,। एक ओर हमारे पास सीमित पूंजी है । मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि जैसे ट्रांसपोर्ट है या हमारे पास कोई इर्रीगेशन या खेती की योजनाएं हैं या इंडस्ट्री की योजना है या पावर की योजना है । श्रीमन्, मुंह ताक रहे हैं तो अपने रिसोर्सेज का या केन्द्र की सहायता का और हमको पता यह लगता है कि बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां ९ हल चलते हैं तो आपके यहां साढ़े नौ कैसे चलें । मान्यवर, हमारे यहां एक कहावत है ब्रजभाषा में कि "नन्द बाबा के नौ हल चालैं, साढ़े आठ पराये" तो हम लोगों ने एक इन्स्टीट्यूशनल फाईनैंसिंग की स्थापना की और मैं इस सदन को बहुत प्रसन्नतापूर्वक सूचित करना चाहता हूं कि हम अपने प्रयासों मे इस स्थल पर पहुंच गये हैं कि अगर सौ करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी तो भी वह नहीं रुकेगी और जितनी हमारी योजनायें हैं उनको हम इन्हीं इन्स्टीटयूशनल फाईनैंसिग द्वारा पूरा कर लेंगे। और हम इस दौड़ में पीछे रहेंगे ? नहीं हम पूरा कर लेंगे इस दौड़ को । केन्द्र की प्रथम पंचवर्षीय योजना से दूसरी पंचवर्षीय योजना दुगनी थी । दूसरी से तीसरी दुगुनी थी और तीसरी से चौथी १·६६ है । जैसा कि हमारी योजनायें १३३, १५४, और १५७ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वह डयोढ़ी या पौनी न हों, वे दुगुनी भी हो गई है । अगर भगवान का वरद हस्त रहा तो शायद यह चौथी योजना तीसरी योजना से लगभग दुगुनी प्रस्तुत कर सकेंगे ।

मैंने मान्यवर, जिक्र किया था कि एक बड़ी भारी चर्चा रही, माननीय नेता सदन ने भी इसका जिक्र किया, हमारे राजा साहब नहीं हैं उन्होंने भी उसका जिक्र किया कि केन्द्र तो एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं है, इन्डस्ट्री बेस्ड है । इसका उत्तर मुख्य मंत्री जी ने दिया था लेकिन मैं दो शब्दों में कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जरा यह निर्णय करेंगे कि यह इन्डस्ट्री बेस्ड है या एग्रीकल्चर बेस्ड है । चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्दर इन्डस्ट्री पर ६२.९९ करोड़ यानी लगभग ६३ करोड़ रुपया खर्च होगा जब कि इर्रीगेशन यानी सिंचाई के साधनों पर हमारी चौथी

पंचवर्षीय योजना में ९० करोड़ रुपया खर्च होगा । पावर की योजनाओं में ३७५ करोड़ रुपया खर्च होगा, ३७५ और ९० और एक तरफ़ ६६, ६२ यह हमारा मानचित्र है । हमारी योजनायें एग्रीकल्चर बेस्ड हैं या इन्डस्ट्री बेस्ड इसका निर्णय यह सदन करें । मान्यवर, इस वर्ष के लिये ही मैं कहना चाहता हूं कि इसकी बड़ी चर्चा हुई कि यह जो बड़े कारखानेदार हैं उनको बड़ी सहायता पहुंचाई जा रही है और बड़ी चर्चा हुई कि जो छोटे उद्योग-धन्धों वाले हैं उनको बेचारों को कोई नहीं पूछता । मैंने देखा है आंकड़ों को । इस वर्ष उनको अधिक से अधिक ४ करोड़ रुपया देंगे, अपने बड़े कारखानेदारों को और सूद उनसे लेंगे ८–१० प्रतिशत के बीच में। और उधर छोटे कारखानेदारों को यानी कुटीर उद्योगों को हम साढ़े चार करोड़ रुपये की व्यवस्था कर रहे हैं और उनसे सूद ६ और ८ के बीच में लेंगे ।

यही नहीं इस वर्ष के बजट में हमने पेयजल के लिये, सिंचाई के लिये और पावर के लिये ५३ प्रतिशत रुपया रखा है। यही नहीं हमने प्राथमिकतायें भी तय की हैं। चाहे उसको बापू ने कहा और चाहे और किसी ने कहा हो लेकिन हमारा जो १९६९ का मध्यावधि चुनाव का घोषणा पत्र था हमने उसमें कहा है कि निश्चय रूप से हमें पेयजल की व्यवस्था करना है । इस वर्ष उसके लिये १७ करोड़ रुपया रखा गया है । इसमें भी कुछ हमने पिछड़े हुए इलाके भी निकाले हैं जैसे पहाड़ी इलाके । उनके लिये एक करोड़ रुपया अलग से रखा गया है । उसका खर्च करना हिलबोर्ड की इच्छा पर निर्भर करता है । वह जैसा चाहे वैसा उपयोग करे । दूसरी हमारी प्राथमिकता है ड्राउट स्ट्रिकिन जिलों के लिये, उनमें पूर्वी जिले आते हैं । श्रीमन्, सूखा के समय हम प्रतिवर्ष ट्रकों में लाद कर पानी ले जाते थे और न जाने कितना रुपया उनमें खर्च होता था । अब हमने तय किया है कि उसके लिये टंकियां बनायेंगे और उनमें से नल लगायेंगे । हमारी प्राथमिकता इस प्रकार से है—पेय जल, सिंचाई, उसके साथ-साथ पावर की योजनायें । उसके बाद वे दूसरी योजनायें हैं जिनके बारे में हमने जिक्र किया जिनके द्वारा भूमिहीनों को कुछ जमीन देने जा रहे है और बेकार नवयुवकों के लिये योजना बना रहे हैं ।

माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव दिये, उनके संबंध में भी हम लोग विचार करेंगे । एक चीज के संबंध में जरूर यहां कुछ कह देना चाहता हूं और उसको सदन के निर्णय पर छोड़ देना चाहता हूं कि कुछ इस सरकार ने नया कार्य किया है या नहीं किया । बजट के प्रस्तुत होने के दो तीन दिन पहले पायनियर अखबार में निकला करता था—टैक्सेज, टैक्सेज, मोर टैक्सेज। और भी अखबारों में निकलता था और यह चर्चा अक्सर होती थी कि इस बार का जो बजट आयेगा उसमें न जाने कितने टैक्सेज लगाये जायेंगे । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमारे बजट से विरोधी मित्रों को निराशा हुई और इतना ही नहीं कि हमने उन टैक्सेज को नहीं लगने दिया, माननीय विरोधी दल के नेता ने यह स्वीकार किया कि शिक्षा संस्थाओं की फ़ीस पहले तो बढ़ाने का ऐलान किया लेकिन फिर उसको वापस ले लिया। यह सही है कि हमने एक कदम बढ़ा कर फ़िर उसको वापस ले लिया, जनता के विरोध को देख कर। यह भी हमने एक जनतंत्र का कार्य किया । क्योंकि जनतंत्र का अर्थ ही क्या है। यही तो है कि जनता की इच्छा और उसकी भावनाओं को समझा जाय कि वे क्या है । केवल यह नहीं होना चाहिए कि लाठी गोली चले तभी उसको माना जाय । फिर यह जनतंत्र क्या रह जायगा ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं । कर के संबंध में भी हमारी एक निश्चित नीति है । इसके संबंध में कुछ आंकड़े हमने इकट्ठा किये हैं उसको सदन को बता देना चाहता हूं—

महाराष्ट्र में ११२ करोड़ रुपया प्रति वर्ष बिक्री कर में मिलता है—

गुजरात में ४५ करोड़ रुपया प्रति वर्ष बिक्री कर में मिलता है। ,,

मद्रास में ६५ करोड़ रुपया ,, ,, ,, ,, ,,

पश्चिमी बंगाल में ५७ करोड़ रुपया ,, ,, ,, ,,

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

मान्यवर, हम उसको खींचतान कर ४१ करोड़ तक ले आये हैं। इस संबंध में जो बातें सदन में कही गयी हैं, उनकी मैं कद्र करता हूं और मुझे खुशी है कि माननीय सदस्यों ने इस बात को सोचा तो है। बिक्री कर की कुछ ठीक व्यवस्था हो जाय, उसकी वसूलयाबी की कुछ ठीक व्यवस्था हो जाय, व्यापारियों को कुछ सहूलियतें दे दी जायं, यदि बिक्री कर ठीक प्रकार से लगे, यदि कर प्रवंचन को रोक दिया जाय तो उसकी आमदनी निश्चित रूप से आज से कहीं ज्यादा हो जायगी। यही नहीं मैं यह भी स्वीकार करना चाहता हूं कि जब तक हमारे यहां औद्योगीकरण नहीं होगा तब तक ११२ करोड़ रुपया जो महाराष्ट्र को मिलता है, इतना रुपया हमें किस प्रकार से मिल सकेगा। माननीय नेता विरोधी दल और माननीय राजा साहब यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने तथा दूसरे सज्जनों ने कहा कि बड़े-बड़े व्यापारियों को बड़ा लाभ पहुंचाया जाता है और हर रोज अखबारों में इसकी चर्चा होती रही कि हम तो ९ करोड़ रुपया खत्म करने ही जा रहे हैं। एक दूसरे को दोषी ठहराने की हमारी पुरानी आदत हो गयी, उससे मजबूर है। उसी के द्वारा हम एक दूसरें को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। मुझे मेरे मित्र क्षमा करेंगे कि यह रुपया तो माननीय चरण सिंह के जमाने में भी बाकी थी। आखिर यह तो विचार करना ही चाहिये कि इतने दिनों से यह रकम क्यों बाकी चलती चली आ रही है। उसका कोई कारण तो अवश्य होगा ही। कोई आदमी ट्रेस नहीं हो रहा होगा, कहीं बाहर चला गया होगा, किसी से वसूलयाबी नहीं हो सकती होगी अथवा और कोई बात होगी और मैं समझता हूं कि माननीय चरण सिंह जी ने भी इस बात पर विचार किया होगा।

एक बात और है। आजकल असेसमेंट आम तौर पर ३–४ वर्ष में होता है। आज एक व्यापारी है २०–२५ हजार उसके ऊपर सेल्स टैक्स का है। चार बरस के बाद असेसमेंट हुआ, उसके बाद १० तारीखें पड़ीं, आखिर में जाकर २५ हजार पर वह असेस हो गया। फिर उसकी अपील हो गयी। यह सबसे बड़ी भारी दिक्कत हमारे सामने थी, लेकिन आप लोगों ने अगर इस बजट को अच्छी प्रकार से देखा होगा तो आपको यह पता चल गया होगा कि करीब-करीब हम इस बात की तैयारी कर चुके हैं और हम आशा करते है कि १९७० के मार्च के महीने तक यह व्यवस्था कर ले जायेंगे कि लगभग प्रति वर्ष ही सेल्स टैक्स का असेसमेंट हो जाया करे। इस संबंध में हमने सेल्स टैक्स में बहुत से स्टाफ़ को बढ़ाया है, असेस करने वाली आथोरीटीज को भी बढ़ाया है, अपील अथोरिटीज को भी बढ़ाया है, यही नहीं २० जीप भी इस कार्य के लिये मांगीं। लेकिन जीपों का हमने दुरुपयोग होते हुए भी देखा कि पान और सब्जी लेने के लिये भी जीप जाती रही है। इस लिये गुप्ता जी ने उनको काट कर ८ कर दिया। यह जीपें हमने इसलिये रखीं है कि मान लीजिये फ़ीरोजाबाद से चूड़ी भर कर कोई ट्रक कहीं बाहर ले जा रहा है और १० हजार रुपये की चपत सरकार को लगने वाली है, उसको जाकर चैक किया जा सके, पकड़ा जा सके। इसके लिये हमने मोबाइल स्क्वेड को रखा है चाहे कुछ फ़िरोजाबाद के व्यापारी नाराज हों। यह मैंने एक उदाहरण के लिये कहा है। हमने यह तय किया है कि जितने भी टैक्स इवेजन के प्लायंट्स है, उनको कम करना है। आज कोयला जो रेल की बिल्टी द्वारा आता है उसे कम करके लिखा जाता है और इससे भट्टे वाले सेल्स टैक्स को एवायड करते है। उस वक्त सेल्स टैक्स अधिकारी मारा-मारा फिरता है। हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि रेल से जो कोयले की डिलीवरी मिले, उससे पहले वह हमारा सेल्स टैक्स हम को अदा कर दे। यदि माननीय सदस्यों को कोई और अच्छा उपाय सूझे जो इस बारे में उपयोगी हो सके मैं उनको सहर्ष स्वीकार करूंगा।

सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में एक और चर्चा कर देना चाहता हूं और इसलिये कह देना चाहता हूं कि इसका बहुत बड़ा सम्बन्ध हमारे व्यापारिक जीवन से है। हमारी वित्तीय परिस्थितियों से है। बहुत समय हो गया चिल्लाते-चिल्लाते। हम अपने यहां पर सेल्स टैक्स की दर एक प्रकार की रखते हैं और हमारा पड़ोसी प्रदेश दूसरे प्रकार का रेट रखता है तो हमें भी उसी प्रकार करना पड़ता है। इसी प्रकार से जितने भी हमारे मिले हुए राज्य है जैसे बिहार, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान, इन सब में अलग-अलग दरों से सेल्स टैक्स लिया जाता है। हम निरन्तर इस कार्य

में लगे हुए हैं कि एकापन आये और उसके बारे में केन्द्रीय सरकार में चर्चा चल रही है और हमें आशा है कि कदाचित हमें सफलता मिलेगी और इस प्रकार असमानता को दूर कर सकेंगे।

यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हम बड़े-बड़े उद्योगपतियों को रियायत देना चाहते हैं। मैंने तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा है और हमें आशा है कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वह इसमें २०० करोड़ रुपया लगायेगा। ६६ करोड़ रुपये में हमने यह तय किया है कि हम जो उद्योग लगायेंगे, वह कोआपरेटिव में या पब्लिक सेक्टर में होगा। प्राइवेट सेक्टर में हमने कुछ सुविधायें दी हैं। आज बंगाल में लोगों का सारा कारोबार बदला हुआ है। हमारे राजस्थान के और उत्तर प्रदेश के लोग कोई बंगाल में है तो कोई मद्रास में और कोई बम्बई में बैठे हुये हैं और जिन्होंने बड़ी-बड़ी कोठियां बना ली है। जब हम उनसे यहां पर उद्योग लगाने की बात कहते हैं तो वे कहते हैं कि हम कैसे करें। आपके यहां स्टाम्प डयूटी जहां हमें और दूसरी जगह २५० रुपये देनी पड़ती है तो उत्तर प्रदेश में वह २२०० दनी पड़ती है। आप हमको बिजली नहीं देते। हमको दूसरे प्रदेशों में ४ पैसे प्रति यूनिट के रेट पर मिलती है और आप हमें ७ पैसे के हिसाब से देते हैं। कहीं पर आप भूमि नहीं देते। तो क्या हम उन लोगों को धक्का दे दें जो हमारे यहां पर उद्योग लगाना चाहते हैं। अगर इन उद्योगों को स्वीकार नहीं करते जैसे डल्ला में सीमेंट फैक्ट्री, ओबरा का प्लान्ट, तो क्या दशा होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह उचित नहीं है कि हम उद्योग धन्धों को अपने यहां स्थान दें जिससे हमारे प्रदेश में उद्योग बढ़े। मान्यवर, हमारे विरोधी दल के नेता ने जिक्र किया कि छोटे कारखाने लगने चाहिये। मैं उनसे सहमत हूं। उन्होंने यह भी कहा कि जो चीज काटेज इन्डस्ट्रीज के जरिये से बन सकती हैं, उसके लिये बड़ी-बड़ी मशीनें नहीं लगनी चाहिये। मैं सैद्धान्तिक रूप से उनसे सहमत हूं लेकिन हम इसमें क्या कर सकेंगे। क्या हम यह कर सकेंगे कि धोती जनानी या मरदानी केवल हैन्डलूम में बने और मिलें वे धोती बनाना बन्द कर दें। यह चीज सारे भारतवर्ष की नीति से संबंधित है और अगर हम कुछ कर सकते तो कर लिये होते।

इस बात की आलोचना की गयी कि यह बजट सोशलिस्टिक पैटर्न पर कैसे है? इसलिये है कि समाज का जितना पिछड़ा वर्ग है, गरीब वर्ग है, दीन व पददलित वर्ग है उस पर एक पैसा भी टैक्स का नहीं लगाया गया है? १० गुना और २० गुना भूमिधरी का कौन देता है। मेरे मित्र इस बात को स्वीकार करेंगे कि वे लोग इसे देते हैं जो भूमि को इधर से उधर लेते हैं किसी न किसी तरह से। धनवान वर्ग ही भूमि को इधर से उधर करता है और उसके लिये हजारों रुपये देता है। वह धनवान अंग है जो १० गुना तथा २० गुना भूमिधरी का देता है और वह वह अंग नहीं है जो गरीब है। आप किसी जिले में भी चले जायं और देखें कि ५० फीसदी लोग ऐसे हैं जिन्होंने १० और २० प्रतिशत अपनी स्वेच्छा से दिया है या उन्होंने दिया है जो लोग भूमि को खरीदते हैं। इस प्रकार यह जो १० से २० गुना किया गया है यह समाज के उस अंग पर लगाया गया है जो समृद्ध हैं, हमने गरीब वर्ग पर यह नहीं लगाया है। (व्यवधान) हम और आप इससे असहमत हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी बात स्वीकार नहीं करते तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री राजितराम पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)—

अभी मंत्री जी ने जो कहा कि जमीन खरीदी नहीं बेची जाती है तो मैं बतलाना चाहता हूं कि जमीन हमेशा बेचनी पड़ती है। कोई अमीर नहीं बेचता है। जमींदार ही भूमिधर बन गये और गरीबों की जमीन तो सीरदार के पास रहती थी। जमींदार भूमिधर हो गये। इसकी इंक्वायरी कर ली जाय, मिनिस्टर साहब इस्तीफा दें या मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं वित्त मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आपको कई दिन से अनुभव हो रहा है कि किसी से सहमत होने का प्रयत्न न करें। आप अपना भाषण दें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैंने स्वीकार कर लिया श्रीमन् मैं यह कह रहा था कि जो टैक्स है उसका एक दृष्टिकोण है। हमने २० गुना किया, थोड़ा सा सेल्स टैक्स में बढ़ाया। यदि मेरे मित्र उस सूची को देखें जिसमें कुछ सेल्स टैक्स बढ़ाया गया है—मैं चाहता नही था कि आज इस सदन में बहुत आंकड़े रखूं, केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स उन चीजों पर बढ़ाया गया है जो आ-साइस की चीजें हैं जैसे प्लास्टिक का सामान या और बहुत सामान जिसको धनी व्यक्ति खरीदते हैं।

श्री अध्यक्ष—

साढ़े ५ बजे खत्म करना है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

ज्यादा तो नहीं यदि माननीय सदन १०–१५ मिनट का समय और बढ़ा ले.....
(नहीं नहीं की आवाजें)

एक सदस्य—

हम लोगों का समय जब हम लोग बाहर थे तो चोरी से बढ़ाया गया है इसलिये अब नहीं बढ़ाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

नहीं बढ़ाया जायगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं कुछ चीजों की और चर्चा करना चाहता हूं। हमारे मित्र त्रिपाठी जी ने फायनेन्शल हैण्ड बुक के रिवीजन की बात कही। वह मुझे स्वीकार है और मैं उसको रिवाइज करवाने की प्रक्रिया में लगा हुआ हूं। एक और मित्र ने कुछ सुझाव दिये थे। उनमें से भी कुछ सुझावों को मैंने स्वीकार कर लिया है। हमारे मित्र जायसवाल साहब ने किसी अधिकारी की चर्चा की। अच्छा होता यदि वह सदन में यह चर्चा न करते। लेकिन जब उन्होंने की तो मैं इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं निश्चित रूप से उसकी छानबीन करूंगा। हमारे बुजुर्ग साथी ने कुछ सुझाव दिये थे। उनको भी हमने स्वीकार कर लिया है। मैं अन्तिम रुप से केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमने टैक्सेशन के सम्बन्ध में एक नयी नीति निर्धारित की है। एक तो शिक्षा के क्षेत्र में ९.६ करोड़ रुपये का नया खर्चा हमने स्वीकार किया है क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस प्रदेश का अध्यापक यहां के किसी दूसरे न्यूनतम अधिकारी से भी कम तनख्वाह पाये जो कभी कभी रेल के पोर्टर से भी कम हो। हमको मालूम है कि हमारी एस० वी० डी० सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या रुख अख्तियार किया था, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। एक बात के संबंध में मुझे दुःख है। माननीय नेता विरोधी दल ने जिक्र कर दिया कि गांधी जी के प्रति जो कि बच्चन ने लिखा वह क्यों कह दिया। उन्होंने कबीर की एक चौपाई पढ़ दी। मुझे अब भी नहीं मालूम है कि कबीर ने भी गांधी जी के बारे में पहले से कुछ लिखा था। लेकिन यदि मुझे भाषण समाप्त करना है तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज कुछ बातें हम स्वीकार कर चुके हैं यदि हमसे नाराजगी भी होगी तो हम उसको बर्दास्त करेंगे लेकिन समाजवाद को इस प्रदेश में आने से नहीं रोका जा सकता है। मान्यवर, मैं एक चौपाई कह कर समाप्त करना चाहता हूं। किसी आदमी या नेता के लिये नहीं कहना चाहता हूं। वर्षों पहले महात्मा कबीर ने कहा था कि "धुनका पहले पराई धुन, धुनने में पाप न पुण्य, पहले तू उनकी धुन.....

मऊनाथ भंजन के साम्प्रदायिक दंगे पर नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा के लिये समय के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मैं एक सूचना देना चाहता हूं । मैंने मऊनाथ भंजन की चर्चा के बारे में २ घंटे का समय दिया था । उसमें नियम यह है कि कि मैं माननीय मुख्य मंत्री से पूछ लूं । मैंने ३० तारीख रखी थी और उनसे पूछा था । उन्होंने कहा कि तिलक जयन्ती है और लोग वहां भाषण देने जायेंगे और दो घंटे यहां बढ़ जाने से वे लोग उसमें शामिल नहीं हो सकेंगे तो मैंने ४ तारीख रख दी है सोमवार को । उस दिन उनको भी सुभीता होगा और हमको भी होगा ।

गोपालपुर फार्म, मिर्जापुर में सतिया नामक लड़की की हत्या के सम्बन्ध में उप मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

एक बात और कहना चाहता हूं कि आज जब विरोधी दल ने सदन छोड़ा था और माननीय नेता विरोधी दल ने कुछ प्रार्थना की थी उस समय मैंने देखा कि माननीय कमलापति त्रिपाठी जी खड़े हो रहे थे । मैं समझा था कि शायद वह रोकना चाहते थे । लेकिन यह खयाल हुआ कि कहीं ऐसा भाषण न हो जो आग में घी झोंकने के बराबर हो जाय । इसलिये मैंने उनको बुलाया नहीं । लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने एक वक्तव्य तैयार किया था और वह आपके सामने उस वक्तव्य को देना चाहते हैं अगर आपकी इजाजत हो जिस से शान्ति भी हो जाय और आपके साथ वह रहना चाहते हैं ।

उप मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं अपना वक्तव्य सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर सकूं । श्रीमन्, पिछले २/३ दिनों से सम्मानित सदन में गोपालपुर फार्म और वहां घटित एक घटना के संबंध में जो चर्चा हुई है और जिस प्रकार सारे मामले यहां प्रस्तुत किये गये हैं और जैसा विवरण उनका समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है उसमें हमें बड़ी मानसिक वेदना पहुंची है । इस तरह के और नये प्रकार के आरोप लगाकार निराधार और मिथ्या बातों की बुनियाद पर ऐसा चित्र उपस्थित किया गया है उससे मुझे आंतरिक ग्लानि का पहुंचना स्वाभाविक है । रीजनीतिक जीवन के क्षेत्र में किसी के व्यक्तित्व और उसके चरित्र का हनन करने की जो चेष्टा की जाती है वह सार्वजनिक जीवन को अति नीचे के स्तर पर ले जाती है जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वालों की स्थिति दुखद हो जाती है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस का एक छोटा सा सिपाही हूं जिसने जीवन के उत्तम ५० वर्ष कांग्रेस के नेतृत्व में देश की सेवा करने में बिताये हैं । मेरा यह सौभाग्य रहा है कि एकान्तिक और नैष्ठिक भाव से मैं इस महान संगठन की आराधना करने में समर्थ रहा हूं । आज जिस प्रकार के आरोप लगाये गये हैं व मेरे चरित्र पर आघात हैं । ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि इस सारी नीति को चुनौती दूं । और अपने व्यक्तित्व, अपने चरित्र और अपने आत्म सम्मान की रक्षा करने के लिये मैं उचित कदम उठाऊं । जिसके फलस्वरूप सार्वजनिक जीवन की पवित्रता की रक्षा हो सके । और कांग्रेस की प्रतिष्ठा भी बनी रहे । माननीय मैं जानता हूं और मेरी अन्तरात्मा दृढ़तापूर्वक यह कहती है कि मैं पूर्णतया निर्दोष हूं । मैं यह बिलकुल नहीं चाहता कि इस आदरणीय सदन का समय दिन प्रति दिन इस प्रकार की बातों में नष्ट किया जाय, और निरन्तर कोई न कोई बात उठाकर मेरे चरित्र को लांछित करने की चेष्टा की जाय । जिन लोगों ने इस बात को उठाया है, उन्होंने यह मांग की है कि इस मामले की

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

न्यायिक जांच हो । मैं स्वयं सानुरोध यह मांग करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री तत्काल न्यायिक जांच हाईकोर्ट के जज से कराने का आदेश दे दें और तुरन्त ही इस जांच को कृपा कर आरम्भ करा दें जिससे सत्यासत्य का निर्णय शीघ्र हो सके । श्रीमन्, मैं यह घोषणा करता हूं कि इस जांच के फल स्वरूप यदि कहीं से कोई दोष मेरे ऊपर आता है तो मैं तत्काल पद त्याग करने में एक क्षण का भी विलम्ब न करूंगा । लेकिन इसके साथ मैं यह भी नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इस खुली जांच में यदि लगाये गये आरोप मिथ्या सिद्ध हों तो जिन लोगों ने यह आरोप लगाया है वे न केवल इस सदन में क्षमा याचना करें बल्कि स्वयं विधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र देकर सार्वजनिक जीवन की पवित्रता की रक्षा करें । अध्यक्ष महोदय अन्त में मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि लोकतंत्रात्मक पद्धति में यदि राजनीतिक लाभ की दृष्टि से सार्वजनिक जीवन को भ्रष्ट किया जायगा तो लोकतंत्र की परम्परायें नष्ट हो जायंगी और किसी भले आदमी के लिये सार्वजनिक जीवन में बने रहना असंभव हो जायगा । मैं स्वयं जीवन की मर्यादाओं में विश्वास करता हूं और यह आकांक्षा रखता हूं कि अपने आत्मसम्मान और कांग्रेस की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिये जो भी मूल्य चुकाना पड़े उसे अपने जीवन के संध्याकाल में चुकाने से बाज न आऊं। मैं पुनः आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहें गे ? उन्होंने मांग की है ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

जहां तक मेरा संबंध है, मैं इतना ही कह सकता हूं कि जब तक मैं इस विषय में अपने ला डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, ऐसी स्थिति में जब कि मुकदमा कायम हो गया है मैं कोई . . .

श्री अध्यक्ष—

चार्ज लग गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

उसके बीच में न्यायिक जांच स्वीकार करूं, मेरे पास एक फाइल रखी है जो ला डिपार्टमेंट से आयी है, वह मैं अभी अपने उप मुख्य मंत्री को दिखा रहा था । उसे अभी तक उन्होंने देखा नहीं है । जब तक मैं अपने को सैटिस्फाई न कर लूं कि मैं कानून की परिधि में आता हूं, चूंकि इनकी चर्चा आ गयी है, मैं कानून के ऊपर जा कर ऐसा करने के लिये उद्यत नहीं हूं जिससे इस सदन में ऐसी परम्परा पड़ जाय कि किसी व्यक्ति के नाम पर कोई चीज कह दी गयी और जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर दी जाय ।तो मैं जब तक अपने को सैटिस्फाई नहीं कर लूंगा तब तक इस बात को घोषित नहीं करूंगा कि मैं जुडिशियल इंक्वायरी करवाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं आज का विषय ले रहा हूं । कल तक आप जल्दी सोच लें तो समाप्त हो जाय ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

आप हम लोगों का भी निवेदन सुन लें । सुबह बहुत गम्भीरता से नेता विरोधी दल ने यह प्रश्न इस सदन के सामने रखा, उन कारणों और परिस्थितियों को भी स्पष्ट तथा इस सदन के सामने रखा जि को देखते हुये तत्काल न्यायिक जांच केवल आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य हो जाती है । लेकि उस पर भी माननीय मुख्य मंत्री ने उससे इनकार किया । उसके विरोधस्वरूप मैं व मेरा दल सदन का त्याग करते हैं । आज फिर आपकी कृपा से इस समय यह मामला प्रस्तुत हो गया । जहां तक इस विरोध पक्ष का संबंध है मैं समझता हूं पूरा जो कबीना है, मुख्य और उप मुख्य मंत्री को मिलाकर, वे मिलजुल कर एक काम करते हैं । लेकिन यहां पर इस मामले में एक तरफ मुख्य मंत्री जी बराबर टालते जा रहे हैं जहां तक न्यायिक जांच का प्रश्न है, दूसरी तरफ

उप मुख्य मंत्री की तरफ से सफाई पर सफाई बराबर दी जा रही है, अफसरों की तरफ से धमकी दिलाई जा रही है यहां पर भी धमकी दी जा रही है, इसलिये बहुत भ्रम पैदा हो गया है। मैं चाहता हूं कि यह मामला रोज रोज न उठे लेकिन गुप्ता जी शायद जानबूझ कर चाहते हैं कि यह मामला बार बार छिड़ता रहे। जैसे कभी साजिसी गवाह पाकर वकील की हिम्मत बढ़ जाती है वैसे ही हमारी हिम्मत बढ़ रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं घोषणा करके मुख्य मंत्री जी इस विषय को समाप्त कर देते, जब कि उप मुख्य मंत्री स्वयं मांग कर रहे हैं कि इस मामले में न्यायिक जांच करा ली जाये।

श्री अध्यक्ष—

मुख्य मंत्री को आप सोच लेने दो। वह फाइल देख लें, उनको कुछ कानूनी दिक्कतें होंगी जो दूर हो जायेंगी। मुख्य मंत्री के सामने कुछ कानूनी दिक्कतें हैं। आपको उनको मौका देना चाहिये। मतलब यह है कि डिक्लेरेशन जल्दी हो जायेगा।

एक सदस्य—

क्या वह भी इस्तीफा दे देंगे यदि आरोप असत्य सिद्ध होगा ?

श्री अध्यक्ष—

वह कोई शर्त नहीं है, यह केवल उनसे आशा की गई है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अभी तक मुख्य मंत्री जी ने जो बयान दिया है और जो कुछ इस सदन में हुआ है उससे यह आशा थी कि मुख्य मंत्री जी इस मांग पर विचार करेंगे। लेकिन अब उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि चूंकि न्यायालय में मामला चला गया है, इसलिये इससे शायद संभव वह नहीं हो सके। अब तक जो संभावना थी उस पर उन्होंने पानी फेर दिया है। मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी स्पष्ट कहें कि २–३ दिन में इसकी घोषणा कर दी जायगी। हम लोग इस बात में इंट्रेस्टेड नहीं हैं कि आरोप सही हों, मैं चाहता हूं कि आरोप गलत साबित हों, लेकिन जनता के सामने उनकी सफाई तो हो जाये, किसी को सन्देह तो न रहे।

श्री अध्यक्ष—

मैं तजुर्बेकार आदमी हूं। मेरा अनुभव है कि धीरे-धीरे आदमी ठीक रास्ते पर आता है, वह भी कहते-कहते आ जायेंगे आपकी बात पर आ जायेंगे। लेकिन यदि आप उन्हें छेड़ते जायेंगे तो देर लगेगी। उनको आप अध्ययन कर लेने दीजिये।

सीतापुर में लड़कियों की बिक्री के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

आज मैंने माधव प्रसाद त्रिपाठी जी का लोक महत्व का प्रश्न नियम ५१ के हिसाब से ले लिया है। सीतापुर में वैश्याओं और पुलिस की साजिश से लड़कियों की बिक्री का एक अमानुषिक व्यापार चल रहा है। इस संबंध में मुख्य मंत्री जी अपना स्टेटमेंट दे दें।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

२४ जुलाई, १९६९ को स्थानीय पुलिस को गोपनीय सूचना मिली कि एक नाबालिग लड़की मुहल्ला आलमनगर, सीतापुर के एक मकान में बाहर से लाकर रखी गई है तथा उस मकान में वेश्याएं रहती हैं। पुलिस ने दबिश दी तथा १० वर्षीय शकुन्तला नामक लड़की को बरामद किया। उसके पिता का नाम घंगी मराठी पता चला जो बम्बई का रहने वाला है। पुलिस

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

अधीक्षक ने लड़की से स्वयं बातचीत की तथा उसने बताया कि बम्बई में उसका सम्पर्क कुछ स्त्रियों से हो गया था तथा एक दिन वे उसे बहाने से स्टेशन ले गई तथा गाड़ी में बिठाकर सीतापुर ले आयीं। पुलिस ने दो वेश्याओं तथा एक व्यक्ति को इस संबंध में गिरफ्तार कर लिया है। कुमारी शकुन्तला का डाक्टरी परीक्षण कराया गया जिससे विदित हुआ कि उसके साथ बलात्कार नहीं किया गया है। इसी मुहल्ले में एक और घर में एक दूसरी लड़की कुमारी राजू के होने की भी सूचना मिली है और बताया गया कि उसे भी बम्बई से लाया गया है परन्तु उसका पता न चल सका। ऐसा मालूम हुआ कि पुलिस की आहट पाकर उसे हटा दिया गया। पुलिस ने उसका पता लगाने के लिये पीछा किया तथा पुलिस हरदोई तक गई परन्तु कुमारी राजू का पता न लग सका। इस संबंध में जांच जारी है।

२--उप पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार यह आरोप निराधार प्रतीत होता है कि अल्प वयस्क लड़कियों के व्यापार में स्थानीय पुलिस कर्मचारी भी सम्मिलित हैं। यदि किसी पुलिस कर्मचारी को किसी प्रकार दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भी आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

क्या उस जांच के फलस्वरुप यह मालूम पड़ा कि यह लड़की कितने दिनों से यहां है और यह व्यापार वहां कितने दिनों से चल रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

यह सारी जानकारी फोन से हुई है, अभी लिखित जानकारी नहीं मिली है। जितनी प्राप्त हुई है उतनी दर्ज करा ली, वह पढ़कर सुना दी।

श्री ओंमप्रकाश सिंह (जिला बरेली)---

यह अनैतिक व्यापार का अड्डा वहां की कोतवाली से कितनी दूर पर है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

मैंने अभी बता दिया कि वह तमाम जानकारी मेरे पास नहीं है। आज ही सुबह...

श्री अध्यक्ष---

जब और जानकारी उनके पास नहीं है तब आपके पास जो सूचनायें हों लिखकर भेज दें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

यह जो लड़की पकड़ी गयी है उसके बयान से क्या कुछ पता चला ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

जितनी जानकारी है वह मैंने आपको बता दी।

श्री अध्यक्ष---

आज ही मैंने इनके पास यह भेजा और इन्होंने फोन से बातचीत करके जो इनकी समझ में आया वह इन्होंने लिखा। आपकी जानकारी ज्यादा है अगर इनके पास हो तो दो एक रोज में उस पर सूचनायें मंगाकर दे देंगे। एक ही रोज में सारी सूचनायें नहीं मिल सकतीं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

अक्सर देखा गया है कि मुख्य मंत्री या अन्य मंत्री उत्तर देते हैं तो वे इस प्रकार से उत्तर मंगाते हैं कि उस पर कोई दूसरा प्रश्न नहीं किया जाय। एक उत्तर देकर समाप्त कर दिया

जाय कि इसके अतिरिक्त और सूचना प्राप्त नहीं हुई । यह तो साधारण बुद्धि का प्रश्न था कि जितने संबंधित प्रश्न होते हैं उनका उत्तर मंगाते ।

श्री अध्यक्ष—

उसके लिये तो प्रश्नोत्तर का समय है । अल्प सूचित तारांकित प्रश्न होते हैं जिसमें मंत्रिगण पूरी जानकारी हासिल करके उसके उत्तरों के लिये तैयार रहते हैं इसमें पूरक प्रश्नों के लिये वह एक रोज में तैयार हो जायं ऐसा संभव नहीं हो सकता ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

अच्छा, मैं दे दूंगा ।

श्री यादवेन्द्रदत्त दूबे (जिला जौनपुर)—

अभी तक यह पद्धति थी कि धारा ५१ के जो विषय होते थे उसके लिये २४ या ४८ घंटे का समय ले कर मंत्रिगण पूर्ण उत्तर देते थे । क्या आपने उस पद्धति में कोई परिवर्तन कर दिया है कि उनके पास जो थोड़ी बहुत सूचना हो वही दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, ऐसा नहीं किया गया है । उन्होंने टाइम नहीं मांगा । अगर मांगते तो मैं दे देता । उसके लिये उन्होंने टेलीफोन से पूछ कर जवाब दे दिया क्योंकि अविलम्बनीय उसमें आज्ञा थी ।

श्री अन्तराम जायसवाल—

इस संबंध में जो नियम हैं उनकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं । कायदा यह है कि लोक महत्व के विषय पर अगर किसी सदस्य से ध्यान आकर्षित कराया है तो वह सचिव को विषय की सूचना देता है और उसकी दो प्रतियां देता है । उसके बाद सचिव उसकी एक प्रति मंत्री जी को भेजकर मालूम करते हैं कि मंत्री उस पर उसी दिन वक्तव्य देने के लिये तैयार हैं या नहीं । अगर मंत्री जी उसी दिन के लिये तैयार हैं तो उसी दिन दे देते हैं और अगर उस दिन के लिये तैयार नहीं होते हैं तो फिर आप से इजाजत लेते हैं कि हमको एक, दो या तीन दिन का समय दिया जाय । लेकिन यह देखने में आया है कि जब कभी इस तरह का प्रश्न माननीय मंत्री जी से संबंधित होता है और उनके पास भेजा जाता है और जब वह जवाब ले कर यहां पर आजाते हैं तो उस पर अनुपूरक प्रश्न किए जाते हैं । तब वह यहां पर कहते हैं कि टेलीफोन से इत्तिला मिली है और आगे जानकारी नहीं है तो इससे सदन का समय खराब होता है । सदन जो जानकारी करना चाहता है वह उसको नहीं मिल पाती है । अगर मंत्री के पास समय कम हो तो वह मदद के लिये दूसरे को डिप्टी मिनिस्टर बनाकर अपने यहां रखलें ।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे—

मैंने निवेदन किया था कि कुछ परिवर्तन हुआ है । आपने कहा नहीं । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब मुझ से मन्त्री जी से सूचना मांगी गई है तो उनको पूरी सूचना होनी चाहिए उनके पास वायरलेस है, टेलीफोन है जिससे सारी सूचना आ सकती है । मैं यह निवेदन करूंगा कि १, २ दिन में सारी सूचना मंगाकर सदन को दें जिससे सदन को जानकारी हो और हम प्रश्न पूछ सकें ।

श्री अध्यक्ष—

जब मैंने इस तरह से कहा कि सूचना बाद को दे दी जायगी तो इस पर लोगों ने टीका की। नियम ५१ सलिये बनाया गया कि तत्काल उसकी जानकारी वह करना चाहते हैं । वह सूचना मंगा लेते हैं तो और अधिक जानकारी के लिये आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर सकते हैं । तारांकित प्रश्न के लिये समय ज्यादा लगता है । अल्पसूचित में तीन दिन का समय रहता है ऐसी हालत में नियम ५१ का यही मतलब है कि शीघ्र सूचना आजाय क्योंकि शीघ्र ध्यान आकृष्ट कराना है । आपने ध्यान आकृष्ट करा दिया । इस बीच में जानकारी के लिये फोन से सूचना मिली तो जो मिली वह उन्होंने बता दी । आपको कुछ और जानकारी है तो लिख कर

[श्री अध्यक्ष]

ऐसे प्रश्न करें वह सूचना मंगा देंगे। तत्काल के लिये उन्होंने जवाब दे दिया। कुछ न कुछ आपको सूचना मिलनी चाहिये। जो पुलिस के विषय में उन्होंने बताया उसमें आपको कुछ शंका है तो आप पूछ सकते हैं लेकिन उनको शंका नहीं है और न वह शंका कर सकते हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

समय नहीं था और सारी बातों का जवाब वह नहीं दे सकते। कल उनको मालूम हुआ है तो सूचना नहीं दे सकते लेकिन जब आज टेलीफोन पर बात की तो यह मालूम होगा कि किस अफसर ने जांच की। जब यह इतना जल्दी सब मालूम हो गया तो कैसे मालूम हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

जो रिपोर्ट टेलिफोन से आयी उसे वे लिखवाते गये और उन्होंने यहां बतला दी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

इसीलिये मैंने कहा कि यह रिपोर्ट गलत है।

श्री अध्यक्ष—

इतनी जल्दी कैसे सूचना मंगा सकते हैं, इतनी जल्दी कैसे जांच हो सकती है ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में महिला अनैतिक व्यापार अधिनियम लागू है वेश्या वृत्ति समाप्त हो चुकी है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने बयान में यह कहा कि उस मकान में एक वेश्या रहती है जहां से वह लड़की मिली, तो क्या वे उसका नाम बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इस बात को वह कैसे बतला सकते हैं ?

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

श्रीमन्, इधर सदन में लगातार ५–६ बड़ी महत्वपूर्ण घटनायें हुई हैं जिनके बारे में कितने ही प्रश्न किये गये और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गयी लेकिन हर घटना के बारे में जो इम्पार्टेंट बात थी वह इस सदन के सामने नहीं आयी। इससे स्पष्ट होता है कि इस में पुलिस की बदमाशी कहीं न कहीं जरूर है जिससे वह अपने कारनामों को छिपाने के लिये चुपचाप कुछ लिखवा कर सदन में भेजवा देती है। मैं समझता हूं कि इस तरह से सरकारी अधिकारियों द्वारा सदन को सही जानकारी न देकर एक तरह से सदन को धोखे में डालने की कोशिश की जाती है। क्या उनके खिलाफ ऐक्सन लिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष—

ऐक्शन लेना उनका कर्त्तव्य होता है।

म्योर मिल कम्पनी लिमिटेड, कानपुर के श्रमिकों द्वारा अनशन के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

नियोजन मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

भारत सरकार ने इन्डस्ट्रीज (डेवलपमेन्ट ऐण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, १९५१ की धारा १८–ए के अन्तर्गत म्योर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर के लिये दिनांक २२ दिसम्बर, १९६५ को एक अथराइज्ड कन्ट्रोलर की नियुक्ति की। अथराइज्ड कन्ट्रोलर ने १–१–६६ को मिल का कार्यभार सम्भाल लिया। उस समय मिल की माली हालत बहुत ही शोचनीय थी और उन्हें १,७२,११,४८ ७

रुपये बकाये के मदों में देने थे। ग्रथराइज्ड कन्ट्रोलर ने ७ मई, १९६६ से मिल को चालू किया और आप्त रिपोर्टों के अनुसार पिछले लगभग ३ वर्ष की अवधि में उन्होंने उक्त देय धनराशि में से लगभग ९३ लाख रुपये की या तो अदायगी कर दी है या समायोजन कर दिया है। इनके कार्यकाल के प्रथम २ वर्षों में जब कि यह उद्योग प्रतिकूल परिस्थितियों से होकर गुजर रहा था डेप्रीसियेशन बाद किये बिना केवल २७,८४,००० रुपये का नुकसान उठाया जब कि इनके कार्य सम्भालने के पहले केवल एक वर्ष १९६५ में, जबकि यह कारखाना प्राइवेट सेक्टर में चल रहा था ५६ लाख रुपये का नुकसान हुआ था। वर्ष १९६८ से इस कारखाने में मुनाफा होने लगा है और जून, १९६९ तक लगभग १६,४०,००० रुपये का मुनाफा हुआ है। अतएव यह कहना कि कन्ट्रोलर साठगांठ करके मिल को दिवालिया बनाने में प्रयत्नशील है, निराधार है।

२—केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों ने ग्रथराइज्ड कन्ट्रोलर को मिल चलाने के लिये कम्पनी को लगभग २ करोड़ रुपये की सम्पत्ति के एवज में ८० लाख रुपये की केवल बैंक गारंटी दी थी। इस गारन्टी के आधार पर ग्रथराइज्ड कन्ट्रोलर बैंक से रुपया ले कर इस कारखाने को चला रहे हैं, अतएव सरकारी धन के दुरुपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता है। स्पष्ट है कि यदि कम्पनी के धन का दुरुपयोग हो रहा होता तो कम्पनी की माली हालत सुधर नहीं सकती थी।

३—कम्पनी को सरकारी कन्ट्रोल में लेने के पहले केन्द्रीय शासन ने एक विशिष्ट समिति द्वारा इसकी स्थिति की जांच-पड़ताल कराई थी। इस समिति की निश्चित् राय थी कि इस कारखाने में आवश्यकता से बहुत अधिक श्रमिक लगे हुये थे जिनकी संख्या कम करना नितान्त आवश्यक था। जिस समय ग्रथराइज्ड कन्ट्रोलर ने इस मिल का कार्यभार सम्भाला उस वक्त श्रमिकों की संख्या ६,८५९ थी। उस समय प्रति हजार स्पिन्डिल पर १४ आदमी लगते थे जबकि कानपुर का औसत लगभग ९.५ श्रमिक प्रति हजार स्पिन्डिल था। बहुत सावधानी से बरती गई रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया से इस समय यह संख्या घट कर ५,५१५ हो गई है। अब भी इस स्थिति में श्रमिकों की संख्या प्रति हजार स्पिन्डिल पर १० से अधिक है। यह उल्लेखनीय है कि इस कमी करने में श्रमिकों को छटनी द्वारा बेरोजगार नहीं किया गया। यह संख्या धीरे-धीरे कम हो गई है और इस कमी करने में कानूनों के प्रविधानों का साधारणतया पालन भी किया गया है।

४—यह सही है कि ग्रथराइज्ड कन्ट्रोलर ने चन्द श्रमिकों को निकाल दिया है। कन्ट्रोलर द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उनको इस लिये नहीं निकाला गया है कि वे ट्रेड यूनियन के कार्यकर्त्ता थे बल्कि इसलिये कि उन्होंने करखाने में दुराचरण किया था। यूनियन की शिकायत पर शासन ने इन श्रमिक कार्यकर्ताओं के मामले को अभिनिर्णय के लिये यू० पी० औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत लेबर कोर्ट को भेज दिया है। उनमें से एक श्रमिक स्वयं सेवायोजकों के साथ समझौता कर, अपना हिसाब लेकर चला भी गया है। चूंकि यह विषय इस समय लेबर कोर्ट के सामने विचाराधीन है अतएव ग्रथराइज्ड कन्ट्रोलर द्वारा की गई कार्यवाही के औचित्य अथवा अनौचित्य पर उच्च कोर्ट के निर्णय आदि की प्रतीक्षा करनी होगी।

५—कुछ समय पूर्व इस मिल में काम करने वाली चन्द यूनियनों ने मिल कर एक संघर्ष कमेटी कायम की और उन्होंने १४ सूत्री मांगपत्र प्रस्तुत किया और वे मिल गेट पर बारी-बारी से भूख-हड़ताल भी करने लगे। १४ सूत्री मांग-पत्र में संघर्ष कमेटी ने यह भी सूचित किया था कि यदि उनकी मांगे पूरी न की गईं तो वे २६ तारीख को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे। उस मांग-पत्र में एक मांग यह भी थी कि कारखाने के फैक्टरी मैनेजर को निकाल दिया जाय, साथ ही कुछ ऐसी मांगें थीं जो किसी न किसी अदालत के सामने विचाराधीन बताई गई हैं। अतएव ग्रथराइज्ड कन्ट्रोलर के अनुसार यह सम्भव नहीं था कि वे उन मांगों को स्वीकार कर लेते। इस नोटिस में दी गई मांगों पर समझौता कराने के लिये प्रति श्रमायुक्त, कानपुर रीजन के सामने बातचीत हुई। श्रमिकों का एक प्रतिनिधि मन्डल श्रमायुक्त महोदय से भी मिला जिन्होंने उनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुना और उसमें छानबीन कर आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

भी दिया। इसी बीच २६ तारीख को आंशिक हड़ताल हुई। २७ तारीख को इतवार था। २८ तारीख से मिल सामान्य रूप से चल रही है। श्रमिकों की मांगों पर श्रम कमिश्नर छानबीन कर रहे हैं। उन पर यथासम्भव सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिस समय सरकारी कन्ट्रोलर महोदय कानपुर गये और जो बंगला उन को रहने के लिये दिया गया उस बंगले की सजावट में उन्होंने कम्पनी का कितना रुपया खर्च किया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

माननीय सदस्य क्षमा करेंगे कि इस सम्बन्ध में कोई सूचना मेरे पास नहीं आई है और न ही कोई मांगी गई है।

श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या मंत्री जी यह बताने कृपा करेंगे कि इस मिल के जिन मजदूरों को निकाल दिया गया है, और प्रस्तर ३ में उन्होंने जिस कमेटी का जिक्र किया है कि उस कमेटी के जांच के फैसले से उनको निकाला गया है तो मैं जानना चाहूंगा कि जिन मजदूरों को निकाला गया है क्या उस कमेटी ने उन मजदूरों को निकालने को कहा था ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, जरा मैं स्पष्ट कर दूं। यहां की कमेटी का तो मैंने कोई जिक्र नहीं किया था। मैंने तो भारत सरकार की कमेटी का उल्लेख किया था।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मंत्री जी ने जो लिखित जवाब दिया है.....

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, दफा ५१ में मैंने प्रस्ताव दिया था कि.....

श्री अध्यक्ष—

पहले इसे होने दीजिए।

श्री मोतीलाल देहलवी—

श्रीमन्, यह मंत्री जी के जवाब पैरा तीन में है कि सरकारी कन्ट्रोलर के पहले केन्द्रीय शासन ने एक विशिष्ट समिति द्वारा इस मिल की स्थिति की जांच पड़ताल कराई थी। इस समिति की निश्चित राय थी कि इस कारखाने में आवश्यकता से बहुत अधिक श्रमिक लगे हुये थे जिनकी संख्या कम करना नितान्त आवश्यक था। इसके अनुसार मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिन मजदूरों को मिल से निकाला गया है क्या उस समिति ने उन्हीं मजदूरों की सिफारिश की थी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, जो मजदूर कारखाने से अलग हुये हैं या अलग किये गये हैं उनको दो तीन श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो वे मजदूर हैं जो कि या तो मृत्यु के कारण या त्याग पत्र के कारण.....

श्री अध्यक्ष—

पहले तो उनका यह कहना है कि कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि उनको निकाले.....

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जिस कमेटी का मैंने उल्लेख प्रस्तर ३ में किया है वह भारत सरकार की कमेटी थी जिसकी सिफारिश के अनुसार भारत सरकार के कन्ट्रोलर की नियुक्ति हुई, जिसने यह कहा कि प्रबन्ध बिगड़ा है, इसी कमेटी की सिफारिश का आधार मिल के लिये कन्ट्रोलर नियत करना था।

श्री मोतीलाल देहलवी—

जिन मजदूरों को निकाला गया है राशनलाइजेशन के नाम पर, और यह कहकर कि इस मिल में ज्यादा मजदूर हैं तो उनको निकालने के क्या नियम हैं और वह कौन-सी अथारिटी है ?

श्री अध्यक्ष—

मजदूरों को निकालने वाली कोई अथारिटी होगी तो यह बता दिया जाय कि वह कौन-सी अथारिटी है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

ये जो मजदूर हैं, जिनको निकाले जाने की बात है ये निकाले नहीं गये बल्कि सम्पूर्णानन्द अवार्ड के अनुसार एक सुपरवाइजरी कमेटी बनी हुई है, उसकी स्वीकृति से ७०८ कर्मचारियों को सेवा-विमुक्त किया।

श्री अध्यक्ष—

उनको सेवा-विमुक्त किसने किया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सुपरवाइजरी कमेटी की सिफारिश पर मैनेजमेंट ने जहां भी किसी टैक्स्टाईल मिल में अगर रैशनेलाईजेशन का कार्य होता है तो वह इस स्थायी सुपरवाइजरी समिति की स्वीकृति से होता है। इसी कमेटी की स्वीकृति से ७०८ कर्मचारियों को सेवा विमुक्त किया गया।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में १,३४४ कर्मचारियों का जिक्र किया लेकिन वे अब कहते हैं कि ७०८ कर्मचारियों को सेवा विमुक्त किया गया तो सही फिगर क्या है ? और क्या जो छटनी की गयी है वह फर्स्ट कम लास्ट गो के आधार पर की गयी है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, जो कर्मचारी सेवा विमुक्त किए गये हैं, उनकी स्वीकृति सुपरवाइजरी कमेटी ने फैक्ट्री के प्रत्येक विभाग में वर्क लोड को देख कर ही की है। इसलिए फर्स्ट कम लास्ट गो का सिद्धान्त लागू तभी होता है जब कमेटी इसे मान ले। जहां तक निकाले गये कर्मचारियों की संख्या का सवाल है उसमें ८९ की मृत्यु हुयी, ५५२ ने इस्तीफे दे दिए, ३३० रिटायर्ड हो गये और ४२ डिस्मिस हुए।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या विभागों से छटनी में नियम का पालन किया गया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जहां तक मेरी जानकारी है सुपरवाइजरी कमेटी ने रैशनेलाइजेशन के नियम बनाये हैं, और उनका पालन किया गया होगा।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---

यहां पर ट्रेड डिस्प्यूट ऐक्ट लागू होता है और मंत्री जी ने कहा है कि यहां जो श्रमिक कानून है, उनके अनुसार मजदूरों की छटनी हुयी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि यहां पर ट्रेड डिस्प्यूट ऐक्ट लागू है या नहीं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो इस प्रदेश का है जिसके अन्तर्गत संपूर्णानन्द एवार्ड दिया गया, उसके अन्तर्गत यह जो कुछ ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं को निकालने का आरोप लगाया है उसके आरोप को लेबर कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। लेबर कोर्ट के सामने फैक्ट्री की ओर से यह एक प्रस्ताव रखा गया कि लेबर कोर्ट इस प्रश्न पर विचार न करे, क्योंकि यह कहा गया था कि अथराइज्ड कन्ट्रोलर वाली किसी भी मिल में भारत सरकार के ही कानून लागू होते हैं। यह प्रश्न कोर्ट के विचाराधीन है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ११ परसेन्ट मजदूर मरे हैं ये छंटनी के सदमें में या हृदय-गति से मरे या अन्य किसी बीमारी से मरे हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

पता यह चला है कि इस मिल के गेट पर कुछ मांगों को लेकर मजदूर भूख हड़ताल कर रहे हैं तो क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि ये मांगें कब से की जा रही हैं और क्या-क्या हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

ये मांगें ५ जुलाई को प्रस्तुत की गयी थीं। फिर स्ट्राइक नोटिस दी गयी और ३० जून से भूख-हड़ताल की गयी। मुख्य मांगें यह हैं जैसे ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं को निकाला गया उन्हें वापस लिया जाय। जो रिफरेंस में आरोप लगाये गये हैं, वे वापस लिये जायें। ६७ का बोनस बांटा जाय। जन्माष्टमी का आधा रुपया बांटा जाय। कन्ट्रोलर महोदय पर १२ हजार रुपये खर्च हो रहे हैं, उसकी जांच कराई जाय। ग्रेचुटी का भुगतान ९० दिन के अन्दर हो जाय।

श्री मोतीलाल वेहलवी---

यदि सब मांगें सदन के सामने आ जायं, उनमें से कौन-सी मांग सरकार तत्काल पूरा कर सकती है क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

सब मांगें नहीं बतलाई हैं। कुछ बाकी रह गयी हैं क्या ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

जी हां। मुख्य-मुख्य मांगे बतला दी हैं, जिनके बारे में उनका आन्दोलन चल रहा है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

उनमें क्या ये मांगे भी हैं कि पुलिस द्वारा चलाये जाने वाले मुकदमे वापस हों, प्रबन्धकों द्वारा कानपुर के अन्दर व बाहर के गुंडों द्वारा जो गुंडागर्दी कराई जाती है उसकी जांच गुप्तचर विभाग द्वारा कराई जाय और उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हो जिनकी लिस्ट समय समय पर श्रमायुक्त तथा प्रधान मंत्री को भेजी भी जा चुकी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

हो सकता है ये मांगें हों लेकिन मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री मोतीलाल वेहलवी—

क्या मजदूरों की मांगों में बोनस देने की भी मांग है ? चूंकि मंत्री महोदय ने हमको जो जवाब दिया है उसमें मिल में मुनाफा दिखाया गया है, ऐसी हालत में बोनस जरूर दिया जाता है, तो फिर मजदूरों को बोनस क्यों नहीं दिया गया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जैसा मैं बतला चुका हूं बोनस की मांग उन मांगों में से एक है। इस प्रश्न पर जब अथोराइज्ड कन्ट्रोलर महोदय से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि उनके मातहत जो मिलें होती हैं उनमें बोनस अधिनियम लागू नहीं होता। इसलिये बोनस के नाम पर बोनस ऐक्ट के अन्तर्गत बोनस देना संम्भव नहीं है लेकिन यह प्रश्न अब भी विचाराधीन है और लेबर कमिश्नर अथोराइज्ड कन्ट्रोलर से बाचचीत कर रहे हैं।

चौधरी रामपालसिंह यादव (जिला कानपुर)—

इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि दो वर्षों में उस मिल में २७ लाख ८४ हजार रुपये का नुक्सान हुआ है। तो इसमें वहां के कन्ट्रोलर का दोष है और उनको क्या सजा दी जायगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं समझता हूं कि बिना जांच किये उनका उत्तरदायित्व निश्चित कर देना सम्भव नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

कुछ लोगों को दुराचरण के कथित आरोप में निकाला गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जो सूचना मेरे पास है उसमें स्टैंडिंग आर्डर्स के अन्तर्गत चार्जशीट लगने के बाद और इन्क्वायरी के बाद ही उन कर्मचारियों को निकाला गया।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जो मांगें अभी श्रम मंत्री जी ने पढ़ी हैं क्या वे सभी या उनमें से कुछ मांगों को तत्काल पूरा किया जा सकता है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जैसा कि मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं बहुत सी मांगें अभी विचाराधीन हैं। उन पर श्रम कमिश्नर कार्यवाही कर रहे हैं और बहुत सी मांगें लेबर कोर्ट के सामने विचाराधीन हैं। जब तक लेबर कोर्ट का फैसला न हो जाय, कोई कार्यवाही हो नहीं सकती।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जैसा कि अभी मांग-पत्र से मालूम हुआ और जो आपने पढ़ा कि अथोराइज्ड कन्ट्रोलर अपने बंगले पर ६० हजार रुपये और १२ हजार रुपये प्रति मास और सुविधाओं पर नाजायज खर्च करेंगे तो क्या इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जो प्रारम्भिक जांच इस सम्बन्ध में हुई है उसके अनुसार यह आरोप गलत है। अथोराइज्ड कन्ट्रोलर भारत सरकार के द्वारा नियुक्त है। उनकी सीधी जांच कौन करेगा यदि इस सम्बन्ध में लिखित रिपोर्ट आयेगी तो उस पर सम्बन्धित विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष—

अब यह समाप्त हुआ।

चीनी मिलों पर सरकारी टैक्स की बकाया धनराशि तथा विष्णु प्रताप शुगर वर्क्स, प्राइवेट लिमिटेड की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष—

अब उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर प्रदेशीय सरकार को मिलने वाले टैक्स की बकाया धनराशि तथा देवरिया जनपद स्थित विष्णु प्रताप शुगर वर्क्स, प्राइवेट लिमिटेड की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में २४ जुलाई, १९६९ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५९—६० के विषय में श्री शिवराज सिंह तथा श्री रामधारी शास्त्री की सूचनाओं पर विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ४९ के अन्तर्गत आधे घंटे की चर्चा होगी।

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

नियम ५१ का एक था। उसके बारे में मैंने वक्तव्य पढ़ा था लेकिन उन्होंने कुछ सवाल किये।

श्री अध्यक्ष—

आप किसी वक्त कल सूचना दे दें।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैं समझता हूं कि दो रोज बाद दे दूं।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। कोई इतराज नहीं है।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की वित्तीय अवस्था बहुत चिन्ताजनक है। यह केवल इसी तथ्य से स्पष्ट है कि फाइनेंस कमीशन की कड़ी हिदायत के बावजूद वित्त मंत्री को ७४ करोड़ रुपये के घाटे का बजट सदन में प्रस्तुत करना पड़ा।

श्री अध्यक्ष—

यह भाषण का समय नहीं है। आप प्रश्न पर ही बोलें।

श्री शिवराजसिंह—

मान्यवर, ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार ने मिल मालिकों से टैक्स के बकाया की वसूली, जिसकी इजाजत उत्तर प्रदेश परचेज ऐक्ट में प्राप्त थी, वसूलयाबी में ढिलाई बरती है। इस ऐक्ट ने राज्य सरकार को अधिकार दिया था कि वह मिलों पर जो कर बकाया है उस पर सूद आयद कर सकती है और नादेहन्दों पर जुरमाना भी लगा सकती है और इसको कोअर्सिव मेसर्ज से वसूल कर सकती है। श्रीमन्, मेरी शिकायत है कि राज्य सरकार ने चीनी मिलों से वसूलयाबी में बहुत ढील बरती है जैसा कि उत्तर से स्पष्ट है। कुल कर का बकाया धन ४२६.९३ लाख रुपये का था। उसमें से १११.८९६ लाख रुपये का न्यायालय से स्टे आर्डर ले आये थे और ३१५.०४ लाख के सम्बन्ध में राज्य सरकार को पूर्ण अधिकार था कि वह कोअर्सिव मेजर्स द्वारा सार्टीफिकेट जारी करके चीनी मिलों से रिकवर कर सकते थे। लेकिन ३१५.०४ लाख में से केवल १४०.५६ लाख रुपये के कलेक्शन सर्टीफिकेट जारी किये गये और १७४.५० लाख के सम्बन्ध में कोई भी कोअर्सिव मेजर्स अखतियार नहीं किये गये। ऐसी परिस्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि पौने दो करोड़ रुपये को वसूल करने का अधिकार राज्य सरकार को है और यह रकम चीनी मिलों से सख्ती से वसूल की जानी चाहिये।

उद्योग मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

श्रीमन्, जो रुपया बकाया है उसमें से १११.८९ लाख रुपया का न्यायालय रोधनादेश जारी हो गया है। हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि यह रुपया वसूल न हो। उन्होंने कहा कि परचेज ऐक्ट ठीक नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट द्वारा स्टे की वजह से वसूल नहीं हो सकता है। २१.८७ लाख रुपये के विषय में दो तरह का समझौता हो गया है। एक तो जरवल चीनी मिल को हमारा आदमी चला रहा है। बरेली चीनी मिल से यह तय हो गया है कि २५ हजार या शायद ५० हजार रुपया हर माह दिया जाता रहेगा। १४०.५४ लाख रुपये के बारे में प्रमाण-पत्र जारी हो गये हैं। ४५.०६ लाख रुपया ऐसी मिलों पर है जहां हमारा रिसीवर अथवा आथराइज्ड कन्ट्रोलर मौजूद हैं केवल ४ लाख ९२ हजार रुपया ऐसा है जो छोटे-छोटे मिलों पर है। हमने सोचा किसी पर २० हजार है किसी पर ४० हजार है, बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके रिकवरी सर्टिफ़िकेट इश्यु नहीं हुये हैं। बाकी के इश्यु हो गये हैं।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

जिन चीनी मिलों को वसूली के प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं, जिला अधिकारियों के द्वारा कब जारी किये गये हैं, किन-किन तारीखों में, और उसके क्या परिणाम हुए ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह इतने डिटेल का सवाल पूछा गया है कि उसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है। अगर आप सूचना मांगे तो मंगा दूंगा। टोटल जितना हुआ वह मैंने बता दिया। मैं यह भी बता दूं कि कभी-कभी ऐसा हुआ है कि रिकवरी सर्टिफ़िकेट इश्यु भी कर दिये गये और पता चला कि उसके बाद फ़ैक्टरी नहीं चलेगी तो उसको भी रोकना पड़ा, नहीं तो फैक्टरी बन्द हो जाती।

श्री रामधारी (जिला देवरिया)—

मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये उनमें यह है—१११.८९ लाख अदालत में है, १४०.५४ लाख पर रिकवरी सर्टिफ़िकेट जारी किये गये लेकिन बाकी २५३ लाख रुपये के सार्टिफ़िकेट क्यों नहीं जारी किये गये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

३२४.२८ है। इसमें १४०.५४ लाख के प्रमाण पत्र जारी किये गये। ४५ लाख रिलीवर और अथोराइज्ड कंट्रोलर में है। २१ लाख के हमारे समझौते हो गये।

श्री रामधारी—

आपके वक्तव्य में यह है कि ४२६.९३ लाख रुपया दिया गया था। उसके मुताबिक यह सूचना दी गयी कि १४० लाख ५४ हजार के खिलाफ़ रिकवरी सर्टिफ़िकेट दे दिये गये और १११.८९ लाख अदालत में है। बाकी २५२ लाख रहा। इसका क्यों नहीं हुआ ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जैसा मैंने बताया इसमें दो तरह की धनराशियां हैं। ४२६ लाख रुपये की धनराशि में से १०२ लाख रुपया वर्तमान सत्र का भी शामिल है। ३२४ लाख पुराना है जो इसमें शामिल है। इस साल की बहुत सी डेट ही ड्यू नहीं हुई है। बकाया जो है यह तो पुराना है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ८६५ लाख रुपया जो किसानों का गन्ने की कीमत का बकाया है उसकी वसूली के लिए क्या-क्या कार्यवाहियां की गयीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

११ हजार ६०३ लाख ओरिजिनल ड्यू था । ८६५ लाख रुपया जो है वह बाकी है और ओरिजिनल ड्यु ११,६०३ लाख रुपया था । इसमें से ८६५ लाख रुपया बाकी है और उसमें से बहुत सी मिले ऐसी हैं जिनकी हालत बहुत ही खराब है । बहुत सी मिलों को गन्ने का दाम जो १० रुपये के हिसाब से देना पड़ा ज्यादा था जिससे उनका नुकसान हुआ, तो उस कीमत को वह पूरा करेंगे । इस बात को देखते हुये उनसे जल्दी से जल्दी रुपया दिलवाया जाये सरकार प्रयत्नशील है । बागपत की अपनी ऐसी शुगर मिल है जिसमें इतना नुकसान हो गया कि कोशिश करने पर भी हम रुपया नहीं दे सके । कुछ ऐसी हैं जिन्होंने कोर्ट्स से इन्जंक्शन आर्डर ले लिये हैं ।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, खड्डा की चीनी मिल लाभ पर चल रही है, लेकिन फ़िर भी उसने किसानों का बकाया रुपया उन्हें कभी नहीं दिया है । तो क्या सरकार ऐसी कार्यवाही करेगी कि उनको पैसा मिल सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैं स्वयं जानता हूं जितना रुपया किसानों का बकाया है उनका किसी न किसी रूपसे उनको दिलाने का प्रबन्ध किया जाये । लेकिन हो नहीं सका क्योंकि चीनी के दाम में बहुत इधर फ़र्क आया उनका जो बैंकों का मार्जिन मनी था उसमें भी नुकसान आया और खास कर राष्ट्रीयकरण के कारण और उनको असुविधा बढ़ गई है । इसलिये वे इस परिस्थिति में नहीं है । सरकार इस पर विचार कर रही है कि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनके लिये अथोराइज्ड कन्ट्रोलर रख दिया जाए ।

श्री शिवराजसिंह—

क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि जो रुपया काश्तकारों का मिलों पर बकाया है वह जब दिया जायगा तो उनको उसका सूद भी दिया जायेगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह तो हमारे नियमों में है ।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

जो लाखों रुपयों की रकम मिल मालिक इस्तेमाल किया करते है, उससे उनके ऊपर क्या कोई सूद वगैरह भी लिया जाता है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रामधारी—

माननीय, १ करोड़ २ लाख रुपया खड्डा मिल पर बाकी है, ६४ लाख रुपया पंजाब नेशनल बैंक का बाकी है, २० लाख रुपया केन सेल्स तथा परचेज टैक्स का बाकी है और करीब ६० हजार रुपया मजदूरों के बोनस आदि का बाकी है, और ५० हजार रुपया जून मास का वेतन बाकी है, इससे स्पष्ट है पूरी तरह से कि मिल की आर्थिक हालत बहुत खराब है, उसका प्रबन्ध बहुत खराब है, इसको ध्यान में रख कर क्या सरकार कोई अपना अथोराइज्ड कन्ट्रोलर उसके लिये मुकर्रर करने की कृपा करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आपने खड्डा मिल का कोई अलग से प्रश्न नहीं किया था, हमने कई मिलों की रिकवरी इश्यू कर दी थीं, दूसरी मिलों का भी शायद कर दिया होगा । हमने इस बात की कोशिश की है कि जहां भी रुपया काश्तकारों का हो उसको जल्दी से जल्दी दिलवाने का इंतजाम किया जाय ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि काश्तकारों का लाखों करोड़ों रुपया मिल मालिकों पर बाकी है, लेकिन वह वसूल होकर उनको नहीं मिल पा रहा है, कई कारणों से वसूल नहीं हो रहा है, तो क्या मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार का किसान पर जो लगान का रुपया बाकी है और जिसके लिये उसे रोज पकड़ा जाता है और उन्हें तनहाई में रखा जाता है जिसके कारण वे नारकीय जीवन बिता रहे हैं, मिल मालिकों के विरुद्ध कुछ नहीं किया जाता है और इससे सरकार की बदनामी हो रही है तो क्या सरकार चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के लिये कोई कदम उठायेगी ताकि इस बदनामी से आपको मुक्ति मिले ?

श्री अध्यक्ष---

जवाब वह दे चुके हैं कि राष्ट्रीयकरण करना उनके पावर में नहीं है।

श्री महीलाल---

यह ८६५ लाख रुपया किसानों पर बकाया है वह कितना पुराना है ? क्या उसमें से कुछ का ५ या ६ साल पुराना है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

१५३ लाख पुराना है बाकी सब इसी साल का है।

श्री महीलाल---

यह १५३ लाख कितना पुराना है, इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

यह ज्यादातर पिछले साल का है। आप कहते हैं तो पता अला लूंगा।

श्री महीलाल---

तालिका (ख) से सम्बन्धित। यह जो तीन मिले हैं साखता टांडा, सरसवां और रामपुर में जो रिसीवर बैठाये गये थे क्या इनको हटा लिया गया है तीनों में ही, या इनमें से एक या दो में ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

साखता टांडा में तो गवर्नमेंट आफ़ इंडिया के रिसीवर थे और सरसवां और रामपुर में हमारा है।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल---

क्या यह जिलाधिकारी वसूली के लिये भेजे गये ? वह प्रश्नकर्त्ता के प्रश्न करने से पहले भेजे गये थे या बाद में ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

सर्टिफ़िकेट जाते रहते हैं। ज्यादा सर्टिफ़िकेट ऐसे हैं जो पहले गये हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते है जो बाद में गये हों।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि खड्डा मिल पर किसानों का जो रुपया बाकी है उसके रिकवरी सर्टिफ़िकेट कब-कब जारी किये गये और उसका परिणाम क्या निकला ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

रिकवरी सर्टिफ़िकेट तो चले गये पर रुपया वसूल नहीं हुआ क्योंकि आज कल यह दिक्कत है कि बैंकों के यहां चीनी मिल गिरवी हैं।

श्री शिवराजसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं उन सदस्यों का जिन्होंने इस पर अनुपूरक प्रश्न पूछ कर प्रकाश डाला। मन्त्री जी ने सदन को यह आश्वासन दिया है कि जिन काश्तकारों का गन्ना देर से मिल को मिला है उनकी उस काल की सहायता की जायगी। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री उद्योग इस आश्वासन को पूरा करेंगे। मैं जानता हूं कि परचेज टैक्स की यह त्रुटि है कि कोई अफ़सर नादेहन्द मिल पर टैक्स न देने पर पैनाल्टी आयद नहीं कर सकता। इस त्रुटि के कारण बहुत से मिल मालिक कोर्ट से स्टे हासिल कर लेते हैं। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि इस त्रुटि को दूर करने का प्रयास करें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

एक दिक्कत जरूर है कि टैक्स बाद में लेना पड़ता है और गन्ना पहले ले लेते हैं। उसके बारे में हम सोच रहे ह कि किसानों की रक्षा की जाय और किसानों का भी और सरकार का भी पैसा वसूल हो जाय। कुछ चीनी मिल ऐसे हैं जो पैसा तुरन्त दे देते थे पर अब चीनी के दाम गिरने की वजह से कुछ ऐसे कारण हो गये कि अपने आप कोशिश करने पर भी गन्ने का दाम न दे सके। एक चिट्ठी कोआपरेटिव मिल की आई कि जब इतना नुकसान हो रहा है तो उसको बन्द कर दें। अगर बन्द कर देंगे तो काश्तकारों का नुक्सान होगा, उनको गन्ने का दाम नहीं मिलेगा और घाटे से चलाया तब भी दाम नहीं दे सकते। इसी बात को लेकर मैं चौधरी साहब के पास गया था। और मैंने यह सलाह भी उनसे की थी कि आप बतलायें कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें—मेरठ की मिलें पैसा दे नहीं सकतीं और यदि हम उनको गन्ना दे दें और फ़िर वे पैसा न दें तो इससे बड़ा भारी नुक्सान होगा। फिर हमने सोचा कि गन्ना तो पेरवा देना ही ठीक रहेगा, भले ही दाम बाद में मिले। जब तक यह सरकार रहेगी किसानों के गन्ने का दाम उनको जरूर दिलवायेगी। बल्कि यहां तक हमने कर दिया है कि देर से दाम मिलने पर केवल दाम ही नहीं बल्कि उसका सूद भी मिलेगा। अगर खेतों में गन्ना पड़ा रह जाता तब तो उससे किसानों का बहुत ही नुकसान हो जाता, इसलिये हमने यह किया कि किसानों का गन्ना तो पहले खेतों से निकल ही आवे। अगर मिलें बन्द हो जातीं तो फिर गन्ना किसी कीमत पर भी कोई नहीं लेता और उससे किसानों का बड़ा नुकसान हो जाता। हमा ी चीनी मिलें बन्द पड़ी हैं लेकिन हमने सोचा कि लोगों को कुछ काम मिलता रहे भले ही काश्तकारों को इस समय दाम न मिले लेकिन पेरवा तो दें ही।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल १०-३० बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बज कर ४८ मिनट पर अगले दिन के साढ़े बस बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
२९ जुलाई, १९६९।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०१ पर)

गोंडा जनपद के बलरामपुर तहसील में निर्मित राजकीय नलकूपों की तालिका

क्रम-संख्या	कूप-संख्या व ग्रुप	ग्राम का नाम
१	१ बी० एल० जी०	इमलिया
२	२ ,, ...	श्रीनगर
३	३ ,, ...	महेशमारी
४	४ ,, ...	रामपुर वनथुसरा
५	५ ,, ...	पीलीभील
६	६ ,, ...	धुसाह
७	७ ,, ...	पैतेजोत
८	८ ,, ...	बांसडीला
९	९ ,, ...	बभावां
१०	१० ,, ...	कान्धमारी
११	११ ,, ...	विशुनपुर
१२	१२ ,, ...	शिवदर्शन जीत
१३	१३ ,, ...	सिधुनिया
१४	१४ ,, ...	ठकुरापार
१५	१५ ,, ...	रघवापुर
१६	१६ ,, ...	नन्दनगर
१७	१७ ,, ...	जोरावरपूर
१८	१८ ,, ...	भवनियापुर
१९	१९ ,, ...	पैगापुर
२०	२० ,, ...	नारायणपूर मझारी
२१	२१ ,, ...	गुलरिहा
२२	२२ ,, ...	महादेवमिश्र
२३	२३ ,, ...	कान्धमारी
२४	२४ ,, ...	गंगापुर धर्मपुर वाहिबनगर
२५	२५ ,, ...	देवरिया
२६	२६ ,, ...	शेरपुर
२७	२७ ,, ...	सिरसिया
२८	२८ ,, ...	गंगापुर
२९	२९ ,, ...	महाराजगंज
३०	३० ,, ...	अगईजोत
३१	३१ ,, ...	विशुनीपुर
३२	३२ ,, ...	लचुईया
३३	३३ ,, ...	कैलबारी
३४	३४ ,, ...	धूरमनगर
३५	३५ ,, ...	बैजपुर
३६	३६ ,, ...	गनेशपुर

१	२	३			४
३७	३७	बी०एल०जी०	..	..	सेखुईया
३८	३८	,,	..	..	देवरावां
३९	३९	,,	..	..	कोइलारा
४०	४०	,,	..	..	सोनपुर
४१	४१	,,	..	..	रतनूपुर
४२	४२	,,	..	..	नचौरा
४३	४३	,,	..	..	रमवापुर
४४	४४	,,	..	..	चुल्हापारी
४५	४५	,,	..	..	शुदर्शनपुर जीत
४६	४६	,,	..	..	सिरसिया जुरावरपुर

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०३ पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९६९ के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित श्री कन्हैया लाल सोनकर के तारांकित प्रश्न संख्या २६ के उत्तर में उल्लिखित सूची

नाम तहसील	नाम ब्लाक	नाम ग्राम	विवरण
१—हंडिया	हंडिया	१—वमैला	
		२—खोकी कला	खुदाई का कार्य चल रहा है।
		३—भगवतीपुर	
,,	सैदाबाद	१—चाफलाद सेर	तीन क्यूसेक
		२—डरेहरी	
		३—उसमानपुर या करीब चन्दुपारा	
,,	प्रतापपुर	१—सतमामा	५ क्यूसेक
		२—कोट दक्षिण या पतैया	
		३—बघेणी	
२—फूलपुर	फूलपुर	१—वकसेन्डा	
		२—वीरभानपुर	
		३—साउडीन	
		४—सिलोखरा	
		५—लतीफपुर या मुबारकपुर	
,,	बहादुरपुर	१—विरगापुर मन्डोर	३ क्यूसेक
		२—सराब रेहिया	
		३—थारना	
		४—चन्दुपारा	
		५—चकिया थरेहरा	फार्म 'ए' पूर्ण नहीं हुआ।
३—सोरांव		२ नलकूप तराई क्षेत्र में प्रस्तावित है।	
४—बायल	बायल	१—वलीपुर टाटा तथा नकटा	३ क्यूसेक
		२—चरवा	५ क्यूसेक
		३—पट्टी बखेजाबाद	अभी फार्म 'ए' पूरा
		४—बिरौली	नहीं हुआ है।
		५—बरबा	
		६—काजू	
		७—अभी स्थल निश्चित नहीं हुआ।	

१	२	३	४
५—सिराथु	कड़ा	१—बमरौली २—हाशिमपुर ३—अन्दावा ४—गनसा ५—कसियारी ६—कमासिन ७—अभी स्थल निश्चित नहीं हुआ।	अभी फार्म 'ए' पूरा नहीं हुआ।
६—करछना	करछना	१—दवरी २—बसवार ३—बसही ४—बसही ५—पनासा या पच्छारा	बोरिंग का कार्य पूरा हो गया है। (परीक्षात्मक बोरिंग) फार्म 'ए' पूरा नहीं हुआ है।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०६ पर)

तालिका

ऐसी गन्ना विकास समितियों की सूची जिनकी पिछले दो वर्षों या उससे अधिक की वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न न हुई हो ।

क्रम-सं०	नाम समिति	अन्तिम वार्षिक साधारण सभा होने की तिथि	दो वर्षों या उससे अधिक समय से वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न न होने के कारण
१	इकबालपुर	२६-६-६६	मुन्सिफ कोर्ट के रोधनादेश के कारण न हो पाई ।
२	रामपुर	३०-१०-६५	उच्च न्यायालय के रोधनादेश के कारण न हो सकी ।
३	रामगोला (के)	जून १९६५	न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण नहीं हो सका ।
४	पडरौना	५-६-६७	न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण न हो सका ।
५	छितौनी	जून १९६२	उच्च न्यायालय के आदेश से स्थगित है ।
६	बैतालपुर	३०-६-६५	न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण नहीं हो सकी ।
७	गुठइया	२८-६-६७	समिति गन्ना पूर्ति न करने के कारण निष्क्रिय पड़ी है ।
८	न्योली	२४-५-६२	" "
९	कायमगंज	३-३-६४	" "
१०	बभनान	२५-५-५७	संचालक मन्डल निलम्बित होने के कारण प्रशासक द्वारा कार्य हो रहा है ।
११	शाहजहांपुर	२८-७-५७	" "
१२	रोजा	२९-७-५७	इसमें गबन होने के कारण अभिलेख उच्च न्यायालय में जमा है जिससे स्थिति पत्रक तैयार न हो सके । निलम्बित है तथा प्रशासक द्वारा कार्य हो रहा है ।
१३	शाहपुर	३०-५-६५	गबन के मामले में अभिलेख पुलिस द्वारा सील कर लिये गये थे जिसके कारण स्थिति पत्रक न बन सके ।

१	२	३	४
१४	हरियाबाद	१०-६-६६	विनांक २१-५-६८ तथा ७-६-६८ को चुनाव हेतु वार्षिक साधारण सभा बुलाई गई थी परन्तु दोनों बार कोरम के अभाव में चुनाव नहीं हो सका ।
१५	बुलन्दशहर ।	२३-७-६३	विनांक २९-७-६८ को वार्षिक साधारण सभा तथा चुनाव हो चुके थे, कुछ अनियमितताओं के कारण यह सभा अवधानिक घोषित हो गई ।
१६	रोहानाकलां	३०-५-६७	उच्च न्यायालय के रोधनादेश के कारण चुनाव नहीं हो सका। रोधनादेश रिक्त होने के बाद चुनाव की तिथि अभी तक निश्चित न हो सकी ।
१७	देवबन्द	२९-६-६५	संचालक मंडल आगामी वार्षिक सभा की तिथि जिसमें चुनाव होना था *टालता रहा ।
१८	सन्सन	१४-६-६७	संचालक मंडल द्वारा तिथि निश्चित नहीं की गई । उप विधियों का नये अधिनियम लागू होने पर संशोधन आवश्यक हो जाने पर करेंगे ।
१९	नजीबाबाद	२५-५-६७	स्थिति पत्रक तैयार न होने के कारण एवं उप विधियों में नये सहकारिता उपनियम व नियम लागू होने पर संशोधन आवश्यक हो जाने के कारण ।
२०	नूरपुर	८-६-६७	" "
२१	सिबहारा	३०-६-६७	" "
२२	बिजनौर	२५-६-६७	" "
२३	बमाला ..	२८-५-६७	स्थिति पत्रक तैयार न होने के कारण एवं उपविधियों में नये सहकारिता अधिनियम व नियम लागू होने पर संशोधन आवश्यक हो जाने के कारण ।
२४	चांदपुर ..	२९-५-६७	" "
२५	मल्लोला		यह समिति पीलीभीत समिति से ६४-६५ में १-७-६४ से अलग हुई है । वर्ष ६४-६५ का स्थिति पत्रक तैयार हो रहा है ।

*चुनाव क्षेत्र न बनने के कारण ।

१	२	३	४
२६	पीलीभीत ..	२-१-६४	स्थिति पत्रक तैयार न होने के कारण एवं उप-विधियों में नये सहकारिता अधिनियम व नियम लागू होने पर संशोधन आवश्यक हो जाने के कारण।
२७	पूरनपुर ..	३०-२-६४	,, ,,
२८	बीसलपुर ..	४-१२-६५	,, ,,
२९	हल्द्वानी ..	२५-६-६६	स्थिति पत्रक तैयार न हो सकने के एवं नये अधिनियम नियमों के लागू हो जाने पर उप विधियों में संशोधन आवश्यक हो जाने के कारण।
३०	बाजपुर ..	२९-५-६५	,, ,,
३१	हरेबोई/डीवर्स ..	२१-६-६७	,, ,,
३२	मसोधा ..	३-६-६५	,, ,,
३३	सुल्तानपुर ..	..	,, ,,
३४	गोर	११-६-६७	,, ,,
३५	बढ़नी ..	३०-६-६७	,, ,,
३६	सलेमपुर ..	२१-८-६६	संचालक मंडल चुनाव कराने हेतु टाल मटोल करता रहा।
३७	बरहज ..	२७-११-६५	,, ,,
३८	गौरीबाजार	३०-६-६६	,, ,,
३९	जरवलरोड ..	१२-४-६४	,, ,,
४०	महोली ..	३-१-६८	दिनांक ३-११-६८ को चुनाव होना निश्चित था परन्तु इस विषय को जनरल बाडी ने स्थगित कर दिया। इसके बाद २५-५-६९ को चुनाव की तिथि निश्चित की गई परन्तु नये नियम अधिनियम के आधार पर उपविधि में संशोधन आवश्यक होने से तिथि स्थगित हो गई।

नत्थी "घ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०९)

सूची

भाग 'क'

निजी बिजली सप्लाई कम्पनियों की सूची

क्रम-संख्या	बिजली सप्लाई कम्पनी का नाम	क्रय के विकल्प की तिथि
१	२	३
१	आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, आगरा ..	१७–१२–१९७३
२	अलीगढ़ इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, अलीगढ़	१५–४–१९७६
३	बाराबंकी इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, बाराबंकी ..	६–५–१९६८
४	बरेली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कं० लि०, बरेली	२४–१–१९७७
५	बनारस इलेक्ट्रिक लाइट एन्ड पावर कं० लि०, वाराणसी ..	५–२–१९७५
६	फर्रुखाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि० फतेहगढ़ ..	२६–३–१९८४
७	दि फैजाबाद इलेक्ट्रिक लाइसेन्स, १९३३	२८–११–१९८३
८	दि जौनपुर इलेक्ट्रिक लाइसेंस, १९३४	४–१–१९८५
९	किशोर इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन, बदायूं ..	२१–४–१९७९
१०	कोसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कं०, कोसी कलां, जिला मथुरा ..	३१–५–१९७०
११	मिर्जापुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, मिर्जापुर	२३–८–१९७९
१२	मथुरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, मथुरा	२९–७–१९७५
१३	पीलीभीत इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि० पीलीभीत.. ..	२९–११–१९८५
१४	रोहतक व हिसार डिस्ट्रिक्टस् इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, इलाहाबाद (रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बछरावां, महाराजगंज, सलोन तथा जायस के लाइसेन्सीज ।	१९–३–१९८२
१५	सादाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० सादाबाद	१–७–१९८२
१६	सहारनपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, सहारनपुर ..	१४–१२–१९७२
१७	शाहजहांपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि० शाहजहांपुर ..	२२–५–१९७७
१८	दि वेस्टर्न यू० पी० इलेक्ट्रिक पावर एन्ड सप्लाई कं० लि० इटावा..	१६–८–१९८४

भाग "ख"

नगर पालिका इलेक्ट्रिक सप्लाई अण्डरटेकिंग्स की सूची

१—नगरपालिका इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग, अलमोड़ा ।
२—नगरपालिका इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग, हल्द्वानी, जिला नैनीताल ।
३—नगरपालिका इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग, हरिद्वार यूनियन, हरिद्वार ।
४—नगरपालिका इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग, कासगंज, जिला एटा ।
५—नगरपालिका इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग, खुर्जा, जिला बुलन्दशहर ।
६—नगरपालिका इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग, मेरठ ।
७—नगरपालिका इलेक्ट्रिक सप्लाई, अन्डरटेकिंग, सिटी बोर्ड, मसूरी ।
८—नगरपालिका इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग, मुजफ्फरनगर ।
९—नगरपालिका इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग, नैनीताल ।
१०—नगरपालिका इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग, रूड़की ।
११—नगरपालिका इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग, उन्नाव ।
१२—नगरपालिका इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग, ललितपुर, जिला झांसी ।
१३—नगरपालिका इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग, ऋषिकेश ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१२ पर ।)

डा० के० एल० राव, केन्द्रीय सिंचाई एवं विद्युत् मंत्री ने प्रतापगढ़ जिले के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये हैं:—

१—गंगा नदी के मैदानी क्षेत्रों से संबंधित जिलों, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ आदि को सिंचन सुविधा उपलब्ध करने के लिये शारदा सहायक परियोजना का कार्य यथासंभव शीघ्र पूरा किया जाय ।

२—निम्न सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन का भी सुझाव दिया गया है:—

(१) डलमऊ पम्प नहर परियोजना (द्वितीय चरण) ।

(२) कालाकांकर के निकट गंगा नदी से ५० क्यूसेक्स क्षमता की पम्प नहर परियोजना ।

(३) मनिकपुर के निकट गंगा नदी से ५० क्यूसेक्स क्षमता की पम्प नहर परियोजना ।

(४) मुसाफिरखाना पम्प नहर परियोजना ।

(५) गोमती नदी से २० क्यूसेक्स क्षमता की ढुकुवां पम्प नहर का कार्य शीघ्र पूरा किया जाय ।

(६) जुरियामऊ पम्प नहर परियोजना की क्षमता में वृद्धि ।

(७) घाघरा नदी से पानी उठाकर सुल्तानपुर ब्रांच में पानी डालने के लिये पम्प नहर ।

३—नलकूप परियोजनायें—प्रतापगढ़ जिले में पर्याप्त संख्या में नलकूप बनाये जाने के कार्यक्रम की आवश्यकता पर बल दिया है । इसके लिये ज्योलाजीकल सर्वे आफ इंडिया के लखनऊ डिवीजन द्वारा जिले के ज्योफिजिकल सर्वे की आवश्यकता बताई है ।

४—बिजली की योजनायें—

(१) ११ के० वी० लाइन रामपुर से संग्रामगढ़ तक बनाई जाय ।

(२) एक ११ के० वी० लाइन मोइना (इलाहाबाद जिले में) से कटरा गुलाबसिंह तक बनाई जाय ।

(३) नलकूपों का विद्युतीकरण करने के निमित्त कुंडा से संग्रामगढ़ लाइन तक स्पर लाइन्स लगाई जायं और लाला की बाजार तक जो लाइन आई है उसे अलपुर तक बढ़ाया जाय ।

५—निम्नलिखित ३३ के० वी० लाइनें तथा सब स्टेशन बनाये जायं:—

(१) कुन्डा से जैथवाड़ा तक ३३ के० वी० लाइन ।

(२) जैथवाड़ा पर ३३/११ के० वी० सब स्टेशन ।

(३) लालगंज से मुरानी तक ३३ के० वी० लाइन ।

(४) मुरानी पर ३३/११ के० वी० सब स्टेशन ।

(५) चिलबिला से रानीगंज तक ३३ के० वी० लाइन ।

(६) रानीगंज पर ३३/११ के० वी० सब स्टेशन ।

६—उपर्युक्त प्रस्तावित ३ सब स्टेशनों में से प्रत्येक से लगभग २० मील की ११ के० वी० लाइनों का निर्माण किया जाय ।

७—प्रतापगढ़ में एक हाइडिल डिवीजन का गठन किया जाय ।

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१५ पर)

वित्तीय वर्ष १९६५–६६, ६६–६७, ६७–६८ तथा ६८–६९ में गोंडा जिले की गोंडा तहसील में बिजली के निम्नलिखित लाइनों का विस्तार योजनानुसार किया गया

क्रम-सं०	वर्ष	लाइन का भाग जो गोंडा जिले की गोंडा तहसील में बनी है।	लम्बाई
१	२	३	४
			कि० मी०
१	१९६५–६६ ..	११ के० वी० ब्रांच लाइन ..	१२.०
२	१९६६–६७ ..	११ के० वी० ब्रांच लाइन ..	७.४
३	१९६६–६७ ..	३३ के० वी० गोंडा, नवाबगंज–बस्ती ..	२०.०
४	१९६६–६७ ..	३३ क्रे० वी० गोंडा-बस्ती ..	३२.०
५	१९६६–६७ ..	३३ के० वी० गोंडा–बहराइच ..	४४.०

इसके अतिरिक्त वर्ष १९६८–६९ में लगभग ६० कि० मी० १३२ क्रे० वी० फैजाबाद गोंडा लाइन भी इस क्षेत्र से ले जाई गई। साथ ही पावर कनेक्शन देने हेतु इस क्षेत्र में उपरोक्त अवधि में लगभग १४१.०० कि० मी० लम्बी लाइनों का निर्माण किया गया, जिनका विवरण इस प्रकार है :

क्रम-संख्या	वर्ष	ब्रांच लाइन की लम्बाई जो पावर कनेक्शन देने के लिये बनाई गई है।
१	२	३
१	१९६५–६६ ..	१०.०० किलो मीटर
२	१९६६–६७ ..	३०.६० किलो मीटर
३	१९६७–६८ ..	५६.४० किलो मीटर
४	१९६८–६९ ..	४४.०० किलो मीटर

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१७ पर)

उत्तर प्रदश विधान सभा के द्वितीय सत्र १९६९ के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित श्री हरिवंश सहाय अतारांकित प्रश्न सं० ९ के उत्तर में उल्लिखित सूची ।

जिले का नाम	१९६९–७० में निर्माण के लिये स्वीकृत नलकूप की संख्या
१—देवरिया	२
२—बस्ती	२
३—गोरखपुर	५
४—जौनपुर	२५
५—आजमगढ़	२५
६—बलिया	१०
७—गाजीपुर	२०
८—बनारस	४०
९—इलाहाबाद	४०
१०—सुल्तानपुर	१५

कमलापति त्रिपाठी,
उप मुख्य मंत्री

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१७ पर)

नहर के चलने का विवरण पत्र....तालिका (व)

सन् १९६७

मड़ियाहूं ब्रांच	रामनगर	अलीपुर
माह ४–६७ व ५–६७ में निल	माह ४–६७ व ५–६७ निल	४–६७ व ५–६७ निल
माह ६–६७ में ४–६–६७ तथा २५–६ से ३०–६–६७ सात दिन ।	माह ६–६७ में २८ व २९–६= दो दिन २–७–६७ व १७ से २९ तक=१४ दिन	माह ६–६७ में दिनांक १० व १६–६ तथा २६–६ में=३ दिन ।
माह जुलाई में १ जुलाई से २९ जुलाई तक=२९ दिन		
माह अगस्त ६७ में ७ से २१-८-६९ तक तथा २७ व २८–८–६९ तक=१७ दिन ।	१९–८–६७ को=१ दिन	२–७–व १० व ११–७, १८ से २५–७ व २९ से ३–८ तक=१४ दिन ।
सितम्बर २५ से ३०-९-६७= ६ दिन ।	बन्द रही	९–८ से १९–८ व १-८-६७ =१२ दिन बन्द रही ।
अक्तूबर १ से ३ तक, ८ से १४ तक, २०,२१ तथा २४ से ३१ तक=२० दिन ।	बन्द रही ।	१२,१३,१४,१९,२०,२१ व २४,२५=८ दिन ।
नवम्बर १ से २६ तक व २९ में=२७ दिन ।	१ से ३, १४ से २३ तक= १४ दिन ।	१३ से २४ तक व २६ में= १४ दिन ।
दिसम्बर ५ से १४ तक, १७ से ३० तक=२४ दिन	६ से २४ तक=१९ दिन ।	२३ व २४ में=२ दिन ।

सन् १९६८

जनवरी १,४ से १७ तक= १५ दिन ।	बन्द रही	२०-१-६८=१ दिन ।
फरवरी ६८, २३ से २९ तक= ७ दिन ।	बन्द रही	बन्द रही ।
मार्च ६८, १ से १३ तक २३ से ३० तक=२१ दिन ।	२५ से २८ तक=४ दिन ।	१५,१६=२ दिन ।
अप्रैल २३,२४,२५=३ दिन ।	२४,२५=२ दिन ।	१७ को=१ दिन ।
मई २६ से ३१ तक=६ दिन ।	बन्द रही ।	२० को=१ दिन ।
जून १ से २३ तक ९,३० में= २५ दिन ।	१० से १५ तक व २९ में= ७ दिन ।	१०,१२ से १७ तक=६ दिन ।

मड़ियाहूं बांच	रामनगर	अलीपुर
जुलाई १ से २२ तक=२२ दिन	३, से १३ तक–८ दिन	३,६ से १९ तक=१५ दिन।
अगस्त १ से ११ तक, १९ से ३१ तक=२४ दिन	२ से ११, २५ से ३१=१७दिन	५ से १२ व ३०,३१=१० दिन।
सितम्बर १ से ६ तक, २६ से ३० तक=१० दिन।	१ व २ में=२ दिन	१ व २ में=२ दिन।
अक्तूबर १ से ११ तक, २६ से ३१ तक=१६ दिन।	२८ व ३१ में=२ दिन	२८ से ३१ तक=४ दिन।
नवम्बर १, ३ से १६ तक व ३० में=१५ दिन।	१ में=१ दिन	१ से ३,११ से १४=७ दिन।
दिसम्बर १ से १३ तक, २८ से ३१ तक=१७ दिन।	११,१२,२९,३,०,३१=५ दिन	११,१२,१३=३ दिन।

सन्, १९६९

जनवरी १ व२,१७ से २१ व ३१=८ दिन।	१ में=१ दिन	बन्द रही।
फरवरी १ से ८ तक=८ दिन	३,४,५=३ दिन	बन्द रही।
मार्च १ से ६ तक=६ दिन	बन्द रही।	बन्द रही।
अप्रैल, बन्द रही।	बन्द रही।	बन्द रही।
मई ९ से १७,२३ से ३१=१८ दिन।	बन्द रही।	बन्द रही।
जून ५ तक बन्द रही।	बन्द रही।	बन्द रही।

ह० जितेन्द्र भगत,
अधिशासी अभियन्ता।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—४६ एल० ए०—१९६९–८७०।